चतुर्थ माला, खंड 22, अंक 11 सोमवार, 25 नवम्बर, 1968/ 4 अग्रहायण, 1890 (शक)
Fourth Series, Vol. XXII, No. 11 Monday, November 25, 1968/Agrahayana 4, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit 17-7-84
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 22 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

/

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 11, सोमवार, 25 नवम्बर, 1968/4 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 11, Monday, November 25, 1968/Agrahayana 4, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सदस्य द्वारा सपथ ग्रहण	Member Sworn	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
304. पंजाब की गिल सरकार द्वारा सीरे के सौदे में की गई अवैध कार्यवाही	Illegation Committed by Gill Ministry of Punjab in Molasses Deal ..	1—5
306. भारत और पाकिस्तान द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता	Foreign Aid Received by India and Pakistan ..	5—14
310. पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की थोक एजेंसियां	Wholesale Agencies of Kerosene Oil in Eastern U. P. ..	14—15
312. विदेशी पूंजी का विनियोजन	Foreign Investment	15—17
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
4. विश्व बैंक के अध्यक्ष की नई दिल्ली यात्रा	World Bank President's visit to New Delhi..	17—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
301. इस्पात पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Steel ..	25
302. रूसी सहायता प्रणाली में परिवर्तन	Change in Soviet Aid Pattern ..	25—26
303. भारतीय फिल्मों का तस्कर व्यापार	Smuggling of Indian Films ..	26

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
305. चोरी छिपे लाई गयी वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled Goods	26—27
307. बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने में बुर्ज (टावर)	Towers in Barauni Refinery (Bihar) ..	27
308. मंत्रियों के विदेशों को दौरे	Ministers Tour Abroad	28
309. उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी से भूमि का कटाव	Land Erosion by Ghagra River in U. P. ..	28
311. काली चाय पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Black Tea ..	28—29
313. ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में पोषाहार की कमी के कारण कद का न बढ़ना	Nutritional Dwarfism among Children of Rural Areas ..	29—30
314. किसानों को बैंक की सुविधायें	Banking Facilities to Farmers	30
315. अहमदाबाद में सोने और भारतीय मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Gold and Indian Currency at Ahmedabad ..	30—31
316. आयकर अधिकारियों की परीक्षा	I. T. O. Examination	31—32
317. वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता	Aid by financial institutions to Rural Areas ..	32
318. बी० ओ० ए० सी० के विमान से पकड़ा गया सोना	Gold Seized from B. O. A. C. Plane	32—33
319. रिजर्व बैंक नई दिल्ली से धोखे से रुपया निकालना	Fraudulent withdrawal from Reserve Bank of India, New Delhi ..	33
320. दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा किराया खरीद आधार पर फ्लेटों की बिक्री	Sale of Flats by DDA on Hire Purchase Basis	33—34
321. कम आय वर्ग के लोगों को निःशुल्क डाक्टरी सहायता	Free Medical Aid to Low Income Group ..	34
322. गोआ में उर्वरक कारखाने के लिए भूमि	Land for Fertilizer Plant in Goa ..	35
323. चम्बल क्षेत्र की भूमि को पानी की रिसन से बचाना	Protection of Chambal Area Land from Seepage ..	35
324. अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान और विकास प्रभाग सिन्दरी का निरीक्षण	Examination of Research and Development Division of Sindri by American Experts ..	35—36

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		

325. बिहार में मोंघ्यार गांव में विषाक्त भोजन खाने से मृत्यु	Deaths due to Food Poisoning in Monghyar Village (Bihar) ..	36
326. हरियाणा को सहायता	Assistance to Haryana	36—37
327. जीवन बीमा निगम की गृह-निर्माण के लिए ऋण देने की नीति	Housing Loan Policy of Life Insurance Corporation	37
328. आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा दिए जाने वाले वेतनों में विषमता	Disparity in Salaries paid by Oil India Ltd.	37—38
329. नेशनल पावर ग्रिड	National Power Grid	38—40
330. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों के निकट क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters for Central Government Employees near place of work ..	40—41
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1867. बकाया विदेशी ऋण	Outstanding Foreign Debts	41—42
1868. मैसूर उर्वरक कम्पनी की ओर बकाया धनराशि	Outstanding amount against Mysore Fertilizer Company	42—43
1869. फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में क्षेत्रीय प्रबन्धकों का सम्मेलन	Conference of Area Managers in Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. ..	43
1870. जाली करेंसी नोटों का परिचालन	Circulation of counterfeit currency Notes ..	43—44
1871. निरोध के वितरण के लिये करार	Agreement for distribution of Nirodh	44—45
1872. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	Hindustan Latex Ltd.	45—46
1873. सरकारी अधिकारियों को निशुल्क टेलीफोन करने की अनुमति	Free Telephone Calls allowed to Government Officers ..	47
1874. हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का सर्वेक्षण	Survey for drinking water to Rural Areas of Himachal Pradesh ..	47—48
1875. गुजरात में उद्योगों के लिये बिजली की अत्यधिक कमी	Serious power shortage for industries in Gujarat ..	48

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

1876. मैसर्ज बर्ड एण्ड कम्पनी	M/S Bird and Co. ..	48—50
1877. फिल्मी कलाकारों द्वारा आय कर की अदायगी	Income tax payments by film stars ..	50
1878. गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में खाली पड़े भूभाग (प्लाट)	Vacant plots lying in Ghaziabad Industrial Area ..	50
1879. झुग्गी और झोंपड़ी निवासियों को सहायता	Assistance to Jhuggi and Jhopri Dwellers ..	51
1880. दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूमि में परिवर्तन	Changes in land use by DDA ..	51
1881. बेला रोड नई दिल्ली स्थित बर्फ के कारखानों के पट्टों की शर्तें	Terms of lease of Bela Road Ice factories in Delhi ..	51—52
1882. हरियाणा में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Haryana	52
1883. उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के ग्रामीण लोगों के लिये पीने का पानी	Potable Water to Rural Population of Hill Districts of U. P. ..	52
1884. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिये छोटी पन बिजली योजनायें	Minor Hydro Electric Schemes for Hill Districts of U. P.	52—53
1885. सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries	53
1886. निर्यातकर्ता फर्मों को कर में छूट	Tax relief to exporting firms	54
1887. सिक्किम में पी० एल० 480 निधियों का उपयोग	Utilisation of P. L. 480 Funds in Sikkim ..	54
1888. ब्रिटेन में मैसूर का व्यापार एजेन्ट	Mysore Trade Agent in U. K.	54
1889. बम्बई के निकट कमनगांव के पास चांदी की बरामदगी	Recovery of Silver near Kaman Village near Bombay	54—55
1890. जम्मू तथा काश्मीर राज्य में मन्त्रियों के ठहरने के लिये सरकारी इमारतें	Government Building for the Minister's stay in Jammu and Kashmir Sstte ..	55
1891. इन्दौर तथा उज्जैन जिलों की फर्मों के नाम आयकर की बकाया राशि	Income tax arrears against firms in Indore and Ujjain ..	55—56

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1892. नार्थ और साउथ ब्लाक नई दिल्ली के ब्रिटिश ताज के चिह्न का हटाया जाना	Removal of Insignia of British Crown from North and South Blocks, New Delhi ..	56
1893. जब्त किये गये सोने और चांदी का मूल्य	Value of confiscated Gold and Silver	56—57
1894. पोटासियम साल्ट की बिक्री के लिये विदेशों के साथ बातचीत	Negotiation with Foriegn Countries for sale of Potasium Salt ..	57
1895. उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य	Target for Fertilizer Production	57—58
1896. बरौनी तेल शोधनशाला से बेगूसराय और पटना के बीच टेलीफोन की व्यवस्था	Telephone Communications between Barauni Refinery, Begusarai and Patna ..	58
1897. सरजू परियोजना	Sarjoo Project	58—59
1898. उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrifications in U. P.	59
1899. भाखड़ा से मिलने वाली बिजली की दरों का पुनरीक्षण	Revision in Bhakra Electricity Rates	59—60
1900. उत्तर प्रदेश में बाढ़ सहायता कार्य	Flood Relief works in U. P.	60
1901. विभिन्न फारमों तथा प्रपत्रों को हिन्दी में छापना	Printing of various forms and Reports in Hindi ..	60—61
1902. पेट्रो रसायन उद्योग समूह के उत्पादों तथा उपोत्पादों का उपयोग	Utilisation of products and byproducts of Petrol Chemical Complexes ..	61
1903. कृषकों को सहायता की राशि	Subsidy to agriculturists	61
1904. हिमाचल प्रदेश के देहातों में पानी की सप्लाई की योजना	Rural Water Supply Schemes from Himachal Pradesh ..	61—62
1905. गुजरात में आयकर और धनकर भुगतान को करने वाले लोग	Income Tax and Wealth Tax Defaulters in Gujarat ..	62—63
1906. गुजरात में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करना	Opening of First Aid posts in Gujarat	63
1907. पटना नगर की गन्दी दशा	Filthy condition of Patna City	63

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1908. राज्यों द्वारा लगाये गये कर	Taxes levied by States ..	64
1909. मध्य प्रदेश में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें	Major and Medium Irrigation Projects in M. P. ..	64
1910. प्रधान मंत्री के निवास स्थान के रूप में तीन मूर्ति भवन	Teen Murti House As P.M's Residence ..	64—65
1911. नवकेतन सहकारी गृह-निर्माण समिति, नई दिल्ली	Navaketan Cooperative Housing Society, New Delhi ..	65
1912. स्टेट बैंक तथा रिजर्व बैंक के फार्मों को हिन्दी में छापना	Printing of Forms etc. of State and Reserve Banks in Hindi ..	65—66
1913. राज्यों में कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों में अन्तर	Variations in Rates of Power for Agricultural uses in States ..	66
1914. करों की बकाया स्थिति	Position of arrears of Taxes	66—67
1915. गांधी शताब्दी समारोह के लिये स्मृति सिक्के	Commemoration coins for Gandhi Centenary Celebrations ..	67
1916. यूनेस्को के अधिकारी	UNESCO Officials ..	67—68
1917. श्री एस० के० पाटिल की विदेश यात्रा	Shri S. K. Patil's Tour Abroad	68
1918. छोटा नागपुर क्षेत्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Chhotanagpur Region ..	68
1919. गुजरात तथा राजस्थान के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिये उत्पादन शुल्क में रियायत	Excise Duty Concessions to flood affected people of Gujarat and Rajasthan ..	69
1920. सशस्त्र सेनाओं के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme for Armed Forces ..	69
1921. चन्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास	Government Accommodation for Central Government Employees at Chandigarh ..	70
1922. चन्डीगढ़ में परिवार नियोजन का लक्ष्य	Family Planning Targets in Chandigarh ..	70
1923. जाली करेन्सी छापाखाना	Counterfeit currency Printing Unit	71
1924. पी० एल० 480 निधियों का जमा होना	Accumulation of P. L. 480 Funds ..	71—72

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1925. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई वार्षिक वृद्धि	Annual Increments given to Central Government Employees ..	72—73
1926. जीवन निर्वाह सूचकांक	Cost of Living Index ..	73—75
1927. आयकर से मुक्त आय की सीमा बढ़ाना	Raising of Limit of Incomes exempted from Income-Tax ..	75
1928. अनुसन्धान तथा विकास डिवीजन, सिन्दरी द्वारा तैयार किये गये कैटेलिस्ट	Catalysts prepared by Research and Development Division, Sindri ..	75—76
1929. अनुसन्धान तथा विकास प्रभाग, सिन्दरी	Research and Development Division Sindri ..	76
1930. अमोनिया का उत्पादन	Production of Amonia	76—77
1931. विश्व बाजार में नेफ्था की उपलब्धता	Availability of Naphtha in World Market..	77
1932. तेल तथा तेल के उत्पादों का उत्पादन	Production of Oil and Oil Products	77—78
1933. उड़ीसा में देहात में विद्युतिकरण कार्यक्रम	Rural Electrification programme in Orissa..	78—79
1934. नेशनल बिल्डिंग्स कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	National Buildings Construction Corporation Ltd. ..	79—80
1935. नेशनल बिल्डिंग्स कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	National Buildings Construction Corporation Ltd. ..	80—81
1936. नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	National Buildings Construction Corporation Ltd. ..	81
1937. नेशन बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	National Buildings Construction Corporation Ltd. ..	81—82
1938. अमरीकी निर्यात आयात बैंक से ऋण	Loan from US Export Import Bank	82
1939. पी०एल० 480 निधियां	P. L. 480 Funds ..	82—83
1940. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अनुसन्धान प्रशिक्षण संस्था देहरादून	Oil and Natural Gas Commission's Research Training Institute, Dehra Dun ..	83—84

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1941. नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दिल्ली नगर निगम को बिजली सम्बन्धी खर्च की बकाया देय राशि	DMC Dues outstanding N. D. M. C. on account of Electricity ..	84—85
1942. धन कर का निर्धारण	Assessment of Wealth Tax ..	85
1943. केरल में कुट्टनाड में पीने के पानी की कमी	Scarcity of Drinking Water in Kuttanad in Kerala ..	86
1944. विदेशी पूंजी का भारत में लगाया जाना	Investment of Foreign Capital in India	87
1945. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था और विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट	Annual Report of the World Bank and International Development Association ..	87—88
1946. यूनाइटेड प्रोविन्सेस कमर्शियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	United Provinces Commercial Corporation (P) Ltd. Calcutta ..	88
1947. राजस्थान में अकाल की स्थिति का अध्ययन	Study of Famine Conditions in Rajasthan ..	89
1948. सिंचाई योग्य भूमि	Irrigation Land	89
1949. सड़क कूटने वाले इंजनों के लिये यूनाइटेड प्रोविन्सेज कर्मशियल कारपोरेशन को अग्रिम धन देना	Advance for Road Rollers to United Provinces Commercial Corporation ..	90
1950. मन्त्रियों के निवास स्थानों के बिजली तथा पानी के बिल	Water and Electricity Bills in Respect of Ministers' Residences ..	90
1951. भाखड़ा बांध में रूसी टरबाइन रनर में त्रुटियां	Defects in Russian Turbine Runneers at Bhakra Dam ..	90—91
1952. गांधी सागर बांध में टरबाइन रनर	Turbine Runners in Gandhi Sagar Dam ..	91
1953. भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा राज्यों को विद्युत् की सप्लाई में कमी	Reduction in Power Supply to States by Bhakara Management Board ..	91—92
1954. दिल्ली कोतवाली की इमारत को श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को सौंपना	Handing over of Delhi Kotwali S. G. P. C...	92
1955. उत्तर प्रदेश में बिक्रीकर	Sales Tax in Uttar Pradesh ..	92

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1956.	विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश के विरुद्ध किसानों की शिकायतों की जांच	Investigation into Complaints of Farmers against Electricity Department, U. P. ..	93
1957.	मैसर्स राधा कृष्ण विमल कुमार के नाम में मिट्टी के तेल के लाइसेंस	Licences for Kerosene Oil in the Name of M/S. Radha Krishan Bimal Kumar ..	93—94
1958.	गोरखपुर उर्वरक कारखाने का उद्घाटन समारोह	Inaugural Ceremony of Gorakhpur Fertilizers Factory ..	94
1959.	नदी जल विवाद	River Water Disputes	94—95
1960.	सावधि जीवन बीमा	Endowment Life Insurance Policy	95
1961.	सेवाओं में सिलेक्शन ग्रेड बनाना	Creation of Selection Grades in Services ..	95—96
1962.	मकान बनाने के लिये ऋण	Loans for Construction of Houses	96
1963.	1968 में संसद् सदस्यों के विदेशों के दौरे	Foreign Tour of M.Ps in 1968 ..	96—97
1964.	पाकिस्तान में भारतीय बैंकों पर कब्जा करना	Taking over of Indian Banks in Pakistan ..	97
1965.	कूड़े से भवन निर्माण का सामान बनाना	Reclamation of garbage into building material ..	98
1966.	बीमारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को बारी से पहले क्वार्टरों का आवंटन	Out of turn allotment to Government servants on Health Grounds	98
1967.	विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली में भौतिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा विभाग	Physiotherapy and Occupational Therapy Department in Willingdon Hospital, New Delhi ..	99
1968.	अमरीका से ऋण	Loan from USA ..	99—100
1969.	श्रीसेलम जलविद्युत परियोजना	Srisailam Hydro electric Project ..	100—101
1970.	मैसर्स रयूमा सर्विसिज के भागीदारों द्वारा आयकर का भुगतान	Income tax payment by partners M/s Rayuma Services	101
1971.	जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन	L. I. C. Investment ..	101—103

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1972.	कानपुर उर्वरक परियोजना	Kanpur Fertilizer Project ..	103
1974.	मैसर्स रैमिंगटन रैण्ड आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to M/s Remington Rand of India (P) Ltd. ..	103—104
1975.	सरकारी कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance paid to Government employees ..	104—105
1976.	श्री कान्तिलाल देसाई की आय का निर्धारण	Assessment of Income of Shri Kantilal Desai ..	105—107
1977.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था	International Development Association ..	107—108
1978.	पेंशन में मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना	Merger of Dearness Allowance in the Pension ..	108—109
1979.	पेंशन भोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता	Free medical aid to pensioners	109
1980.	पटना नगर निगम का चुनाव	Election for Municipal Corporation Patna..	110
1981.	बरौनी उर्वरक कारखाने के कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Employees in Barauni Fertilizer Factory	110
1982.	दिल्ली में जीभ का केन्सर	Tongue Cancer in Delhi ..	110—111
1983.	एमरजेंसी कमीशन के लिये चुने गये जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति	Rehabilitation of LIC Employees selected for Emergency Commission ..	111—112
1984.	अफीम के काश्तकारों को दिये गये मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices paid to Opium Cultivators ..	112
1985.	नीमच में अलकलायड कारखाने का विस्तार	Expansion of Alkaloids Factory at Neemuch ..	112—113
1986.	अन्तर्राज्यीय खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति	Appointment of Food Inspectors to Check Inter-State Food Adulteration ..	113
1987.	देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था	Provision for drinking water in Rural Area ..	113—114
1988.	राजस्थान में तेल तथा गैस का सर्वेक्षण	Survey of oil and Gas in Rajasthan	114
1989.	फालतू नेफ्था में कमी	Decline in Naphtha Surplus	115

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1990. अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा	Officials' visit abroad	115
1991. केरल के मुख्य मन्त्री को 'पी' फार्म का न दिया जाना	Denial of 'P' form to Kerala's Chief Minister ..	115—117
1992. पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों के लिये डिप्टी प्राजैक्ट आफिसर की नियुक्ति	Appointment of Deputy Project Officer for Text Book Presses ..	117
1993. कलकत्ता में चोरी छिपे लाई गई भव्य कार का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled luxury car in Calcutta ..	117—118
1994. भारतीय स्वतन्त्रता (अधिकारी) दायित्व सम्पत्ति आदेश 1947	Indian independence (Rights property Liabilities) Order, 1947 ..	118—119
1995. उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में ब्रिबेरू नगर में अनधिकृत गृह-निर्माण	Unauthorised House Construction in Baberu Town in Banda District ..	119
1996. बबेरू (उत्तर प्रदेश) में डी० बी० अस्पताल	District Board Hospital, Baberu (U.P.)	119
1997. परिवार नियोजन के लिये सस्ते उपाय	Cheap methods for Family Planning ..	119—120
1998. दिल्ली में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factories in Delhi ..	120
1999. सरकारी उपक्रमों के लेखा परीक्षित लेखों को विधान मण्डल में प्रस्तुत करना	Presenting of Audited Accounts of Public Undertakings to Legislatures ..	120—121
2000. पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड	Pyrities and Chemicals Company Ltd.	121
2001. व्यास सतलुज को जोड़ने की परियोजना	Beas Sutlej Link Project	121
2003. बिहार में चन्दन बांध के क्षेत्र में ऊंचे धरातल वाली नहर खोदना	Digging of High Level Canal covered by Chandan Dam in Bihar ..	122
2004. बिहार में भूमि की सिंचाई की दरें	Rates of Irrigation of Land in Bihar ..	122

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2005.	विमानों से आने वाले यात्रियों द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी फार्मों का भरा जाना	Filling up of Health form by Passengers arriving by air ..	122—123
2006.	जिला अस्पताल, आगरा	District Hospital, Agra ..	123—124
2007.	तस्करी के मामलों का पता लगाना	Detecting of cases of smuggling	124
2008.	जम्मू में तेल की खुदाई	Oil Drilling in Jammu ..	124—125
2009.	उर्वरकों की कीमत में कमी	Reduction in Sale price of Fertilizers	125
2010.	बरौनी तेल शोधक कारखाने में कच्चे पेट्रोलियम कोक का उत्पादन	Production of Raw petroleum Coke at Barauni Refinery ..	125—126
2011.	बरौनी शोधनशाला का विस्तार	Expansion of Barauni Refinery ..	126
2012.	हल्दिया शोधनशाला	Haldia Refinery ..	126—127
2013.	गोहाटी शोधनशाला में कच्चे पेट्रोलियम कोक का उत्पादन	Production of Raw Petroleum in Gauhati Refinery ..	127
2014.	फिल्मी कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange violation by Film Stars..	127—128
2015.	फिल्म कम्पनियों से कर की बकाया राशि	Tax Arrears due from Film Companies	128
2016.	तस्करी का उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव	Effect of smuggling on prices of consumer Goods ..	128
2017.	भारतीय तेल निगम द्वारा बैरलों की खरीद	Purchase of Barrels by Indian Oil Corporation ..	128—129
2018.	नामरूप उर्वरक कारखाने तथा आसाम विद्युत बोर्ड को गैस की बिक्री	Sale of Gas to Namrup Fertilizer Factory and Assam Electricity Board ..	129
2019.	पेट्रो रसायन निगम	Petro-Chemical Corporation ..	130
2020.	दिल्ली में वजीरपुर रिहायशी योजनाओं में प्लाटों का कब्जा	Possession of plots in Wazirpur Residential Schemes, in Delhi ..	130—131
2021.	टीके की नई विधि का आरंभ करना	Introduction of New Vaccination Technique ..	131

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2022. दर्मियाने दज के कपड़े पर उत्पादन शुल्क में छूट	Relief in Excise Duty on Medium Cloth ..	131—132
2023. उत्पादन प्रशुल्क का पुनरीक्षण	Revision of Excise Tariffs	132
2024. उर्वरक ऋण गारन्टी निगम	Fertilizers Credit Guarantee Corporation ..	132—133
2025. खम्बात की खाड़ी में खोज कार्य को स्थगित करना	Postponement of Work of Exploration in Gulf of Cambay ..	133
2026. निर्यातकों को आस्थगित ऋण की सुविधायें	Deferred Credit Facilities to exporters ..	133—134
2027. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	Oil and Natural Gas Commission ..	134—135
2028. नेपाल से बिजली की सप्लाई	Supply of power from Nepal	135
2029. गैर सरकारी बीमा समवायों द्वारा वेतन का दिया जाना	Payment of Salaries to Private Sector Insurance Companies ..	135
2030. तीस्ता नदी में बाढ़	Floods in Teesta River ..	135—137
2031. उत्तर प्रदेश में नलकूपों के लिये बिजली देना	Energisation of Tube Wells in U. P.	137
2032. आसाम में तेल के नये रक्षित भंडार	Fresh Resources of Oil in Assam	137
2033. चल-चित्र उद्योग में काम करने वाले लोगों की ओर कर की बकाया राशि	Tax Arrears due from Film ..	137—138
2034. राज्यों में सूखा तथा बाढ़ें	Drought and Floods in States ..	138—139
2035. अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत आसाम के पहाड़ी जिलों को धन का नियतन	Allocations made to Assam Hills Districts under Article 275 ..	139—140
2036. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of L.I.C. Employees ..	140
2037. प्रधानमंत्री क लातीनो अमरीकी देशों के दौरे के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Prime Minister for her visit to Latin American Countries ..	140—141
2038. एशियाई विकास बैंक से विदेशी सहायता	Foreign aid from Asian Development Bank ..	141

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2039. कर अपवंचन	Tax evasion ..	141—142
2040. अमोनिया का आयात	Import of Ammonia ..	143
2041. जीवन बीमा निगम की व्यपगत पालिसियां	Lapsed L.I.C. Policies ..	143—144
2042. भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों के लिये लाभांश	Bonus for Staff of Indian Oil Corporation ..	144
2043. आयातित स्नेहक तेल	Imported Lubricants ..	144—145
2044. औद्योगिक तथा स्नेहक तेलों का स्टाक	Stocks of Iudustrial and Lubricant Oils ..	145
2045. राजघाट, शांति वन, तथा विजयघाट के लिये भूमि	Land for Rajghat Shanti Vana and Vijay Ghat ..	145—146
2046. भटिन्डा में ऊष्मीय शक्ति केन्द्र	Thermal Power Station at Bhatinda	146
2047. ईरान सरकार द्वारा अमोनिया की सप्लाई	Supply of Ammonia by Iran Government ..	146—147
2048. लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली के खोखे वाले	Stall holders of Laxmi Bai Nagar New Delhi	147
2049. तेल शोधन क्षमता का निर्धारण	Establishment of Refining capacity ..	147—148
2050. उचित मूल्य की राशन तथा सहकारी दुकानों में अपमिश्रण के मामले	Adulteration cases, in fair price ration and co-operative shops ..	148—149
2051. इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जालन्धर	Improvement trust, Jullundur	149
2052. पौड़ी गढ़वाल में सरकारी अस्पताल	Government Hospitals in Pauri Garhwal ..	149—150
2053. नगरीय .स्थानीय सरकारी निकायों के मुख्य कार्यालयों के कार्यकारी अधिकारियों के लिये सांझा राज्य संवर्ग (केडर) बनाना	Constitution of Common State Cadre for Executive Officers of Chief Offices of Urban Local Government Bodies ..	150
2054. भारत में जापान द्वारा लगाई गई पूंजी	Investment of Japanese Capital in India ..	150—151

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2055. उत्पादन शुल्क की वापसी	Refund of Excise Duty	151
2056. नदियों को मिलाना	Inter linking of Rivers	151
2058. बिहार में बेरोजगार डाक्टर	Unemployment Doctors in Bihar	152
2059. सिंचाई और विद्युत मंत्री का विदेशों का दौरा	Irrigation and Power Minister's visit abroad	152
2061. बर्मा शैल तेल शोधक कारखाने की क्षमता का विस्तार	Expansion of capacity by Burmah Shell Refinery ..	152—153
2062. आय कर सम्बन्धी अपील	Income-tax Appeals ..	153—154
2063. बम्बे कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	Bombay Company (P) Ltd., Bombay ..	154
2064. बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	Bombay Company (P) Ltd., Bombay ..	154—155
2065. पेन्शन पाने वाले संगठनों द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Pensioner Organisations ..	155
2066. दिल्ली में श्रेणी चार के मकानों के बरामदों में जाली	Glazing of verandahs of Type IV Quarters in Delhi ..	155—156
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
कलकत्ता में नक्सलबाड़ी साम्यवादी छात्रों द्वारा मैकनमारा विरोधी कथित हिंसापूर्ण प्रदर्शन तथा उनकी प्रतिक्रिया	Reported violent anti-Mc Namara demonstrations by Naxalite communist students in Calcutta and its repercussions ..	156—159
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	160—162
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ..	162
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	Motor Vehicles (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य	Report and Evidence of Joint Committee ..	163
हाल ही में उत्पन्न हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement re : recent Developments in International Monetary situation ..	163
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	163
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में (श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी)	Re: question of Privilege (Arrest of Shri Madhu Limaye) ..	163

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
समिति के लिये निर्वाचन—	Election to committee—	
दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद	Advisory Council of the Delhi Development Authority ..	164
उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक	Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill	
—पुरःस्थापित	—Introduced	165
भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश और भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक को निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re : Disapproval of Indian Railways (Amendment) Ordinance, and Indian Railways (Amendment) Bill ..	165—185
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	165
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes ..	165—167
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Poonacha	167
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody ..	173—174
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani ..	174—176
श्री जि० मो० बिस्वास	Shri J. M. Biswas ..	176—178
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha ..	178—180
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan ..	180—181
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare ..	181—182
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ..	182—183
श्री सामिनाथन्	Shri Saminathan ..	183—184
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma ..	184—185
आधे-घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
पाकिस्तान द्वारा सैनिक तैयारी	Military Preparations by Pakistan ..	185—191
डा० सुशीला नैयर	Dr. Sushila Nayar ..	185—186
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh ..	187—191

लोक-सभा
LOK SABHA

अंक 11, सोमवार, 25 नवम्बर, 1968/4 अग्रहायण, 1890 (शक)
No 11, Monday, November 25, 1968/Agrahayana 4, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
Member Sworn

श्रीमती सुधा वी० रेड्डी (मधु गिरी-मैसूर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पंजाब की गिल सरकार द्वारा सीरे के सौदे में की गई अवैध कार्यवाही

*304. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में गिल सरकार द्वारा सीरे के सौदे में की गई अवैध कार्यवाही के फलस्वरूप राज्य के राजकोष को 2·5 करोड़ रुपये की हानि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीरा नियंत्रण आदेश, 1961 में सीरे की 67 पैसे प्रति क्विटल कीमत निर्धारित की गई थी;

(ग) गिल सरकार ने कितनी कीमत पर सौदे किये थे; और

(घ) क्या इस सौदे से पूर्वी पंजाब सीरा नियंत्रण अधिनियम, 1968 के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । यह मूल्य भी ईस्ट पंजाब मोलैसिस (कंट्रोल) एक्ट, 1948, जो पंजाब राज्य में लागू है, के अन्तर्गत चीनी के कारखाने पर नियत किया गया है ।

(ग) बातचीत द्वारा राज्य सरकार ने खुले बाजार से सीरा खरीदा और 1.50 लाख क्विंटल के लिये 175 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अदायगी की ।

(घ) जी नहीं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि पंजाब के विरोधी दलों ने 4 जुलाई को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसे राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेज दिया था । मुझे समाचारपत्रों द्वारा यह मालूम हुआ कि प्रथम दृष्टि में यह मामला ठीक है और करोड़ों रुपयों का सीरा उत्तर प्रदेश से 175 रुपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदा गया था जबकि राज्य में इसका नियंत्रित मूल्य केवल 67 पैसे प्रति क्विंटल था । राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि वह फर्म की सप्लाई का स्रोत जानना चाहते हैं जिसके द्वारा गिल सरकार ने करोड़ों रुपये बनाये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस राज्यपाल के प्रतिवेदन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री रघुरामैया : मुझे गृह मंत्रालय को दिये गये ज्ञापन के बारे में कुछ मालूम नहीं है परन्तु यह सत्य है कि पंजाब सरकार ने सीरा को 175 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा था ।

ऐसा उस आदेश अथवा केन्द्रीय नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत सीरे के ऊपर खांडसारी अथवा मिलों द्वारा खुले बाजार में बेचने पर नियंत्रण नहीं है केवल मिलों द्वारा मद्यसार बनाने वालों को बेचने के मूल्य पर नियंत्रण है ।

पंजाब सरकार ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया है । उन्होंने शराब के उत्पादन का अनुमान लगाया था और उस आधार पर अनुमानित उत्पादन शुल्क राजस्व 28 करोड़ रुपये था । उतनी शराब की मात्रा के लिए 4 लाख क्विंटल की आवश्यकता थी । राज्य की विभिन्न चीनी की मिलों में केवल 1.30 लाख क्विंटल उपलब्ध था, उनको इसको पूरा करना था अतएव उन्होंने हमारे मंत्रालय और दूसरे राज्य सरकारों को लिखा कि क्या अतिरिक्त बचा हुआ है परन्तु उनको यह नहीं मिल सका । उत्पादन शुल्क राजस्व के नुकसान होने के भय से खुले बाजार में गए और उन्होंने कहा कि उनको केवल उसी भाव पर सीरा मिल रहा है, इसमें कुछ भी गुण व दोष क्यों न हो परन्तु जहां तक केन्द्रीय नियंत्रण आदेश और पंजाब के आदेश का सम्बन्ध है, उनमें किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ, यह पंजाब सरकार के निर्णय करने पर है और उन्होंने हमें यह कहा है कि उन्हें यह मजबूरन करना पड़ा ।

श्री रंगा : राज्यपाल के प्रतिवेदन का क्या हुआ ?

श्री रघुरामैया : मुझे किसी ऐसे प्रतिवेदन के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगर गृह मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना है तो यह उन्हीं को मालूम होना चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यह प्रथम दृष्टि में प्रतीत मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, राज्य के विरुद्ध गम्भीर आरोप और करोड़ों रुपयों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए जांच आयोग नियुक्त करने को तैयार है जैसा कि प्रताप सिंह कैरों के मामले में किया गया था जबकि सत्ता का दुरुपयोग, कुप्रबन्ध और भाई भतीजावाद के आरोप लगाए गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसा करने को तैयार है अथवा सरकार जानबूझकर आयोग को इसलिए नियुक्त नहीं करना चाहती क्योंकि सभी तथ्यों का पता लगने से मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस दल को हानि उठानी पड़ सकती है।

श्री रघुरामैया : मैंने पहले ही कह दिया है कि इसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह काम गृह मंत्रालय का है कि वह बताये कि क्या प्रतिवेदन उसके पास आया है और वह उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चेंगलराया नायडू : इस बात को देखते हुए कि देश में चोर बाजारी, गन्ना उत्पादकों का शोषण, ऐसे अन्य लोगों द्वारा मूल्य निर्धारण जो कारखानेदारों के हितों में दिलचस्पी लेते हैं, क्या सरकार सीरे के मूल्य को बढ़ाने की सोच रही है ताकि गन्ना उत्पादकों को लाभ हो सके ?

श्री रघुरामैया : यह समस्या कुछ समय के लिए मंत्रालय के पास थी, हमने राज्य सरकारों से भी परामर्श किया और इस निर्णय पर पहुंचे कि नियमित मूल्य में वृद्धि नहीं करनी चाहिए नहीं तो इससे ऐलकोहल पर आधारित विभिन्न उद्योगों में अव्यवस्था फैल जायेगी।

Shri Maharaj Singh Bharati: Mr. Speaker, taking into consideration that the control price of molasses is 67 Paise per quinial and it is sold in the market at the rate of Rs. 150 per quintal, then whether the Government have the knowledge that the sugar mill owners do not construct pucca tank and keep it kacha and spoil it by mixing the water, then the Government release it and the same molasses is sold at the rate of Rs. 150 per quintal. Whether it is a fact that due to the insufficient quantity of molasses, the Punjab Government purchased Gur in large quantity and the Central Government interfered in it on account of the rising price of Gur and the purchasing of Gur was stopped so that it may be available to common man, if so, then taking into consideration the requirements of the industry of Alchohol, as well as the purchasing of molasses due to its less price and the consumption of Gur among the common man, will the Government take some permanent step in this matter.

श्री रघुरामैया : राज्य सरकारों के पास पर्याप्त शक्ति है और विभिन्न नियंत्रण आदेशों द्वारा वे इसे कठोरता से लागू कर सकते हैं।

Shri Randhir Singh: Mr. Speaker, now a days strong agitation regarding the sugarcane price is going on in the whole country particularly in Punjab and Haryana. The Government know that the cost of production of sugarcane is high for the farmer, I want to ask whether there is any proposal with Government to give more incentive to the farmers so that they may produce more molasses, Gur, Khandsari or sugar so that the production may increase. I want to know whether the proposal for removing the restrictions imposed on them, like that they cannot produce molasses or Gur within the periphery of 30-35 miles of Co-operative Sugar Mills, is under consideration so that the farmer may get the remunerative price for the high cost he gets by producing sugar.

श्री रघुरामैया : गन्ना उत्पादकों को दिये जाने वाले मूल्यों का नियंत्रण और नियमन खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का विषय है।

डा० रानेन सेन : जबकि देश के कुछ भागों में ऐसे कांड हो रहे हैं, सीरे की सप्लाई काफी हद तक कम हो गई है, ये कठिनाइयां ऐलकोहल, स्पिरिट और अन्य चीजें बनाने वाले उद्योगों में अनुभव की जा रही हैं। इसके परिणामस्वरूप कई ऐलकोहल उत्पादकों और फैक्टरियों ने कार्य करना बन्द कर दिया अथवा उत्पादन बहुत घटी हुई दर पर कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाये गये हैं जिसके द्वारा वह यह देखे कि राज्यों को आवश्यकता और पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीरे के सप्लाई हो रही है ?

श्री रघुरामैया : समय-समय पर राज्य सरकारों और केन्द्र के मध्य, सीरे के अधिकायत वाले तथा कमी वाले राज्य के मध्य बातचीत होती रहती है और आवश्यक व्यवस्था की जाती है, कभी हम इसमें सफल होते हैं और कभी असफल भी हो जाते हैं। यह सत्य है कि गत वर्ष सीरे की कमी थी, अतएव हमें 10,000 टन के करीब सीरा पश्चिमी बंगाल से आयात करना पड़ा, हम अपने पूरे प्रयत्न से तथा साधनों से उद्योग को सहायता पहुंचा रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं।

डा० रानेन सेन : सीरे की कमी है।

Shri Kanwar Lal Gupta: It has just been stated that since molasses was not available on controlled rates and as such it had to be purchased from the open market, therefore the Gill Government have earned crores of rupees in collusion with the traders and they have done considerable misappropriation. I want to know from the Hon. Minister whether it is correct that the price of molasses in the open market was not Rs. 175 per quintal at that time, it was hardly Rs. 70 to Rs. 80 per quintal and they can purchase molasses at very cheap price from other place but the Gill Government knowingly made profit of crores of rupees with the cooperation with the traders. These are all shabby deals. Will the Hon. Minister hold the enquiry inorder to know the price of molasses and whether the Government was able to purchase it in less price than that from other parts or not?

श्री रघुरमैया : मेरे पास पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचना के अतिरिक्त जानकारी का, पंजाब सरकार ने केन्द्रीय आदेश का कोई उल्लघंन नहीं किया। जहां तक उनके खरीदने

का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि यह उनके निर्णय पर है, मुझे उनके दिए गए तथ्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके द्वारा दिए गए तथ्य यह हैं कि उन्होंने कुछ अन्य लोगों से बातचीत की थी और यह पाया कि वे या तो अपेक्षित मात्रा देने को तैयार नहीं हैं अथवा मूल्यों में अन्तर अधिक नहीं है, ऐसा मालूम होता है कि इस व्यापार के तीन महीने पश्चात वे फिर से शेष को पूरा करने के लिए टेंडर मांगे और फिर भी मूल्य 10 रुपये के आस पास था। परन्तु ये सब बातें पंजाब सरकार के ऊपर हैं। मुझे इसके लिए सूचना पर निर्भर रहना पड़ता है, जहां तक इसका सम्बन्ध है कि उन्होंने कुछ अनियमितताएं बरती हैं और यदि हां तो क्या कार्यवाही की जानी चाहिए तो मैं कहूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर गृह मंत्रालय के पास ज्ञापन भेजा गया है तो यह मामला गृह मंत्रालय के लिए है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने खुले बाजार के दर जानने के बारे में कोई जांच करवाई है ? यह सच है कि दर बहुत कम थी। सरकार ने ठीक मूल्य जानने के लिए टेंडर क्यों नहीं दिए ? उन्हें राज्य पाल से आवश्यक जांच के लिए कहना चाहिए था, वे उस जिम्मेवारी से क्यों बचना चाहते हैं ?

श्री रघुरामैया : केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य कार्यों का विभाजन है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जहां तक मंत्रालय का सम्बन्ध है, हमारा सम्बन्ध केवल अधिनियम से है और इस अधिनियम का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है।

भारत और पाकिस्तान द्वारा प्राप्त विदेशी सहायता

*306. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री प्र० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 (जून के अन्त तक) भारत और पाकिस्तान को कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) यह सहायता प्रति व्यक्ति आधार पर कितनी है ; और

(ग) पाकिस्तान को प्राप्त हुई ऐसी सहायता के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ख) यूरोपीय सहयोग और विकास संगठन (आर्गेनाइजेशन आफ यूरोपीयन कोआप्रेशन डेवलपमेण्ट) की विकास सहायता समिति ने कम विकसित देशों द्वारा विकास सहायता समिति

के सदस्य देशों और बहुपक्षी संगठनों से सरकारी तौर पर मिलने वाली प्रतिव्यक्ति वास्तविक सहायता की समय-समय पर तुलना की है। इस प्रकार लगाये गये हिसाब के अनुसार, भारत को जो प्रति व्यक्ति सहायता मिली है, वह 1964 में 2.6 डालर, 1965 में 2.7 डालर और 1966 में 2.5 डालर बैठती है। इसकी तुलना में पाकिस्तान द्वारा प्राप्त प्रतिव्यक्ति सहायता 1964 में 5.1 डालर, 1965 में 5.1 डालर और 1966 में 3.7 डालर बैठती है।

(ग) ऐसे बहुत से देश हैं जिन्हें भारत के मुकाबले प्रतिव्यक्ति अधिक सहायता मिलती है। हमारा हित इसी बात में है कि हमें आवश्यक मात्रा में और हमारे विकास कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त ढंग से सहायता मिलती रहे।

भाग (क) भारत और पाकिस्तान द्वारा प्राप्त सहायता का विवरण

निम्नलिखित सारणी में भारत और पाकिस्तान द्वारा 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में (जून के अंत तक) (ऋण सम्बन्धी वचनों के रूप में) विदेशों/विदेशी संस्थाओं से प्राप्त आर्थिक सहायता की रकमें दिखायी गयी हैं।

लाख डालरों में

	1965-66	1966-67	1967-68 (दिसम्बर 1967 तक)
भारत	8610	12210	3220
पाकिस्तान	4220	4860	1990

(स्रोत-पाकिस्तान आर्थिक समीक्षा, 1967-68)

श्री प्र० के० देव : हमें ज्ञात है कि विदेशी सहायता की कमी के कारण हमारे विकास कार्यक्रमों में कमी की जा रही है तथा इसके परिणामस्वरूप हमारी योजना को घटाया गया है तथा हमारी कुछ बहुत आवश्यक परियोजनाओं को स्थगित करना पड़ रहा है। इस बात को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत को पाकिस्तान की तुलना में कम विदेशी सहायता प्राप्त होना, हमारी राजनयिक विफलता का द्योतक तथा हमारे लगातार ऋणी रहने का परिणाम नहीं है तथा क्या यह सच नहीं है कि हमें विदेशी ऋणों का ब्याज चुकाने के लिये नये ऋण लेने पड़ते हैं अथवा क्या हमें विदेशी सहायता इस लिये नहीं मिलती है, क्योंकि कि हमारे ऊपर बहुत ऋण चढ़ गया है तथा हम ब्याज देने के लायक भी नहीं हैं और ब्याज चुकाने के लिये भी हमें नये ऋण लेने पड़ते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य जो चाहे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकता। परन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा कि हमें पाकिस्तान की तुलना में कम प्रति व्यक्ति सहायता मिलने का कारण हमारी राजनयिक विफलता है। यह कहना ठीक नहीं है। उन्हें अधिक सहायता मिलने का पहला कारण तो यह है किउनका देश छोटा है और दूसरे वह गुटों में शामिल हैं तथा यह भी एक कारण है, जिससे उन्हें अधिक सहायता मिली

है । हमें अन्य देशों को अधिक सहायता मिलने पर झगड़ा नहीं करना है, हमें तो केवल वह सहायता प्राप्त करनी है, जो हमें ठीक ढंग से और उचित शर्तों पर मिलती है । हम ऐसी कोई शर्तें स्वीकार नहीं करते हैं, जो हमारे आत्म सम्मान के विरुद्ध हैं । यह भी एक कारण है, जिससे हम अधिक ऋण लेने में अक्षम हैं ।

यह भी सच नहीं है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमारे बहुत से विकास कार्यक्रम पिछड़ गए हैं । उनके पिछड़ने का कारण यह भी है कि हमारे आन्तरिक साधनों का भी अपेक्षित विकास नहीं हो सकता है । जब तक हमारे आन्तरिक साधनों का उचित विकास नहीं होता, तब तक अधिक विदेशी साधनों का उपयोग करना उचित नहीं होगा । यह बात भी सरकार के विचाराधीन है । हमारे आन्तरिक साधनों के पिछड़ने का कारण यह है कि हमारे पिछले दो वर्ष बहुत खराब रहे हैं तथा हमें दो लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी हैं, जो हम पर थोपी गई और उन पर धन खर्च करना पड़ा है ।

जहां तक नये ऋण लिये बिना हमारे लिये ब्याज अथवा किस्तों का भुगतान करना संभव न हो सकने का प्रश्न है, यह केवल हमारे देश के लिये ही कोई नई बात नहीं है अन्य सब देशों को भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है । अतः मैं नहीं समझता कि यह एक ऐसा प्रश्न है, जो हमारे विपरीत हो । इसका यह अर्थ नहीं है कि हम ऋणों का भुगतान नहीं करेंगे । हम सामान देकर उनका भुगतान करेंगे । हम अब अधिक से अधिक निर्यात तथा कम से कम आयात कर रहे हैं तथा ऐसा करना इस उद्देश्य के लिये ऋण लेने से कहीं अच्छा है ।

श्री प्र० के० देव : मिस्टर मैकनमारा के आने पर कलकत्ता में लोगों ने जो असभ्य तथा अशोभनीय रवैया अपनाया था और उस समय जो प्रदर्शन किये गये थे, उनकी आलोचना करते हुए मैं उनके उस वक्तव्य का जो उन्होंने प्रेस सम्मेलन के अन्त में दिया था, कि यदि विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी, तो हम देने को तैयार हैं, स्वागत करता हूं । विश्व बैंक के प्रधान द्वारा प्रदर्शित इस सद्भाव का लाभ उठाते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के साथ हुई उनकी हाल की बात चीत का क्या ठोस परिणाम निकला है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर एक अल्प सूचना प्रश्न है, जो प्रश्न काल की समाप्ति पर लिया जायेगा । अतः उस समय यह प्रश्न पूछना अधिक ठीक रहेगा ।

श्री प्र० के० देव : वैदेशी सहायता से सम्बन्धित नवीनतम प्रकाशन से यह पता चलता है कि वर्ष 1967 तक प्राप्त हुई विदेशी सहायता की राशि में से 2,551 करोड़ 66 लाख रुपये की राशि बिना इस्तेमाल किये पड़ी रही । अब तक यह राशि और भी बढ़ गई होगी । क्या यह राशि कम हुई है ? क्या इस राशि का उचित उपयोग किया गया है ? मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई : साधारणतया इस्तेमाल किये जाने के बारे में भ्रांति फैली हुई है। अतः उसके कई स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं। मैं अपने माननीय मित्र से प्रार्थना करता हूं कि वह स्थिति को समझें। जब हमें विदेशी सहायता मिलती है, चाहे वह ऋणों के रूप में हो अथवा अनुदानों के रूप में वह किसी विशिष्ठ उद्देश्य के लिये प्राप्त होती है या तो वह आयात करने के लिये गैर-परियोजना सहायता होती है अथवा यह परियोजना सहायता होती है, जो किन्हीं विशिष्ठ परियोजनाओं के लिये मिलती है। जब सहायता का वचन दिया जाता है, उस समय परियोजनाओं के प्रारूप तैयार हो रहे होते हैं और उनके पूरा होने में दो अथवा तीन अथवा चार वर्ष लगते हैं। इस लिये ऋणों की राशि को तुरन्त नहीं लिया जाता। यदि हम ऋणों की राशि को तुरन्त लेते हैं, तो हमें उस पर ब्याज देना पड़ता है, इस लिये हम ऋणों की राशि तुरन्त नहीं लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या ब्याज उस तिथि से दिया जाता है जिस तिथि को हम ऋण लेते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : ब्याज उस दिन से दिया जाता है, जिस दिन हम ऋण लेते हैं। इसके पहले से नहीं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यह समाचार प्राप्त हुआ है कि इस देश को पर्याप्त विदेशी सहायता न मिलने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्या यह समाचार सही है तथा क्या हमें अपनी अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त विदेशी सहायता मिलेगी ? विदेशी मदद की सहायता से चौथी पंचवर्षीय योजना को अधिक अच्छी और अधिक व्यापक बनाने के लिये तथा इस योजना की अवधि में प्रगति की गति को उतनी ही तीव्र रखने के लिये, जितनी गति तीन पंचवर्षीय योजनाओं में रही है, क्या हमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी ?

श्री मोरारजी देसाई : अधूरी परियोजनाएं अधूरी नहीं रहेंगी, क्योंकि उनके लिये पहले ही व्यवस्था की गई है। अतः उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उन्हें पूरा किया जायेगा।

जहां तक नई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, यदि विदेशी सहायता प्राप्त होती है, तो अच्छा है और यदि विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होती, तो भी अच्छा है, क्योंकि दूसरी हालत में हम अपने पांव पर खड़े होंगे। मैं समझता हूं कि विदेशी सहायता का न मिलना अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि उस स्थिति में हम यह पता लगा सकेंगे कि विदेशी सहायता के बिना किस प्रकार हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta: Then you should stop asking foreign aid.

Shri Morarji Desai: It is not a question of our asking. Do you think that aid is given, because it is demanded by us. The aid giving country also keeps her interst in mind and it is not unilateral.

Shri R. K. Amin: What is gained by the aid giving country?

Shri Morarji Desai: I need not tell you all this. You all know this very well. I should not think that you do not know it and there is any need to say anything about it.

जहां विदेशी सहायता आवश्यक होगी उसे प्राप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे और उसके लिये बातचीत भी करेंगे। यदि हमें विदेशी सहायता प्राप्त हो जाती है, तो उसका सद्उपयोग किया जायेगा और सहायता न मिलने पर हम दूसरे तरीके निकालने का प्रयत्न करेंगे।

श्री हेम बरुआ : ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी हाल की अमीरका यात्रा के बाद वित्त मंत्री उन देशों की ओर से जिनकी उन्होंने यात्रा की है अथवा विश्व बैंक की ओर से तथा अन्य वित्तीय संगठनों की ओर से यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिये उन्होंने कितनी वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है। क्या वह इस स्थिति में हैं कि यह बता सकें कि उन संगठनों ने—विश्व बैंक ने अथवा अन्य संगठनों ने कितनी सहायता देने का वचन दिया है अथवा जैसा कि उन्होंने अभी कहा है उन्होंने बिना किसी विदेशी सहायता के ही काम चलाने का निर्णय किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह कहना मेरे लिये गलत होगा कि हम बिना किसी विदेशी सहायता के ही काम चलायेंगे। परन्तु यदि हमें सहायता नहीं मिलती है, तो मुझे उसका अफसोस नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत नहीं करूंगा। जितनी सहायता सम्मानपूर्वक मिल सकेगी मैं उसके लिये प्रयत्न करूंगा।

कितनी सहायता मिलेगी यह बताना अभी तक संभव नहीं है। माननीय सदस्यों को पता है कि दुनिया में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संकट है। इस सम्बन्ध में मैं आज एक वक्तव्य देने वाला हूं। तब मैं यह बताऊंगा कि स्थिति क्या है।

श्री हेम बरुआ : उन्हें इस सम्बन्ध में हमें कुछ बातें तो बतानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद वह एक वक्तव्य देने वाले हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन देशों ने भारत को सहायता दी है तथा किन-किन देशों ने भारत को अधिकतम सहायता दी है ?

श्री मोरारजी देसाई : यह सर्वविदित है कि अमरीका ने अधिकतम सहायता दी है, परन्तु इस प्रकार की तुलना ठीक नहीं है।

Shri S. M. Banerjee: It appears that so far as foreign aid—financial aid—is concerned, Western powers are showing more interest in Pakistan. The reason why they are taking more interest in Pakistan may be due to their policy. Our policy, it seems, is a beggar's policy, who thanks all, whether one donates him something or not. It may be possible that our policy of neutralism is not liked by them and that is why they are showing little interest in us.

श्री मोरारजी देसाई : इस देश के बड़ा होने के कारण, इसको दी गई धनराशि यद्यपि बहुत अधिक दिखाई देती है, तथापि प्रति व्यक्ति यह बहुत कम हो जाती है। यह भी एक कारण है। दूसरे जो देश जितने अधिक पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें उतना ही अधिक धन दिया जाता है। मैं समझता हूं आपको इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

Shri Balraj Madhok : It is evident from the figures given by Hon. Minister that more aid has been given to Pakistan. He has also stated that less aid is being given to us and our internal resources are also limited. I want to know whether it is not correct that at the time of independence it was said that the areas now included in Pakistan were more backward industrially or otherwise and it was said that Pakistan's position was worse, but now after the lapse of 20 years Pakistan's economic condition is better than India's economic position? May I know whether Pakistan's economic progress has been more rapid, because her economic policy is better than ours?

Secondly I want to know whether it is not the reason why less aid is given to us than Pakistan, because the aid given to us is not properly utilised? I want to tell you that the work on Mangla Dam and Beas Dam was started at the same time. Now the Mangla Dam has already been completed by Pakistan and water is being released from that Dam which is resulting in increased production, whereas we will take four years to complete the Beas Dam. So we are not getting more aid, because the aid given to us is not properly utilised and that is why we are deprived of the benefits of that aid.

Shri Morarji Desai: It is not proper to say that the loans given to us are not properly utilised and the others utilise them in a better way.

Shri Balraj Madhok : I have asked about Mangla Dam and Beas Dam. Please explain the position.

Shri Morarji Desai : Work on Mangla Dam was started before it was started on Beas Dam.

Secondly it is not correct to say that Pakistan has made more progress than India. Pakistan has made more progress than us during the last two and three years, there is no doubt in it, but in total our progress is much better than that of Pakistan.

श्री लोबो प्रभु : मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विदेशी सहायता के स्थान पर विदेशी पूंजी के विनियोजन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा विदेशी पूंजी के विनियोजन से हमें उसकी अदायगी के लिये वचनबद्ध नहीं होना पड़ता अपितु इसके विपरीत विनियोजक देश हमारी योजनाओं को सफल बनाने के लिये वचनबद्ध होते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री का ध्यान अमरीकी राजदूत के इस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस देश में विदेशी पूंजी विनियोजन को अवांछनीय समझा जाता है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस मत से सहमत हैं और यदि नहीं तो अमरीकी राजदूत की इस गलत धारणा को दूर करने के लिये उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : विदेशी नियोजन को जहां हमारे लिये लाभप्रद सिद्ध हुआ है, हमने कभी निरुत्साहित नहीं किया। यही हमारी नीति रही है। परन्तु यह बात भी सच है कि हम अन्धाधुन्ध विदेश सहायता नहीं चाहते। क्योंकि जो कार्य हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिये हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश की हानि होगी। हम विदेशी नियोजन को किसी प्रकार से भी निरुत्साहित नहीं करते परन्तु हम विदेशी नियोजन उचित शर्तों पर चाहते हैं।

Shri Sheo Narain: May I know the time by which Government would stop foreign aid?

Shri Morarji Desai: I cannot say when we would be able to stop foreign aid.

Shri George Fernandes: The Hon. Minister has stated that foreign aid depends upon the backwardness of the country. I want to know whether Hon. Minister considers Pakistan a backward country in economic matters? Whether he is not aware that Pakistan is in better position so far as per capita income is concerned. I want to know whether Military aid received by Pakistan has also been included in the figures given by him. So far economic aid is concerned, it has been received by India as well as Pakistan.

Shri Morarji Desai: I cannot say whether it has been included or not. I do not have all the figures with me. So far Defence is concerned, we get an aid of 137 million dollars for defence and before 1965 Pakistan had got an aid of 1500-1700 Million dollars and rather more. Still it is not correct to say that they have made more progress.

Shri Prakash Vir Shastri: I want to know whether Government have figures pertaining to the total interest paid annually on foreign aid received for public and private sector? The Governor of Reserve Bank had stated in the end of 1966 that economic condition of the country is so critical that we have to seek loan even for the payment of interest. I want to know the extent of truth in this statement.

Shri Morarji Desai: I can give figures of the amount that we owe to other countries. But I do not have the figures at the moment. The annual interest amounts to Rs. 161 crores approximately. But if we say that it is difficult for us to pay it at present we mean to say that instalments should be increased.

Shri S. M. Banerjee: Get it written off.

Shri Morarji Desai: We do not want to get it written off. That is not our policy. We want to repay what we have got. We just want time for it.

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या यह सच नहीं है कि कुछ ही वर्षों में ऋण पर ब्याज हमें मिलने वाली विदेश सहायता के बराबर हो जायेगा और यह स्थिति भारत ही नहीं बल्कि लगभग सभी अविकसित देशों की है। ऐसी स्थिति में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी स्थिति पैदा होने के समय तक हम अपने निर्यात को इतना विकसित कर लेंगे कि हम उनके माध्यम से ऋण का भुगतान करेंगे, ऋणों के माध्यम से नहीं ।

श्री रंगा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि पाकिस्तान को जितनी सहायता प्रतिवर्ष अमरीका तथा अन्य देशों से निर्बाध रूप से मिल रही है उसको ध्यान में रखकर सरकार कितनी सहायता प्राप्त कर रही है ताकि हमारे पास भी उतनी ही सैनिक शक्ति हो जाये ? विदेशी सैनिक सहायता प्राप्त करके पाकिस्तान की सैनिक शक्ति भारत की सैनिक शक्ति से कितनी अधिक हो जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : जहां तक मुझे जानकारी है वर्ष 1965 के बाद अमरीका ने न हमें सहायता दी और न उनको दी है । वह भी यही बात कह रहे । वर्तमान स्थिति यह है ।

श्री रंगा : रूस और अमरीका दोनों ।

श्री मोरारजी देसाई : दोनों—परन्तु रूस सहायता नहीं देता । वह हथियारों को बेचता है । वर्ष 1962 से 1964 अथवा 1965 तक हमारे पास लगभग 1370 लाख डालर की सहायता होगी ।

श्री रंगा : परन्तु यह तो कुल विदेश सहायता में सम्मिलित है ।

श्री मोरारजी देसाई : जी हां परन्तु पाकिस्तान की 1910 लाख डालर में, पता नहीं कोई प्रतिरक्षा अनुदान था या नहीं ।

श्री स० कुन्डू : क्या श्री मोरारजी देसाई ने अपनी हाल ही की विदेश यात्रा में यह महसूस किया था कि केवल भारत के सम्बन्ध में नहीं बल्कि अन्य विकासशील देशों के सम्बन्ध में भी विदेश सहायता की राशि कम होती जा रही है क्योंकि कुछ देश यह सोचते हैं कि हम सहायता का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं; विश्व कुछ स्वाभिमानी होता जा रहा है और तीसरे भारत के बारे में वे सोचते हैं कि हमारी नीति न गुट निपक्ष है न तटस्थ है ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरी यात्रा का उद्देश्य सहायता प्राप्त करना नहीं था । मैं विश्व बैंक की बैठक में भाग लेने के लिये गया था । मैंने वाशिंगटन में अथवा इंगलैंड में सहायता प्राप्त करने के लिये कोई बातचीत नहीं की क्योंकि मेरे जाने से पहले ही वह हो चुकी थी । अत: इस प्रयोजन के लिये वहां जाना आवश्यक नहीं था । यह कहना भी ठीक नहीं कि हमने सहायता का उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया । यदि कोई गलती कहीं हुई है तो वह मानवीय गलती है और वह हर जगह हो सकती है ।

श्री रा० बरुआ : क्या योरुपीय बाजारों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय जिसके कारण विदेश सहायता की स्थिति अस्थिर है, और संकट के कारण देश के अपने संसाधनों के अभाव के कारण चौथी योजना को क्रियान्वित करने में और विलम्ब होगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यह बात कई बार बताई जा चकी है कि चौथी योजना पूरी हो जायेगी और जनवरी के अन्त तक मिल जायेगी ।

श्री रा० बरुआ : संसाधनों के विषय में क्या स्थिति है ?

श्री मोरारजी देसाई : हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं हमें उन्हीं का उपयोग करना होगा ।

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know whether Government of India have signed an agreement with U. S. A. to the effect that what ever amount she gets from U. S. A, in the form of loan that should be deposited in their accounts in the Banks in India and American Embassy would be authorised to spend the same? Whether it is also a fact that American Embassy gives that amount to foreign missionaries in India to enable them to ocnvert poor people, scheduled castes and scheduled tribes ?

Shri Morarji Desai : The Hon. Member is perhaps not aware that the amount of PL 480 fund is deposited here and not any other fund. We get foodgrains and other things under PL 480. That amount is deposited and we also use that amount. They can get 20 per cent in accordance with the agreement. But if they want more money, they can do so with our consent. Therefore it is not correct to say that they give this amount to any one else.

श्री रा०की० अमीन : क्या मंत्री महोदय आगामी पांच वर्षों को ध्यान में रखकर यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्यात के माध्यम से हम अपने ऋण और ब्याज का भुगतान कर सकेंगे ? हमें पाकिस्तान की तुलना में कितनी सहायता मिल रही है और कृषि उत्पादन के लिये हम विदेश सहायता का उपयोग कितना कर रहे हैं ? जब पाकिस्तान को पिछड़ा हुआ देश कहा जाता है तो पिछले तीन वर्षों में पाकिस्तान की प्रगति की रफ्तार हमारे देश से तेज क्यों रही है ? क्या यह स्थिति विदेश सहायता के कारण है या नहीं ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने पाकिस्तान को पिछड़ा हुआ देश नहीं कहा है । मैंने यह कहा था कि सहायता देने के लिये यह भी देखा जाता है कि कौन-सा देश अधिक पिछड़ा हुआ है और कौन-सा कम । कुछ औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में वह कम उन्नतिशील भी हो सकता है और अधिक भी । हम हर प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में पाकिस्तान से आगे हैं ।

श्री रा०की० अमीन : प्रगति की दर के रूप में भी ?

श्री मोरारजी देसाई : प्रगति की दर कुछ भी हो । इसका अर्थ यह नहीं कि यदि शरीर का बोझ अधिक हो तो मन भी बोझल हो जाये । अतः प्रगति की दर की तुलना केवल इस प्रकार की वस्तु से नहीं की जा सकती ।

श्री पीलु मोडी : विदेश सहायता कम होने और ब्याज की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ने के कारण अब दोनों धन-राशियां समान हो गयी हैं । यदि यही स्थिति बनी रही तो मंत्री महोदय उसके भुगतान के लिये क्या व्यवस्था करेंगें ? जहां तक निर्यात से आय का सम्बन्ध है वह विदेशी सिक्कों, स्टर्लिंग आदि के रूप में कितनी होती है और तथाकथित रुपये में भुगतान करने वाले देशों से कितनी होती है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रत्येक देश के सम्बन्ध में निर्यात के आंकड़े नहीं बता सकता परन्तु अन्य देशों की अपेक्षा निर्बाध देशों को निर्यात अधिक होता है और वहां से अधिक आय होती है । यह बात स्पष्ट है ।

Wholesale Agencies of Kerosene Oil in Eastern U. P.

*310. + **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that due to inadequate number of wholesale agencies in the Eastern Uttar Pradesh the prices of kerosene have gone up and it is very difficult to get the same ;

(b) whether Government propose to provide a wholesale agency for each development block in order to give relief to the villagers ;

(c) if so, when ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० रघुरामैया) (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की थोक एजन्सियां पर्याप्त संख्या में हैं । राज्य सरकार या भारतीय तेल निगम से इन एजन्सियों के अपर्याप्त होने की कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है । मिट्टी के तेल की कीमत राज्य सरकार उत्तर प्रदेश केरोसीन कन्ट्रोल आर्डर 1962 के अन्तर्गत निर्धारित करती है । उत्तर प्रदेश को मिट्टी के तेल की सप्लाई राज्य के निर्धारित आवन्टन से अधिक है और उत्पाद की उपलब्ध होने की कठिनाई के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) थोक एजन्सी की नियुक्ति अन्य बातों के साथ साथ, किसी क्षेत्र में मिट्टी के तेल की खपत की मात्रा से सम्बन्धित है । यदि कोई विकास खण्ड क्षेत्र में थोक एजन्सी के लिये आर्थिक रूप से उचित आवर्त की व्यवस्था है तो तेल कम्पनियां उसकी साधारण व्यापारिक विचारों के अनुसार जांच करेंगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: It is strange to know that there are no complaints regarding the shortage of kerosene oil because we come from that part of the country and these news have been published in the newspapers? Whether the question of increasing the number of Agents is under consideration?

श्री रघुरामैया : जुलाई, 1968 में राज्य को 22, 370 टन का कोटा अलाट किया गया था परन्तु 23, 274 टन से अधिक मिट्टी का तेल भेजा गया है। जुलाई से अक्तूबर तक अलाट की गयी मात्रा से अधिक मिट्टी का तेल वहां भेजा गया है। यदि कोटा पर्याप्त नहीं तो हमें शिकायत की जानी चाहिये अथवा राज्य सरकार को हमें अवश्य लिखना चाहिये। हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोटा पर्याप्त है परन्तु मिट्टी का तेल देहातों में जन साधारण को नहीं मिलता क्योंकि अभिकरणों की संख्या कम है।

श्री रघुरामैया : अभिकरणों की संख्या में वृद्धि करने से तेल की सप्लाई में वृद्धि नहीं होगी। वाणिज्यिक विचार से कम्पनियां किसी क्षेत्र में थोक अभिकरण स्थापित करती हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ गलतफहमी है। माननीय सदस्य कहते हैं कि देहातों में मिट्टी का तेल पहुंचना चाहिये। इसलिये क्या आप देहाती क्षेत्रों में अभिकरणों की संख्या बढ़ाने पर तैयार है ?

श्री रघुरामैया : हमारी जानकारी के अनुसार देहातों में तेल पहुंचाने के लिये पर्याप्त अभिकरण हैं। यदि यह बात नहीं है और यदि कोई विशेष शिकायत है तो हम निश्चय ही इस विषय पर विचार करेंगे।

विदेशी पूंजी का विनियोजन

*312. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3533 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 अगस्त, 1947 से व्यापार में विदेशी पूंजी के विनियोजन में कितनी वृद्धि हुई है, और इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : विदेशियों द्वारा भारत में व्यापार में लगायी गयी वास्तविक पूंजी के संबंध में सबसे पहले के और हाल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे क्रमशः जून 1948 और मार्च, 1965 के अन्त के हैं। भारत में विदेशियों द्वारा व्यापार में लगायी गयी वास्तविक पूंजी जो जून, 1948 के अन्त में 255.8 करोड़ रुपये थी मार्च 1965 के अन्त में बढ़कर 935.8 करोड़ रुपया हो गयी। इस के बाद की अवधि के सम्बन्ध में ऐसी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के वित्तीय वर्षों तथा

1968-69 के वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में क्रमशः 35.4 करोड़ रुपये, 38.6 करोड़ रुपये, 22.3 करोड़ रुपये और 4.3 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी गयी।

विदेशियों द्वारा भारत में पूंजी लगाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति के अनुसार ऐसे कई वांछित औद्योगिक क्षेत्रों में चुनाव के आधार पर विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति दी जाती है जिनके सम्बन्ध में वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक जानकारी देश में उपलब्ध न हो या उनके लिये आवश्यक पूंजीगत उपकरण देश में तैयार न होते हों। भारत में लगायी गयी विदेशी पूंजी में जो वृद्धि हुई है वह इस तरह चुनाव के आधार पर विदेशी पूंजी लगाने के लिये दी गयी अनुमतियों के कारण हुई है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : किस देश ने सर्वाधिक पूंजी लगाई है और कितनी लगाई है ?

श्री मोरारजी देसाई : सभी कम्पनियों के बारे में मालूम किये बिना उस कम्पनी का नाम बताना मुश्किल है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने देश कहा।

श्री मोरारजी देसाई : सबसे ज्यादा पूंजी ब्रिटेन की हैं क्योंकि पहले उसकी अधिक पूंजी थी लेकिन अब शायद अमरीकी पूंजी अधिक हो गई है।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : हमने अपने को ब्रिटेन के राजनैतिक प्रभुत्व से मुक्त किया है, क्या विदेशी विनियोजन में इस वृद्धि से भारत पर विदेशों का आर्थिक प्रभुत्व नहीं छा जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : हम ऐसा न होने देने के लिये प्रयत्नशील हैं।

Shri Kamalnayan Bajaj: May I know from the Hon. Minister whether the Indians who have settled in those countries and who have been trying for several years to get their capital brought and invested in India have since achieved any success in this direction?

Shri Morarji Desai: The inflow is very meagre and insignificant. Our efforts would not bear any fruit unless and until they desired to do so earnestly.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : उप प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों से साफ जाहिर है कि विदेशी सहायता की तुलना में व्यापार में विदेशी पूंजी का बहुत कम विनियोजन हो रहा है, इस सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूं कि वाशिंगटन स्थिति भारत विनियोजन केन्द्र ने हाल में एक व्यापक रिपोर्ट दी है जिसमें यह बताया गया है कि अमरीकी तथा अन्य विनियोजक भारत में पूंजी क्यों नहीं लगाना चाहते और यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य-मुख्य बातें उठाई गई हैं और इस बारे में क्या उपचार कार्यवाही की गई है ?

श्री मोरारजी देसाई : भारत विनियोजन केन्द्र की रिपोर्ट मेरे पास यहां नहीं है इसलिए इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यदि वह मेरे पास उपलब्ध होगी, तो मैं माननीय सदस्य को इस रिपोर्ट का सारांश दे सकता हूं।

यह सच है कि विदेशी विनियोजन सरकारों से सीधे लिये गये ऋणों की अपेक्षा कम है।

श्री रंगा : मंत्री महोदय से दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि भारत विनियोजन केन्द्र द्वारा उठाई गई बातों के सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या उपचार कार्यवाही करने का है।

श्री मोरारजी देसाई : दो या तीन कारण हैं। पहली बात यह कि पिछले दो तीन सालों में जब यहां आर्थिक मन्दी चली और स्थानीय संसाधन संभव नहीं थे, अर्थात् पूंजी-निर्माण कठिन हो गया था, वे निरुत्साह हो गये, इसलिये उन्हें भी कठिनाई मालूम हुई क्योंकि वे तभी यहां पूंजी लगाना चाहेंगे जब कि यहां भी पूंजी देखेंगे, एक कारण तो यह था, दूसरा कारण है विलम्ब जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमने एक विदेशी विनियोजन बोर्ड स्थापित कर दिया है ताकि विलम्ब न हो और हम सभी मामलों पर विचार कर सकें।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

World Bank President's Visit

S.N.Q. No. 4. Shri Shiv Chandra Jha : + **Shri George Fernandes** :
Shri S. K. Tapuriah : **Shrimati Tarkeshwari Sinha** :
Shri P. D. Himatsingka :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the President of the World Bank Mr. McNamara visited New Delhi recently;

(b) if so, the matters taken up in discussion with him relating to the required aid for the Fourth Five Year Plan; and

(c) the outcome of these talks particularly by way of securing World Bank aid for the Fourth Plan?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। विश्व बैंक के के अध्यक्ष श्री राबर्ट मैकनमारा पिछले सप्ताह 17 नवम्बर से 20 नवम्बर तक नयी दिल्ली में रहे। उन्होंने 24 तारीख को सबेरे बम्बई से प्रस्थान किया।

(ख) और (ग). श्री राबर्ट मैकनमारा ने अप्रैल 1968 में विश्व बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि वे आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा पहले से की गयी प्रगति की जानकारी हासिल कर सकें तथा और अधिक विकास के लिये वर्तमान समस्याओं तथा प्राथमिकताओं को समझ सकें। बातचीत का लक्ष्य उन्हें इन सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना था। चौथी आयोजना के लिए या अन्यथा सहायता के किसी विशिष्ट प्रस्ताव के बारे में बातचीत नहीं की गयी।

Shri Shiv Chandra Jha: Sir, Shri Robert McNamara was in-charge of the Pantagon before he took over as president of the World Bank. Pantagon is the building where schemes

pertaining to Jenocide in Vietnam and other countries are prepared. Before that he was in General Motors where he used to work against the interests of the labour. Now when he visited this country as the World Bank President he advised us to lay stress on agriculture and irrigation. It is very painful thing for an underdeveloped country like India. If we go deep into what has been suggested, we will find that agriculture and irrigation are a sweet poison. Like other underdeveloped countries, India also has this industry (agriculture) in the private sector. In India, emphasis is being laid on the Public Sector today and it is expanding. So with a view to undermine this sector and strengthen the private sector, attention is being focussed on agriculture, irrigation and fertilizers. If this is not the position, may I know from the Hon. Minister the amount of aid he sought from him for expansion and development of the public sector and as also for the achievement of the slogan of socialistic pattern of society and what was his reaction thereto?

Shri Morarji Desai: The Hon. Member did not listen to what I read out in my answer. I said that no specific aid proposal for Fourth Plan or otherwise was discussed with him. So far as other points raised by the Hon. Member are concerned, the only reply I have to give is everything looks yellow to a jaundiced eye.

Shri Shiv Chandra Jha: The second question is about repayment of loans. Repayment of loans has become a problem for India. The Minister has just now stated that we have to pay Rs. 162 crores as interest on loans. I want to know whether a proposal for the grant of moratorium was placed before him and if so, what was his reaction thereto?

Shri Morarji Desai: This matter was not discussed this time.

Shri George Fernandes: Sir, Shri McNamara made this statement before he left Bombay that he had had extremely useful conversations with the Prime Minister in Delhi and with the Deputy Prime Minister both in Delhi and again there in Bombay and that he was deeply grateful to them for the patience they showed and the time they gave to explaining to him India's problems and prospects, hopes and fears and achievements and needs.

In view of this, I want to know from the Hon. Minister whether our needs were discussed with him and if so, which of our needs were placed before him and whether he, the Minister, had had a talk with him on the following three points:—

(a) whether he placed any proposal before him to reduce the existing rate of interest i. e. 6.5 per cent charged from us on loans by the World Bank;

(b) whether he had had any discussion with him regarding repayment of loans advanced by the Bank to India; and

(c) whether any request was made or assurance was sought from him to make available to India an aid amounting to 20% of her requirements from other countries for her fourth plan or developmental projects if she raised 80% funds from her own resources?

Shri Morarji Desai: No discussion of this nature was held with him. We did not discuss about re-scheduling also. However, he has made some re-scheduling in consultation with all concerned. Besides, he has formed a consortium of other countries. Although we are not a member of this consortium, we receive aid from this body. They consider and decide themselves the amount and nature of such aid to be given. The consortium will consider from this point of view also. Here no specific aid proposal for Fourth Plan or otherwise was discussed. We had had a general discussion regarding expansion and development of industries,

increase in agricultural production and remove of obstacles in the way of propagation of education. In short, we tried to acquant him with Indian conditions, our problems, needs etc.

So far as the rate of interest on the loans by the World Bank is concerned, we did not discuss the matter.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने आई० डी०ए०के नाम का उल्लेख किया है जोकि बहुत उचित शर्तों पर ऋण देती है और हमें सुलभ चलार्थ से ऋण देती है क्योंकि यह एक गैर-परियोजना ऋण है क्या मैं जान सकती हूं कि उनको विश्व बैंक के प्रेजीडैन्ट से आई० डी० ए० के ऋण के प्रश्न पर चर्चा करने का अवसर मिला है क्योंकि आई० डी० ए० के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और क्योंकि अमरीका ने, जोकि इस संस्था को सबसे अधिक धन देता है, इस संस्था द्वारा भूतकाल में दिये गये वचनों को पूरा करने में अमरीकी कांग्रेस की विदेशी सहायता में कटौती सम्बन्धी दृढ़ नीति के अपनी असमर्थता व्यक्त की है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आई० डी० ए० के साधनों को पूरा करने तथा इनको बढ़ाने के लिए मि० मैकनमारा के साथ चर्चा की गई थी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटेन को भी गम्भीर वित्तीय स्थिति का सामना है यदि हां, तो क्या आई० डी० ए० के साधनों को बढ़ाने के लिए तथा भविष्य में हमें सुलभ मुद्रा से ऋण देने हेतु कनाडा तथा यू० के० को कहा गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : विश्व बैंक के प्रेजिडैन्ट ने आई० डी० ए० के समक्ष कुछ समय से जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में मुझे बताया था। उन्होंने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये अपने प्रयत्नों के बारे में भी मुझे बताया था। उन्होंने बताया था कि यदि अन्य देश इसमें अंशदान नहीं भी देते तो भी कनाडा अपना अंशदान देगा और कि वह इस बात का प्रयत्न करेंगे कि अन्य देश भी इसमें अंशदान दें। मेरे विचार से उन देशों के बारे में कुछ बताना उचित नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वित्तीय संकट के कारण.........

श्री मोरारजी देसाई : तब भी हम आशा करते हैं कि कुछ न कुछ हो जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta: The All India Radio had broadcast a news—the Chief Minister and the Minister of local self Government of Maharashtra talked to Shri McNamara, when he visited Bombay, about the slums of Bombay and Poona and said that large amounts are needed to clear them. They can talk about the development to be made and shortages which are to be removed but I want to know whether it is appropriate for a minister of the State Government or any official except for Central Government to demand money ; and if it is not so, what steps will be taken to check the recurrence of such incidents ?

Shri Morarji Desai: The Chief Minister of Maharashtra did not demand the money. They talked about the slums.

Shri George Fernandes: They have demaded fifty crores.

Shri Morarji Desai: I do not know. I will enquire. The schemes of Bombay have some connections with the World Bank, so it is not improper to talk about them. But it will not be proper to demand money in this way.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : हमारे वित्त मंत्री हमारे उप-प्रधान मंत्री भी हैं। अतः वह राष्ट्रीय नेता हैं जो इस दुर्भाग्यपूर्ण देश के भाग्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। (**अन्तर्बाधा**) इस संदर्भ में मेरा यह कहना है कि यह देश दुर्भाग्यपूर्ण देश है, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा विश्व बैंक अथवा इसके अध्यक्ष से कोई झगड़ा नहीं है। क्या हमारे वित्त मंत्री को यह पता नहीं कि देश के लगभग एक तिहाई भाग में मध्यावधि चुनाव के कारण राजनैतिक तनाव है और क्या उनको यह पता नहीं कि मैकनमारा की यात्रा से कुछ मामलों में प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है ? एक प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि मि० मैकनमारा अथवा जो कुछ भी नाम हो राज्यों में बड़े सहानुभूति ढंग से गये और उन्होंने कुछ बातें कहीं जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई जिससे यह प्रभाव बना कि वह भारत में हमारी पीठ पर थपकी देने आये हों। क्या यह निष्कर्ष निकालना ठीक है कि उनकी यात्रा से अच्छा प्रभाव उत्पन्न होगा जबकि उनकी यह यात्रा उचित समय पर नहीं हुई तथा इस बारे में उनको उचित परामर्श नहीं दिया गया।

श्री मोरारजी देसाई : क्या मैं अपने माननीय मित्र को कह सकता हूं कि इनका यह कहना कि यह देश दुर्भाग्यपूर्ण है, एक अनुचित बात है, यह कहना भी ठीक नहीं है कि उनकी यात्रा उचित नहीं थी। मैं इस देश को दुर्भाग्यपूर्ण देश नहीं कह सकता। केवल वही दुर्भाग्यपूर्ण है जो स्वयं को दुर्भाग्यपूर्ण समझता है, ऐसी भावना दिल में नहीं रखनी चाहिये। यदि कोई ऐसा सोचता है तो वह उम्मीद खो बैठता है। अतः मैं उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। वह जिस प्रकार चाहे सोच सकते हैं। इस बारे में मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है। परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं। इस सम्बंध में मुझे इतना कहना है।

मैं नहीं समझता कि उनकी यात्रा का यह उचित समय नहीं था। क्या इसका यह अर्थ है चुनाव के कारण मेरे कुछ राजनैतिक मित्र जो दूसरी बातों में विश्वास रखते हैं अथवा जो अमरीका अथवा कुछ अन्य देशों को पसंद नहीं करते उनके कारण उन देशों से कोई यात्री नहीं आना चाहिए अथवा कुछ अन्य लोगों द्वारा अन्य देशों से लोगों के आने को पसन्द न करने के कारण यहां पर उन देशों से कोई यात्री नहीं आना चाहिए। अथवा दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ है कि चुनाव की अवधि के दौरान सभी यात्रियों के आने पर रोक लगा देनी चाहिए ? मैं इस विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकता।

मेरे विचार में अध्यक्ष मैकनमारा की कलकत्ता यात्रा से कोई हानि नहीं हुई है, उससे कुछ अच्छा ही हुआ है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से बातचीत की है। दूसरी ओर उन्होंने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि वह किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। वह अपने तरीके से नहीं बल्कि हमारे अपने तरीके से हमारी सहायता करना चाहते थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, मैं नहीं समझता कि उनके वक्तव्य में कोई ऐसी बात है जिसमें कोई त्रुटि हो।

Shri George Fernandes : The complaint is about your attitude and not about him.

Shri Morarji Desai : What is wrong with our attitude.

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह पहला अवसर नहीं है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष भारत आया हो। मेरे विचार में इससे पूर्व भी विश्व बैंक के दो अध्यक्ष भारत आ चुके हैं। इस बात के बावजूद कि मैकनमारा के वियतनाम में की गई बर्बरता के कारण उनका रिकार्ड गन्दा है, इस देश में आने पर वह सरकारी तौर पर औपचारिक स्वागत के हकदार थे। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है, परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका इतना भव्य स्वागत करने के क्या कारण हैं कि उनको हेलीकाप्टर सप्लाई किया गया और कि राज्यपाल भेड़ों की तरह उनके पीछे लगे रहे और सब प्रकार की बातें की गईं तथा यह प्रभाव बनाया गया जैसे आज हमारा देश मर रहा हो और इससे हमें बहुत से डालर मिलने वाले हों ? यही कारण है कि अभी-अभी एक कांग्रेस के सदस्य ने भी प्रश्न किया है, भारत में आने वाले विश्व बैंक के तीसरे अध्यक्ष का इस प्रकार का विशेष भव्य स्वागत दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि उनका रिकार्ड भी गन्दा है क्योंकि इससे यह प्रभाव उत्पन्न होता है कि लोग कुछ डालरों के लिए मर रहे हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं अपने माननीय मित्र से इस बात में सहमत नहीं हूं कि श्री मैकनमारा का रिकार्ड गन्दा है, वह ऐसा सोच सकते हैं। परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता कि उनका रिकार्ड गन्दा है। वह इसको बर्बरता पूर्ण अथवा कुछ भी समझ सकते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : उनको प्रधान मंत्री से पूछना चाहिए। वह केवल उनके सहायक हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : यह अमरीका की नीति का मामला है, यह एक व्यक्ति का मामला नहीं है। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि उनका रिकार्ड गन्दा है अथवा बर्बरता पूर्ण है।

श्री पीलू मोडी : यह चेकोस्लोवाकिया है जिसका रिकार्ड गन्दा है।

श्री मोरारजी देसाई : वह जो कुछ चाहे कह सकते हैं। उनको भव्य स्वागत दिये जाने अथवा राज्य पालों के उनके पीछे जाने का कोई प्रश्न नहीं है। वह स्वयं राज्यपालों को मिलने गये। राज्यपाल उनको मिलने नहीं गये। यदि कोई सदस्य विश्व बैंक अथवा विश्व बैंक के अध्यक्ष को पसन्द नहीं करता तो यह एक पृथक मामला है। परन्तु इस कारण उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

Shri Randhir Singh : Mr. McNamara is a rich man of a rich country and it has appeared in many papers that he has understood the condition of the farmers well. He has also said that agriculture income tax should be levied on them to make the next plan a success. I want to know whether this observation has left some impression on the mind of the Finance Minister because our farmers are faced with grave financial crisis and large number of them are victims of rural indebtedness?

Shri Morarji Desai : He had discussions with the Planning Commission and that were his proposals. Agriculture income tax is being levied in some states. If at all it has to be levied it will be levied on the rich and not from the poor farmers. Therefore this question does not arise.

श्री रंगा : श्री मैकनमारा के पिछले रिकार्ड के बारे में मेरे माननीय मित्र श्री ही० ना० मुकर्जी ने जो टिप्पणियां की हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं। परन्तु हमें चिन्ता इस बात की है, इस तथ्य को देखते हुए कि विश्व बैंक के अध्यक्ष तथा उनके पीछे जो उच्च पद पर नियुक्त अधिकारी हैं और जिनसे आशा की जाती है कि वे कलकत्ता, बम्बई, पूना जैसे बड़े नगरों की गन्दी बस्तियों के बारे में कुछ जाने। क्या माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब अगलीबार वह भारत की यात्रा पर आयें तो ऐसी यात्राओं का विशेष रूप से प्रबन्ध नहीं किया जाना चाहिए अथवा इनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे समूचे देश में तथा बाहर यह प्रभाव उत्पन्न होता है कि चूंकि वह विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं तो हम उनको यह सब दिखा रहे हैं और मजबूरी जाहिर कर रहे हैं और उनकी सहायता मांग रहे हैं ? मैं जानता हूं कि जब कोई बैंकर आता है तो ऋण दाता को अपनी आवश्यकताएं बतानी होती हैं परन्तु हमें कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर जो कुछ हुआ उसे देखते हुए इतनी दूर तक नहीं जाना चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : यह कोई बात छिपाने का प्रश्न नहीं है। हमने उनसे कोई बात नहीं छिपाई है, हमने किसी से कोई चीज नहीं छिपाई है। जब कोई व्यक्ति हवाई अड्डे से नगर को तथा नगर से वापिस हवाई अड्डे को आता है तो उसको गन्दी बस्तियां दिखाई दे जाती हैं।

एक माननीय सदस्य : परन्तु हमें उनको वहां पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : यदि कोई उनको देखना चाहता है तो हमें उसको रोकना नहीं चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेई : क्या उन्होंने इसके लिए कहा था ?

श्री मोरारजी देसाई : कोई चीज छिपाना अच्छा नहीं है, वह उनको देखना चाहते थे। जब वह उनको देखना चाहते थे तो हम किस प्रकार उनको इन्कार कर सकते थे।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह सच नहीं है। मैं बम्बई की बात कह रहा हूं।

श्री मोरारजी देसाई : यदि वह उनको देखना चाहते थे और जानना चाहते थे कि समस्या कितनी गम्भीर है, तो मेरे विचार में उनको गन्दी बस्तियां दिखाने में कोई गलती नहीं है। वह देखना चाहते थे कि समस्या कितनी गम्भीर है जिससे कि इसको हल किया जा सके।

श्री तिरुमल राव : क्या यह सच है कि श्री मैकनमारा ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के नाते इस देश की यात्रा की है और कि भारत सरकार और वित्त मंत्री मुख्य रूप से इससे सम्बन्धित हैं ? क्या माननीय सदस्यों की यह शिकायत है कि वह उनसे नहीं मिलने आया ? श्री मैकनमारा को भव्य स्वागत दिये जाने तथा उनके द्वारा हैलीकाप्टर का प्रयोग किये जाने का सम्बन्ध है क्या यह सच है कि मेरे कुछ माननीय मित्रों द्वारा विद्यार्थियों को उकसाने के कारण उनकी सुरक्षा के लिए हैलीकाप्टर का दिया जाना आवश्यक था न कि एक सम्मान की बात ?

श्री मोरारजी देसाई : निश्चय ही सुरक्षा के कारण उनको हैलीकाप्टर देना आवश्यक हो गया था ।

श्री स्वैल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी अवस्था पर माननीय मंत्री ने शर्तों को नर्म करने तथा भारतीय उत्पादों का 15 से 21 प्रतिशत प्राथमिकता बढ़ाये जाने के बारे में बातचीत की थी और यदि हां, तो श्री मैकनमारा की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री मोरारजी देसाई : जब मैं वाशिंगटन में था तब इस बारे में मेरी उनसे बातचीत हुई थी तब उनकी प्रतिक्रिया हमारे पक्ष में अच्छी थी ।

श्री कमल नयन बजाज : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या जब श्री मैकनमारा भारत से कराची गये तो.........

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वह कराची से आये थे ।

श्री मोरारजी देसाई : वह कराची से यहां आये थे और यहां से लन्दन गये थे ।

श्री कमल नयन बजाज : यह आज के समाचारपत्र में आया है । आज के समाचारपत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि उन्होंने कहा था कि बैंक की ब्याज दर में $6\frac{1}{2}$ से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अर्थात एक प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी । क्या इसका हमें दिये गये ऋण पर कोई प्रभाव है ? क्या माननीय मंत्री ने इस मामले पर भी उनसे कोई चर्चा की है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने इस समाचार को नहीं देखा । शायद वह विभिन्न देशों को दिये जाने वाले ऋण का उल्लेख कर रहे हैं, वह इसको दो गुना करना चाहते हैं ।

श्री हेम बरुआ : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह शायद प्रथम समय है जबकि विश्व बैंक के अध्यक्ष हमारे विकास कार्यक्रमों तथा विकास योजनाओं के कार्यसंचालन का स्वयं अनुमान लगाने आये हैं तो क्या इसका यह अर्थ है कि विश्व बैंक उसके द्वारा दिये गये ऋणों के विकास कार्यक्रमों के मामले में प्रयोग किये जाने के बारे में संतुष्ट नहीं है ? क्या वह हमारे इस प्रभाव को दूर कर सकते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : यह प्रथम समय नहीं है कि विश्व बैंक ने हमारे देश की यात्रा की है । वह केवल विकास कार्यक्रमों के बारे में अनुमान लगाने नहीं आये थे । वह देश की परिस्थितियों को जानना चाहते थे । युद्ध काल के समय को छोड़कर जबकि वह वायु सेना के साथ आये थे और तब उनकी यात्रा केवल कलकत्ता तक सीमित थी वह यहां कभी नहीं आये । उस समय उन्होंने देश को नहीं देखा था । हमने उनको यहां आने का आमंत्रण दिया था । वह जबर्दस्ती यहां नहीं आये ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने मेरे विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । यह सच है कि भारत सरकार ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था । क्या इसका अभिप्राय यह है कि वह हमारे

विकास कार्यक्रम के बारे में वह स्वयं अनुमान लगायेंगे और उनके कार्य को देखेंगे या वह सरकार द्वारा दिये गये तर्कों से सहमत नहीं थे ।

श्री मोरारजी देसाई : यह सच नहीं है । इसके विपरीत उन तर्कों को प्रबलित किया गया था और यह अच्छा हुआ कि उन्होंने भारत का दौरा किया ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि मि० मैकनमारा से वार्ता करते समय माननीय वित्त मंत्री ने भारत सहायता सारसंघ से सहायता प्राप्त होने में कठिनाई के बारे में शिकायत की थी । क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार और सी०एम०पी०ओ० ने विश्व बैंक से सहायता देने का अनुरोध किया था । यदि हां, तो क्या इस बारे में भारत सरकार की सहमति ले ली गई है ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य विश्व बैंक से केवल कलकत्ते को प्राप्त होने वाली सहायता में ही रुचि रखते हैं यदि यह सहायता किसी और शहर के लिये मिलती है तो वे इसमें रुचि नहीं रखते ।

डा० रानेन सेन : क्या वह इस बात से इन्कार करते हैं कि सी०एम०पी०ओ० और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कारण के आधार पर कोई ऋण या विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी थी ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे इस बारे में जांच करनी होगी ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : कुछ समय पूर्व मुझे श्री मैकनमारा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उन्हें भारत के प्रति पूरी सहानुभूति है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वार्ता के दौरान नर्मदा जैसी मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं के लिये और देश में कृषि स्तर को ऊंचा उठाने के लिये किसी सहायता का अनुरोध किया था ?

श्री मोरारजी देसाई : हमने किसी विशेष सयस्या पर वार्ता नहीं की थी ।

देवकीनन्दन पाटोदिया : माननीय उप-प्रधान मंत्री ने बताया है कि घरेलू स्रोतों के बारे में उन्होंने श्री मैकनमारा से कोई वार्ता नहीं की थी । यह वक्तव्य सच प्रतीत नहीं होता क्योंकि श्री मैकनमारा ने अपने लिखित वक्तव्य में यह आश्वासन दिया था कि सहायता की व्यवस्था की जायेगी और देश में उपलब्ध सब सुविधाओं का पूरा उपयोग किया जायेगा । अत: कुछ सीमा तक देश में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करने और विदेशी सहायता के प्रश्न पर चर्चा की गई थी । दूसरे यूरोप की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को और विदेशी सहायता के कम प्राप्त होने की बात को ध्यान में रखते हुए, उनके विचार से चालू वर्ष के दौरान कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है और इसको चौथी योजना के अन्तर्गत किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा ।

श्री मोरारजी देसाई : सामान्यता हम इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। विकास के सम्बन्ध में चर्चा करते समय देश में उपलब्ध साधनों का प्रयोग करने के प्रश्न पर चर्चा किया जाना अवश्यम्भावी है। परन्तु इनके प्रयोग किये जाने पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी। देश में उपलब्ध तथा विदेशों से उपलब्ध साधनों में आपस में सम्बन्ध है और इनमें सम्बन्ध होना भी आवश्यक है। हमें विदेशी साधनों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और देश में उपलब्ध साधनों का भी अधिकतम प्रयोग करना चाहिये। हमने इस बारे में चर्चा की थी। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि दोनों बातें कठिन हैं फिर भी हमें इस काम को करना होगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : उनसे की गई वार्ता के आधार पर उन्हें कितनी विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है और वे यह सहायता किस प्रकार प्राप्त करेंगे।

श्री मोरारजी देसाई : जब आप चौथी योजना पर दृष्टिपात करेंगे तब आपको विदित हो जायेगा।

Shri Deven Sen : Whether the President of the World Bank, Shri Mac Namara had a discussion with G. D. Birla and Tata and whether the aim of his visit was to provide American collaboration in the private sector.

Shri Morarji Desai : He visited India on our invitation. He was not aware of the conditions prevailing in our country. Therefore, he thought it proper to have a visit of India. He might have friendship with Tata that is why he might have gone to see him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Export Duty on Steel

*301. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to reduce export duty on steel ;

(b) if so, its likely effects on exports of steel ; and

(c) the immediate financial losses likely to be incurred ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) Iron and steel falling under Items Nos. 10 (a) and 10 (b) of the Second Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 were exempted from export duty with effect from August, 1955 and this position remains the same even now. Hence the question of any reduction in export duty does not arise at this stage.

(b) and (c). Do not arise.

रूसी सहायता प्रणाली में परिवर्तन

*302. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रूसी सहायता प्रणाली में कोई परिवर्तन किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उस सहायता प्रणाली में क्या परिवर्तन किये जाने की मांग की गई है; और

(ग) भारत की इस प्रार्थना पर रूस की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). भारत को दी जाने वाली सहायता से, जो 1966 तक विशिष्ट प्रायोजनाओं के लिये दी जाने वाली सहायता के रूप में थी, जनवरी 1966 के प्रोटोकोल के अनुसार विलम्बित अदायगी के आधार पर मशीनों और पुर्जों का आयात करने की अनुमति भी दे दी गयी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूरी की पूरी मशीनों का आयात करने की भारत की आवश्यकता कम हो गयी है और कच्चे माल तथा पुर्जों की आवश्यकताएं बढ़ गयी हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने, जो हाल ही में सोवियत संघ गये थे, सोवियत अधिकारियों को बताया है कि भारत और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के बीच व्यापार और सहयोग का भावी रूप भारतीय अर्थ-व्यवस्था में हुए इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर निर्धारित करना होगा। सोवियत अधिकारियों ने इस प्रकार सहयोग प्रदान करने के लिए अपनी रजामन्दी जाहिर की है जिससे भारत में स्थापित क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

भारतीय फिल्मों का तस्कर व्यापार

*303. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ सभी निर्यात तथा आयात बन्द करके सरकार द्वारा व्यापार प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद, भारतीय फिल्में चोरी छिपे उस देश में ले जायी जा रही हैं और उन्हें वहां पर खुले आम दिखाया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 300,000 पौंड से 500,000 पौंड तक विदेशी मुद्रा की वार्षिक हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय फिल्मों को तस्कर व्यापार द्वारा दक्षिण अफ्रीका ले जाने से रोकने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार को सूचना मिली है कि अन्य देशों को निर्यात की जाने वाली कुछ भारतीय फिल्में बीच से ही दक्षिण अफ्रीका ले जाई जाती हैं। इन फिल्मों के इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका ले जाये जाने से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का, यदि कोई हो तो, अन्दाजा लगा सकना सम्भव नहीं है।

(ख) ऐसे तस्कार व्यापार को रोकने के लिये हर संभव उपाय किये जा रहे हैं।

Seizure of Smuggled Goods

*305. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity of smuggled goods with their names seized in the country since 1962 up-to-date and the value of seized goods ;

(b) the quantity of indigenous and foreign gold in the seized smuggled goods;

(c) the value of Pakistani and Chinese goods recovered from the smuggled goods seized during the above period; and

(d) the number and nationality of persons indulging in such activities?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) A statement showing the quantity and the value of various types of smuggled goods seized by the Customs and Central Excise authorities since 1962 is laid on the Table of Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-2292/68]**

(b) There was no indigenous gold in the seized smuggled goods. The quantity of foreign gold seized as smuggled is shown in the statement.

(c) Statistics are not maintained so as to indicate the origin of the goods smuggled. The requisite information is, therefore, not available.

(d) 1,02,434 persons were involved in the seizures mentioned in reply to part (a) above. They were of Indian, British, Pakistani, Japanese, Chinese, Malayan, Arab, Afghan, Nepalese, French, German, Yemen, American, Greek, Portuguese, Ceylonese, Spanish, Swiss, Austrian, Italian, Iranian, Syrian, Lebanese, Dutch, Kenyan, Tanzanian, Ugandian, Turkish, Yugoslavian, Norwegian, Philippine, Polish, Swedish, Bulgarian, Danish, Hongkong, Egyptian, Indonesian, South African, Tibetan and Singapore nationality.

Towers in Barauni Refinery (Bihar)

*307. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether there is any provision to post staff for looking after the towers in Barauni Refinery in Bihar;

(b) if so, the number of towers where such a provision has been made and the number of those, where no such arrangement has so far been made;

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor;

(d) whether flood water can reach the Barauni Refinery also and if so, whether any arrangements have been made for flood-lighting; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah): (a) The security watchmen who patrol the refinery area around the clock have instructions to go on the towers and watch for sometime before continuing the patrolling.

(b) Total number of such towers is 10 and provision has been made for all.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir. Arrangements for flood-lighting have however been made.

(e) Does not arise.

मंत्रियों के विदेशों के दौरे

*308. **श्री समर गुह :** **श्री चं० चु० देसाई :**

श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री गं० च० दीक्षित :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से अब तक जिन केन्द्रीय मंत्रियों ने विदेशों का दौरा किया है उनके नाम क्या हैं, उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया और किन-किन कार्यों के लिये;

(ख) कितने-कितने अधिकारी इन मंत्रियों के साथ गये;

(ग) मंत्रियों और उनके साथ जाने वाले अधिकारियों के विदेशों के इन दौरों पर कितनी भारतीय मुद्रा और कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(घ) मंत्रियों के विदेशों के दौरों के क्या ठोस परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Land Erosion by Ghagra River in U. P.

*309. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fast developing land erosions in Bhagalpur, Ballia, Damri, Gaura Valej villages of District Deoria and Mathian, Sohnarsa and Duha Vihara villages of District Ballia in Uttar Pradesh, caused by the Ghagra water;

(b) if so, the steps being taken to check it ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) Yes ; Sir.

(b) and (c). It has been proposed in the first instance that an inspection of the areas along the Ghagra should be carried out by engineers of the Central Water and Power Commission and the State Government with a view to assess the extent of the problem and consider the measures that may be economically feasible.

काली चाय पर उत्पादन शुल्क

*311. **श्री हेमराज :** क्या **वित्त** मंत्री 25 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं०5163 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश और देहरादून (उत्तर प्रदेश) में उत्पादित काली चाय को अन्य क्षेत्रों में पैदा होने वाली चाय की अपेक्षा कलकत्ता में कम कीमत प्राप्त होती है ? क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश की काली चाय पर उत्पादन शुल्क को कम करने सम्बन्धी इस बीच कोई निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : जी, हां। इस विषय में विचार कर लिया गया है, किन्तु हिमाचल प्रदेश में पैदा की जाने वाली काली चाय पर मूल उत्पादन शुल्क कम करना संभव नहीं हो सका है। तथापि, दूसरे किस्म की काली चाय की तरह ही ऐसी चाय पर से भी। अक्तूबर, 1968 से विशेष उत्पादन-शुल्क हटा दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में पोषाहार की कमी के कारण कद का न बढ़ना

*313. **श्री गाडिलिंगन गौड** :

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पौष्टिक आहार के न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 70 प्रतिशत बच्चों का कद छोटा रह जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) देश के विभिन्न भागों में किये गये अनेक सर्वेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि देश के लगभग 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषण अथवा अल्पपोषण से किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की मदद से सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुपोषण सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये समन्वितरूप से प्रयास किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत रोगानुकूल व्यक्तियों को अनुपूरक खाद्य देने के व्यापक कार्यक्रम, पौष्टिक खाद्य तैयार करना और उसका वितरण, हर सम्भव तरीके से खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना और उसका विस्तार, व्यावहारिक पोषण कार्यक्रमों तथा कुपोषण के प्रारम्भिक रोगियों का पता लगाना तथा उपचार करना जैसे कार्य सम्मिलित है। बच्चों में पोषण के स्तर को सुधारने के लिये नीचे लिखे उपाय बरते जाते हैं :

1. विभिन्न एजेन्सियों की सहायता से चलाए जा रहे नीचे लिखे कार्यक्रमों के माध्यम से अनुपूरक खाद्य दिए जाते हैं :

   (क) व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन देना ;

   (ख) बाल वाड़ियो के माध्यम से भोजन बांटना ;

   (ग) स्कूल आहार कार्यक्रम ; और

   (घ) प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य दुग्धाहार कार्यक्रम।

2. माताओं को पोषण विषयक शिक्षा देना ताकि वे आमतौर पर उपलब्ध सस्ते भोजनों में से अपने बच्चों के लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकें।

3. प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा कुपोषण के प्रारम्भिक रोगियों का उपचार करना।

4. खाद्य विभाग ने बाल आहार, बहुद्देश्यीय खाद्य (मल्टी-परपज्-फूड) मां का दूध छुड़ाने वाला खाद्य (वीनिंग फूड) आदि जैसे उच्च प्रोटीन युक्त आहार तैयार करने की परियोजनाएं चलाकर बच्चों तथा अन्य रोगानुकूल वर्गों में प्रोटीन विषयक कुपोषण को रोकने के लिये कदम उठाए हैं।

Banking Facilities to Farmers

*314. **Shri Prakash Vir Shastri:**

Shri Shiv Kumar Shastri:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the progress made so far in providing banking facilities to the farmers;

(b) whether it is also a fact that the illiterate farmers are not aware of these facilities; and

(c) if so, the measures being contemplated to ensure that the illiterate farmers are apprised of these facilities to enable them to avail of them?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) Co-operative credit institutions are the main agencies which provide banking facilities to farmers. The commercial banks have also been opening under the guidance of Reserve Bank more branches in hitherto unbanked rural areas and the number of such branches opened in the last seven years exceeds 1,000.

(b) and (c). Banks have been increasingly adopting in the rural areas served by them various methods to propagate the advantages of organised banking; these include personal approach and use of audio-visual methods and mobile units. It is unlikely that illiterate farmers in areas where the banking facilities are already available are unaware of such facilities.

अहमदाबाद में सोने और भारतीय मुद्रा का पकड़ा जाना

*315. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 सितम्बर, 1968 को अहमदाबाद में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने एक स्थानीय स्वर्णकार के पास से विदेशी चिन्ह वाला 550 तोला सोना तथा 3000 रुपये की भारतीय मुद्रा पकड़ी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस बात की जांच करने का कोई आदेश दिया गया है कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में सोना तथा मुद्रा कैसे थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। 24 सितम्बर, 1968 को बड़ौदा के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों ने अहमदाबाद में एक स्वर्णकार के पास से विदेशी मार्के का 550 तोला सोना तथा 33,000 रुपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा पकड़ी थी।

(ख) यह स्वर्णकार गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया।

(ग) आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

आयकर अधिकारियों की परीक्षा

*316. **श्री हरदयाल देवगुण** :

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1966 में संघ लोक सेवा आयोग ने आयकर अधिकारियों की भर्ती के लिये एक परीक्षा ली थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने परीक्षा दी थी ;

(ग) क्या इस परीक्षा का परिणाम घोषित तथा प्रकाशित कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इन पदों के लिये कितने व्यक्ति चुने गये हैं ;

(ङ) क्या सभी रिक्त स्थान भर लिये गये हैं ;

(च) यदि उक्त भाग (ग), (घ) और (ङ) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ;

(छ) क्या सरकार का विचार रिक्त स्थानों को भरने के लिये एक और परीक्षा लेने का है ; और

(ज) यदि हां, तो इस परीक्षा के कब होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) 15, 834

(ग) संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार की अगली कार्यवाही के लिए परीक्षा-परिणाम भेज दिया है। परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है।

(घ) 199

(ङ) सीधी-भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए केवल दो सौ पद विशेष रूप से निर्मित किए गए थे। तदनुसार, 199 उम्मीदवार चुन लिए गये हैं। केवल एक पद का उपयोग नहीं किया गया है, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश होने तक खाली रखा गया है। शेष 199 पद चिकित्सा-परीक्षा तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही भर दिये जायंगे।

(च) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

(छ) जी, नहीं। क्योंकि सभी पद (एक पद को छोड़कर) जो सीधी-भर्ती द्वारा भरे जाने हैं, ऊपर बताए गए तरीके से भरे जाएंगे।

(ज) यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता

*317. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाली धनराशि को अधिक मात्रा में वितरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जैसे कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक शाखाएं खोली जायं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वित्तीय संस्थाएं रियायतें देने के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने के हेतु विशेष कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपने कार्य-क्षेत्रों में शाखाएं खोलकर अपनी गतिविधियों का विस्तार किये जाने और उनमें विविधता लाये जाने की आवश्यकता पर रिजर्व बैंक जोर देता रहा है।

(ख) प्रश्न का पूरा-पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। यदि इस प्रश्न का अभिप्राय ऋण सम्बन्धी नीतियों और प्रक्रिया से है, तो राज्य सरकारें, जो इस विषय से मुख्यत: सम्बन्धित हैं, आवश्यकतानुसार उपयुक्त कारवाई करती हैं। उत्पादन-प्रधान फसलों के लिए ऋण देने की प्रणाली इस दिशा में एक मुख्य कदम है।

बी० ओ० ए० सी० के विमान से पकड़ा गया सोना

*318. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० ओ० ए० सी० के विमान से पकड़े गये सोने के सम्बन्ध में सरकार के आदेश के विरुद्ध की गई अपील की सुनवाई पूरी होने वाली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बी० ओ० ए० सी० को बचाने के लिये कुछ सरकारी अधिकारियों ने अपने पद का अनुचित लाभ उठाया है उदाहरणतया उन्होंने कहा है कि उसने सद्भावनापूर्वक कार्य किया है ; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप निषिद्ध सोने को बी० ओ० ए० सी० को लौटाये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) बी० ओ० ए० सी० के सोने के मामले में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता, दिल्ली के आदेश के विरुद्ध दायर अपील में सुनवाई पूरी हो चुकी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऊपर भाग (ख) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह सवाल पैदा नहीं होता ।

Fraudulent Withdrawal from Reserve Bank of India, New Delhi

*319. **Shri Ram Singh Ayarwal: Shri Ram Swarup Vidyarthi: Shri T. P. Shah: Shri Bharat Singh Chauhan:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether an amount of Rs. 7,700 was fraudulently drawn from the Reserve Bank of India, New Delhi, on the 9th August, 1968;

(b) if so, whether any person has been arrested in that connection; and

(c) the measures adopted to check such incidents in future?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) A sum of Rs. 7,921.55 was fraudulently withdrawn by presenting a duplicate metal token on the 9th September, 1968.

(b) No, Sir.

(c) It is proposed to use special tokens in future to prevent similar frauds. In the meantime paper tokens, duly signed by an officer of the Bank, are being used in New Delhi.

Sale of Flats by D. D. A. on Hire-Purchase Basis

*320. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority had invited applications for the sale of some flats on hire-purchase basis during the months of August-September, 1968;

(b) if so, the number of such flats and the number of applications received in every category;

(c) whether Government propose to reduce the prices of the flats and to make the terms more liberal, taking into consideration the small number of applications received; and

(d) if not, the reasons thereof?

The Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narayan Sinha): (a) Yes, Sir.

(b)

Name of Scheme	No. of flats	No. of applications received.
1. Safdarjang Block 'B':		
Flats on 150 sq. yds. plots.	28	753
Flats on 125 sq. yds. plots.	88	247
2. Safdarjang Block 'C':		
Flats on 150 sq. yds. plots.	28	453
Flats on 125 sq. yds. plots.	88	164
3. East of Kailash:		
Flats on 150 sq. yds. plots.	16	214
Flats on 125 sq. yds. plots.	40	77
4. Najafgarh Road:		
Flats on 80 sq. yds. plots.	84	533

(c) and (d). The prices of flats have been fixed on 'no profit—no loss' basis. The number of applications received is not small. It is not necessary to reduce the prices of the flats and there is no move to make any concessions in the terms and conditions of allotment of the flats.

कम आय वर्ग के लोगों को निःशुल्क डाक्टरी सहायता

*321. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि जिन लोगों की आय प्रति व्यक्ति 300-350 रुपये से कम है, उन्हें डाक्टरी सहायता निःशुल्क मिलनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार का दृष्टिकोण है ; और

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार का विचार है कि लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार चिकित्सा सहायता के लिये भुगतान करना चाहिए।

(ग) चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना अपने राज्यक्षेत्रों में राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थिति भिन्न है परन्तु प्रायः निर्धन रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में 250 रुपये मासिक से कम आय वाले लोगों की चिकित्सा निःशुल्क की जाती है।

गोआ में उर्वरक कारखाने के लिये भूमि

*322. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ प्रशासन ने उर्वरक कारखाने के हेतु भूमि के लिये मैसर्स बिड़ला ग्वालियर (प्राइवेट) लिमिटेड की प्रार्थना पर विचार कर लिया है ;

(ख) इस समय उर्वरक कारखाने के लिये कितनी एकड़ भूमि दी जाती है ;

(ग) क्या वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक भूमि मांगी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 317 हैक्टर ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Protection of Chambal Area Land from Seepage

*323 **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have made a provision of Rs. 8 crores for the scheme formulated to protect the Chambal area land from Seepage ; and

(b) if so, the items of work likely to be taken up in the first phase of the said scheme ?

The Minister for Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b). An estimate amounting to Rs. 946 lakhs has been prepared by the State Government of Rajasthan for implementation of a comprehensive drainage scheme to check seepage in the Chambal command area in Rajasthan. The scheme is under examination. Some drainage schemes covering the worst affected areas included in the comprehensive scheme have already been approved and taken up.

Examination of Research and Development Division of Sindri by American Experts

*324. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether permission has been granted to the American experts to examine the Research and Development Division, Sindri ;

(b) whether it is a fact that all the employees of the Division have opposed it ; and

(c) if so, the reasons for allowing the said examination being conducted by these experts ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) A ten member team which included 4 Americans was constituted in 1967 to study the organisation and structure of the two public sector fertilizer corporations and suggest measures that will help meet effectively the problems and challenges that the rapidly rising fertilizer needs of the country are throwing up. During the course of their study the team visited the Planning and Development Division of the Fertilizer Corporation of India and discussed with the officers of the Division.

(b) and (c). The Engineers and Scientists of P and D Division represented against the appointment of the Study Team in the belief that the study might cover an appraisal of the processes and technical competence of the Division. This was based on a misunderstanding of the terms of reference of the Team. In fact the Team studied the organisational, structural and procedural aspects as laid down in the terms of reference.

बिहार में भोंध्यार गांव में विषाक्त भोजन करने से मृत्यु

*325. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 21 अगस्त, 1968 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंतों की और पकड़ लिये गये पकाये हुए खाद्य पदार्थों की रासायनिक जांच और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/328 के अन्तर्गत मामले की जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख). आंत से निकाले गये पदार्थों तथा पकड़े गये पकाये हुए खाद्य पदार्थों की रासायनिक जांच पूरी कर ली गयी है । विश्लेषण के परिणामों से पता चलता है कि रोगियों की उल्टियों तथा आंतों से निकाले गये पदार्थ में आर्सेनिक और क्लोराइड विद्यमान थे और पकड़े गये पकाये हुए गौ-मांस में आर्सेनिक क्लोराइड तथा एन्ड्रिन विद्यमान थे ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/328 के अधीन इस मामले की पुलिस जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है ।

हरियाणा को सहायता

*326. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में हरियाणा सरकार से अतिरिक्त वित्तीय अनुदान के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मांगे गये अनुदान का स्वरूप क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) और (ख). राज्य सरकार ने अपने राज्य के कुछ भागों में बाढ़ और सूखे के कारण किये जाने वाले सहायता-कार्यों और पुनर्वास-व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में खर्च करने के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(ग) केन्द्र के अधिकारियों का एक दल, राज्य का दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है ताकि वह राज्य की स्थिति को देखकर आवश्यक धन का अनुमान कर सके।

जीवन बीमा निगम को गृह निर्माण के लिये ऋण देने की नीति

*327. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की गृह निर्माण सम्बन्धी ऋण नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) दस लाख से अधिक की जन संख्या वाले नगरों में 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में कुल कितना तथा प्रतिवर्ष कितना ऋण दिया गया था ;

(ग) जीवन बीमा निगम के पास कितनी राशि के तथा कितने ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र पड़े हैं जिन पर कोई निर्णय नहीं किया गया है और इनमें से कितने एक वर्ष से अधिक समय से पड़े हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम कम आय ग्रुप के लोगों को अधिक सुविधायें तथा अधिक उदार आधारों पर ऋण देने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सुविधायें देने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग). विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**2293/68]

(घ) और (ङ). जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों को उनकी आवास योजनाओं के लिये, जिनमें लघु-आय-समूह के आवास भी शामिल हैं, ऋण देने की व्यवस्था है तथा वह कोई योजना, विशेषकर, लघु-आय-समूह के लोगों के लिये स्वयं नहीं चलाता। तथापि, ऐसे लोग जीवनबीमा निगम की 'अपना मकान बनाओ' योजना से लाभ उठा सकते हैं, जिसकी शर्तें काफी उदार हैं।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा दिये जाने वाले वेतनों में विषमता

*328. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इन्डिया लिमिटेड में बर्मा आयल कम्पनी के नामनिर्दिष्ट प्रबन्ध निदेशक

तथा भारत सरकार के नामनिर्दिष्ट वित्तीय सलाहकार को दिये जाने वाले वेतनों में बहुत विषमता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत अधिक प्रतिधारण-शुल्क तथा मकान किराया भत्ते पर एक अंशकालिक तकनीकी सलाहकार रखा गया है और यदि हां, तो उसका कार्यालय कहां है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'मैसर्स डिगोलयर एण्ड मैकनौटन' को 38,000 डालर वार्षिक शुल्क पर सलाहकार नियुक्त किया गया था ; और

(घ) क्या इन मामलों में भारत सरकार से परामर्श किया गया था और सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में स्वीकृति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां। आयल इण्डिया लि० का प्रबन्ध निदेशक बर्मा आयल कम्पनी का एक अधिकारी है जो कम्पनी के द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन पाता है। आयल इण्डिया लि० में कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है। आयल इण्डिया लि० का वित्तीय निदेशक भारत सरकार का एक अधिकारी है, जो सरकार के निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन पाता है। इन दो वेतनमानों में बहुत असमानता है।

(ख) जी हां। आयल इण्डिया लिमिटेड परामर्शदाता का केवल आधा व्यय अर्थात् 2500 रुपये प्रतिमास-प्रतिधारण शुल्क का 50 प्रतिशत तथा 1,000 रुपये मकान किराया भत्ता के रूप में अदा करती है। उसका कार्यालय दिल्ली में है।

(ग) जी नहीं। कोई वार्षिक अदायगी निर्धारित नहीं है। आयल इण्डिया लि० ने मैसर्स डिगोलयर एण्ड मैकनौटन को 38,000 डालर अदा किये थे। यह धनराशि एक ठेके के अन्तर्गत, जो लगभग दो साल तक रहा, परामर्शदाताओं को एक विशेषकार्य के लिये दी गई थी। इस समय आयल इण्डिया लि० का उनके साथ कोई ठेका नहीं है।

(घ) जी हां। अंशकालिक परामर्शदाता को आसाम में 30 साल से अधिक कार्य करने से, वहां की भूगर्भीय स्थितियों का सामान्यतः गहन ज्ञान है। आयल इण्डिया लि० के अन्वेषण कार्यकलापों के हित में उसका अनुभवीय परामर्श जरूरी है। मैसर्स डिगोलयर एण्ड मैकनौटन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के भूगर्भीय सलाहकार हैं और उनकी अनुभवीय सलाह का कई विशेष तकनीकी समस्याओं के, जिनके लिए देशीय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, बारे में प्रयोग किया गया था।

नेशनल पावर ग्रिड

*329. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक कार्य के रूप में रीजनल पावर ग्रिडों को संगठित कर नेशनल पावर ग्रिड

बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय पावर ग्रिड स्थापित करने के ध्येय को प्राप्त करने के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है और इस कार्यक्रम पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पावर ग्रिड बनाने के लिये आरम्भिक पग के रूप में क्षेत्रीय पावर ग्रिडों को ऊर्जित करने में जो प्रगति हुई है, वह निम्नलिखित है :

उत्तरी क्षेत्र : इस क्षेत्र में पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर के राज्य और दिल्ली, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के संघीय प्रदेश शामिल हैं । उत्तर प्रदेश और दिल्ली 220 के० वी० पथ द्वारा जो 1966-67 में पूरा किया गया था, मिले हुए हैं । इस समय इस पथ को 132 के० वी० पर चलाया जा रहा है । पंजाब और हरियाणा भाखड़ा प्रणाली के अन्तर्गत पहले ही 220 के० वी० पारेषणपथ द्वारा आपस में मिले हुए हैं । हरियाणा और राजस्थान के बीच 220 के० वी० पथ निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है । और इसके जनवरी, 1969 में पूरा हो जाने की सम्भावना है । दिल्ली और हरियाणा में वल्लभगढ़ के बीच 220 के० वी० पथ हाल ही में 17 नवम्बर, 1968 को पूरा किया गया है और हरियाणा दिल्ली में स्थित इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर से बिजली ले रहा है । हरियाणा में सिरसा और राजस्थान में हनुमानगढ़ के बीच 132 के० वी० पथ का निर्माण हो रहा है और इसके जून, 1969 तक पूरा होने की सम्भावना है ।

पश्चिमी क्षेत्र : इस क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के राज्य और गोवा, दमन और द्यु के संघीय प्रदेश शामिल हैं । गुजरात में नवसारी और महाराष्ट्र में तारापुर अणु बिजली घर के बीच 220 के० वी० पथ 1967 में पूरा किया गया था । इस 220 के० वी० पथ के पूरा हो जाने पर, तारापुर अणु बिजलीघर को महाराष्ट्र में वोरिविली के साथ मिलाने वाली लाइन के निर्माण का काम किया जा रहा है और इसके अप्रैल, 1969 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है—गुजरात और महाराष्ट्र को तारापुर के रास्ते आपस में मिला दिया जाएगा । मध्य प्रदेश में चांदनी को महाराष्ट्र में भूसावल के साथ मिलाने वाले 132 के० वी० पथ का निर्माण हो रहा है और इसके 1968 के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

दक्षिणी क्षेत्र : इस क्षेत्र में मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश, केरल के राज्य और पाण्डिचेरी का संघीय प्रदेश शामिल हैं । मैसूर और मद्रास के बीच 220 के० वी० पथ 1965 में पूरा किया गया था और कसारगोडे (केरल) और मंगलौर (मैसूर) के बीच 110 के० वी० पथ 1966 में पूरा किया गया था । पंबा (केरल) और मदुराय (मद्रास) को आपस में मिलाने वाले 220 के० वी० पथ का निर्माण हो रहा है और इसके मार्च, 1969 तक पूरा होने की सम्भावना

है। चित्तूर (आन्ध्रप्रदेश) और काटपाडी (मद्रास) के बीच 220 के० वी० पथ के 1969 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

पूर्वी क्षेत्र : इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राज्य और दामोदर घाटी निगम की पावर प्रणाली शामिल हैं। यह क्षेत्र 132 के० वी० पथों द्वारा पहले ही आपस में मिला हुआ है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र : इस क्षेत्र में नेफा, असम और नागालैंड के राज्य और मणिपुर और त्रिपुरा के संघीय प्रदेश शामिल हैं। गोलाघाट (असम) और दीमापुर (नागालैंड) के बीच 66 के० वी० पथ को मार्च, 1968 से 33 के० वी० पर चलाया जा रहा है। असम में बदरपुर और त्रिपुरा में अगरतला के बीच 132 के० वी० पथ का निर्माण हो रहा है और इसके 1969 के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है।

2. निम्नलिखित अन्तर्क्षेत्रीय पथ पूरे हो चुके हैं :—

(1) उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र में बिहार को मुगलसराय और करमनसा के बीच 132 के० वी० सिंगल सर्किट पथ द्वारा और रिहन्द और बूरन के बीच 132 के० वी० डबल सर्किट पथ द्वारा आपस में मिला दिया गया है।

(2) उत्तरी क्षेत्र की राजस्थान पावर प्रणाली और पूर्वी क्षेत्र की मध्य प्रदेश पावर प्रणाली चम्बल प्रणाली के 132 के० वी० पथों द्वारा आपस में मिली हुई है।

(3) पश्चिमी क्षेत्र में गोवा और दक्षिणी क्षेत्र में मैसूर 110 के० वी० पथ द्वारा पोंडा और डंडेली के बीच आपस में मिले हुए हैं।

(4) पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के साथ माचकुण्ड प्रणाली के 132 के० वी० पथों द्वारा मिला हुआ है।

3. चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए अन्तर्राज्यीय पथों और अन्तर्क्षेत्रीय पथों के निर्माण के प्रस्तावों की जांच हो रही है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों के निकट क्वार्टरों का आवंटन

*330. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने उनके मंत्रालय को इस समय सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों से दूर उनके निवासों के आवंटन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर विचार करने को कहा है;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को हल करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). अभी हाल ही में प्रधान मंत्री ने मंत्रीमण्डल सचिव को, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कल्याण के प्रश्न पर विचार करने के लिये तथा उन्हें राहत देने के लिए कुछ ठोस उपाय सुझाने के लिए कहा है। इसमें उनकी आवास सुविधाएं भी सम्मिलित हैं।

बढ़ते हुए नगरों में केन्द्रीय सरकार के सारे कर्मचारियों को उनके काम के स्थान के समीप रिहाईशी वास उपलब्ध कराना संभव नहीं है क्योंकि कार्यालय क्षेत्र के समीप रिहाईशी वास के लिये रखी गई भूमि सीमित है। रामकृष्णपुरम अथवा लाल किला और पुराने सचिवालय के बीच जैसे क्षेत्रों में, दिल्ली में जहां कहीं यह व्यवस्था संभव है, कार्यालय के नजदीक रिहाईशी वास प्राप्त करने का विकल्प पहले ही उपलब्ध है। प्रारंभिक आवंटन होने के बाद, सरकारी कर्मचारी, अपनी इच्छा के क्षेत्र में उसी टाईप का वास बदलने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

दिल्ली में डी० आई० जैड० क्षेत्र की पुनः विकसित योजना तथा मिन्टो रोड क्षेत्र में जो कि कार्यालयों के समीप हैं, निम्न आय वर्ग के लिए क्वार्टरों के निर्माणार्थ पहले से अधिक जोर दिया जा रहा है।

बकाया विदेशी ऋण

1867. **श्री जनार्दनन** : **श्री विभूति मिश्र** :
श्री क० प्र० सिंह देव : **डा० रानेन सेन** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1968 को भारत पर विदेशों का कुल कितना ऋण बकाया था और देशवार ये आंकड़े क्या-क्या हैं;

(ख) मूल धन और ब्याज के रूप में अब तक कुल कितना भुगतान किया जा चुका है;

(ग) विदेशी ऋणों की सर्विसिंग (ब्याज) पर सरकार द्वारा कुल कितना धन प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है;

(घ) क्या शेष ऋणों का भुगतान करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०** 2294/68]

(ग) जबकि मूल धन की वापसी हर एक ऋण-करार से सम्बन्धित शोधन संबंधी कार्यक्रमों के अनुसार की जाती है, परन्तु ऋणों के संबंध में देय व्याज की रकम का हिसाब, हर साल लगने वाली ब्याज की दरों के अनुसार और प्राप्त की जाने वाली ऋणों की रकमों तथा चुकाने-योग्य होने वाली रकमों के आधार पर लगाया जाता है। इसलिये, विदेशी ऋण चुकाने पर सरकार हर साल जो रकम खर्च करती है, वह भी प्रत्येक वर्ष अलग-अलग होती है। अनुमान है कि इस संबंध में सरकार को 1968-69 और 1969-70 में जो खर्च करना होगा उसका ब्योरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	1968-69	1969-70
मूल-धन	186.40	210.85
ब्याज	148.93	161.68

(घ) सभी ऋणों की वापसी का कार्यक्रम प्रत्येक ऋण को चुकाने की अवधि तथा निर्धारित ब्याज की दर के आधार पर तैयार किया जाता है।

(ङ) ऋण की वापसी की अवधि 10 साल से कम अर्से से लेकर 50 साल तक होती है और इसमें दो से दस साल तक की रियायती अवधि भी शामिल होती है। 30 जून, 1968 तक के बकाया ऋणों की रकमों की आखिरी किस्त सन् 2018 में देय होगी। भारत सहायता संघ के सदस्यों ने ऋण परिशोध सहायता के रूप में हमें 1966-67 में 343.9 लाख डालर, 1967-68 में 631.9 लाख डालर तथा 1968-69 में 1006.4 लाख डालर दिये। संघ अगले दो वर्षों के लिए ऋण परिशोध सहायता के रूप में हर साल 1000 लाख डालर देने की बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के प्रस्ताव पर भी सहमत हो गया है। ऋण-परिशोध-सहायता कुल निर्धारित सहायता में से विकास-संबंधी अधिक वास्तविक सहायता देने और सहायता के अधिक भाग को अनाबद्ध रूप देकर सहायता की किस्म को सुधारने के उद्देश्य से दी गयी है।

मैसूर उर्वरक कम्पनी की ओर बकाया धन-राशि

1868. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को उधार में बेचे गये उर्वरकों के मूल्य के रूप में मैसूर फर्टीलाइजर कम्पनी पर फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की बकाया धनराशि कितनी थी;

(ख) मैसूर फर्टीलाइजर कम्पनी की ओर फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर की ऐसी कितनी धन-राशि बकाया है जिसे एक महीने से अधिक समय हो चुका है; और

(ग) मैसूर फर्टीलाइजर कम्पनी पर फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का कौन-सा सबसे पुराना बीजक है जिसका भुगतान अभी नहीं किया गया और उस बीजक की तिथि और धन-राशि कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख). 15,66,619 रुपये जिसमें से 49,371 रुपये की धनराशि एक महीने से अधिक समय की थी।

(ग) बीजक संख्या 13882 दिनांक 3-9-1968, रुपये 17,697/- के लिए।

फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में क्षेत्रीय प्रबन्धकों का सम्मेलन

1869. **श्री पी० विश्वम्भरन्** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 या 14 अगस्त, 1968 को उद्योग मण्डल, अलवाय में फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) के क्षेत्रीय प्रबन्धकों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या यह सम्मेलन बिना किसी विषय पर चर्चा किये अथवा बिना कोई कार्य किये ही स्थगित हो गया था;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार स्थगित होने के क्या कारण थे;

(घ) अलवाय के बाहर से इस सम्मेलन के लिये कितने अधिकारी आये थे; और

(ङ) जो अधिकारी इस सम्मेलन में आये थे उन्हें कुल कितना दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता दिया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

जाली करेन्सी नोटों का परिचालन

1870. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांवों में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में ग्रामीण लोग सारे देश में जाली मुद्रा के व्यापक परिचालन के कारण 5 रुपये का नोट भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, इससे अधिक मूल्य के नोटों का तो कहना ही क्या है जैसा कि 4 अक्टूबर, 1968 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक गिरोह का सिक्योरिटी प्रेस के साथ गठजोड़ है और इन शरारती लोगों को विभिन्न मूल्य के नवीनतम नोटों की क्रम संख्या का पता चल जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिए जिसने खतरनाक रूप ग्रहण कर लिया है, क्या कार्यवाही की गयी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस बारे में न तो सरकार को और न ही भारतीय रिजर्व बैंक को कोई सूचना मिली है कि दक्षिण के राज्यों या

देश के अन्य भागों में जनता 5 रुपये के या अन्य किसी मूल्य के नोट स्वीकार नहीं करना चाहती ।

(ख) जी, नहीं । इस आरोप की पुष्टि में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जाली नोट बनाने वालों के किसी गिरोह का इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड से सम्बन्ध है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

निरोध के वितरण के लिए करार

1871. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरोध नामक विदेश से आयातित गर्भनिरोध उपकरण, जिसे भारत में पुनः पैक किया जाता है, के वितरण के लिये विभिन्न फर्मों से सरकार ने किन-किन शर्तों पर करार किया है;

(ख) फर्मों के नाम तथा करार की अवधि क्या है इन गर्भनिरोध उपकरणों के आयात और वितरण पर सरकार को प्रतिवर्ष कितनी सहायता देनी होगी; और

(ग) इन गर्भनिरोध उपकरणों के लिये इतनी अधिक राजसहायता क्यों दी जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर): (क) सरकार ने कम्पनियों के साथ थोक दुकानों के जरिये निरोध की बिक्री के लिये, वितरण करार किया है । इस उद्देश्य के लिये निरोध का आयात किया जायेगा अथवा देश में तैयार किया जायेगा । एक कम्पनी के साथ सरकार द्वारा किये गये समझौते की प्रति, जिसमें समझौते की शर्तें और हालात दिये गये हैं, संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2295/68]

(ख) जिन कम्पनियों ने निरोध वितरण की जिम्मेदारी ली है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1—बुक बौण्ड इंडिया लिमिटेड ।

2—हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ।

3—इम्पीरियल टोबैको कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड ।

4—लिप्टन (इंडिया) लिमिटेड ।

5—यूनियन कारबाइड इंडिया लिमिटेड ।

इस कार्य को शुरू करने के लिये मेसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड के साथ भी बातचीत की जा रही है ।

यह समझौता तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा ।

निरोध वितरण के तीन स्रोत हैं, जैसे :–

(1) परिवार नियोजन केन्द्रों/क्लीनिकों, प्रचलित गर्भनिरोधक वितरण केन्द्रों से मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है तथा परिवार नियोजन के कार्यकर्त्ताओं से लिया जा सकता है ।

(2) 5 पैसे में 3 के रियायती मूल्य पर डिपो होल्डरों से खरीदा जा सकता है।

(3) 15 पैसे के 3 की रियायती कीमत पर दुकानों से मिलता है ।

उपर्युक्त कम्पनियों की अनेक दुकानों के जरिये, जहां तक सम्भव है, निरोध को उपभोक्ताओं तक आसानी और सुविधापूर्वक उपलब्ध करने के लिये अंतिम तरीका अपनाया गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के जरिये उपहार स्वरूप निरोध काफी मात्रा में उपलब्ध होने की सम्भावना है । इसलिये, स्वदेश में तैयार किये गये निरोध के खरीदने, पैक किये हुए या वैसे ही भारी मात्रा में आयात करने, खरीदे गये या खुले रूप में उपहार स्वरूप मिले निरोधों की पैकिंग की लागत में, प्रचार कार्य और इस उद्देश्य के लिये संगठन पर सरकार को खर्च करना पड़ेगा । माल की निकासी की गति के बढ़ने, उपहार स्वरूप प्राप्त हुई मात्रा, प्रचार आदि की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए निरोध के व्यावसायिक वितरण के लिए सरकारी सहायता की धनराशि प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होगी ।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार का काम (1) लघु परिवार आदर्श को स्वीकार करने के लिये लोगों को शिक्षा और प्रोत्साहन देना है और (2) इस उद्देश्य के लिए जहां तक सम्भव हो सके, लोगों के घरों के नजदीक से नजदीक मुफ्त सेवाएं और सप्लाई का प्रबन्ध करने का है । प्रचलित गर्भनिरोधकों में निरोध (कण्डोम) सबसे अधिक पसंद किया जाता है जिसके लिए किसी डाक्टरी सलाह या सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है । इसलिए निरोध को उपभोक्ताओं तक उपलब्ध करने के लिए विभिन्न साधनों के जरिये, जैसा कि उत्तर के भाग (ख) में बतलाया गया है, प्रयत्न किये जा रहे हैं । खुले बाजार में निरोध काफी मंहगा है । निरोध को रियायती कीमत पर इसलिए बेचा जा रहा है जिससे निरोध सभी आय वर्ग के लोगों को उपलब्ध हो सके और वे परिवार नियोजन अपना सकें ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

1872. **श्री बाबूराव पटेल : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गर्भ निरोधक उपकरणों आदि के उत्पादन के लिये स्थापित की जाने वाली हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की लागत क्या है;

(ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की क्षमता कितनी है, उसमें किस प्रकार की गर्भ-निरोधक औषधियां बनायी जायेंगी और प्रत्येक उत्पाद की वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) उत्पादन कब आरम्भ होगा और विभिन्न प्रक्रमों के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(घ) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की वार्षिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिये कितनी राज-सहायता दी जायेगी; और

(ङ) उन 6 उच्च अधिकारियों के नाम क्या हैं जो इस सम्बन्ध में विदेशों में गये थे और विमान किराये तथा विदेशी मुद्रा के रूप में सरकार को कितना खर्च करना पड़ा था ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले रबर से बने गर्भ निरोधक निरोध के निर्माण के लिये त्रिवेन्द्रम में एक निरोध कारखाना स्थापित कर रहा है, जिस पर 150 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ख) त्रिवेन्द्रम स्थित निरोध कारखाने में केवल निरोध (कंडोम) का निर्माण करने का प्रस्ताव है, और इसकी प्रारम्भिक वार्षिक निर्माण क्षमता 1440 लाख निरोध होगी । आगामी तीन वर्षों में निरोध (कन्डोम) की वार्षिक मांग साठ से सत्तर लाख तक हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) यह कारखाना वर्ष 1968 के अन्त में निर्माण कार्य आरम्भ कर देगा और उसमें 1440 लाख कंडोम का वार्षिक निर्माण होगा । बाद में इस कारखाने में निरोध (कंडोम) का निर्माण करने के लिये इस कारखाने का विस्तार करने का प्रस्ताव है ।

(घ) कोई नहीं ।

(ङ) तीन इन्जीनियरों, अर्थात् डा० एन० एच० शिव रामकृष्णन, लेटेक्स प्रौद्योगिक शास्त्री, श्री के० यू० वारुनी, निर्माण इंजीनियर, और श्री पी० गोपाल मेनन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैसर्स मितसुई एण्ड कम्पनी लिमिटेड, जापान के साथ हुए सहयोग करार के अन्तर्गत लेटेक्स की कम्पाउन्डिग टैकनॉलोजी और संयंत्र को चलाने तथा मरम्मत आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये जापान भेजा गया था । इससे पूर्व श्री टी० सी० एस० पिल्लो, परियोजना अधिकारी को त्रिवेन्द्रम में निरोध कारखाना स्थापित करने के लिये सहयोग के बारे में बातचीत करने हेतु विदेश भेजा गया था । उपर्युक्त अधिकारी पर हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने 25,950 रुपये हवाई जहाज के किराये पर और 19,300 रुपये विदेशी मुद्रा पर खर्च किए ।

पारस्परिक व्यवस्था की बातचीत के दौरान हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के तीन निदेशक, श्री के० एन० श्रीवास्तव (अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगर विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव), श्री डी० जे० मदान; (संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय) और डा० दीपक भाटिया (आयुक्त, परिवार नियोजन) भी विदेश गये थे । उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य विदेश में परिवार नियोजन के सामान्य कार्यक्रम का निरीक्षण था । परिवार नियोजन कार्यक्रम की सहायता के लिए हुए समझौते के अनुसार फोर्ड प्रतिष्ठान ने उनका हवाई जहाज का किराया व विदेशी मुद्रा का खर्च वहन किया था ।

सरकारी अधिकारियों को निशुल्क टेलीफोन करने की अनुमति

1873. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अधिकारियों को (वर्गवार) अपने निवास स्थानों से एक तिमाही में कितनी टेलीफोन कालें निशुल्क करने की अनुमति होती है;

(ख) इन अधिकारियों को सामान्यतः कितनी निशुल्क रियायत होती है;

(ग) ऐसे अधिकारियों को वर्गवार एक तिमाही में कितनी ट्रंक कालें निशुल्क करने की अनुमति होती है;

(घ) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने हिदायतें जारी की हैं कि सरकारी अधिकारी कालों की संख्या कम करें क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो हिदायतों का ब्योरा क्या है और इन हिदायतों के जारी होने से तीन महीने पहले के और तीन महीने बाद के आंकड़े क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार सभी श्रेणियों के अधिकारियों को हर तिमाही में अधिक से अधिक 1500 निःशुल्क टेलीफोन-काल तक करने की छूट है। इसमें वे सरकारी काल शामिल नहीं हैं जो उपभोक्ता ट्रंक डायल सेवा तथा नीचे (ख) में उल्लिखित निःशुल्क छूट के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) डाक तथा तार विभाग द्वारा हर तिमाही में प्रत्येक टेलीफोन पर 150 निःशुल्क टेलीफोन काल करने की छूट दी गई है।

(ग) ट्रंक-काल के बारे में निःशुल्क काल की कोई छूट नहीं है। सरकारी कालों का व्यय सरकारी खाते में डाला जाता है तथा निजी कालों के व्यय की अदायगी संबंधित अधिकारियों को स्वयं करनी होती है।

(घ) तथा (ङ). अधिकारियों को अपने कालों की संख्या सीमित रखने के लिये कोई आम हिदायतें तो जारी नहीं की गईं, किंतु 8 सितंबर, 1967 को आदेश जारी किए गए थे जिन्हें बाद में तारीख 6 नवंबर, 1968 को संशोधित कर दिया गया, और तदनुसार उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित निःशुल्क कालों की एक सीमा बांध दी गई जिसके ऊपर कालों के व्यय की अदायगी संबंधित अधिकारियों को स्वयं करनी होती है। काल विषयक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का सर्वेक्षण

1874. **श्री हेमराज** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8816 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आवश्यकताओं का सवक्षण

करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित विशेष जांच विभाग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश के विशेष जांच विभाग ने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं किया है। रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जायेगी इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं है ।

गुजरात में उद्योगों के लिये बिजली की अत्यधिक कमी

1875. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में उद्योगों के लिये इस समय बिजली की अत्यधिक कमी है; और

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने इस कमी का पूर्वानुमान लगा लिया था परन्तु सरकार से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करने में देरी होने के कारण धूवरन विस्तार योजना जैसी कुछ योजनाओं को समय पर क्रियान्वित नहीं किया जा सका ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। गुजरात में बिजली की कुछ कमी महसूस की जा रही है ।

(ख) गुजरात में वर्तमान बिजली की कमी का मुख्य कारण तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र के चालू होने में कुछ देरी है। जिस परमाणु विद्युत् केन्द्र से गुजरात को 190 मेगावाट बिजली मिलनी है, उसका अक्तूबर, 1968 में चालू होना निर्धारित था। अब इसके जुलाई 1969 तक चालू होने की आशा है ।

मैसर्ज बर्ड एण्ड कम्पनी

1876. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के निदेशकों के नाम तथा पते और उनके शेयरों के प्रतिशत के बारे में सूचना इस बीच में एकत्र कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो जिन निदेशकों के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही आरम्भ की गई उनके नाम क्या हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मांगी गई सूचना कम्पनी ला बोर्ड से प्राप्त कर ली गई है जो नीचे दी गई है :—

मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशकों के नाम और पते ये हैं :—

नाम	**पता**
1. श्री प्राण प्रसाद	37, बालीगंज पार्क, कलकत्ता
2. श्री एन० एस० गिलानी	1, डोवार पार्क, कलकत्ता
3. श्री शंकर घोष	15-सी, राजा संतोष रोड, कलकत्ता।
4. श्री के० एल० दुआ	9, बर्दवान रोड, कलकत्ता।
5. श्री अमिताभ बसु	9, बालीगंज पार्क, कलकत्ता।

मेसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड का कोई भी निदेशक अपनी व्यक्तिगत हैसियत में इस कम्पनी का शेयर-धारी नहीं है तथा कम्पनी की अन्तर्नियमावली के अधीन योग्यता शेयर-धारी होना आवश्यक भी नहीं है।

कम्पनी के शेयरधारियों की सूची से यह पता चलता है कि निदेशकों के परिवार के सदस्य इस कम्पनी में नीचे दिये अनुसार शेयर-धारी हैं :—

निम्नलिखित निदेशकों के	**प्रतिशत शेयर-धारिता**	
परिवार के सदस्य	**इक्विटी**	**प्रिफरेंस**
1. श्री प्राण प्रसाद	5.0	—
2. श्री एन० एस० गिलानी	1.1	—
3. श्री शंकर घोष	1.1	—
4. श्री के० एल० दुआ	1.1	—
5. श्री अमिताभ बसु	कुछ नहीं	—
जोड़	8.3 प्रतिशत	—

इसके अतिरिक्त श्री प्राण प्रसाद तथा श्री के० एल० दुआ, अन्यों के साथ संयुक्त रूप से न्यासी की हैसियत से नीचे दिये अनुसार शेयरधारी हैं :

न्यासी	**न्यास का नाम**	**प्रतिशत शेयर धारिता**	
		इक्विटी	**प्रिफरेंस**
1. श्री प्राण प्रसाद तथा दो अन्य	अधि वार्षिकी निधि	20.3	—
2. श्री के० एल० दुआ तथा दो अन्य	बचत न्यास	18.6	—
3. श्री प्राण प्रसाद तथा दो अन्य	बेन्थाल परिवार न्यास	—	0.4

(ख) मेसर्स बर्ड एंड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के किसी भी निदेशक के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई इस्तागासे की कार्यवाही नहीं की गई।

फिल्मी कलाकारों द्वारा आय-कर की अदायगी

1877. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1313 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र कलाकारों द्वारा आय-कर की अदायगी के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो गलत विवरण देने के लिये किन-किन कलाकारों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा प्रत्येक के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई और यदि कोई जुर्माना किया गया है तो कितना ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) कुमारी आशा पारेख के मामले में, कर निर्धारण वर्ष 1964-65 की आयकर-विवरणी में आय की गलत घोषणा करने के सिलसिले में मुकदमा दायर कर दिया गया है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है। कुमारी वहीदा रहमान के साथ समझौता हो गया है, जिसकी शर्तों के अनुसार 20 प्रतिशत दण्ड लगाया जाना है। श्री महमूद ने कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 के लिए धारा 271 (4ए) के अधीन समझौता करना चाहा है पर यह अभी विचाराधीन है। श्रीमती वैजयन्ती माला के मामले में 1965-66 की आय छिपाने के सम्बन्ध में दाण्डिक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। अन्य मामलों में कोई दण्ड नहीं लगाये गये हैं।

Vacant Plots Lying in Ghaziabad Industrial Area

1878. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of plots in Ghaziabad Industrial Area where no work has been undertaken except fixing of the name-board of the industries there ;

(b) the dates on which the ownership of these vacant plots was transferred and the reasons for not setting up the factories there ;

(c) whether Government had prescribed a time-limit for the setting up of factories by the industrialists there ; and

(d) if so, the number of industrialists in whose case the prescribed time-limit has lapsed and the action proposed to be taken by Government against them in the circumstances ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Assistance to Jhuggi and Jhonpri Dwellers

1879. **Shri Nathuram Ahirwar :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of jhuggi and jhonpri dwellers in Delhi whose jhuggis and jhonpris have so far been demolished in Delhi and have been allotted alternative permanent accommodation and the number of those who have been given financial assistance for the construction of alternative accommodation ;

(b) whether Government have also sanctioned any amount for the rehabilitation in 1968-69 ; and

(c) if so, the amount sanctioned per family ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The demolition of jhuggis and jhonpris have been going on for a number of years. It will be extremely difficult to collect the information unless the period for which information is sought, is specified.

(b) A budget provision of Rs. 60 lakhs has been made for 1968-69 for acquiring and developing sites for the resettlement of jhuggi dwellers.

(c) The expenditure which the Government incurs in providing alternative sites to the pre-July, 1960 squatters ranges between Rs. 1000 and Rs. 1200 while the corresponding figure for the post-July, 1960 squatters is Rs. 600 to Rs. 800, per unit.

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूमि में परिवर्तन

1880. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने बहुत से मामलों में भूमि का उपयोग अनधिकृत से अधिकृत, हरीपट्टी से रिहायशी और शैक्षिक, रिहायशी से औद्योगिक तथा औद्योगिक से रिहायशी रूप में बदल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकार ने जिन मामलों में भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में संकल्प पारित किये उनका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2296/68]

बेला रोड, नई दिल्ली स्थित बर्फ के कारखानों के पट्टों की शर्तें

1881. **श्री कृ० मा० कौशिक :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने दिल्ली प्रशासन को लिखे अपने 9 अगस्त,

1950 के पत्र संख्या 3030 एल० एस० जी०/50 के द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के बेला रोड स्थित बर्फ के कारखानों के पट्टों की पुष्टि की थी तथा उनकी शर्तों का अनुमोदन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस मामले पर विचार किया जा रहा है और आवश्यक सूचना यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हरियाणा में उर्वरक कारखाना

1882. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी क्षेत्र में राज्य में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . यह विचाराधीन है ।

Potable Water to Rural Population of Hill Districts of U. P.

1883: **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the question of providing potable water to the rural population of the hill districts of Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether Government are considering the question of allocating funds exclusively to the hill districts with a view to solve this problem ;

(c) if so, the extent of allocation likely to be made in case of Almora District ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

Minor Hydro-Electric Schemes for Hill Districts of U. P.

1884. **Shri J. B. S. Bist**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate minor hydro-electric schemes for the hill districts of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the number of schemes likely to be formulated in case of Almora district and the names of the places where they are likely to be implemented;

(c) whether Government propose to give priority to Tadagtal Hydro-electric scheme; and

(d) if so, the time by which the work in regard to the said scheme is likely to be taken in hand?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a). Yes, Sir.

(b) The following schemes in the Almora District have been implemented:

(i) Bageshwar	1×13.4 kW
	1×50 kW
(ii) Champawat	2×100 kW
(iii) Garur	1×25 kW

Investigations on Kapkot micro hydel scheme (50 kW) have been completed and the following schemes are under investigation at present:—

(i) Kota Badangarh	25 kW
(ii) Gular Neyerh	50 kW
(iii) Kulgarh	5 kW
(iv) Kanalgad	200 kW

(c) and (d). A detailed note indicating the possibilities of micro hydel power generation by utilising the waters of Tadagtal was prepared by Central Water and Power Commission and forwarded to the U. P. State Elecricity Board with the suggestion for investigation and preparation of the scheme report. The question of execution of the project will be considered after the project report is received and examined.

Public Sector Industries

1885. **Shri Narain Swarup Sharma: Shri Ranjit Singh: Shri Jagannath Rao Joshi: Shri Atal Bihari Vapjayee:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number and names of public sector industries set up, in the process of being set up or expanded by Government during the past 15 years in various States;

(b) the amount spent on each one of them so far; and

(c) the amount of profit earned or loss incurred by each one of them each year and the number of persons employed in them?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). The annual accounts of each of the Public Enterprises, showing **inter alia** the profit earned/loss incurred by them in the respective year, are laid on the Table of both the Houses of Parliament every year. The latest year for which the accounts of all the Public Enterprises are available is 1966-67. A statement is laid on the Table of the House showing the names Public Enterprises, the investment in each of them and the number of employees, as on 31-3-67, as also the profit earned/loss incurred by them during 1966-67. **[Placed in Library. See No. LT-2297/68].**

Tax-Relief to Exporting Firms

1886. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** **Shri Narain Swarup Sharma:**
Shri Jagannath Rao Joshi: **Shri Ranjit Singh:**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to give tax relief to firms which export specified portion of their produce; and

(a) if so, the delails there of ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Utilization of P. L. 480 Funds in Sikkim

1887. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount spent in Sikkim by U. S. A. out of amount paid by Government under P. L. 480 ; and

(b) the items and the works on which the amount has been spent?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). The U. S. Government has not spent any amount in Sikkim from their PL-480 rupee funds.

ब्रिटेन में मैसूर का व्यापार एजेन्ट

1888. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रिटेन में मैसूर के व्यापार एजेन्ट के इस समय के पदधारी को कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है और वह पहले किस पद पर थे, उनका उस समय का और अब का पारितोषिक कितना है और उनको इस समय क्या और कोई सुविधाएं भी उपलब्ध हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ब्रिटेन में मैसूर के व्यापार एजेण्ट के पद पर इस समय नियुक्त पदाधिकारी को पेशगी के रूप में 3000 रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा दी गयी थी ताकि वे ब्रिटेन जा सकें और वहां अपना कार्यभार संभाल सकें। यह रकम उनके वेतन से उपयुक्त किस्तों में वसूल की जायगी ।

उनकी पहली और वर्तमान, दोनों, नियुक्तियां मैसूर राज्य की सरकार के अधीन की गयी हैं। जहां तक उनकी वर्तमान उपलब्धियों का सम्बन्ध विदेशी मुद्रा से है, उनके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

Recovery of Silver near Kaman Village near Bombay

1889. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri P. L. Barupal:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is fact that the officials of the Central Exicse Department had recovered

silver worth nearly Rupees ten lakhs from Kaman village situated at a distance of about 45 miles from Bombay in September, 1968 ;

(b) if so, the weight of the silver seized and whether there was any foreign markings on that silver ; and

(c) the number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes Sir. On 15th September, 1968 the officials of the Bombay Central Excise Collectorate recovered 39 ingots of silver from a truck and a jeep near Kamani river bridge about 70 miles from Bombay and also 4 ingots of silver on the roadside near the vehicles. The truck and the jeep along with one pistol and Indian currency amounting to Rs. 2100 found in the possession of the driver of the jeep, were also seized.

(b) The weight of the silver is 1312.410 Kg. There were no foreign markings on them.

(c) Three persons were arrested and subsequently released on bail. The case is under investigation.

१८९० **Government Building for the Ministers' Stay in Jammu and Kashmir State**

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no official building belonging to the Central Government to facilitate the stay of their Ministers in Jammu and Kashmir ;

(b) if so, whether Government propose to construct any building in order to facilitate the stay of Ministers ; and

(c) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c). There is no building belonging to the Government of India in Jammu and Kashmir State meant specially for the stay of Ministers. There are, however, 6 Rest Houses and Inspection Bungalows at the following places :

1. Madhopur.
2. Rohalta.
3. Mandli.
4. Manwal.
5. Ramkot.
6. Udhampur.

These are primarily meant for use by Government officers on duty. The Ministers can also make use of these Rest Houses for their stay. There is no proposal to construct an official building in order to facilitate the stay of Ministers.

Income-Tax Arrears Against Firms in Indore and Ujjain

1891. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of firms in Ujjain and Indore Districts of Madhya Pradesh against whom the arrears of Income-tax are outstanding at present ;

(b) the amount of Income-tax outstanding in the above districts; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to realise the same?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a)	(i)	Ujjain	100
	(ii)	Indore	1478
(b)	(i)	Ujjain	Rs. 2,04,000
	(ii)	Indore	Rs. 55,43,000

(c) All necessary steps are being taken under the law to realise the arrears of tax from the defaulting assessees depending upon the merits of each case.

Removal of Insignia of British Crown from North and South Blocks, New Delhi

1892. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 250 on the 22nd July, 1968 and state :

(a) whether any decision has since been taken for the removal of the emblem of British Crown from North and the South Blocks and the four pillars ; and

(b) if so, the time by which these emblems would be removed and replaced by the National Emblem of the Government of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) A decision has already been taken for the removal of the emblems of British Crown from the North and South Blocks. As the 4 stone columns in between the North and South Blocks, are gifts from the Commonwealth countries and are not suggestive of any foreign domination, it is not proposed to remove them.

(b) This work will be completed by end of June, 1969.

जब्त किये गये सोनें और चांदी का मूल्य

1893. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों और प्रवर्तन विभाग ने कितना और कितने मूल्य का सोना और चांदी जब्त किया है ;

(ख) क्या सोने के तस्कर व्यापार में किशोरावस्था के छात्रों का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) क्या भारत में भारतीय तस्करों के सहयोग से कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने 1 अगस्त, 1968 से 31 अक्तूबर, 1968 की अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय दर से लगभग 47 लाख रुपये मूल्य का 552 किलोग्राम सोना तथा लगभग

106 लाख रुपये मूल्य की 22, 443 किलोग्राम चांदी पकड़ी। प्रवर्त्तन निदेशालय ने कुछ जब्त नहीं किया। .

(ख) तस्करी द्वारा आयात किये गये सोने के लाने-लेजाने में छात्रों का उपयोग किये जाने के इक्के-दुक्के मामले सामने आए हैं।

(ग) भारत में सोने का तस्कर आयात अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह करते हैं जिनके कुछ सदस्य भारतीय हो सकते हैं।

पेट्रोलियम साल्ट की बिक्री के लिये विदेशों के साथ बातचीत

1894. **श्री एन० शिवप्पा : श्री प्र० के० देव :**
श्री गार्डिलिंगन गौड़ : श्री रा० की० अमीन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में उत्पादित पोटासियम साल्ट की बिक्री के बारे में हंगरी से बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में अन्य देशों से बातचीत करने का भी प्रयत्न किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (घ). इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० जो भारत सरकार का एक उपक्रम है पैंनिसिलिन के पोटासियम साल्ट की बिक्री के बारे में इस समय हंगरी के मैडिमपैक्स के साथ बातचीत कर रहा है। योगोसलाविया कें मैसर्ज प्लीवा ने 350 किलोग्राम सोडियम पेनिसिलिन और 5 मीटरी टन प्रबलीकृत प्रोकेन पैंनिसिलिन के आयात के बारे में बातचीत की।

विदेशी पार्टियों के साथ बातचीत के अन्तिम रूप से पहले प्रबन्धों के ब्योरे बताना जनहित में नहीं होगा।

उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य

1895. **श्री एन० शिवप्पा : श्री प्र० के० देव :**
श्री गार्डिलिंगन गौड़ : श्री रा० की० अमीन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1975-76 तथा 1979-80 के लिये भारत में उर्वरकों के उत्पादन का नवीनतम निर्धारित लक्ष्य क्या है ; और

(ख) ये लक्ष्य इन वर्षों की हमारी मांगों से कितने अधिक अथवा कम हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) इस अनुमान पर कि इस समय विचाराधीन उर्वरक परियोजनाएं अनुमोदित और कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित हो जाएंगी, उर्वरकों का उत्पादन निम्नक्रम से हो जाने की आशा है :

		अनुमानित उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)
	नाइट्रोजन	**पी 2 ओ 5**
1971-72	1.935	0.816
1975-76	5.076	2.485
1978-79	6.626	3.345

(ख) इस समय तदनुरूप वर्षों की संभावित मांग निम्न प्रकार है :

1971-72	2.78	1.2
1975-76	5.00	2.5
1978-79	6.635	3.31

टिप्पणी : उत्पादन और मांग का अनुमान केवल 1978-79 तक लगाया गया है ।

Telephone Communication between Barauni Refinery, Begusarai and Patna

1896. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no provision for telephonic communication between the civil officers of Barauni Refinery and Begusarai as also between Patna and Barauni and the officers have to use motor cars to communicate essential messages leading to a great loss of Government's time and money ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government propose to take some steps in this direction in order to remove administrative inconvenience in communications and the wastage of money thereby ; and

(d) if so, what are those steps and when those will be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah): (a) No, Sir.

(b) to(d). Do not arise.

सरजू परियोजना

1897. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरजू परियोजना को मंजूरी दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना धन व्यय होगा ; और

(घ) यह परियोजना कब आरम्भ होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) इस परियोजना का उद्देश्य है निचली शारदा नहर प्रणाली में सिंचाई की स्थिति को सुधारना ।

(ग) परियोजना के प्रथम चरण की अनुमानित लागत 64.84 करोड़ रुपये है ।

(घ) कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

1898. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने ग्रामों तथा कस्बों का विद्युतीकरण हो जायेगा ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने देहातों तथा कस्बों में बिजली लगाई गई है तथा उनका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश में 1968-69 के दौरान लगभग 1,000 ग्रामों और नगरों को बिजली प्राप्त होने की सम्भावना है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2298/68]

भाखड़ा से मिलने वाली बिजली की दरों का पुनरीक्षण

1899. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 522 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार की प्रार्थना पर कोई ऐसा निर्णय किया गया है कि पंजाब द्वारा भाखड़ा से दिल्ली को और नंगल उर्वरक कारखाने को दी जाने वाली बिजली की दरों में पुनरीक्षण किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) नांगल रासायनिक खाद कारखाने को दी जाने वाली बिजली की संशोधित दरों के बारे में बात चीत चल रही

है । जहां तक दिल्ली को दी जाने वाली बिजली की दरों का सम्बन्ध है भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड इस मामले की जांच कर रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मामला उलझा हुआ होने के कारण, इसके अन्तिम निर्णय में कुछ समय लगेगा ।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ सहायता कार्य

1900. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 1967-68 में और 1968-69 में अब तक किये गये बाढ़ सहायता कार्यों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक कार्य पर कितना व्यय हुआ है ;

(ख) इस वर्ष के आंकड़ों की तुलना में पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में बाढ़ से कितनी हानि हुई; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस वर्ष किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण कार्यों का ब्योरा क्या है और यदि राज्य की चौथी योजना में शामिल किये जाने के लिये बाढ़ नियंत्रण की कोई योजनायें तैयार की गई हैं, तो उनका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). विवरण सलंग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2299/68]

Printing of Various Forms and Reports in Hindi

1901. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether the Home Ministry Office Memorandum No. 2/29/68 O. L. dated the 6th July, 1968 has been received in his Ministry ;

(b) if so, the action taken so far or proposed to be taken in pursuance of paragraph Nos. 3 to 7 of the Memorandum ;

(c) the number of tenders, agreements, contracts, licences, permits, notifications and official reports published by his Ministry, its subordinate offices and establishments in Hindi in August-September, 1968 ; and

(d) the number of class I Officers who neither know Hindi nor they regularly go to learn Hindi under the existing arrangements made for the purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) Yes.

(b) to (d). The information is being collected and will be laid at the Table of the House.

Utilisation of Productions and By-Products of Petro Chemical Complexes

1902. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that different Products and by-products of petro-chemical complexes are not being utilised properly ;

(b) whether there is any proposal to set up a committee to look into the matter ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) No.

(b) to (d). Do not arise.

Subsidy to Agriculturists

1903. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to give subsidy to agriculturists in order to reduce the rates of power supplied for agricultural production ; and

(b) if so, when it will start and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The Government of India have agreed to subsidise, with effect from 1.4.1966, electricity rates for agricultural purposes to the extent such rates were in excess of 12 paise per unit. The expenditure on the payment of subsidy is to be shared 50 : 50 between the Centre and the State Government concerned. Details of the scheme were given in the statement placed on the Table of the House in reply to Lok Sabha Starred Question No. 368 answered on 30.11.67.

हिमाचल प्रदेश के देहातों में पानी की सप्लाई की योजना

1904. **श्री हेम राज : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 और 1968-69 में हिमाचल प्रदेश के देहातों में पीने के पानी

सम्बन्धी योजनाओं के लिये कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ख) कितनी राशि दे दी गई है और यह किन-किन योजनाओं के लिये दी गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

गुजरात में आयकर और धनकर भुगतान न करने वाले लोग

1905. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में आयकर तथा धनकर की देय राशि का भुगतान न करने वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दोषी व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं और उनके नाम कितनी-कितनी राशि बकाया है ;

(ग) उनसे राशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार का वसूली करते समय उनसे ब्याज भी वसूल करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क): गुजरात में आयकर तथा धनकर की अदायगी में चूक करने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। किन्तु गुजरात कार्यक्षेत्रों में 1-4-1968 को आयकर तथा धनकर की कुल बकाया सम्बन्धी कुल मांग क्रमशः 10.79 करोड़ रुपये तथा 42.97 लाख रुपये थीं। यदि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाय कि गुजरात की बकाया अखिल भारतीय बकाया की 1.84 प्रतिशत की तथा वहां की बजट सम्बन्धी वसूलियां अखिल भारतीय बजट के आंकड़ों की 6.5 प्रतिशत थी, तो गुजरात की आयकर विषयक बकाया के ये आंकड़े अधिक नहीं लगेंगे।

(ख) जिन फर्मों और अन्य व्यक्तियों ने कर देने में चूक की है उनके नामों तथा उनकी तरफ बकाया रकमों के बारे में सूचना इकट्ठा करने में बहुत श्रम तथा समय लगने की सम्भावना है जो प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं भी हो सकते। तो भी जिन चूक कर्त्ताओं की तरफ 31-3-68 को 25,000 रुपये से अधिक की आयकर की मांगें बकाया थीं उनके नामों के बारे में सूचना अनुबन्ध में दी गयी हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2300/68]

(ग) प्रत्येक मामले के गुण-दोष तथा परिस्थितियों के अनुसार, बकाया कर की वसूली के लिये कानून-सम्मत उपाय काम में लाये जा रहे हैं।

(घ) जी, हां। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 (2) के अन्तर्गत, विलम्ब से की गई अदायगियों पर, व्याज लगाया जाता है।

(ङ) यह सवाल नहीं उठता।

गुजरात में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करना

1906. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में गुजरात में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने हेतु गुजरात सरकार के लिये कितनी धन-राशि निर्धारित की गयी है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) गुजरात में कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और कितने अन्य केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) क्या वर्ष 1968-69 में करिया और बड़ौदा जिले में एक-एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Filthy Condition of Patna City

1907. **Shri Ram Avatar Shastri :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that too much of filth has accumulated in Patna city after the control of the Patna Municipal Corporation has passed direct into the hands of Government consequent on the dissolution of the Corporation and particularly after the promulgation of President's Rule there ;

(b) if so, whether Government have prepared any scheme for effecting cleanliness in the city ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) No. The State Government as well as the Patna Municipal Corporation are anxious to keep up the City clean. Complaints about garbage accumulation and filth are attended to promptly.

(b) and (c). There is a shortage of vehicles in the Patna Municipal Corporation for lifting of garbage, but the State Government have arranged for additional vehicles out of the stock of their Public Health Engineering Department. Further, they are also considering the question of granting financial assistance to the Patna Municipal Corporation, for purchasing some vehicles.

राज्यों द्वारा लगाये गये कर

1908. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3590 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को एक समान स्तर पर लाने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कर लगाने का काम राज्यों का है। चूंकि अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं, इसलिये सारे राज्यों द्वारा लगाये जाने वाले कर समान हों, यह हमेशा सम्भव नहीं है। फिर भी, राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए कर लगाने की अपनी नीतियों में, जहां तक हो सके, समन्वय स्थापित करें।

मध्य प्रदेश में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें

1909. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मध्य प्रदेश में बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो कब तक इसके पूर्ण हो जाने की संभावना है; और

(ग) क्या केन्द्र द्वारा सतियारा परियोजना के लिये वित्त की व्यवस्था किये जाने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 2 वृहत् और 11 मध्यम स्कीमों में से, जिनकी जांच हो रही थी एक मध्यम स्कीम, अर्थात् बाघ नदी के दायें तट की नहर, पहले ही स्वीकार हो चुकी है। एक अन्य मध्यम स्कीम, गंगाई ताल, राज्य सरकार द्वारा वापस ले ली गई है। दो और मध्यम स्कीमें हाल ही में जांच के लिये आई हैं। विभिन्न स्कीमों की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2301/68]

(ग) अभी नहीं ।

Teen Murti House as P. M's Residence

1910. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the time by which the suggestion of the Central Cabinet to convert the Teen Murti

House into the present Prime Minister's residence, which was the residence of the former Prime Minister, will be implemented ;

(b) whether some estimate of expenditure has also been prepared for making it fit for the Prime Minister's residence; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) The implementation of the decision taken by the Cabinet will depend upon availability of a suitable alternative accommodation to locate the Nehru Memorial Museum and Library temporarily, pending construction of a new set of buildings well-suited for the purpose and well-designed to commemorate the memory of late Shri Jawaharlal Nehru.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

Navaketan Co-operative Housing Society, New Delhi

1911. **Shri Bal Raj Madhok :**

Shri Hardayal Devgun :

Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4397 on the 19th August, 1968 and state :

(a) whether information regarding Navaketan Co-operative Housing Society, Jantar Mantar Road, New Delhi has since been collected ; and

(b) if so, when Government propose to lay it on the Table.

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) (a) Yes.

(b) The information has been forwarded to the Department of Parliamentary Affairs on the 21st November, 1968, for laying the same on the Table of the Sabha.

Printing of Forms etc. of State and Reserve Bank in India

1912. **Shri Bal Raj Madhok :**

Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of forms, tenders, contracts, agreements, notifications, administrative reports, advertisements and other forms usually required by the public through the Reserve Bank and the State Bank of India which have been printed in Hindi in August and September, 1968 ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : The State Bank printed in Hindi account opening forms, pay-in-slips and draft/mail transfer/

telegraphic transfer application forms in the months of August-September 1968. Nine advertisements and leaflets were also issued in Hindi during these months. The Reserve Bank did not print in Hindi any of the forms or reports mentioned in the question during these months but instructions have been issued to their offices for printing various forms which are used by the public in their dealings with the bank in English, Hindi and regional language, if it is different from Hindi. Two administrative reports of the Bank were published in Hindi in October, 1968, while an advertisement in Hindi was also issued in July, 1968.

Variations in Rates of Power for Agricultural uses in States

1913. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates of power for Agricultural use vary from State to State; and

(b) whether Government propose to have uniform rate in all the States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Rates for power for agricultural use vary from State to State due to variations in the capital cost of generating plants, in the cost and extent of transmission lines, in cost of labour, in cost of transport facilities, in local taxes and variations in the extent of power development and integrated operation of the Grid. It is the aim of Government to ensure initially that there are uniform tariff rates in each State for each category of consumers and ultimately, on the formation of an all-India Grid, and to the extent possible, uniform tariffs for the country as a whole. Uniform rates for power supply for agricultural use have been progressively adopted so far within the area of supply of each State with the exception of J and K, Madhya Pradesh, Nagaland and Orissa.

करों की बकाया की स्थिति

1914. **श्री हरदयाल देवगुण :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब वर्ष 1967 में उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार सम्भाला था उस समय विभिन्न करों की बकाया की स्थिति क्या थी ;

(ख) इन करों की बकाया राशि की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) आय कर अपवंचन के लिये दण्ड को बढ़ाने से उन्हें कितनी सफलता मिली है और क्या अब तक के परिणामों से वह संतुष्ट हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) आयकर अपवंचन के लिए दण्ड में जो वृद्धि की गई है उससे निकलने वाले परिणामों का अभी से मूल्यांकन समय-पूर्व होगा।

(घ) सवाल ही नहीं उठता ।

गांधी शताब्दी समारोह के लिये स्मृति सिक्के

1915. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांधी शताब्दी समारोहों के उपलक्ष में गांधी जी की स्मृति में सिक्कों के लिये डिजाइन का चयन प्रतियोगिता के बाद किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या चुने गये डिजाइन के लिये किसी को कोई पुरस्कार दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो जारी किये जाने वाले सिक्कों के डिजाइन के चयन के लिये सरकार ने क्या प्रणली अपनायी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जैसा प्रतियोगिता-सम्बन्धी नियमों में सूचित किया गया है, 1000 रुपये का एक पुरस्कार दिया जायगा ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

यूनेस्को के अधिकारी

1916. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय अधिकारी के सहयोग से यूनेस्को के विदेशी अधिकारियों द्वारा टेप रिकार्डर, टाइपराइटर, फोनोग्राम उपकरण और घरेलू सामान, टायर और ट्यूब के गैर कानूनी आयात के मामले में उनको दिये गये साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है कि भारतीय अधिकारी ने अनियमित और भ्रष्ट तरीकों से यूनेस्कों के विदेशी अधिकारियों को कितना प्रोत्साहन दिया अथवा उनकी मदद की ;

(ग) सरकार का दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या पूर्वोपाय करने का विचार है कि यूनेस्को अधिकारी भविष्य में ऐसे कदाचार न कर सकें ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां। यूनेस्को के अधिकृत अधिकारियों द्वारा टेपरिकार्डर, टाइपराइटर, फोनोग्राफ-उपकरण, घरेलू सामान, टायर और ट्यूबों का हस्ताक्षर किये गये छूट-प्रमाणपत्रों पर किया गया था।

(ख) किसी भी भारतीय अधिकारी को यूनेस्को के किसी भी अधिकारी को अनियमित तथा भ्रष्ट तरीकों से प्रोत्साहित/मदद करते नहीं पाया गया।

(ग) तथा (घ). (क) तथा (ख) के उत्तरों को देखते हुए ये सवाल नहीं उठते।

श्री एस० के० पाटिल की विदेश यात्रा

1917. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संसद सदस्य श्री एस० के० पाटिल सितम्बर, 1968 में विदेश गये थे;

(ख) क्या इस यात्रा में उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी गया था;

(ग) उनकी विदेशी यात्रा का प्रयोजन क्या था; और

(घ) उनको कुल कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई थी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) : जी, हां।

(ख) श्री पाटिल ने ऐसी प्रार्थना नहीं की कि उनके साथ जाने के लिये किसी व्यक्ति को यात्रा-सम्बन्धी अनुमति दे दी जाय।

(ग) वे वाशिंगटन के जार्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर, भाषण देने के लिये विदेश गये थे।

(घ) चूंकि उनका खर्च विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले मानदेय से पूरा होना था, इसलिए केवल "पी" फार्म की अनुमति दी गयी थी।

छोटा नागपुर क्षेत्र में उर्वरक कारखाना

1918. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में 'फीडस्टाफ' के रूप में निम्न ग्रेड के कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना लगाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये स्थान का चयन कर दिया गया है; और

(ग) परियोजना पर कितना व्यय होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Excise Duty Concessions to flood Affected People of Gujarat and Rajasthan

1919. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Gevernment have decided to give concessions in excise duty along with other concessions to the flood affected people of Rajasthan and Gujarat ;

(b) if so, the period for which concessions would remain in force ; and

(c) the extent of help rendered as a result of those concessions ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir. Exemption has been allowed from Central Excise and other duties leviable on cotton fabrics (including cotton yarn contents thereof) and woollen fabrics donated for relief work in the States of Rajasthan and Gujarat.

(b) The concessions referred to in (a) above will remain in force upto the 31st December, 1968.

(c) So far as Broada and Delhi Central Excise Collectorates are concerned, 6,902 sq. metres of Medium 'A' category of cotton fabrics have so far been donated for the above purpose by a manufacturer at Porbandar. Information regarding similar donations, if any, from other areas is being gathered and will be laid on the Table of the House.

Family Planning Programme for Armed Forces

1920. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to enforce family planning programme on the Armed Forces as well ; and

(b) if so, on what basis and the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) and (b), Yes. The Family planning programme has been introduced in the Armed Forces on the same basis as for the rest of the country. There is no force, coercion or compulsion for adoption of the programme by any member of the Armed Forces. The programme is based on motivation and Education and voluntary acceptance and practice of the small family norm.

The scheme of family planning was introduced in the Army in 1951 when planned parenthood centres supported from the unit funds were opened. Subsequently, similar centres were established in Military Hospitals having an Out Patient Department for the Armed Forces personnel, their families and the civil population residing in Cantonments/Military Stations. At present 134 such centres are functioning. Necessary staff for execution of the programme and suppervision thereof has been provided.

चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास

1921. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये कितने मकान हैं;

(ख) अब तक केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों को मकान नहीं दिये गये हैं;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने मकान बनाये जायेंगे; और

(घ) अब तक वास्तव में कितने मकान बनाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). इस समय चण्डीगढ़ में केन्द्रीय कर्मचारियों को आवंटन के लिए कोई सामान्य पूल वास नहीं हैं।

(ग) और (घ). चण्डीगढ़ में 132 रिहायशी यूनिटों के निर्माण की मंजूरी दे दी गयी है तथा कार्य चल रहा है। और आगे का निर्माण चरणों में (इन फेजेज) किया जायेगा बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हो जायें। यदि निधियां उपलब्ध हुईं तो चण्डीगढ़ में चौथी योजना के दौरान 520 रिहायशी यूनिटों के बनाने का प्रस्ताव है।

चण्डीगढ़ में परिवार नियोजन का लक्ष्य

1922. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा हो चुका है;

(ख) क्या चण्डीगढ़ के लोग बन्ध्यीकरण आपरेशन कराने के इच्छक नहीं है; और

(ग) यदि नहीं, तो लक्ष्य पूरा होने में क्या रुकावट है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा०श्री चन्द्रशेखर) (क) 1967-68 के दौरान, 1248 लूप पहनाये गये और 307 नसबन्दी आपरेशन किये गये जो चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य के क्रमशः 125.8 प्रतिशत और 61.9 प्रतिशत के बराबर हैं। चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1968 में 268 लूप पहनाये गये और 199 नसबंदी आपरेशन किये गये जो 1968-69 के लिये चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र के लिये आनुपातिक लक्ष्यों के 94.7 प्रतिशत और 43.9 प्रतिशत के बराबर हैं। चालू वर्ष के दौरान प्रचलित गर्भ निरोधक के आनुपातिक लक्ष्य बढ़ा दिये गये हैं।

(ख) और (ग). चण्डीगढ़ के संघीय क्षेत्र में पुरुषों की नसबंदी की अपेक्षा स्त्रियों की नसबन्दी अधिक प्रचलित है तथा पुरुष विशेष रूप से प्रचलित गर्भ-निरोधकों को अधिक पसन्द करते हैं।

जाली करेन्सी छापाखाना

1923. **श्री रा० बरुआ :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने देवगढ़ के बोमपास नगर क्षेत्र में स्थित जाली करेन्सी नोट छापने वाली एक छोटे छापेखाने को पकड़ा था;

(ख) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से करेन्सी नोट भी बरामद हुए थे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय जांच कार्यालय (सेण्ट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन) ने 7 सितम्बर, 1968 को देवगढ़ के बोमपास नगर में एक मकान की तलाशी ली और वहां से ऐसे उपकरण बरामद किये जिनके, जाली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किये जाने का सन्देह है ।

(ख) और (ग). तलाशी के समय उस स्थान पर छः व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

(घ) तलाशी में कुछ जाली नोट पकड़े गये थे ।

पी० एल० 480 निधियों का जमा होना

1924. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 निधियों में अब तक कितनी राशि जमा हो चुकी है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस जमा धनराशि का प्रयोग भारत में राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल न होने पाये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और अमरीकन प्राधिकारियों के साथ क्या करार किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) I. 1956 से 30 सितम्बर, 1968 तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत के हाथ कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं के बेचे जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के नाम रुपया निधि में (जिसे पी०एल० 480 प्रतिरूप निधि कहा जाता है) कुल 2083.26 करोड़ रुपया जमा हुआ ।

II. इस रकम में से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1956 से 30 सितम्बर 1968 तक निम्नलिखित खर्च किया है :

	(करोड़ रुपये में)
(क) भारत सरकार को ऋण :	1128.85

(ख) भारत सरकार को अनुदान :	339.90
(ग) भारत में चलाये जा रहे भारत-अमेरिका के संयुक्त उद्यमों को, भारत सरकार के परामर्श से, कुल ऋण	68.64
(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका का खर्च :	170.82
जोड़ :	1708.21

III. 30 सितम्बर, 1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पी०एल० 480 प्रतिरूप निधि में ऐसी रकम, जिसका वितरण नहीं किया गया था, 375.05 करोड़ रुपया था। यह रकम निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अलग रख दी गयी है :

(क) भारत के आर्थिक विकास की प्रायोजनाओं की वित्त व्यवस्था के लिए भारत सरकार को ऋण :	167.97
(ख) भारत के आर्थिक विकास की प्रायोजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए भारत सरकार को अनुदान :	34.35
(ग) कुल ऋण :	65.68
(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका का खर्च :	107.05
जोड़	375.05

(ख) जिन रकमों का वितरण नहीं किया गया है उनका इस्तेमाल पी० एल० 480 करारों में दिये गये प्रयोजनों के लिए किया जायगा और ये प्रयोजन ऊपर (III) में बताये गये हैं। जब तक इन रकमों की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती तब तक के लिए ये रकमें भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में लगा दी जाती हैं। दोनों सरकारों के बीच पूर्व परामर्श के बाद ही इन रकमों में से वार्षिक खर्च किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी गई वार्षिक वृद्धि

1925. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण रुपये की क्रय शक्ति में 1959 से लेकर अब तक कितनी कमी हुई है;

(ख) रुपये की क्रय शक्ति में इस कमी को देखते हुए सेवा काल के विभिन्न क्रमों में चौथी, तीसरी तथा दूसरी श्रेणी (अराजपत्रित) कर्मचारियों को दी गई वार्षिक वृद्धियों का घटा हुआ वास्तविक मूल्य कितना है; और

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक वृद्धि के क्रमों के पुनरीक्षण के लिए तुरन्त कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं जिससे दक्षतापूर्ण कार्य के लिये कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिल सके ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949=100) में 1959 और अगस्त 1968 के बीच 77.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस सूचकांक द्वारा मापी जाने पर रुपये की क्रय-शक्ति इस अवधि में लगभग 43.7 प्रतिशत घट गई। नौकरी-पेशे के विभिन्न स्तरों पर लगे श्रेणी IV, श्रेणी III और श्रेणी II (अराजपत्रित) के कर्मचारियों की वार्षिक-वेतन-वृद्धि की दरों का मूल्य भी तदनुसार कम हो जायगा।

(ग) इसके कारण ये हैं :

(i) वर्तमान वेतन-मान और वेतन-वृद्धियों की दरें 1-7-59 से निर्धारित की गई थीं और इनमें सामान्य संशोधन तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि अगला वेतन आयोग नियुक्त नहीं कर दिया जाता और उसके द्वारा इनके बारे में विस्तृत विचार नहीं किया जाता।

(ii) जीवन-निर्वाह व्यय में हो रही वृद्धि की पूर्ति केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में समय-समय पर समुचित वृद्धि करके की जा रही है।

(iii) इस समय सभी स्तरों पर वेतन-ढांचे के संशोधन पर रोक लगी हुई है और यह रोक प्रशासनिक व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से लगाई गई है।

जीवन निर्वाह सूचकांक

1926. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1968 से लेकर अब तक प्रत्येक महीने में जीवन निर्वाह सूचकांक कितना था तथा इससे पूर्व के पहले बारह महीनों में से प्रत्येक महीने के अन्त में यह औसतन कितना था;

(ख) 1959 से लेकर अब तक जीवन निर्वाह व्यय में कितनी संचित वृद्धि हुई है जिसका केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को समय-समय पर दिये गये मंहगाई भत्ते में निराकरण नहीं किया गया है; और

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को गिरने से रोकने के लिए उनकी उपलब्धियों में तदर्थ तथा अन्य प्रकार से वृद्धि की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जनवरी, 1968 से जुलाई, 1968 तक की अवधि के लिये अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सामान्य) (1949=100) तथा उसके 12 महीनों के औसत नीचे दिये गये हैं :

	मासिक मूल्य सूचकांक सं०	12 महीनों का औसत
जनवरी, 1968	220	210.50
फरवरी, 1968	217	212.08
मार्च, 1968	213	213.17
अप्रैल, 1968	214	214.17
मई, 1968	212	214.67
जून, 1968	214	214.92
जुलाई, 1968	213	214.92

अगस्त, 1968 से, अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सामान्य) (1949=100) के स्थान पर औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (1960=100) लागू कर दिया गया है। नयी सीरीज में अगस्त तथा सितम्बर 1968 के लिये सूचकांक संख्या क्रमशः 178 तथा 179 थी। नयी (1960) सीरीज से पुरानी (1949) सीरीज में परिवर्तन का सूत्र 100-121.54 है, इसलिये परिवर्तन करने पर ये सूचकांक पुरानी सीरीज के 216 तथा 218 के बराबर होगें तथा पूर्ववर्ती 12 महीनों के लिये 12 महीनों की औसत क्रमशः 215 तथा 215.33 आएगी।

(ख) विभिन्न वेतन खण्डों के कर्मचारियों के लिये 1959 से जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि के निराकरण के प्रतिशत अनुपात तथा वृद्धियों के जिन अंशों का निराकरण नहीं हुआ वे नीचे दिये गये हैं :

वेतन श्रेणी	आज की तारीख तक निराकरण का प्रतिशत अनुपात	जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि का प्रतिशत अनुपात जिसका निराकरण नहीं हुआ
	+	
70-109	88.20	11.80
110-149	77.47	22.53
150-209	70.72	29.28
210-399	60.46	39.54
400-449	34.78	65.22
450-499	31.69	68.31

(+ गजेन्द्रगडकर आयोग ने यद्यपि इस वेतन श्रेणी के लिये 90 प्रतिशत निराकरण की सिफारिश की थी, उन्होंने सूचकांक की 12 महीने की औसत वृद्धि में प्रत्येक 10 सूत्री वृद्धि के लिये दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते की रकम 6 रु० के पूर्णांक में निर्दिष्ट कर दी थी जो वास्तव में 90 प्रतिशत से कुछ ही कम है। इसी वजह से यह थोड़ा अन्तर है।)

आय कर से मुक्त आय की सीमा बढ़ाना

1927. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर से मुक्ति की आय सीमा को बढ़ाने के लिये बूथालिंगम समिति की सिफारिश पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सीमा को बढ़ाने का जैसी कि सिफारिश की गई है, निर्णय नहीं किया, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जी, हां। वित्त विधेयक 1968 के समय इस प्रश्न पर विचार किया गया था। किन्तु यह निर्णय किया गया कि छूट की सीमा बढ़ाना व्यवहार्य नहीं होगा।

(ग) छूट की 4,000 रु० की वर्तमान सीमा हमारे देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग सात गुना है। कर-दाताओं की कुल संख्या हमारी जनसंख्या का केवल ½ प्रतिशत के लगभग है और यदि छूट की सीमा बढ़ा दी जाय, जैसा कि सुझाव दिया गया है, तो यह अनुपात घटकर केवल ¼ प्रतिशत रह जायगा। सरकार का विचार था कि आयकर का आधार इतना व्यापक हो कि अन्ततः लगभग 20-30 प्रतिशत जनता उसके अन्तर्गत आ जाय। चूंकि सरकार द्वारा किये गये विकास-कार्यक्रमों के जरिये प्राप्त आय का एक काफी बड़ा भाग, निम्न आय-वर्ग के लोगों को मिला है, इसलिए छूट की सीमा बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा गया।

Catalysts Prepared by Research and Development Division, Sindri

1928. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of catalysts prepared by the Research and Development Division, Sindri and the foreign exchange saved as a result thereof; and

(b) whether it is a fact that the indigenous catalysts are more durable than the foreign catalysts and the price of the indigenous catalysts comes only 12 per cent of the price of foreign catalysts and if so, the details of the project prepared for exporting catalyststs by producing them on a large scale ?

Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) The number of catalysts developed by the P and D Division of

Fertilizer Corporation of India is 14. The total foreign exchange saved since 1951 to-date is estimated at about Rs. 165 lakhs.

(b) Some indigenous catalysts manufactured and used in the units of Fertilizer Corporation of India and others are reported to have given a better performance under actual operating conditions as compared to imported catalysts. Information regarding the comparative prices of catalysts and their production for export are being collected and will be placed on the Table of the House.

Research and Development Division, Sindri

1929. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the number of private fertilizer and chemical factories to whom the Research and Development Division, Sindri has given advice, cooperation and assistance so far;

(b) whether any assistance has also been given to the Defence establishments; and

(c) whether Government have prepared a scheme for the development of the above Division taking into consideration the heavy chemical programme in the public and private sectors?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah): (a) Planning and Development Division has given advice, assistance and cooperation to about 40 private fertilizer and chemical factories.

(b) Yes, Sir.

(c) The planning and Development Division, which is an arm of the Fertilizer Corporation of India has a programme of Development which is under consideration of the Fertilizer Corporation of India/Government.

Production of Ammonia

1930. **Shri Maharaj Singh Bharati**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards a cheaper process having been introduced in some foreign countries for the production of ammonia at a lower pressure;

(b) whether it is a fact that in case of producing ammonia at low pressure, the wear and tear of machines is less; and

(c) if so, the steps taken to produce ammonia at cheaper rates in this country;

(d) whether 50 per cent of the total cost of power used in such a factory concerns the compressing process alone; and

(e) if so, the steps proposed to be taken to reduce the same?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah): (a) and (b). The use of comparatively lower pressure for synthesis of ammonia enables the adoption of centrifugal compressors and the layout of large plants in single stream. This development coupled with advances in the technology of catalysts and

availability of better materials of construction have all contributed to the lower costs of production in the new generation Ammonia Plants. Problems of maintenance in the centrifugal compressors now being adopted for ammonia synthesis are generally expected to be less than in the reciprocating machines.

(c) Most of the new large plants now under construction, namely Durgapur, Cochin, Barauni, Namrup, (expansion) have adopted these features consistent with local conditions.

(d) and (e). The new generation of ammonia plants based on centrifugal machines use steam, captively available, for driving the large machines and as such require considerably less electric power than the plants using reciprocating machines driven by electric power. These developments are now being adopted in most of our new plants.

Availability of Naphata in World Market

1931. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Naphtha is easily available in the world market and is also expected to be easily available in future;

(b) if so, whether some long term agreements have been made with any country for the supply of Naphtha to those large scale proposed fertilizer factories based on Naphtha;

(c) whether it is a fact that fuel oil can also be used instead of Naphtha in producing fertilizers, if necessary;

(d) if so, whether the country will be self-sufficient in producing fuel oil or will have sufficient surplus of it; and

(e) if the country will have sufficient surplus, the quantity of manure to be produced as a result thereof?

The Mintster of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah): (a) Enquiries about the availability of Naphtha for import have lately been made by the Indian Oil Corporation but it is too early to say what the response will be. The supply position in the world market appears to be somewhat tight at present, but a forecast about the future is difficult to make.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The country is self-sufficient and will continue to be so in producing fuel oil.

(e) No estimate has been made. Surplus of feed-stock is not the only consideration for its automatic choice. Fuel oil will be used as feed-stock to the extent feasible and justifiable on techno-economic consideration.

तेल तथा तेल के उत्पादों का उत्पादन

1932. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में तेल तथा तेल के उत्पादों का कितना उत्पादन होता है और यह

आयात किये जा रहे तेल तथा तेल के उत्पादों की मात्रा के अनुपात में विलग है;

(ख) तेल तथा तेल के उत्पादों के उत्पादन तथा वितरण के कार्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्रिटिश अथवा अमरीकी व्यापारियों की मलकियत में अथवा उन फर्मों के जिनमें वे हिस्सेदार हैं का अनुपात क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में सरकारी क्षेत्र की तुलना में विदेशियों की मलकियत का फर्मों द्वारा कुल उत्पादन तथा आयात का क्या अनुपात होने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जनवरी-जून, 1968 की अवधि में कच्चे तेल और शोधित उत्पादों का देशीय उत्पादन और आयात निम्न प्रकार था :

	देशीय उत्पादन	आयात	अनुपात	
			उत्पादन	आयात
			('00' मीटरी टन)	
(1) कच्चा तेल	2910	5042	1 : 1.73	
(2) शोधित उत्पाद	7366	488	1 : 0.066	

(ख) जनवरी-जून, 1968 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का अंश 49.6% था । इसी अवधि के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों का अंश 47.6% था । जहां तक बिक्री का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र का अंश जनवरी-जून, 1968 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कुल बिक्री का लगभग 42.6% था ।

(ग) 1975 तक पेट्रोलियम उत्पादों का 29.8 मिलियन मीटरी टन उत्पादन हो जाने का अनुमान है । 1975 तक की आयात का अभी कोई निर्धारण नहीं किया है । चौथी योजना के अन्त में सरकारी क्षेत्र तथा विदेशियों की मलकियत की फर्मों के बीच अनुपात का बताना इस समय संभव नहीं है ।

1970-71 के बाद कच्चे तेल के उत्पादन का अनुमान नहीं लगाया गया है । 1970-71 के दौरान कच्चे तेल का कुल 9.48 मिलियन मीटरी टन उत्पादन होने की आशा है और सरकारी क्षेत्र का अंश लगभग 67% होगा । कच्चे तेल का संभावित आयात लगभग 11 मिलियन मीटरी टन होगा ।

उड़ीसा में देहात में विद्युतीकरण कार्यक्रम

1933. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में 1968-69 और आगामी वर्ष में देहातों के विद्युतीकरण का क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1968-69 और 1969-70 के लिये उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड का ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित है जो कि धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है :

	1968-69	1969-70
ग्रामों की संख्या जिनमें बिजली लगाई जानी है।	60	225
सिंचाई पंपों की संख्या जिनको उर्जित किया जाना है।	80	300

नेशनल बिल्डिंग्स कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

1934. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** . क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड कब स्थापित हुई थी; इसके उस समय निदेशक मण्डल के सदस्य कौन-कौन थे और वही निदेशक मण्डल कब तक जारी रहा; और

(ख) वर्तमान निदेशक मण्डल के सदस्यों और कार्पोरेशन के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के नाम क्या हैं उनकी नियुक्ति कब की गयी थी उनकी पदावधि कितनी है और नौकरी की शर्तें क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कम्पनी की स्थापना 1960 में हुई थी।

उस समय ये निदेशक थे :

श्री टी० शिवशंकर　　　　—अध्यक्ष

श्री के० एस० कृष्णास्वामी　　—प्रबन्ध निदेशक

श्री एन० पी० दूबे

श्री पी० सी० भट्टाचार्य

श्री सी० पी० मलिक।

यह मण्डल (बोर्ड) 28 दिसम्बर, 1962 को हुई कम्पनी की द्वितीय वार्षिक साधारण सभा तक कायम रहा।

(ख) वर्तमान निदेशक ये हैं :

श्री एस० प्रसाद　　　　—अध्यक्ष

श्री डी० दत्त —प्रबन्ध निदेशक

श्री करतार सिंह

श्री डी० जे० मदान

श्री महेश्वर दयाल

श्री एस० कृष्ण अय्यर

प्रोफेसर जी० एस० रामास्वामी

श्री पी० टी० मल्ल रेड्डी ।

इस मण्डल (बोर्ड) की नियुक्ति 29 सितम्बर, 1968 को हुई । प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर, अध्यक्ष सहित सारे निदेशक, कम्पनी की अगली वार्षिक साधारण सभा के दिन निवृत्त हो जायेंगे । 29 अप्रैल, 1964 को नियुक्त हुए वर्तमान प्रबन्धक निदेशक, 1 दिसम्बर, 1968 को 58 वर्ष की आयु होने पर निवृत्त हो जायेंगे ।

प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर, अध्यक्ष तथा निदेशक, निदेशक का कार्य-भार के लिए किसी भी वेतन के पात्र नहीं हैं । प्रबन्ध-निदेशक के पद का वेतन-मान 2000-100-2500 रुपये प्रति मास है । गैर सरकारी निदेशकों को निदेशक मण्डल तथा निदेशक समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने पर क्रमशः 50 रुपये तथा 25 रुपये की उपस्थिति शुल्क (सिटिंग फीस) दिया जाता है । श्री कृष्ण अय्यर को जो प्रायः मद्रास में रहते हैं, दिल्ली में बैठक में भाग लेने पर, उन्हें यात्रा भत्ता तथा प्रासंगिक प्रभार दिया जाता है । कम्पनी के नियमों के अनुसार, प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यवाह के रूप में सवारी-भत्ता अथवा कम्पनी की सवारी प्रयोग करने के पात्र हैं । कम्पनी के कार्य के बारे में किए गए दौरे के लिए वह निर्धारित दर पर यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता के भी पात्र हैं ।

नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

1935. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) अनियमितताओं (2) चोरी (3) सामान की कमी (4) आग लगने अथवा इसी प्रकार के अन्य कारणों से नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन को कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) घाटा निम्नांकित है :

(1) अनियमिततायें	कोई नहीं
(2) चोरी	3,092 रुपये
(3) स्टाक में कमी	7,881 रुपये
(4) आग	1,35,930 रुपये
(5) गबन	30,000 रुपये ।

(ख) तथा (ग). चोरी तथा स्टाक में कमी के मामले पुलिस को रिपोर्ट कर दिये गये हैं। पहिले मामले में पूछ-ताछ निष्फल सिद्ध हुई अतएव कोई कार्यवाई नहीं की जा सकी । बाद के मामले की अभी पुलिस तफतीश कर रही है ।

विभाग की तथा पुलिस की जांच-पड़ताल के बावजूद आग लगने के ठीक कारणों को निर्धारित नहीं किया जा सका ।

गबन के मामले से संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है तथा उस पर कानूनी कार्यवाई की जा रही है । इंश्योरकर्ताओं पर फिडलटी गारन्टी इन्श्योरेन्स क्लेम दायर कर दिया गया है ।

नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

1936. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड ने खरीद, ठेकों और बिक्री का काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती (500 रुपये से अधिक मासिक वेतन वाले पदों के लिये) के लिये उपयुक्त नियम बनाये हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सामग्री को संकलित किया जा रहा है तथा ज्योंही वह तय्यार हो जायेगी, सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

1937. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में कार्य सामान्य मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसकी कमियों का पता लगाने और इसके कार्य-संचालन में सुधार लाने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2302/68]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीकी निर्यात-आयात बैंक से ऋण

1938. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी निर्यात-आयात बैंक ने सरकार को अमरीका से उपकरण खरीदने तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिये हाल में 20 मिलियन डालर का ऋण मंजूर किया था ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस ऋण से खरीदे जाने वाले सामान और उपकरणों का ब्योरा क्या है तथा इस ऋण में कितनी राशि सेवाओं के लिए दी जायेगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) यह ऋण 15 वर्ष की अवधि में, जिसमें 3 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है, चुकाया जाना है। इस ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज और $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से वचन-बद्धता-शुल्क दिया जाना है।

(ग) इस ऋण से, मिट्टी हटाने के और निर्माण-सम्बन्धी उपकरणों, खनन और भू-छेदन के उपकरणों आदि जैसे पूंजीगत उपकरण, प्रारम्भिक फालतू पुर्जे और सम्बद्ध सेवाएं तथा रेल के डीजल इंजनों के निर्माण के लिए कुछ मात्रा में संघटक भाग खरीदे जाने की सम्भावना है। इस ऋण से सेवाओं के लिए अदायगी करने के लिए कोई विशेष रकम निर्धारित नहीं की गयी है। लेकिन आशा है कि यह रकम अपेक्षाकृत कम होगी।

पी० एल० 480 निधियां

1939. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में परिचलित मुद्रा कितनी है; पी० एल० 480 निधियों के अन्तर्गत कितनी धन-राशि जमा है ; और पहले आंकड़ों की तुलना में बाद वाले आंकड़ों का अनुपात क्या है ;

(ख) इस धन का उपयोग करने के लिए अमरीका सरकार ने इस वर्ष क्या-क्या योजनाएं प्रस्तुत की हैं ; और

(ग) उन योजनाओं पर क्या निर्णय किये गये हैं, और उन योजनाओं पर पी०एल० 480 की जमा राशि में से कितनी धन-राशि का उपयोग किया जा सकता है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सितम्बर, 1968 के अन्त में, भारत में लगभग 3355 करोड़ रुपये की मुद्रा चलन में थी । उसी तारीख को संयुक्त राज्य अमेरिका की पी० एल० 480 निधि में 375 करोड़ रुपये की रकम थी । इन दो रकमों के अनुपात का कोई महत्व नहीं है क्योंकि पी० एल० 480 निधि की रकम विशेष प्रतिभूतियों में लगा दी जाती है और वह मुद्रा-उपलब्ध का भाग नहीं होती ।

(ख) और (ग). 375 करोड़ रुपये में से 202 करोड़ रुपया भारत सरकार के उपयोग के लिये, 66 करोड़ रुपया कुल ऋणों के लिएऔर 107 करोड़ रुपया संयुक्त राज्य अमेरिका के उपयोग के लिए रखा गया है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अनुसन्धान प्रशिक्षण संस्था देहरादून

1940. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अपनी देहरादून स्थिति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से 10 लाख डालर की सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस संस्था को अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा मिली है ; और

(घ) इस संस्था द्वारा अनुसंधान के कौन-कौन से मुख्य कार्यक्रम चलाये गये तथा चलाये जा रहे हैं और किए गये अनुसंधान की मुख्य-मुख्य क्या बातें हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां । यह सहायता परियोजना के द्वितीय प्रावस्था के लिए दी गई थी ।

(ख) इस सहायता को यु० एन० विशेषज्ञों की सेवाओं, विदेशों से इन्स्ट्रूमेण्ट्स तथा उपकरणों की प्राप्ति और विदेश में व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था पर खर्चे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना था । भारत सरकार को भारतीय व्यक्तियों की सेवाओं, भारत में इन्स्ट्रूमेंण्ट्स, उपकरण और सामग्री की प्राप्ति, भवनों एवं प्रयोगशालाओं के निर्माण के खर्चे को पूरा करने और रूपी-व्यय के सारे मदों को पूरा करने के लिए, 983,000 अमरीकी डालरों के बराबर रुपयों में प्रतिरूप अंशदान करना था ।

(ग) जैसा कि जनवरी, 1963 की पहली और दूसरी प्रावस्थाओं के प्लेन्ज आफ आप्रेशन (Plans of operations) अनुबद्ध है, यू० एन० डिवेल्पमेण्ट प्रोग्राम का अंशदान कुल 1,728,550 अमरीकी डालर था। इस व्यवस्था के मुकाबले में, अगस्त, 1968 तक यू०एन० डिवेल्पमेण्ट प्रोग्राम का वास्तविक खर्च 1,562,289 अमरीकी डालर आंकित है। जनवरी, 1966 से अगस्त, 1968 तक यू० एन० डिवेल्पमेण्ट प्रोग्राम का वास्तविक खर्च 846,442 अमरीकी डालर है।

(घ) अब तक चलाये गये और इस समय चलाये जा रहे मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार हैं :

(i) चुने गये क्षेत्रों में तेल और गैस पूर्वेक्षण के लिए थाला-अध्ययन।

(ii) ड्रिलिंग रेट अध्ययन।

(iii) कुआ लागिंग (Logging) और भूकम्पीय प्रवर्धक पद्धतियों का रूपांकन।

(iv) पेट्रोलियम स्रोत चट्टान अन्वेषण ।

(v) अशोधित तेल सहसंबन्ध।

(vi) तेल-कूप के लिए सीमेण्ट गुणों का सुधार।

(vii) तेल क्षेत्र विकास के लिए टेकनोलोजीकल स्कीमें।

(viii) आयल-रिकवरी की वृद्धि के लिए जल अन्तक्षेप अध्ययन।

ये कार्यक्रम निम्न मदों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं :

(क) अंकलेश्वर, लक्वा और रुद्रसागर तेल क्षेत्रों और कैम्बेगैस क्षेत्रों का सही एवं क्रामिक विकास।

(ख) कलोल क्षेत्र में व्यधन दक्षता का सुधार।

(ग) व्यधन कार्यों के लिए इस्तेमाल किये जा रहे पंकज एंव सीमेण्ट की किस्म का सुधार।

(घ) कैम्बे, कावेरी और गंगा क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज।

(ङ) कई उन्नत शैल रचनाओं के स्रोत शैल लक्षणों का अध्ययन।

(च) लक्वा कच्चे तेल के लक्षणों का पाइपलाइनज द्वारा शोधनशालाओं तक परिवहन के लिये अध्ययन।

D. M. C. Dues Outstanding N. D. M. C. on Account of Electricity

1941. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the New Delhi Municipal Committee has to pay a huge amount in connection with electricity charges to the Delhi Municipal Corporation ;

(b) if so, the amount thereof ;

(c) whether it is also a fact that he has asked the New Delhi Municipal Committee to pay some amounts to the Delhi Municipal Corporation on that account ;

(d) if so, whether it is further a fact that in contravention of his orders, the New Delhi Municipal Committee has not paid that amount to the Delhi Municipal Corporation so far ; and

(e) if so, the action Government is taking against the New Delhi Municipal Committee Authorities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (e) . As indicated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 718 on 16.11.1967 the Central Government took up with the New Delhi Municipal Committee the implementation of the order passed under Section 285 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, determining the rates per Kwh of energy purchased by the New Delhi Municipal Committee from DESU for the period 1958-59 to 1964-65. The New Delhi Municipal Committee represented against the quanta of energy indicated in the order referred to above. It was agreed by DESU and New Delhi Municipal Committee that this matter would be gone into further and that a decision given by the Minister of Irrigation and Power in this regard would be final and binding on both the parties. In the meantime, New Delhi Municipal Committee have made payments to DESU to the extent of Rs. 57 lakhs on a provisional basis pending a decision to be given in the matter.

Assessment of Wealth Tax

1942. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names and addresses of the wealth tax assessees whose wealth is Rs. 25 lakhs or more and the amount of their wealth, separately;

(b) the number out of them whose wealth has enhanced by 20 percent or more over and above the declared wealth ;

(c) whether Government have appointed some experts for correctly evaluating the property of these people ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) . The information is not readily available and is being collected. The same will be laid on the Table of the House as early as possible.

(c) with a view to assist the officers of the Income-tax department in finding out the correct value of assets of assessees, the Government have recently set up a Valuation Cell. For the present, the Cell would undertake valuation of only immovable property. The Income-tax Department would refer to the Cell the question of valuation of immovable property in cases where it is suspected that the assessees have substantially understated the value. The Valuation Cell is manned by officers having engineering qualifications and experience. At present, for valuing jewellery and ornaments, the services of Appraisers from the Customs Department are utilised. It has been decided to have some Appraisers for valuation directly under the Central Board of Direct Taxes, for which steps are being taken.

(d) Does not arise.

केरल में कुट्टनाड में पीने के पानी की कमी

1943. **श्री अदिचन :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में कुट्टनाड की शोचनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है कि जहां पर जल बहुत है और खेतों में पानी भरा रहता है परन्तु वहां पीने का पानी नहीं है और पीने का पानी उपलब्ध करने के केरल सरकार के सभी प्रयत्न विफल हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध करने के उद्देश्य से कोई सहायता देने का प्रस्ताव है, और सरकार की कोई योजना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सहायता न देने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) राज्य सरकार ने बतलाया है कि इस क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान करने के विचार से 1955 से 1967 तक तीस नलकूप लगाये गये। किन्तु क्लोराइड तत्वों तथा कुछ मामलों में लोहा एवं हाइड्रोजन-सल्फाइड के अत्यधिक मात्रा में होने के कारण इन नलकूपों में से 15 बिल्कुल बेकार सिद्ध हो गये। इनमें से केवल कुछ ही नलकूपों से मामूली मात्रा में पीने का पानी प्राप्त हो पाया और इसी स्रोत से ग्राम जलपूर्ति योजनाओं को चलाया गया है जिससे कुल 14,200 की आबादी को पानी मिलता है।

(ख) कुट्टनाड क्षेत्र तथा थिरुवेल्ला और चंगेनाचेरी नगरपालिकाओं में पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 185 लाख रुपये की लागत से एक विस्तृत योजना तैयार की है। केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन ने इस योजना की जांच कर ली है और राज्य सरकार को तकनीकी मंजूरी दी जा रही है। अब इसे क्रियान्वित करना तथा इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है। राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को जलपूर्ति योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता इस प्रकार दी जायेगी :

नगर क्षेत्रों के लिये	100 प्रतिशत ऋण के रूप में
ग्राम क्षेत्र जिनमें 20,000 तक की आबादी वाले कस्बे भी सम्मिलित हैं	50 प्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Investment of Foreign Capital in India

1944. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the statement made by the Chairman of the Indian Investment Centre on the 26th September, 1968 in a Press conference that the foreigners are slowly loosing interest in investing capitals in India ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the steps Government propose to take in order to give incentive to the foreign investors for investing their capital in India ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (**Shri Morarji Desai**): (a) The Chairman of the Indian Investment Centre in the Press conference held on the 26th September, 1968, after the annual General Meeting of the Indian Investment Centre, did not make a statement to the effect that the foreigners were slowly losing interest in investing capital in India. However, while giving a resume of the activities of the Indian Investment Centre during the year 1967-68 on the occasion of the Annual Meeting of the Indian Investment Centre in Bombay on the same day, he stated that judged by the number of foreign collaboration proposals approved by the Government of India during the year, the interest of foreign investors in India had shown a marked decline. He attributed this decline to the decrease in the general pace of investment in the country and to the conditions in the principal capital exporting countries which had imposed certain restrictions on overseas investments as a result of increasing pressures on their balance of payment positions.

(b) and (c). The Government of India is keeping a watch on the situation. It is hoped that with the revival of the economic activity in the country as a result of the increased agricultural production the number of foreign investment/collaboration proposals would go up. In the meanwhile in order to avoid undue delays in the disposal of applications for foreign collaboration and in order to streamline the various procedures, Government have decided that there should be a single agency within Government, to be called the Foreign Investment Board, which will in future be responsible for all matters relating to approvals of foreign private investments and collaborations.

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था और विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

1945. **श्री देवेन सेन :**　　**श्री रामावतार शर्मा :**
श्री रवि राय :　　**श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हिम्मतसिंहका :　　**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री सु० कु० तापड़िया :　　**श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और इससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की 1968 की वार्षिक रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने जिन विकासशील देशों को धन देने का वचन दिया परन्तु अभी तक उनको धन न देने के कारण हुई हानि को कम से कम करने के लिये भारत ने किन उपायों का प्रस्ताव किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था की सहायता में कमी होना आवश्यक है क्योंकि इसके संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2303/68]

(ख) से (घ). अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों की समाप्ति और साधनों की दूसरी पुनः प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता में कमी होना अनिवार्य है । इस स्थिति का सामना करने के लिये, विश्व बैंक ने बैंक द्वारा ऋण दिये जाने, साधनों की पुनः प्राप्ति के लिये अलग-अलग देशों से उनका अंशदान अग्रिम लेकर, उन अंशदानों को काम में लिये जाने आदि जैसे कई उपायों पर विचार किया है । भारत ने सामान्यतः उन विचारों का समर्थन किया है, जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साधनों की औपचारिक रूप से पुनः प्राप्ति होने की प्रतीक्षा किये बिना विकास सम्बन्धी सहायता के दिये जाने में आसानी हो ।

यूनाइटेड प्रोविन्सेस कमर्शियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता

1946. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**

श्री पी० विश्वम्भरन् :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड प्रोविन्सेस कमर्शियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता ने सरकार के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मेसर्स यू० पी० सी० सी० (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता को देय सभी अदायगियां रोक लेने के अतिरिक्त सरकार ने ठेके के विशिष्ट-निष्पादनि के लिये और/या कम्पनी द्वारा ली गई राशि और उसके ब्याज की वसूली के लिए कम्पनी के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में 23 मुकदमें चलाए हैं । सरकार ने कम्पनी के किन्हीं निदेशकों तथा कर्मचारियों और कई सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कलकत्ता के एक न्यायालय में फौजदारी कार्रवाई भी चलाई है ।

राजस्थान में अकाल की स्थिति का अध्ययन

1947. **डा० कर्णी सिंह :**

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अकाल की सबसे बुरी स्थिति तथा लोगों को तुरन्त सहायता देने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने अकाल की स्थिति की जांच करने वाले अध्ययन दल को अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन स्थानों का दौरा किया है, उन्होंने क्या-क्या सिफारिशें की हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो दल के कब तक कार्य शुरू करने की सम्भावना है और उसकी उपपत्तियों पर कब तक कार्यवाही किये जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का दल एक सूखे की स्थिति का जायजा लेने और उस स्थिति को निपटने के सम्बन्ध में आवश्यक धन का अनुमान लगाने के लिए 28 और 30 अक्तूबर 1968 को राजस्थान गया था। इस दल ने जोधपुर, जैसलमेर और बाढ़मेर के जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और जयपुर में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया। दल की रिपोर्ट अभी-अभी प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है। आशा है कि राज्य सरकार को दी जाने वाली कुल सहायता के बारे में जल्दी ही निश्चय कर लिया जायगा। इसी बीच सहायता सम्बन्धी खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये की रकम दे दी गयी है।

Irrigational Land

1948. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to state :

(a) the total irrigational land in the country ;

(b) the land under irrigation out of it ; and

(c) the probable time by which the unirrigated land would be irrigated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The total area that can be provided with irrigation facilities has been assessed as 200 million acres approximately.

(b) By the end of 1967-68, the total irrigation potential available from major, medium and minor schemes (including pre-plan schemes) was about 90 million acres.

(c) It will take at least 20-25 years more to develop the full potential provided sufficient resources could be made available for such schemes.

सड़क कूटने वाले इन्जिनों के लिये यूनाइटेड प्रोविन्सेज कर्माशियल कारपोरेशन को अग्रिम धन देना

1949. **श्री पी० विश्वम्भरन् :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक ने सड़क कूटने वाले इंजिनों के निरीक्षण का प्रमाण मिलने पर यूनाइटेड प्रोविन्सेज कार्माशियल कारपोरेशन को 90 प्रतिशत अग्रिम धन देने की प्रार्थना को छः बार अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा सातवीं बार प्रार्थना स्वीकार की जाने की परिस्थितियों की जांच की है और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो से, जो इस मामले की जांच कर रहा है, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है।

मंत्रियों के निवास स्थानों के बिजली तथा पानी के बिल

1950. **श्री पी० विश्वम्भरन्** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3585 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 के लिये मंत्रियों के निवास स्थानों में बिजली तथा पानी के खर्च के बिल सम्बन्धित मंत्रियों को भेज दिये गये हैं ;

(ख) कितने मंत्रियों ने 2400 रुपये से अधिक राशि के बिलों की अदायगी की है ; और

(ग) किन मंत्रियों ने अभी तक उनके द्वारा देय अधिक राशि का भुगतान नहीं किया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Defects in Russian Turbine Runners at Bhakra Dam

1951. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Narendra Kumar Salve :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Russian turbine runners at Bhakra Dam have been found to be defective resulting in frequent power break-downs and the Bhakra Management has asked for their replacements :

(b) if so, the cost thereof and action taken by Government to replace them ; and

(c) who will compensate the resultant loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad (a) Noticeable cavitation in two runners of the Right Bank Power House was observed after some months of their operation. A few cracks were also noticed on some blades. No breakdowns in power supply have however occurred on this account.

(b) and (c). The suppliers have since agreed to provide at their cost the specialists and the necessary materials for the repair work. They have also agreed to give a spare runner free of cost.

Turbine Runners in Gandhi Sagar Dam

1952. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Narendra Kumar Salve :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the country from which the turbine runners for the Gandhi Sagar Dam in Kotah, Rajasthan were indented ;

(b) whether they are working satisfactorily ; and

(c) if not, the action taken to replace them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) Turbines for the first three sets at Gandhi Sagar Dam in Madhya Pradesh were obtained from West Germany and the fourth and fifth sets from Japan.

(b) Yes ; Sir.

(c) Does not arise.

Reduction in Power Supply to States by Bhakra Management Board

1953. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Shri Prem Chand Verma :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bhakra Management Board is likely to reduce heavily the supply of electricity to Punjab, Haryana, Chandigarh and Rajasthan from December, 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the measures adopted by Government to face the crisis which would arise as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The Bhakra Nangal Complex will be able to meet the committed firm power. However the demand is likely to exceed the available firm capacity.

(c) Some of the measures proposed for augmenting existing firm Power of Bhakra Nangal system include reduction of Bhakra Supply to Delhi Electric Supply Undertaking,

injection of Thermal Power from Inderaprastha Station (DESU) into the Bhakra Grid, running of Thermal Units at Faridabad, Talwara and Nangal, etc.

Handing Over of Delhi Kotwali to S. G. P. C.

1954. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri Sitaram Kesri** :
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri K. Lakkappa** :
Shri Prakash Vir Shastri : **Shri Kanwar Lal Gupta** :
Shri Ram Avtar Sharma : **Srhi Prem Chand Verma** :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had made an announcement to hand over the building of Kotwali situated at Chandni Chowk in Delhi to the Delhi Gurdwara Managing Committee on the 2nd October, 1968 but this building was not handed over to them on that date ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the price demanded for this building and the basis therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) The Committee was not ready to pay the amount demanded by the Delhi Administration before 2nd October, 1968 and so the handing over did not take place.

(c) Rs. 16.35 lakhs, being the estimated cost of construction of a new building, is to be paid by the Committee. Out of this, Rs. 10 lakhs has already been paid.

Sales Tax in Uttar Pradesh

1955. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the region-wise and district-wise names, addresses and number of traders who are in possession of certificates issued by the Sales Tax Department of Uttar Pradesh ; and

(b) the amount received from each of the traders as sales tax up to the dates during 1966-67 and the amount which remanded in arrears and the action taken to recover it ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). A statement giving information about range-wise number of dealers who are registered under local sales tax and Central Sales Tax in the State of Uttar Pradesh, collection of sales tax in 1966-67 and arrears of sales tax as on the 31st March, 1967 in each of such ranges, is annexed. **[Placed in Library. See No. LT-2304/68].** Measures taken by the State Government for expeditious realisation of sales tax arrears are also indicated in the statement.

It is not possible to compile statistics regarding names and addresses of every dealer who has been registered by the Sales Tax Department in Uttar Pradesh, the amount of tax received and the amount of tax in arrears from each such dealer up to 1966-67, without entailing disproportionate time and labour.

Investigation into Complaints of Farmers Against Electricity Department, U. P.

1956. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3640 on the 12th August, 1968 and state:

(a) the reasons for which an account of complaints was not maintained, District-wise, by the Uttar Pradesh State Electricity Board ;

(b) whether the investigation of pending 125 complaints has since been completed by the Board and if so, the details thereof;

(c) the reasons for which the charges could not be proved in the 75 cases of complaints the investigation into which has already been completed ;

(d) whether Government propose to lay a copy of each of those general complaints on the Table ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The U. P. State Electricity Board have reported that previous to the posting of a Special Officer in the Chief Engineer's office, only a consolidated list of complaints was being maintained. After the posting of a Special Officer, the complaints were categorised district-wise. District-wise break-up of the complaints was furnished in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 3640 on the 12th August, 1968.

(b) Investigations in 51 of the pending 125 complaints have since been completed. Out of the 200 complaints referred to in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 3640 on 12th August, 1968, investigations have been completed in 126 cases. Of these, in 113 cases, it is reported that the complaints were found baseless and in the remaining 13 cases, disciplinary action has been taken against one gazetted officer and 7 non-gazetted staff, three non-gazetted staff have been transferred, the services of two non-gazetted staff have been terminated and in one case, a non-gazetted officer has been reverted. District-wise break-up of investigations finalised and pending is given in the statement attached. [**Placed in Library. See No. LT-2305/68**].

(c) It is reported that a thorough enquiry was conducted into every case of complaint and action taken on the basis of the enquiry report. It is also reported that the complaints are filed if they are found to be of general nature, that is not specific or which are baseless or not supported by documentary or reliable evidence.

(d) and (e). Investigations are still pending in 74 cases. It is not proposed to lay a copy of the complaints on the Table of the House, as these concern the day-to-day administration of the State Electricity Board which is an autonomous body.

Licences For Kerosene Oil in the Name of M/s Radha Krishan Bimal Kumar

1957. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5681 on the 26th August, 1968 and state :

(a) whether the requisite information regarding licences for kerosene oil in the name

of M/s. Radha Krishan Bimal Kumar has since been collected ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir.

(b) The firm is operating as kerosene dealer of the IOC at 24 other locations in the country namely, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Sultanpur, Ghazipur, Goshainganj, Tanda, Robertsganj, Ahraura Road; Kasia, Ghaziabad, Gorakhpur, Ghughli, Padrauna, Khalilabad, Basti, Delhi, Faizabad, Aligarh, Akbarpur, Shajahanpur, Calcutta, Habra and Sibpore. These licences were issued by the local Civil Authorities.

(c) Does not arise.

Inaugural Ceremony of Gorakhpur Fertilizer Factory

1958. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 538 on the 19th August, 1968 and state :

(a) whether the requisite information regarding inaugural ceremony of the Gorakhpur Fertilizer Factory has since been collected ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) and (b). No, Sir. The details are still being collected.

(c) The delay is due to the fact that information required is to be collected from all the Departments of Government of India and also from the State Government Agencies and the Fertilizer Corporation of India. Major part of the information has already been received and the rest is expected to be received shortly. Complete details will be placed on the Table of the Sabha while fulfilling the assurance given to Question No. 538 on 19-8-1968.

नदी जल विवाद

1959. **श्री क० हाल्दर** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निलम्बित अन्तर्राज्यीय जल विवादों को संबंधित राज्यों की आपसी बातचीत द्वारा समझौता करने के सभी प्रयत्न अब तक विफल सिद्ध हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इरादा इन विवादों को मध्यस्थ निर्णय को सौंपने का है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). कई अन्तर्राज्यीय जल विवादों पर बातचीत द्वारा समझौता हो चुका है और केवल तीन बड़ी नदियां—

कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा—ही ऐसी हैं जिनसे सम्बद्ध विवादों का निपटारा होना रह गया है। कृष्णा और गोदावरी के संबंध में न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। नर्मदा जल-विवाद के सम्बन्ध में ऐसा विचार है कि न्याय-निर्णय कराने से पूर्व मैत्रीपूर्वक समझौता कराने के लिये और प्रयास किये जाने चाहिए।

सावधि जीवन बीमा

1960. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सावधि पालिसी (जीवन) पर चक्रवृद्धि ब्याज से कितना प्रतिफल निकलता है;

(ख) यदि इस कम प्रतिशतता का सम्बन्ध मृत्यु के कारण समय से पहले भुगतान से है तो यह भुगतान पिछले वर्ष जीवन बीमा निगम की पालिसियों पर किये गये अन्य कुल भुगतान का कितने प्रतिशत है; और

(ग) ऐसी पालिसियों पर भुगतान की तिथि आने पर भुगतान करने में मुद्रा स्फीति से सम्बद्ध उत्तरोत्तर कम होने के मान लागू न करने के जैसे कि कुछ देशों में है, क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बैंकिंग लेनदेन से भिन्न, बीमा पालिसी पर ब्याज प्राप्ति का आधार वह समय है, जबकि पालिसी वास्तव में एक दावा बन जाती है। मृत्यु के कारण किये जाने वाले दावे को पहले से ही नहीं जाना जा सकता है।

(ख) 1967-68 में अन्य दावों की तुलना में मृत्यु के कारण किए गये दावों का प्रतिशत 35 था।

(ग) निगम के लिए ऐसी विशिष्ट योजनाएं जारी करना संभव नहीं है जिनमें लाभों को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ सम्बद्ध कर दिया जाता है। इसका पहला कारण तो है; निगम की निवेश-नीति पर सांविधिक प्रतिबन्ध, और दूसरा है बीमा व्यापार करने वाली एकाधिकार-प्राप्त शक्ति एक सांविधिक निकाय के रूप में निगम का विशेष स्थान।

सेवाओं में सिलेक्शन ग्रेड बनाना

1961. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतियोगात्मक कार्यकुशलता के बदले में तथा पदोन्नति के आधार के रूप में सेवा की सभी श्रेणियों में सिलेक्शन ग्रेड बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या वैसे सिलेक्शन ग्रेड लागू करने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये तथा क्या केन्द्रीय सरकार को अतिरिक्त खर्च करने के लिये सहमत नहीं होना चाहिये; और

(ग) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग के साथ सलाह करने का तथा ऐसे सिलेक्शन ग्रेडों की जांच करने का काम प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंपने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

मकान बनाने के लिये ऋण

1962. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी संस्थाएं मूल योजना के अनुसार 7 लाख 50 हजार मकान बनाने के लिये दीर्घ अवधि के लिये वित्त देने की स्थिति में हैं; और

(ख) यदि ऐसी कोई संस्था नहीं है तो मकान बनाने के लिये अग्रिम धन देने के हेतु रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंकों को दीर्घ अवधि के लिये वित्त न देने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जीवन बीमा निगम आवासन योजनाओं के लिए अग्रिमों के रूप में काफी रकम देता है । विभिन्न सरकारी विभाग आवासन बोर्ड, सरकारी उपक्रम और स्थानीय निकाय आदि मकानों की व्यवस्था करते हैं ।

(ख) रिजर्व बैंक अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक मकान बनाने के लिए बैंकों को लम्बी अवधि के ऋण नहीं दे सकता ।

Foreign Tour of M. Ps. in 1968

1963. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of Members of Parliament who toured foreign countries between the 18th January, 1968 and the 30th September, 1968 ;

(b) the number of Members of Parliament who were sent by Government as members of some delegations and the amount spent on them; and

(c) whether Government propose to lay a statement showing the details in regard to the amount of foreign exchange sanctioned in individual Members and the figures of the total amount of foreign exchange spent during the said period on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) 'P' form approval and/or release of foreign exchange was authorised in favour of 78 Members of Parliament.

(b) 6 Members of Parliament were included in Government delegations during this period. The actual expenditure incurred on this account is being ascertained and will be laid on the Table of the House.

(c) The total foreign exchange sanctioned during the period in favour of Members of Parliament amounted to Rs. 1.75 lakhs. In addition, daily allowance at prescribed scales was sanctioned to the 6 Members referred to in (b) above. Since the release of foreign exchange

is invariably made in accordance with the prescribed scales, no useful purpose will be served by compiling a comprehensive statement giving details in respect of all the Members individually. If, however, information is desired in respect of any particular Member or Members, this could be furnished.

N. B.—It may please be noted that the above information is on the basis of approvals given and sanctions issued and is not based on the actual travel particulars of individual Members.

Taking Over of Indian Banks in Pakistan

1964. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Pakistan Government have taken full possession of the properties of five Indian Banks;

(b) if so, the names of the banks concerned and the amount of deposits in each bank; and

(c) the rule under which the said possession has been taken and the action taken by Government in the matter?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) 17 Indian Banks which were functioning in Pakistan on the 8th September, 1965 were taken over by the Custodian of Enemy Property for Pakistan.

(b)

	(Rs. Lakhs)
State Bank of India	507.22
Bank of India	145.94
Bank of Baroda	51.09
Central Bank of India	617.97
Commercial Bank of India	0.05
Hindustan Commercial Bank	1.16
Lakshmi Commercial Bank	0.15
National Bank of Lahore	1.18
New Bank of India	1.25
Oriental Bank of Commerce	2.51
Punjab National Bank	10.72
Punjab Co-operative Bank	0.18
Punjab and Sind Bank	0.10
Traders Bank	2.16
United Commercial Bank	35.41
United Bank of India	377.64
United Industrial Bank	6.13
	1,760.86

(c) The Banks were taken over under Rule 182 of the Defence of Pakistan Rules. Government have sent several protest notes to the Government of Pakistan in this regard and have urged them to agree to the mutual restoration of properties seized by either country in accordance with the Tashkent Agreement.

कूड़े से भवन निर्माण का सामान बनाना

1965. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि टोकियो की एक जापानी सार्थ मैसर्स टेडूकों फोसन कम्पनी ने हाल ही में एक नयी खोज की है जिसके द्वारा कूड़े से भवन निर्माण का सामान बनाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली जैसे बड़े नगरों की कूड़े की समस्या को हल करने के लिये यदि इस नयी खोज का ब्यौरा जानने के लिये कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जापान में भारतीय राजदूतावास तथा नई दिल्ली में जापान राजदूतावास को तकनीकी तथा अन्य ब्यौरे के लिए लिखा गया है।

बीमारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को बारी से पहले क्वार्टरों का आवंटन

1966. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने जुलाई से अक्तूबर, 1968 के बीच की अवधि में बारी से पहले मकानों के आवेदन के लिये इस आधार पर प्रार्थना की थी कि वे स्वयं क्षयरोग से पीड़ित हैं;

(ख) इस आधार पर कितने प्रार्थनापत्र स्वीकार किये गये और शेष प्रार्थनापत्रों के स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रार्थियों में से कितने सरकारी कर्मचारियों को वास्तव में क्वार्टर दिये गये हैं; और

(घ) शेष प्रार्थियों को कब तक मकान दिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पांच।

(ख) बहुत से सरकारी कर्मचारी जिन्हें चिकित्सा आधार पर बिना बारी का आवंटन स्वीकृत किया गया है, वह आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस बात को देखते हुए 31 दिसम्बर, 1968 तक किसी भी प्रार्थना पर विचार न करने का प्रतिबन्ध अस्थाई तौर पर लगा दिया गया है। इस प्रतिबन्ध के हटने पर, इन पांचों मामलों पर विचार किया जायगा।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली में भौतिक चिकित्सा तथा व्यवसायिक चिकित्सा विभाग

1967. **डा० रानेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंगडन अस्पताल नई दिल्ली में भौतिक चिकित्सा तथा व्यवसायिक चिकित्सा विभाग खोले गये हैं जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में रोगी आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों की भर्ती करके तथा नये भर्ती हुए व्यक्तियों को जो रोगियों की बढ़ती हुई संख्या का उपचार करेंगे प्रशिक्षित करके विभाग के विस्तार की कोई योजना बनायी गई है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मोटी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका से ऋण

1968. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अब तक अमरीका से कुल कितना ऋण लिया है;

(ख) इन ऋणों पर व्याज की दर क्या है;

(ग) इन ऋणों को लौटाने के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि का भुगतान होता है;

(घ) अमरीका को व्याज तथा मूल के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है, और

(ङ) सरकार का शेष राशि का किस प्रकार भुगतान करने का विचार है और कुल राशि के भुगतान में कितना समय लगेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 अगस्त, 1968 को पी० एल० 480 रुपया ऋणों समेत, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुए ऋणों की (जिसके सम्बन्ध में करार किये जा चुके हैं) कुल रकम 4157.84 करोड़ रुपया थी । इस रकम में से 2217.24 करोड़ रुपये का भुगतान डालरों में और 1940.60 करोड़ रुपये का भुगतान रुपयों में किया जाना है ।

(ख) प्रत्येक ऋण के ब्याज की दर अलग-अलग है और यह 3/4 प्रतिशत वार्षिक से 6 प्रतिशत वार्षिक के बीच होती है।

(ग) वर्तमान अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष में और अगले दो वर्षों में मूलधन और ब्याज के रूप में जो रकमें अदा करनी होंगी, उनका व्योरा इस प्रकार है :

वर्ष		**मूलधन**		**ब्याज**
		डालरों में देय		**डालरों में देय**
	जोड़	**रकम**	**जोड़**	**रकम**
1968-69	64.60	37.18	68.30	24.90
1969-70	69.83	40.80	70.14	26.98
1970-71	68.57	38.15	67.83	25.08

(घ) 31 अगस्त, 1968 तक संयुक्त राज्य अमेरिका को मूलधन के रूप में 274.13 करोड़ रुपया और ब्याज के रूप में 279.98 करोड़ रुपया अर्थात् कुल मिलाकर 554.11 करोड़ रुपया वापस किया गया। इसमें से मूलधन के रूप में 128.68 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 98.72 करोड़ रुपये अर्थात् कुल मिलाकर 227.40 करोड़ रुपये की रकम डालरों में अदा की गयी है।

(ङ) मूलधन और व्याज सम्बन्धी जिन देनदारियों का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना है, वे निर्यात द्वारा कमायी गयी विदेशी मुद्रा से चुकायी जायंगी और रुपयों में वापस किये जाने वाले ऋणों की रकम देश के रुपया-साधनों से चुकायी जायगी। इन ऋणों की वापसी सन 2008 तक पूरी हो जायगी।

श्री सैलम जल विद्युत परियोजना

1969. **श्री पें० वेंकटा सुब्बय्या** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीसैलम जल-विद्युत परियोजना की पूर्ति का काम समयानुसार चल रहा है;

(ख) इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए दी गई नवीनतम वित्तीय सहायता की राशि कितनी है;

(ग) जलमग्न क्षेत्र के प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) परियोजना पर कार्य की प्रगति में कुछ देरी हो गई है।

(ख) और (घ). श्रीशैलम् पनबिजली परियोजना को कोई पृथक-रक्षित केन्द्रीय ऋण सहायता नहीं मिल रही है ।

(ग) यद्यपि परियोजना से पहली से चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्रामों के जल-मग्न होने की कोई संभावना तो नहीं है, तथापि राज्य अधिकारियों ने विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को चुनने की कार्रवाई आरम्भ कर दी है ।

मैसर्स रयूमा सर्विसिज के भागीदारों द्वारा आय-कर का भुगतान

1970. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलैम्बिक कैमिकल वर्क्स कम्पनी लिमिटेड, बड़ौदा के मैनेजिंग एजेंट मैसर्स रयूमा सर्विसेज, के भागीदारों श्री आर० डी० अमीन, श्री सी० आर० अमीन; कुमारी एस० आर० अमीन तथा श्रीमती सी० बी० अमीन की वर्ष 1964-65, 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 की कुल निर्धारित आय कितनी थी;

(ख) प्रत्येक भागीदार द्वारा वर्ष 1964-65 से 1967-68 तक के लिये, वर्ष वार, देय आय-कर कितना था;

(ग) प्रत्येक भागीदार ने, वर्ष वार, वास्तव में कुल कितना कर दिया है और 31 मार्च, 1968 तक कुल कितनी राशि बकाया थी;

(घ) क्या मैसर्स रयूमा सर्विसिज के प्रत्येक भागीदार की निर्धारित आय में मैनेजिंग एजेंसी के लिये पारितोषिक सहित सभी आय शामिल की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). मैसर्स रयूमा सर्विसेज के भागीदार श्री आर० बी० अमीन, श्रीमती सी० बी० अमीन तथा श्री सी० आर० अमीन के संबंध में मांगी गयी सूचना अनुबन्ध में दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2306/68]

कुमारी एस० आर० अमीन मेसर्स रयूमा सर्विसेज में भागीदार नहीं हैं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

1971. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में अब तक औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में रुपयों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई; और

(ख) कुल विनियोजन में से (एक) औद्योगिक सार्थों (दो) गृह-निर्माण तथा (तीन) अन्य कार्यों में कितना विनियोजन किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) प्रत्येक राज्य/संघीय राज्य-क्षेत्र में 31 मार्च, 1968 को जीवन बीमा निगम के निवेश इस प्रकार हैं :

(लाख रुपयों में)

(1)	(2)	(3)
राज्य/संघीयराज्य क्षेत्र	**औद्योगिक**	**गैर-औद्योगिक**
आंध्र	3,97.56	51,05.65
असम	8,06.63	13,92.27
बिहार	19,14.96	30,46.54
दिल्ली	4,52.50	1,25.73
गुजरात	16,44.78	41,46.29
हरयाना	79.30	4,26.41
हिमाचल प्रदेश	20.69	6.67
जम्मू और कश्मीर	—	91.94
केरल	3,78.11	20,94.59
मध्य प्रदेश	5,05.15	21,07.34
मद्रास	15,33.09	56,63.69
महाराष्ट्र	69,90.68	85,41.98
मैसूर	4,46.73	40,10.18
उड़ीसा	2,78.16	32,61.32
पांडिचेरी	—	3.88
पंजाब	39.48	20,63.37
राजस्थान	96.58	30,54.52
उत्तर प्रदेश	6,65.18	49,21.60
पश्चिम बंगाल	57,60.61	29,47.53
जोड़	220,10.19	530,11.50

(ख) औद्योगिक संस्थाओं, भवन निर्माण तथा अन्य में 31 मार्च, 1968 को जीवन बीमा निगम के निवेशों का हिस्सा इस प्रकार है :

	(रकम करोड़ रुपयों में)	प्रतिशत
I. औद्योगिक संस्थाएं	220.16	19.70

II. भवन-निर्माण		
(क) सरकारों को	94.47	11.86
(ख) सहकारी संस्थाओं को	38.11	
III. अन्य	765.07	68.44
जोड़	1117.81	100.00

कानपुर उर्वरक परियोजना

1972. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर उर्वरक परियोजना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसे कब चालू किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उसके निर्माण पर कुल कितनी लागत होगी और प्रति वर्ष कितना उत्पादन होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) (क) और (ख). परियोजना का निर्माण कार्य अब तक कार्यक्रम के अनुसार है किन्तु देशीय उपकरण की प्राप्ति में देरी कठिनाई का हेतु है। परिचालन कार्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया गया है और परियोजना के अप्रैल, 1970 तक उत्पादन शुरु कर देने की सम्भावना है।

(ग) परियोजना पर लगभग 61.86 करोड़ रुपये की कुल लागत अनुमानित है। परियोजना की नाइट्रोजन के रूप में प्रतिवर्ष 200,000 टन क्षमता होगी।

मैसर्स रैमिंगटन रैण्ड आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को विदेशी मुद्रा

1974. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या **वित्त** मंत्री मैसर्स रेमिंगटन रैण्ड आफ इण्डिया के सम्बन्ध में 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3658 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मेसर्स रेमिंगटन रैण्ड आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड

	रु०
(I) पिछले पांच वर्षों, अर्थात्, 13-8-63 से 12-8-1968 में निर्धारित आयकर की रकम	168.69 लाख
(II) पिछले पांच वर्षों, अर्थात, 13-8-63 से 12-8-1968 में वसूल की गई आयकर की रकम	218.95 लाख (इसमें अग्रिम कर, अधिलाभ कर, अतिकर और स्वयं/अनन्तिम निर्धारण के आधार पर दिये गये कर की अदायगी शामिल है।)
(III) इस कम्पनी द्वारा इस समय देय विवाद-रहित आयकर की रकम तथा उसकी वसूली के लिए की गई कार्यवाही	कुछ नहीं

सरकारी कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

1975. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अगस्त, 1968 को विभिन्न मंत्रालयों/सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) 1 जनवरी से 31 अगस्त, 1968 तक की अवधि में प्रत्येक मंत्रालय/कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी राशि दी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) तथा (ख). मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। फिर भी, 31 मार्च, 1966 को विभिन्न मंत्रालयों/कार्यालयों में श्रेणी I, II, III, तथा IV में सेवारत कर्मचारियों की संख्या से सम्बन्धित सूचना तत्काल

उपलब्ध है, जो इस प्रकार हैं :

श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV
19,942	38,119	11,91,265	12,52,852

इनके अतिरिक्त, 10,533 ऐसे अन्य कर्मचारी भी थे जिनकी श्रेणी सम्बन्धी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

31 मार्च, 1968 से समाप्त होने वाली छमाही के दौरान मुख्य सचिवालय के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने कर्मचारि वर्ग को दिये गये समयोपरि भत्ते की रकम 24,30, 764 रुपये है ।

श्री कान्तिलाल देसाई की आय का निर्धारण

1976. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री कान्तिलाल देसाई को मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये कोई काम किये बिना 8 जुलाई, 1965 से जून, 1968 के तीन वर्षों में समापन लाभ (टर्मिनल बेनीफिट) के रूप में मिले 73,800 रुपयों को 'अर्जित आय' माना गया था अथवा अनुपार्जित आय;

(ख) यदि उसे अनुपार्जित आय नहीं माना गया है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या श्री कान्तिलाल देसाई की सम्बन्धित वर्षों की कर निर्धारण की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) वर्ष 1967-68 (लेखा वर्ष 1966-67) का कर-निर्धारण अभी होना है। लेखा वर्ष 1965-66 (कर निर्धारण वर्ष 1966-67) के दौरान डौडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड से समापन लाभ (टर्मिनल बेनिफिट्स) के तौर पर प्राप्त 24,600 रुपये की रकम पर कर निर्धारण अर्जित आय के रूप में किया गया है ।

(ख) कारण यह है कि पेंशन, वार्षिकी, उपदान आदि जो कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 15 के अन्तर्गत कर-निर्धारण योग्य होते हैं, उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आय समझा जाता है ।

(ग) तथा (घ). जहां तक कि पता लगाया जा सका है, पहले कभी ऐसा अवसर नहीं आया जबकि आयकर, धनकर या अन्य किसी प्रत्यक्ष कर विषयक कर-निर्धारण आदेश की कोई प्रति लोक सभा या राज्य सभा की मेज पर रखी गई है। 1-4-1964 से पहले आयकर अधिनियम तथा अन्य प्रत्यक्षकर अधिनियमों में ऐसा उपबन्ध था जिसके अनुसार विशिष्ट मामलों तथा परिस्थियों अथवा नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक जैसे विशिष्ट प्राधिकारियों को छोड़ किसी भी कर प्राधिकारी को आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष-करों, विवरणियों, कर निर्धारणों आदि से सम्बन्धित किसी भी सूचना को प्रकट करने की मनाही थी ।

2. वित्त अधिनियम 1964 के द्वारा आयकर, धनकर तथा दान-कर अधिनियमों से गोपनीयता-विषयक ये उपबन्ध निकाल दिये गये। इसके साथ-साथ वित्त अधिनियम 1964 द्वारा उस सूचना तथा उन परिस्थितियों का क्षेत्र और व्यापक कर दिया गया जहां तक कि और जिनमें कि यह सूचनाएं प्रकट की जा सकती थीं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138(1)(ख) द्वारा मौजूदा उपबन्ध के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, किसी भी निर्धारिती तथा किसी भी कर-निर्धारण के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए, निर्धारित फार्म में, आयकर आयुक्त को अर्जी दे सकता है, और वह आयुक्त कर निर्धारण के केवल उन्हीं मामलों के सम्बन्ध में सूचना दे या दिलवा सकता है जिनमें वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में होगा। इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि इस सम्बन्ध में आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

3. उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि कोई भी व्यक्ति किसी भी कर निर्धारण के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का हकदार है किन्तु इस उपबन्ध से परिकल्पना यही है कि अर्जी में निर्दिष्ट केवल विशेष मुद्दों से सम्बन्धित सूचना ही प्रकट की जाय और वह भी तब, जबकि आयकर आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा करना जनहित में है। इसके अनुसार कर-निर्धारण आदेशों, विवरणियों आदि की प्रतियां देने की व्यवस्था नहीं है।

4. यह एक आवश्यक और अच्छा उपबन्ध है अन्यथा कर-निर्धारण आदेश में निहित सूचना को निजी और व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक कर-निर्धारण आदेश में ऐसे विवरण और अभिमत भी समाविष्ट हो सकते हैं जिनके प्रसंग से अलग कर दिये जाने से कर-निर्धारिती की साख तथा उसकी व्यापारिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कर-निर्धारण आदेश विधि सम्मत विभिन्न अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा अपील अथवा पुनरीक्षण किये जाने पर तथा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी परिशोधित या रद्द तक भी किया जा सकता है। इसलिए एक कर-निर्धारण आदेश में निहित निष्कर्ष तब तक अन्तिम नहीं होते जब तक वे इन सब अपीलीय अवस्थाओं में से गुजर नहीं जाते।

5. इसलिए संसद ने सूचना प्रकट करने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138 (1) (ख) में तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तदनुरूपी उपबन्धों द्वारा सोच-समझ कर तथा जानबूझ कर ये पाबन्दियां लगाई हैं। ये पाबन्दियां वैध एवं औचित्यपूर्ण आधारों पर लगाई गई हैं और सरकार को उनका ध्यान रखना पड़ता है। विधि के उपबन्धों के अन्तर्गत आयकर आयुक्त को भेजी गई अर्जी के जरिये प्राप्त न हो सकने वाली सूचना और कागजात संसद में पूछे गये किसी प्रश्न के उत्तर के माध्यम से भी सरकार द्वारा सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं किए जाने चाहिए।

6. उपर्युक्त स्थिति के प्रकाश में सरकार के मत से किसी कर-दाता के कर-निर्धारण आदेशों तथा आयकर के रिकार्ड से अन्य कागजातों की प्रतियों को सभा की मेज पर रखना ठीक न होगा।

7. फिर भी इस खास मामले में किसी भी प्रकार की गलतफहमी की संभावना को दूर करने की गरज से श्री कान्तिलाल एम० देसाई के सम्बन्ध में, मैं लेखा वर्ष 1965-66 की उनकी आय के बारे में कर निर्धारण वर्ष 1966-67 से सम्बन्धित कर-निर्धारण आदेश की एक प्रति सभा की मेज पर रख रहा हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2307/68] इस मामले में इससे बाद के वर्षों का कर-निर्धारण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस विशेष मामले में कर-निर्धारण आदेश की एक प्रति सभा की मेज पर रखना भविष्य के लिए नजीर न बनाया जाय।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था

1977. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के पास धन की कमी हो जाने के कारण उसने 1967-68 के लिये भारत को औद्योगिक परियोजना के लिये ऋण का अपना वचन पूरा नहीं किया;

(ख) अमरीकी सरकार द्वारा कितनी कमी पूरी की जानी है और उसके कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है;

(ग) भारत सरकार का वित्तीय कमी वाले वर्ष की कमी किस प्रकार पूरी करने का विचार है;

(घ) पिछले दो वर्ष में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से कितना धन प्राप्त हुआ था; और

(ङ) उनके द्वारा आशायें बंधवाने तथा अमरीका के उनके हाल ही के दौरे के बावजूद सहायता न मिलने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) साधनों की दूसरी पुनः प्राप्ति में विलम्ब होने और धन की कमी होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ आयात किये जाने वाले औद्योगिक कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों आदि के सम्बन्ध में अब तक 1967-68 के लिए अभिप्रेत गैर-प्रायोजना ऋण नहीं दे सका है।

(ख) साधनों की दूसरी पुनः प्राप्ति के सम्बन्ध में किये गये निर्णय के अनुसार, यह पुनः प्राप्ति तभी होती है जब कम से कम 12 देश, जिनका अंशदान कुल मिलाकर 9500 लाख डालर हो, अपने अंशदान के सम्बन्ध में औपचारिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को सूचित कर दें। अब तक केवल नौ देशों ने सूचना भेजी है जिनका अंशदान कुल मिलाकर 367,680,000 डालर बैठता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 4,800 लाख डालर के अंशदान की स्वीकृति अभी संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस से मिलनी है और यह बताना सम्भव नहीं है कि कांग्रेस इस अंशदान की मंजूरी कब देगी।

(ग) देश के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधनों में निर्यात से होने वाली आमदनी और कुल मिला कर सभी स्रोतों से उपलब्ध होने वाली कुल सहायता की रकमें शामिल होती हैं। आशा है कि विदेशी साधनों का किफायत से इस्तेमाल करने, तिर्यात का उचित स्तर बनाये रखने और कृषि उत्पादन का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने से इस वर्ष की आयात सम्बन्धी सामान्य आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी।

(घ) 1966-67 में अतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने कुल मिलाकर 3060 लाख डालर की रकम के चार ऋण दिये।

(ङ) मैंने आशाएं नहीं बंधवायी हैं। वास्तव में मैं यह कहता रहा हूं कि सहायता के सम्बन्ध में वातावरण अनुकूल नहीं है और हमें निर्यात बढ़ाकर, आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देश में उस तरह की वस्तुएं बना कर और अन्न जैसी मूल-भूत आवश्यक वस्तुओं का देश में अधिक से अधिक यथा-सम्भव उत्पादन कर विदेशी सहायता पर कम से कम निर्भर रहना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की हाल की मेरी यात्रा का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के वार्षिक बैठकों में इन संस्थाओं में भारत के गवर्नर की हैसियत से भाग लेना था, न कि सहायता के सम्बन्ध में बातचीत करना।

पेंशन में मंहगाई भत्ते का मिलाया जाना

1978. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की, जो 1952 से पहले सेवा-निवृत्त हुए थे और जिनकी पेंशन 200 रुपये प्रति मास से अधिक थी, मंहगाई भत्ते का भाग उनकी पेंशन में मिलाने का लाभ नहीं दिया गया था;

(ख) क्या गाडगिल समिति के प्रतिवेदन के अनुसार मंहगाई भत्ते का भाग कर्मचारियों की पेंशन में मिला दिया गया था;

(ग) क्या दास आयोग की सिफारिशों के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के बाद आगे मंहगाई भत्ता पेंशन में मिला दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो किन तिथियों से, और कितना और यह लाभ किन पेंशन-भोगियों को दिया गया;

(ङ) क्या सरकार पेंशन-भोगियों के कृत्रिम वर्गीकरण को, जो उपरोक्त आयोगों के कारण उत्पन्न हो गये हैं, समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार करेगी और सभी पेंशन-भोगियों को समान लाभ देने का निर्णय करेगी; और

(च) क्या राज्य सरकारों को सलाह दी जायगी कि वे राज्यों के पेंशन पाने वालों को भी केन्द्रीय सरकार के पेंशन पाने वालों के समान ही लाभ उपलब्ध करें ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). 15 जुलाई, 1952 को या इसके बाद सेवा निवृत्ति होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में पेंशन निश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को, जो गाडगिल समिति के सिफारिशों के अनुसार मंहगाई-वेतन समझा जाता था, परिलब्धियों के रूप में हिसाब लगाने की स्वीकृति दे दी गई थी। उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में 1945 में मंजूर की गई पेंशन में अस्थायी वृद्धि की दरें 1-4-58 से बढ़ा कर इस प्रकार कर दी गईं :

पेंशन 50 रुपये से अधिक न हो तो	10 रुपये प्रतिमाह
पेंशन 50 रुपये से अधिक किन्तु 100 रुपये से अधिक न हो तो (112.50 रु० तक की पेंशनों में सीमान्त समायोजन सहित)	12 रुपये 50 पैसे प्रतिमाह

किसी भी मामले में कर्मचारियों द्वारा अपने सेवा-काल में लिए जाने वाले मंहगाई भत्ते का कोई भी अंश उनकी पेंशन में शामिल नहीं किया गया।

(ग) जी नहीं। मंहगाई भत्ते को पेंशन में शामिल करने या पेंशन के लिए उसका हिसाब लगाने का प्रश्न एक सदस्यीय स्वतंत्र निकाय जिसका कि निर्देश माननीय सदस्य ने संभवतः दास आयोग के रूप में किया है, के विचार्य विषयों में शामिल नहीं था।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा आदेशों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) यह सवाल नहीं उठता।

पेंशन-भोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता

1979. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली से बाहर रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों को दिल्ली में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख). दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के पेंशनर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये निर्धारित दरों पर अंशदान देकर स्वेच्छा से इस योजना के हितग्राही बनने के पात्र हैं। दिल्ली में न रहने वाले पेंशनरों के लिए ऐसी व्यवस्था करना संभव नहीं है।

Election for Municipal Corporation, Patna

1980. **Shri Ram Avatar Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any scheme is under consideration of Government to hold elections to elect members for the Municipal Corporation of Patna which is under dissolution and to entrust its control to the elected representatives of the people ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) . Yes. The question of General Election of the superseded Municipal Corporation is receiving consideration of the State Government. However, before holding the Election it would be necessary to finalise the delimitation of wards in some of the newly added areas. The voter lists are also to be revised after taking into account these areas.

Appointment of Employees in Barauni Fertilizer Factory

1981. **Shri Ram Avatar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of officers and employees appointed so far in Barauni Fertilizer Factory ;

(b) the number of persons among them belonging to areas situated near Barauni ;

(c) whether it is a fact that Government and the authorities have been requested to appoint the people living at a place at a distance of ten miles from Barauni in that factory ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) According to the latest information available, the number of officers and other employees appointed so far in the Barauni Division of the Fertilizer Corporation of India is 141.

(b) 101 of the above number are persons from Bihar.

(c) Yes, Sir.

(d) For recruitment to Class III and Class IV posts, the oustees whose land has been acquired for the establishment of the factory are being given the first preference. Other people living within a radius of 10 miles are being given a preference over other local people.

दिल्ली में जीभ का कैन्सर

1982. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जीभ के कैंसर के कई मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस रोग के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में जीभ के कैंसर के उपचार किये गये रोगियों की संख्या इस प्रकार है :

	1966	1967	1968 (31 अक्तूबर तक)
सफदरजंग अस्पताल	26	19	14
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	11	25	26
इर्विन अस्पताल	20	29	14

(ख) इसका कारण ज्ञात नहीं है किन्तु मुंह की सफाई यथोचित प्रकार से न करना, तम्बाकू, चूना और सुपारी चबाना तथा अत्यधिक धूम्रपान करना इसके पूर्व प्रवृत्त कुछेक कारण हैं ।

(ग) उपर्युक्त अस्पतालों में इसके उपचार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं । इसकी रोकथाम के लिये स्वास्थ्य शिक्षा का सहारा लिया जाता है ।

एमरजेंसी कमीशन के लिये चुने गये जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

1983. **श्री अनिरुद्धन :**

श्री प० गोपालन :

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने एमरजेंसी कमीशन के लिये चुने गये अपने कर्मचारियों को उनके सेना की सेवा से मुक्त होने पर अधिकारी संवर्ग में पुनर्नियुक्ति के मामले में डिग्री परीक्षा में लिये गये अंकों की कोई न्यूनतम संख्या निश्चित की है ;

(ख) एमरजेंसी कमीशन के लिये चुने गये जीवन बीमा निगम के कितने कर्मचारियों को उनके सेवा से मुक्त होने पर अधिकारी संवर्ग में पुनर्नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) क्या भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में बैठने की पात्रता के बारे में डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों की कोई न्यूनतम संख्या होना आवश्यक है ; और

(घ) क्या सरकार उनके प्रतिरक्षा सेना में कड़े सैनिक प्रशिक्षण तथा उनकी कार्य-कुशलता को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम से प्रार्थना करेगी कि वे एमरजेंसी कमीशन के लिये चुने गये अपने कर्मचारियों की उनके सेना की सेवा से मुक्त होने पर पुनर्नियुक्ति के मामले में डिग्री परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंकों के बारे में प्रतिबन्ध हटा दें ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग में सीधी नियुक्ति के लिये उच्च द्वितीय श्रेणी की डिग्री निर्धारित की गई है, जबकि सेवा मुक्त अधिकारियों के पास यदि डिग्री हो और यदि उन्हें कम से कम 45 प्रतिशत अंक मिले हों तो भी वे उक्त संवर्ग में चुने जा सकते हैं। इण्टरव्यू और चुनाव के लिए योग्यता-निर्णायक अंकों में भी 5 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये 10 प्रतिशत तक तथा इस तरह के सेवा-मुक्त बाहरी व्यक्तियों के लिये और 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने के अलावा निगम ने भारत सरकार के कहने पर शिक्षासम्बन्धी योग्यताओं, उम्र और प्रतियोगितात्मक परीक्षा में योग्यता निर्णायक अंकों तथा इन्टरव्यू के सिलसिले में पहले ही सभी सम्भव रियायतें और ढील दे रखी हैं।

अफीम के काश्तकारों को दिये गये मूल्यों में वृद्धि

1984. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रदेश में अफीम के काश्तकारों को दिये जाने वाले मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो नये निर्धारित मूल्य क्या हैं और वे किस तिथि से प्रभावी होंगे ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). काश्तकारों द्वारा 1969 में काटी जाने वाली अफीम की फसल के मूल्य निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

नीमच में अलरलायड कारखाने का विस्तार

1985. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीमच (मध्य प्रदेश) में अलरलायड कारखाने का विस्तार कार्य सन्तोषजनक रूप से चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह कब पूरा हो जायेगा और परीक्षण के लिए कब तक तैयार हो जायेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). इस समय नीमच में अफीम-परिशोधन का कोई कारखाना नहीं है और इसलिये इसके विस्तार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। फिर भी, नीमच में एक आधुनिक ढंग का अफीम परिशोधन कारखाना खोलने का प्रस्ताव है। यह कारखाना खोलने सम्बन्धी विस्तृत अनुमान बस अब अन्तिम रूप से तैयार होने ही जा रहा है। फिर भी इस समय वह तारीख निश्चित रूप से बता सकना संभव नहीं है जबकि यह कारखाना पूरा हो सकेगा या परीक्षण के तौर पर काम करना शुरू कर देगा। तथापि, इस परियोजना को जल्दी से जल्दी स्थापित करने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

Appointment of Food Inspectors to Check Inter-State Food Adulteration

1986. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urhan Developmont** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have drawn up a scheme to appoint Food Inspectors to check inter-State food adulteration ;

(b) if so, the details thereof and the names of foodstuffs whose adulteration these inspectors would check ; and

(c) the time by which these inspectors would be appointed and the scheme enforced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (c). A proposal to formulate a scheme to check inter-State food adulteration is under consideration.

देहाती क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था

1987. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री अटल विहारी वाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह : श्री जगन्नाथ राव जोशी .

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश के कुल देहाती क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जानने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां पर पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिये राज्यों को कितनी राशि दी ;

(ग) उक्त अवधि में राज्यों ने विशेषत: राजस्थान ने इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की ; और

(घ) इस बारे में चौथी योजना में क्या लक्ष्य नियत किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) देश के ग्रामों विशेषतया अभावग्रस्त तथा कठिन क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई

की समस्या का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिए 1963 में विभिन्न राज्यों में केन्द्र की शत-प्रतिशत सहायता से विशेष जांच प्रभागों की स्थापना की गई।

(ख) इन प्रभागों की स्थापना 1963 में ही की गई थी। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता शतप्रतिशत सहाय्यानुदान के रूप में दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए वार्षिक प्रावधान 40 लाख रुपये है।

(ग) अधिकांश राज्यों ने जिनमें राजस्थान भी सम्मिलित है प्रारम्भिक जांच कार्य पूरा कर लिया है।

(घ) विभिन्न ग्राम जल पूर्ति योजनाओं के व्यापक नक्शे तथा प्राक्कलन तैयार करने तथा अभाव ग्रस्त और कठिन क्षेत्रों में भूमिगत पानी के विकास के संबंध में विस्तृत जांच कार्य कियो जाने के लिए भी चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में जांच प्रभागों को संचालित करते रहने का विचार है जिससे निर्माण कार्यक्रम से पूर्व ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम यथा समय पूरा हो जाय।

राजस्थान में तेल तथा गैस का सर्वेक्षण

1988. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री य० अ० प्रसाद :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में तेल तथा गैस के निक्षेपों का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान में ऐसे निक्षेपों का पता लगा है ;

(ग) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ऐसे निक्षेप मिले हैं ;

(घ) क्या सरकार का इन निक्षेपों को निकालने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जैसलमेर जिला में, दो कुंओं में गैस की विद्यमानता के चिन्ह पाये गये हैं।

(घ) कुछ और कुंओं का व्यधन करना पड़ेगा ताकि निक्षेपों के आकार तथा उनकी व्यापारिकता का विश्वस्त अनुमान लगाया जा सके।

(ङ) यह उपर्युक्त (घ) में निर्दिष्ट व्यधन के परिणामों पर निर्भर होगा।

फालतू नेफ्था में कमी

1989. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में फालतू नेफ्था में तेजी से कमी होती जा रही है और देश में नेफ्था की बहुत अधिक कमी हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1968 को फालतू नेफ्था का स्टाक कितना था ; और

(ग) नेफ्था का वर्तमान स्टाक कितनी अवधि तक चलेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) नेफ्था इस समय फालतू है। निर्माणाधीन तथा अनुमोदित उर्वरक एवं पेट्रोकेमीकल उद्योगों के अपनी जरुरत की मात्रा उठाना आरम्भ करने पर, इस फालतू नेफ्था में उत्तरोत्तर कमी होगी। 1971 के बाद कमी होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग). देश की जरूरत से फालतू नेफ्था का निर्यात किया गया है और स्टाक जमा नहीं होने दिया गया।

अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा

1990. **श्री प० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कितने अधिकारियों ने 1 जनवरी, 1967 से 30 जून, 1968 तक सरकारी तथा निजी कार्यों के लिये विदेशों का दौरा किया ; और

(ख) इन दौरों के सम्बन्ध में कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). 1 जनवरी, 1967 से 30 जून, 1968 तक की अवधि के दौरान सरकारी काम से दूसरे देशों की यात्रा करने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित मांगी गयी सूचना अनुबन्ध में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2308/68]

चूंकि निजी कार्यों पर विदेशों को जाने वाले सरकारी कर्मचारियों की यात्राओं के सम्बन्ध में भारत का रिजर्व बैंक सीधे ही कार्यवाही करता है इसलिये सरकार ऐसी यात्राओं के कोई आंकड़े नहीं रखती।

केरल के मुख्य मंत्री को 'पी' फार्म का न दिया जाना

1991. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री बालमीकी चौधरी :
श्री वासुदेवन नायर :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री ई० के० नायनार :
श्री चं० चू० देसाई :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के मुख्य मंत्री को पूर्वी जर्मनी जाने के लिये 'पी' फार्म देने से इनकार कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य मंत्रियों के सम्बन्ध में ऐसे कितने मामले हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सभा के मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

(ग) केरल के मुख्य मंत्री के मामले के अलावा, यह सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि सम्बद्ध मंत्रियों ने बाद में स्वयं यात्रा सम्बन्धी अपने प्रार्थना-पत्र वापस ले लिए थे ।

विवरण

कभी-कभी मंत्रियों के विदेश यात्रा सम्बन्धी प्रस्ताव उन्हें विदेशों से मिले निमन्त्रणों के और अथिति के रूप में बुलाये जाने के आधार पर तैयार किये जाते हैं। ऐसे मामलों में प्रासंगिक व्यय पूरा करने के लिए आवश्यक थोड़ी-सी रकम को छोड़कर भारत से कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती और केवल प्रायः यात्रा सम्बन्धी अनुमति ही मांगी जाती है। मंत्रियों के सम्बन्ध में विदेश-यात्रा के ऐसे प्रस्तावों की जांच निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए की जाती है :

(1) विदेश में आतिथ्य का प्रस्ताव/निमन्त्रण केवल किसी सरकार की ओर से होना चाहिए, संस्थाओं और निजी निकायों आदि जैसे गैर-सरकारी स्रोतों से नहीं ।

(2) यात्रा का खर्च हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए, निमन्त्रकों द्वारा नहीं ।

(3) निमन्त्रण सामान्य नयाचारिक आवश्यकताओं के अनुसार विदेश मंत्रालय की मार्फत भेजा जाना चाहिए ।

(4) मंत्रियों की विदेश यात्राओं का सम्बन्ध मुख्य रूप से उनके पद के कामकाज से या उनकी सरकारी जिम्मेदारियों और सरकारी हैसीयत से होना चाहिए ।

2. यात्रा सम्बन्धी प्रस्तावों की स्वीकृति तभी दी जाती है जब यह प्रस्ताव उपर्युक्त नीति के अनुसार हों ।

3. केरल के मुख्य मंत्री की प्रार्थना इस कारण मंजूर नहीं की जा सकी क्योंकि आतिथ्य का प्रस्ताव और निमंत्रण बर्लिन की दक्षिण-पूर्व-एशियाई संस्था की ओर से प्राप्त हुआ था जो एक गैर-सरकारी संस्था है ।

पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों के लिये डिप्टी प्राजैक्ट आफिसर की नियुक्ति

1992. **श्री राम सेवक यादव :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय स्थापित करने के सम्बन्ध में 1961-62 में 700-1150 रुपये के वेतनमान में डिप्टी प्राजैक्ट आफिसर का एक पद बनाया गया था;

(ख) क्या पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय स्थापित करने के सम्बन्ध में 900-1250 रुपये के वेतनमान में वैसे ही या रूपभेदित पदनाम अर्थात् विशेष कार्य अधिकारी पाठ्य पुस्तक, का पद हाल ही में बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पद के लिये क्या अर्हता निर्धारित की गई है और उस पर नियुक्ति किस प्रकार करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में, तृतीय पंचवर्षीय योजना की स्कीमें बनाने तथा उनकी प्रगति के बारे में परियोजना अधिकारी (मुद्रण) की सहायता के लिए, 1962 में 700-1150 रुपये के वेतन-मान में, उप-परियोजना अधिकारी (मुद्रण) के रूप में प्रबन्धक ग्रेड II का एक पद बनाया गया था । यह पद 1 अप्रैल, 1963 से समाप्त कर दिया गया ।

(ख) मैसूर, भुवनेश्वर तथा चण्डीगढ़ में तीन पाठ्य-पुस्तक-मुद्रणालयों की स्थापना की परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में एक परियोजना कक्ष (प्राजेक्ट सेल) खोलने का निर्णय किया जा चुका है । मुद्रणालयों की स्थापना के सिलसिले में 900-1250 रुपये के वेतन-मान में, प्रबन्धक ग्रेड-I का एक पद बनाया गया है ।

(ग) ये मामले विचाराधीन हैं ।

कलकत्ता में चोरी छिपे लाई गई भव्य कार का पकड़ा जाना

1993. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में प्रशुल्क अधिकारियों ने एक बड़े उद्योगपति के पास से चोरी छिपे लाई गई एक भव्य कार पकड़ी है;

(ख) क्या केन्द्रीय राजस्व तथा पुलिस जांच एजेंसियों ने इस विशेष कार के अवैध आयात तथा बिक्री के लिये पश्चिमी पाकिस्तान में पैदा हुए लन्दन के एक व्यापारी श्री एन० एस० हून के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या श्री एन० एस० हून को बचाने तथा उसके व्यापार सम्बन्धी विभिन्न धोखा-धड़ियों को छिपाने के लिये कई समाचारपत्रों के एक ग्रुप का मालिक सरकार पर दबाव डाल रहा है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). श्री एन० एस० हून ने, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, रायल आटोमोबाइल क़लब, कनाडा द्वारा जारी किये गये कार्नेट के अन्तर्गत 1961 में बम्बई में एक केडिलक कार का आयात किया। वह 22-9-1962 को कलकत्ता सीमाशुल्क द्वारा पकड़ ली गई क्योंकि कार्नेट की शर्तों के अनुसार उसका पुर्निर्यात नहीं किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त आटोमोबाइल क्लब द्वारा जारी किये गये कानट के अन्तर्गत कार का आयात करने की अनुमति है और ऐसी कारों को देश में अवैध-रूप से आयात की हुई नहीं कहा जा सकता है। इसलिये ऐसे मामलों में मुकदमा दायर करने की प्रथा नहीं है। इस प्रथा के अनुसार इस मामले में मुकदमा नहीं दायर किया गया।

(घ) जी, नहीं।

भारतीय स्वतन्त्रता (अधिकार सम्पत्ति तथा दायित्व) आदेश,1947

1994. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्वतन्त्रता (अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व) आदेश 1947 के अन्तर्गत आदेश संख्या 18 जो कि भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के अन्तर्गत जारी किया गया था, भारतीय गणतन्त्र में अब भी वैध है जैसा कि स्वतन्त्रता के बाद के बहुत से न्यायिक निर्णयों से पता चलता है;

(ख) क्या उक्त आदेश भारत की सभी सम्पत्तियां—भूमि, सिक्के, बैंक नोट, करेंसी नोट और सब प्रकार की सम्पत्ति—ब्रिटेन सम्राट में निहित है; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). भारतीय स्वतंत्रता (अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व) आदेश, 1947 का सम्बन्ध, उप-महाद्वीप के विभाजन के कारण उत्पन्न अधिकारों, सम्पत्ति और दायित्व के प्रारम्भिक बटवारे से था। संविधान के लागू हो जाने के समय से वह सारी सम्पत्ति और परिसम्पत्ति, जो संविधान के लागू होने से पहले

भारतीय डोमिनियन शासन के प्रयोजन के लिए या प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त के शासन के प्रयोजन के लिए ब्रिटेन के सम्राट के अधिकार में थी, संविधान के अनुच्छेद 294 के अनुसार क्रमशः संघ और तत्स्थानी राज्य के अधिकार में आ गयी है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Unauthorised House Construction in Baberu Town in Banda District

1995. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that monied people have constructed and are constructing houses unauthorisedly over the land of Baberu town area, District Banda, U. P., without the permission of the Town Area Chairman and without paying lease money therefor and those people have got registered and are getting registered considerable land in their names by filing suits with Magistrates ;

(b) the acreage of land in the possession of Town Area Committee at the time of its coming into being and the acreage of land of Town Area Committee taken possession of by the monied class in this manner ; and

(c) if so, the action taken to stop this unauthorised possession and registration of land ?

The Deputy Minister for Heralth, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthi): (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

District Board Hospital, Baberu (U. P.)

1996. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the monied people have got the land registered in their names which was allotted to District Board Hospital in Baberu town of Banda, U. P. and which is within the precincts of the hospital ; and

(b) if so, whether Government propose to look into this matter ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Develepment (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Cheap Methods for Family Planning

1997. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state the steps taken by Government to consult Ayurvedie and Homoeopathic experts to find harmless, easily available and cheap methods for family planning ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : The Government held two seminars —(1) with the practitioners of Ayurvedic Siddha and Unani and (2) with the practitioners of Homeopathy, in July, 1967 with a view to having opinion of experts to find harmless and easily available methods for family planning in those systems of medicines. As a result, several recipes have been submitted. Two Screening Committees — one for the Homoeopathic medicines and the other for those suggested by practitioners of Indigenous System of Medicines were constituted. Out of 295 recipes received, the Screening Committees have selected 133 recipes for further clinical screening. Government have sanctioned 10 clinical research units for trying these medicines.

Fertilizer Factories in Delhi

1998. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that steps are proposed to be taken for setting up of two fertilizer factories in Delhi; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सरकारी उपक्रमों के लेखा परीक्षित लेखों को विधान मण्डल में प्रस्तुत करना

1999. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पिछले 7 अक्तूबर को बंगलौर में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के संस्थापनों के लेखों की लेखा-परीक्षा किसी स्वतन्त्र प्राधिकार द्वारा कराई जानी चाहिए और उसे अपने प्रतिवेदन विधान मंडल को प्रस्तुत करने चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके सुझावों प्रस्तावों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रसाशनिक सुधार आयोग ने भी फ्रांस की तरह एक लेखा परीक्षा बोर्ड बनाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कब अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) यह कोई नया सुझाव नहीं है बल्कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा के लिए अपनायी जाने वाली वर्तमान प्रणाली का उल्लेख-मात्र है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक स्वतन्त्र प्राधिकरण है और वह अपनी रिपोट संसद अथवा विधान मण्डल के सम्मुख पेश करता है।

(ग) और (घ). जी, हां। सरकार ने लेखा-परीक्षा बोर्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है।

पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स कम्पनी लिमिटेड

2000. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में पाइराइट्स एण्ड कैमिकल्स कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य इंजीनियर को वर्षवार कुल कितना यात्रा भत्ता दिया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	प्रबन्ध निदेशक	चीफ माइनिंग इंजीनियर
1965-66	6,049.77	8,728.68
1966-67	7,061.31	7,866.54
1967-68	8,142.97	181.10

उपरोक्त अवधि में केवल एक अंश-कालिक चेयरमैन था और उस हैसियत में उसे कोई भत्ता नहीं दिया गया।

ब्यास सतलुज को जोड़ने की परियोजना

2001. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास-सतलुज नदियों को जोड़ने की परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). व्यास-सतलुज लिंक-परियोजना, जो अब निर्माणाधीन है, अब 1973-74 तक पूर्ण होनी अनुसूचित है। कार्यपूर्ति में देरी के मुख्य कारण ये हैं—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ ऋण-समझौता होने में देरी तथा उसके फलस्वरूप विदेशों से निर्माण-उपकरण प्राप्त करने में देरी; और (2) संसाधनों की तंगी

(ग) परियोजना के लिये अतिरिक्त धन ढूंढने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं।

बिहार में चन्दन बांध के क्षेत्र में ऊंचे धरातल वाली नहर खोदना

2003. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में चन्दन बांध के क्षेत्र में एक ऊंचे धरातल वाली नहर खोदने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कोई कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). अभी नहीं । उच्च स्तरीय नहर पर कार्य प्राक्कलनों की स्वीकृति के पश्चात् आरंभ किया जाएगा ।

बिहार में भूमि की सिंचाई की दरें

2004. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार नहर क्षेत्रों में प्रति एकड़ भूमि की सिंचाई की दरें प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक मौसम में भिन्न-भिन्न हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्व आय और खेती के हितों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई की दरें तदर्थ आधार पर नियत करने तथा इसे भूराजस्व के साथ मिलाने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

विमानों से आने वाले यात्रियों द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी फार्मों का भरा जाना

2005. **श्री एस० के० सम्बन्धन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से विमानों द्वारा आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी कोई फार्म भरने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फार्मों का उद्देश्य क्या है;

(ग) यह व्यवस्था कब से लागू की गई थी; और

(घ) क्या सरकार को किसी अन्य देश में ऐसी घोषणा करना आवश्यक होने की व्यवस्था की जानकारी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू०मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय विमान (लोक स्वास्थ्य) नियम, 1954 के अधीन कोई भी व्यक्ति जो पीत ज्वर से प्रभावित क्षेत्र से आता है और वह पीत ज्वर के टीके का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो जब तक उसका इस आशय का प्रमाण पत्र (यदि उसके पास कोई ऐसा प्रमाणपत्र हो,) वैध न हो जाय अथवा संभाव्य संक्रमण के अन्तिम दिन से अधिकतम नौ दिन जो भी पहले हो जाय, तब तक उसका पृथक्करण किया जायेगा। जब तक स्वास्थ्य अधिकारी उसके मूल तथा स्वास्थ्य संबंधी निजी घोषणा के आधार पर सन्तुष्ट नहीं हो जाते कि भारत में आने से नौ दिन पूर्व से वह व्यक्ति किसी इस प्रकार के क्षेत्र में नहीं रहा है तब तक पीत ज्वर प्रभावित क्षेत्र से आया हुआ समझा जाता है। इस प्रमाणपत्र में उन देशों के नामों के साथ-साथ जिनमें वह यात्री गया था इन देशों में भ्रमण की तिथियां भी अंकित होती हैं। यात्री के फार्म में दिये गये विवरण तथा उसके पासपोर्ट से मिलान करके स्वास्थ्य अधिकारी सन्देहास्पद घोषणाओं का पता लगाते हैं।

(ग) 1946 में।

(घ) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय सफाई विनियम, 1966 के अधीन भारत के अलावा निम्नलिखित देशों ने भी अपने क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात से आने वाले सभी यात्रियों से इस तरह की घोषणा मांगने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

(1) ब्रिटिश सोलोमन आइलैण्ड प्रोटेक्टोरेट

(2) गिलबर्ट एण्ड एलाइस आइलैण्ड

(3) पाकिस्तान

(4) पिटकैर्न आइलैण्ड

(5) टोंगा ।

District Hospital, Agra

2006. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of accommodation for patients in the District Hospital, Agra because of military goods being stored in the two wards of the said hospital ;

(b) whether it is also a fact that there is no provision of residential accommodation for doctors working in the said hospital ;

(c) whether it is further a fact that it takes a lot of time to call for the doctors from their houses in emergency ;

(d) if so, whether Government propose to take some remedial measures in this regard ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (e) . The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

तस्करी के मामलों का पता लगाना

2007. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी के मामलों का पता लगाने के लिये प्रशुल्क अधिकारियों द्वारा की गई तलाशियों के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इनमें किन-किन व्यक्तियों का हाथ है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 82 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिये आवश्यक सूचना अब इकट्ठी की जा चुकी है और उसे सभा की मेज पर अलग से रखा जा रहा है। तथापि, उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

> तस्कर आयात-निर्यात के मामलों का पता लगाने के लिये वर्ष 1966 और 1967 में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या क्रमश: 3315 और 2916 है। इस प्रकार, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या वर्ष 1966 की अपेक्षा वर्ष 1967 में कम थी।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) में उल्लिखित 6231 मामलों में व्यक्तियों के नामों तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध की गई कार्यवाही के आकड़ों को संकलित करने में जो खर्च आयगा तथा जो समय और श्रम लगेगा वह अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक होगा।

जम्मू में तेल की खुदाई

2008. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में तेल सम्बन्धी खुदाई कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) इस क्षेत्र के भण्डारों में अनुमानन कितना तेल है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में कोई शोधनशाला स्थापित की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस क्षेत्र में कोई शोधनशाला के स्थापना का फिलहाल प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरकों की कीमत में कमी

2009. **श्री हिम्मतसिंहका** : **श्री वाल्मीकी चौधरी** :
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री सीता राम केसरी** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम ने आगामी खरीफ फसल में उर्वरक के विक्रय मूल्य में और कमी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में कीमतों में कमी हो जाने के पश्चात् प्रत्येक किस्म के उर्वरक की क्या कीमत होगी और ये कीमतें सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों तथा पाकिस्तान जापान अमरीका तथा ब्रिटेन में तदनुरूप कीमतों की तुलना में कितनी कम अथवा अधिक होगी ; और

(ग) भारत में उर्वरक की वर्तमान कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के स्तर तक कब तक आ जायेंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

तेल शोधक कारखाने में कच्चे पेट्रोलियम कोक का उत्पादन

2010. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात के बावजूद कि देश को कच्चे पेट्रोलियम कोक की आवश्यकता है और निकट भविष्य में इसका आयात करना पड़ेगा, बरौनी तेल शोधन कारखाने की क्षमता 20 लाख टन से बढ़ाकर 30 लाख टन करने पर विचार करते समय कच्चे पेट्रोलियम कोक के उत्पादन पर विचार नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तेल शोधन कारखाने की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ कारखाने में कच्चे पेट्रोलियम कोक के उत्पादन की क्षमता नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं विशेषरूप से जबकि बरोनी तेलशोधक कारखाना अपना कालसीनेशन संयंत्र भी लगाना चाहता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख). 1963 में जब बरौनी शोधनशाला के विस्तार का निर्णय लिया था, तब इस शोधनशाला में एक और कोकिंग यूनिट की स्थापना जरूरी नहीं समझी गई थी क्योंकि डिगबोई, गोहाटी और बरौनी शोधशालाओं की कोक उत्पादन की क्षमता उस समय की पेट्रोलियम कोक की प्रायोजित मांग के लिए काफी थी । एक महत्वपूर्ण बात जो और कोकिंग यूनिट की स्थापना के विरुद्ध थी वह यह थी कि इस यूनिट से असंतृप्त उत्पादों की अधिक उपलब्धता से, सम्पूर्ण ब्लैंडिंग कार्य बहुत कठिन हो जाते और मोटर गैसोलीन, नेफ्था, हाईस्पीड डीजल, लाइटडीजल आयल और ईंधन तेल जैसे मुख्य ईंधन उत्पादों के स्पैसीफिकेशन्स विपरीत हो गये होते ।

बरौनी शोधनशाला का विस्तार

2011. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी शोधनशाला का 50 लाख टन की क्षमता तक विस्तार करने की कोई योजना है ;

(ख) विस्तार योजना का ब्योरा क्या है और यह विस्तार कार्य कितनी अवधि में पूरा हो जायेगा ; और

(ग) यदि इस विस्तार योजना के लिये किन्हीं विदेशी फर्मों का सहयोग लिया गया है तो उनके नाम क्या हैं और अन्तः कालीन शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं, फिलहाल नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया शोधनशाला

2012. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया शोधनशाला पर अब तक कितना खर्च किया गया है और क्या यह मूल प्राक्कलनों के भीतर पूरी हो जायेगी ;

(ख) यदि नहीं, तो इस शोधनशाला की लागत मूल प्राक्कलनों से कितनी बढ़ जाने की सम्भावना है ; और

(ग) नवीनतम स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस शोधनशाला के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है और यदि इस परियोजना के पूरा होने में कोई विलम्ब होना है तो कितना ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1968 के अन्त तक वास्तविक खर्च 11.63 लाख रुपये था । परियोजना-लागत प्राक्कलनों को जनवरी, 1969 के बाद अन्तिम रूप दिया जायेगा जब विदेशी सहयोगी प्रक्रिया रूपांकन विस्तृत यान्त्रिक इंजीनियरिंग और उपकरण तथा सामग्री के लिए एक-मुश्त मूल्य कोटेशन्स सूचित करेंगे ।

(ग) 1970 के अन्त तक शोधनशाला के निर्माण-कार्य के पूरे होने की सम्भावना है और इसके पश्चात् ही तत्काल यह चालू हो जायेगी ।

गौहाटी शोधनशाला में कच्चे पेट्रोलियम कोक का उत्पादन

2013. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात के बावजूद कि पेट्रोलियम कोक की देश में बहुत आवश्यकता है और निकट भविष्य में ही इसका आयात करना पड़ेगा, गोहाटी शोधनशाला का 76 लाख मीट्रिक टन से 120 लाख मीट्रिक टन तक विस्तार करते समय कच्चे पेट्रोलियम कोक के उत्पादन का ध्यान नहीं रखा गया है ; और

(ख) इस शोधनशाला का विस्तार करने के साथ-साथ इस शोधनशाला में कच्चे पेट्रोलियम कोक की उत्पादन क्षमता न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख). गोहाटी शोधनशाला के विस्तार का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है । शोधनशाला पहले से ही कच्चे पेट्रोलियम कोक की सम्भाव्य मात्राएं तैयार करती हैं । शोधनशाला के आकार के अन्तिमरूप से निर्णय के बाद ही कोकिंग यूनिट के विस्तार पर विचार किया जा सकता है ।

फिल्मी कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

2014. **श्री जुगल मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मी कलाकारों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन किये जाने तथा आय छिपाये जाने के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनसे कौन-कौन सी वस्तुएं पकड़ी गईं तथा क्या साक्ष्य पाया गया तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). लोकसभा के 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4400 के भाग (क) में उल्लिखित 10 फिल्म

अभिनेताओं/अभिनेत्रियों में से (1) श्रीमती (उस समय कुमारी) माला सिन्हा, (2) श्रीमती (उस सयम कुमारी) वैजयन्ती माला तथा (3) श्री राजकपूर के यहां प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे, तथा आयकर विभाग ने केवल कुमारी वहीदा रहमान के यहां छापा मारा। उस प्रश्न में उल्लिखित अन्य फिल्म अभिनेताओं/अभिनेत्रिओं के यहां प्रवर्तन निदेशालय अथवा आयकर विभाग ने कोई छापे नहीं मारे। इन छापों की संख्या और तारीख, पकड़ी गयी नकद रकम, मूल्यवान वस्तुओं और पकड़े गए सबूत के ब्योरे तथा उस बारे में की गई कार्यवाही का विवरण-पत्र संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2309/68]**

फिल्म कम्पनियों से कर की बकाया राशि

2015. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4408 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच फिल्म कम्पनियों के नाम आय कर की बकाया राशियों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) मांगी गयी सूचना सदन की मेज पर रखी जा चुकी है। उसकी एक प्रति संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2310/68]**

Effect of Smuggling on Prices of Consumer Goods

2016. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the smuggling of goods into foreign countries has contributed to the scarcity of consumer goods in India and their increasing prices ;

(b) if so, whether Government propose to enquire as to what extent smuggling has affected the increase in prices and scarcity of foods ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Smuggling of consumer goods to foreign countries takes place to a very small extent and so does not affect the overall availability of such goods in India.

(b) Does not arise.

भारतीय तेल निगम द्वारा बैरलों की खरीद

2017. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4284 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा बैरलों की खरीद के बारे में इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स हिन्द ग्लैवनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लि० ने मई, 1968 के पहले सप्ताह से शेष मात्रा की सप्लाई को पुनः चालू किया। मैसर्स हिन्द ग्लैवनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी से सप्लाई निलंबन के दौरान, भारतीय तेल निगम ने सप्लायर्ज कारपोरेशन से 21,000 बैरलों को 48/- रुपये प्रति बैरल की दर से खरीदा। भारतीय तेल निगम ने इस सम्बन्ध में लगभग 1,34,400/- रुपये अतिरिक्त व्यय किये।

नामरूप उर्वरक कारखाने तथा आसाम विद्युत बोर्ड को गैस की बिक्री

2018. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नामरूप उर्वरक कारखाने तथा आसाम राज्य विद्युत बोर्ड को बेची जाने वाली गैस की कीमतों में बड़ा अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो बेचने वाले प्राधिकार का नाम क्या है ;

(ग) आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई गैस की कीमत कौन निश्चित करता है ;

(घ) क्या सरकार आयल इण्डिया लिमिटेड में हिस्सेदार है ;

(ङ) यदि हां, तो नामरूप उर्वरक कारखाने को अधिक कीमत क्यों देनी पड़ती है ;

(च) क्या नामरूप उर्वरक कारखाने के महाप्रबन्धक ने इस पर भारत सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(छ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां :

(ख) और (ग). आयल इण्डिया लिमिटेड।

(घ) जी हां।

(ङ) गैस के उत्पादन की लागत तथा गुजरात राज्य फर्टिलाइजर कम्पनी को जो अपने प्रयोग में लाई गई गैस का मूल्य देती है, इनको ध्यान में रखते हुए नामरूप फर्टिलाइजर द्वारा दी गई कीमत उचित समझी जाती है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रो-रसायन निगम

2019. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री विश्वनाथ पांडेय : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3665 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पेट्रो-रसायन निगम स्थापित कर दिया गया है ; और

(ख) इसके उद्देश्य क्या हैं और इसका गठन किस प्रकार का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं; लेकिन इस की तत्काल स्थापना के बारे में निर्णय लिया गया है ।

(ख) सम्बद्ध विभागों/मंत्रालयों के परामर्श से इनको बनाया जा रहा है ।

दिल्ली में वजीरपुर रिहायशी योजनाओं में प्लाटों का कब्जा

2020. **श्री प्र० कु० घोष :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा वजीरपुर रिहायशी योजना में जिन लोगों को दिसम्बर, 1967 में प्लाट मंजूर किये थे उनसे पट्टे विलेख की रजिस्ट्री करने से पूर्व दो अपने प्लाटों पर कब्जे करने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो पट्टे विलेख की रजिस्ट्री में देर करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जिन लोगों ने पट्टे विलेख की रजिस्ट्री कराने से पूर्व अपने प्लाटों पर कब्जा कर लिया है, वे पट्टे विलेख की रजिस्ट्री कराने से पूर्व निर्माण कार्य आरम्भ कर सकते हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये पेशगी के आवेदन पत्रों के साथ विलेख पत्र पेश किये बिना, मकान बनाने के लिये पेशगी रकम मंजूर करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो पट्टे विलेख की रजिस्ट्री से पूर्व इन लोगों को अपने प्लाटों पर कब्जा करने को कहने का क्या लाभ है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) दिल्ली प्रशासन ने यह निश्चय किया था कि दिल्ली विकास प्राधिकार की उन कालोनियों में जिनमें काफी विकास कार्य हो चुका था किन्तु पानी तथा बिजली की व्यवस्था नहीं हो पायी थी उनमें रिहायशी प्लाटों का कब्जा 75 प्रतिशत प्रीमियम की अदायगी के उपरान्त अलाटियों को दे दिया जाय और प्रीमियम का शेष 25 प्रतिशत एक वर्ष के पश्चात् ले

लिया जाय। जिन व्यक्तियों ने इस आशय की इच्छा व्यक्त की उन्हें 75 प्रतिशत प्रीमियम के अदायगी करने पर प्लाटों का कब्जा दे दिया गया। इन शर्तों पर अलाटियों द्वारा प्लाटों का कब्जा ले लेने पर तुरन्त ही इनसे सम्बन्धित पट्टों की लिखा पढ़ी तथा पंजीयन का काम किया जाता है।

(ख) पंजीकरण में इस विलम्ब का प्रमुख कारण यह है कि पट्टों पर लगने वाले टिकटों के उपयुक्त मूल्य के बारे में पूछताछ करनी पड़ती है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

टीके की नई विधि का आरम्भ करना

2021 **श्री हेम बरुआ :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी विशेष तिथि से देश में टीका लगाने की अधिक प्रभावी तथा कम पीड़ा वाली विधि लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या किसी विदेशी अभिकरण का इस योजना में सहयोग देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) यह विषय विचाराधीन है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने द्विशाखित सुई से टीका लगाने के लिए 'मल्टी पंकचर टेकनीक' अपनाने की सिफारिश इस आधार पर की है कि इस नई प्रणाली से कम पीड़ा होती है वैक्सीन की बचत होती है तथा यह सुग्राह्य है। स्थानीय स्थितियों में इस नई प्रणाली की प्रभावकारिता का परीक्षण करने के हेतु क्षेत्रीय स्तर पर जांच कार्य किये गये हैं और इनके परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) जी हां। नई प्रणाली से टीके लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तीस लाख सुंइयां प्रति वर्ष देने का प्रस्ताव किया है।

दर्मियाने दर्जे के कपड़े पर उत्पादन शुल्क में छूट

2022. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दर्मियाने दर्जे के कपड़े पर उत्पादन शुल्क में छूट देने के बारे में कोई योजना बनाई गई है ताकि संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को सहायता मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) सूती वस्त्र उद्योग को रियायत देने के उद्देश्य से सूती धागे पर लगने योग्य केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की दरों में 2 मई 1968 को कई परिवर्तन किये गये थे। दरों में और परिवर्तन के सिलसिले में विचार करना इस समय अवेक्षाकृत समय पूर्व होगा।

उत्पादन प्रशुल्क का पुनरीक्षण

2023. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्दा समिति के सुझाव के अनुसार उत्पादन प्रशुल्क का पुनरीक्षण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क-पुनर्गठन समिति (चन्दा समिति) ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क-सूची के सम्बन्ध में सामान्य रूप से तथा उत्पादन शुल्क लगने योग्य पंद्रह वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेष रूप से सिफारिशें की थीं। इनमें से कुछ सिफारिशों को स्वीकार करने तथा अन्य को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और विवरण-पत्र शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

उर्वरक ऋण गारन्टी निगम

2024. **श्री रा० की अमीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेंकट्टापिया समिति ने यह सिफारिश की है कि उर्वरक ऋण गारंटी निगम स्थापित किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने उर्वरक ऋण गारंटी निगम की स्थापना का सुझाव दिया है ताकि बैंकों और ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा स्टाकिस्टों, वितरकों, थोक विक्रेताओं, उप-थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को दिये जाने वाले अग्रिमों या उन्हें दी जाने वाली गारंटियों या स्वीकृतियों के सम्बन्ध में बैंकों और ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं को कुछ संरक्षण देकर उर्वरकों, हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं और अन्य स्वीकृत वस्तुओं का स्टाक रखने और उन्हें वितरित करने के लिये अधिक मात्रा में बैंक-ऋण उपलब्ध किया जा सके। समिति ने

सिफारिश की है कि निगम की स्थापना, समवाय अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, 2.5 करोड़ रुपये की पूंजी से की जाय जिसमें भारत सरकार और रिजर्व बैंक दोनों का अंशदान हो । निगम का रिजर्व बैंक से घनिष्ठ सम्पर्क रहेगा । निगम को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सभी राज्य सहकारी बैंकों, और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जाने वाले अन्य गैर-अनुसूचित बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों या ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा मंजूर किये जाने वाले ऋणों की गारंटी देनी चाहिए । ऋण के सम्बन्ध में दी जाने वाली गारंटी की अवधि सामान्यतः 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए । निगम द्वारा, बकाया रकम के अधिक से अधिक 65 प्रतिशत भाग के लिए गारंटी दी जानी चाहिए । दी गयी गारंटी के बदले निगम स्थिति का विचार करके या अनुभव के आधार पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से लेकर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की दर से गारंटी कमीशन ले सकता है ।

(ग) इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

खम्बात की खाड़ी में खोज कार्य का स्थगित करना

2025. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्बात की खाड़ी में अलियावेट में तेल की खोज करने के प्रस्तावित काम को स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख). अलियाबेट द्वीप में व्यधन-स्थल की वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ पुनः विचार करना आवश्यक हो गया था । इससे स्थान को बदलने की आवश्यकता हो सकती है । इसके परिणामस्वरूप व्यधन कार्यों को शुरू करने में कुछ देरी हो सकती है ; किन्तु खोज कार्य को स्थगित नहीं किया गया है ।

निर्यातकों को आस्थगित ऋण की सुविधायें

2026. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मशीनरी निर्माताओं तथा निर्यातकों को चुनींदा आधार पर सुविधाएं देने की योजना पर विचार कर रही है, जिससे कि वे लोग आस्थगित आधार पर अपना माल विदेशों में बेच सकें ;

(ख) क्या कुछ एशियाई देशों ने, विशेषकर जापान ने अपने निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से इसी प्रकार की व्यवस्था आरम्भ कर रखी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग). निर्यातकों को विलम्बित भुगतान के आधार पर निर्यात करने की सुविधाएं देने की योजनाएं पहले से ही मौजूद हैं। ये योजनाएं संक्षेप में इस प्रकार हैं :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक कुछ चुनी हुई वस्तुओं के मामले में विदेशी मुद्रा नियंत्रण सम्बन्धी उन विनियमों के सम्बन्ध में रियायतें देता है जिनके अन्तर्गत निर्यात से होने वाली प्राप्तियां आम तौर पर छः महीनों के अन्दर देश में वापस लानी पड़ती है ;

(2) जहां भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार की स्वीकृति देता है, उस दिशा में निर्यातक बैंकों से अपने निर्यात-बीजकों (एक्सपोर्ट बिल्स) के आधार पर 6 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर वित्तीय सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। बैंकों को यह सुविधा देने के योग्य बनाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि वे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं या यदि कोई बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त न करना चाहता हो तो वह $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत के हिसाब से निर्यात-ऋण सम्बन्धी राजसहायता प्राप्त कर सकता है।

(3) निर्यात सम्बन्धी जोखिम को पूरा करने के लिये निर्यात ऋण और गारंटी निगम द्वारा बीमे की व्यवस्था की गई है (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त की व्यवस्था किये जाने से पहले यह बीमा कराना आवश्यक होता है।) बीमा कराने की इस व्यवस्था के अन्तर्गत वाणिज्यिक और राजनीतिक, दोनों प्रकार के जोखिमों के लिए व्यापक बीमा पालिसियां ली जा सकती हैं या केवल राजनीतिक जोखिमों के लिए पालिसियां ली जा सकती हैं। निर्यात ऋण गारंटी निगम निर्यातकों की ओर से बैंकों की गारंटी भी देता है, ताकि निर्यातक अपने निर्यात-बीजकों पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकें।

(ख) सरकार को यह मालूम है कि जापान में भी जापान के निर्यात-आयात बैंक की मार्फत रियायती दरों पर निर्यात सम्बन्धी पुनर्वित्त की और वहां के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्रालय के जरिये बीमे की व्यवस्था है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

2027. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास नदी के बेसिन में तेल की खोज के लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल से बिजली की सप्लाई

2028. **श्री य० अ० प्रसाद : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत को बिजली सप्लाई करने के नेपाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई करार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). भारत को बिजली देने के लिए नेपाल सरकार से औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं आया है । नेपाल सरकार करनाली परियोजना का विकास करना चाहती है जिसमें बहुत ज्यादा बिजली उत्पन्न होगी । इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है ।

गैर-सरकारी बीमा समवायों द्वारा वेतन का दिया जाना

2029. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों ने अपने निदेशकों को प्रबन्ध अभिकरण भत्ते के स्थान पर वेतन देने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या इस प्रकार वेतन देने से प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने का उद्देश्य ही समाप्त नहीं हो जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार वेतन के भुगतान को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) बीमा व्यवसाय में प्रबन्धक एजेंसियां 1942 में समाप्त हो गई क्योंकि वे बीमा अधिनियम की धारा 32 द्वारा निषिद्ध करार दे दी गई थीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा नहीं होते ।

तीस्ता नदी में बाढ़

2030. **श्री रा० कृ० सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सिलीगुड़ी तथा जलपाइगुड़ी स्थित अधिकारियों को

तीस्ता नदी में बाढ़ की सूचना प्राप्त हो गई थी तथापि उन्होंने लोगों को चेतावनी नहीं दी;

(ख) क्या सरकारी मशीनरी की असफलता के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार ने अक्तूबर में आई बाढ़ों के दौरान जलपाई गुड़ी के लिए बाढ़ चेतावनी प्रणाली की कार्यशीलता के संबंध में राज्य सरकार के सेवा निवृत्ति मुख्य सचिव श्री एस०एन०रे से जांच कराई थी। जांच अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि यथा सम्भव अन्त समय तक ही गेज पाठक अपना काम करते रहे और जब तक पानी एन्डरसन पुल के ऊपर न छा गया और दोमोहनी बंध न टूट गया, सम्बद्ध अधिकारियों को संदेश भेजे जाते रहे। कालिम्पौंग वायरलैस द्वारा भेजा गया चेतावनी का संदेश जलपाईगुड़ी की जनता को सूचित नहीं हो पाया। सामने के तट पर स्थित दोमोहनी और वर्निस को और जलपाईगुड़ी के दक्षिण में मंडलघाट को खतरे से सम्बद्ध जानकारी मिल चुकने के बाद भी सिविल विभाग अथवा सिंचाई विभाग के किसी भी अधिकारी को यह ध्यान में नहीं आया कि शहर को वास्तव में कोई खतरा है। जांच अधिकारी के अनुसार बाढ़ चेतावनी के संदेशों की प्राप्ति एक दैनिक चर्या बन चुकी थी। किसी भी अधिकारी ने अपने आप को अथवा जनता को भावी खतरे के प्रति तैयार करने के लिए थोड़ी सी भी सक्रियता नहीं दिखाई। जांच अधिकारी का निष्कर्ष यह है कि यदि 4 अक्तूबर की प्रातः, अथवा उसी दिन तीसरे पहर से कुछ पहले जनता को चेतावनी दे दी जाती तो कुछ जानें बच गई होतीं; हां, इतना अवश्य है कि इसमें सम्पत्ति और फसलों को क्षति से और पशुओं को मरने से नहीं बचाया जा सकता था।

जांच अधिकारी ने सुझाव दिया है कि बाढ़ चेतावनी से सम्बन्ध नियमों को इस आशय के विस्तृत अनुदेश जारी करके अनुपूरित किया जाना चाहिए कि यदि बाढ़ें आ जाएं तो उससे उत्पन्न स्थिति से निपटने और बचाव-कार्य आरम्भ करने के लिए सिविल और सिंचाई दोनों विभाग क्या करें। जांच अधिकारी ने यह भी सुझाया है कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार करे कि सेना द्वारा सहायता देने में देरी के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च अधिकार-सम्पन्न सैनिक अधिकारी और एक सिविल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से छानबीन कराई जाए। उसने यह भी सुझाया है कि राज्य सरकार इस बात पर भी विचार करे कि क्या मोबाइल सिविल आपातकालीन सेना की यूनिटों को और गाड़ियां देकर उनका विस्तार किया जाए ताकि हर पग पर सेना पर निर्भर रहने की बजाय सर्वप्रथम सहायता इन यूनिटों के व्यक्तियों द्वारा

प्रदान की जा सके। उसने यह भी सुझाव दिया है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग सड़क और रेलवे तटबंधों में पर्याप्त जल मार्गों की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करे।

उत्तर प्रदेश में नल-कूपों के लिए बिजली देना

2031. **श्री रा०कृ० सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने नल-कूपों के लिए बिजली देने का काम अभी बकाया है;

(ख) क्या लगातार सूखा पड़ते रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी नलकूपों के लिए बिजली देने की कार्यवाही की जायगी; और

(ग) यदि हां, तो बिजली देने का काम कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अक्तूबर, 1968 के अन्त तक 5,511 नलकूप, जिसमें 32 सरकारी नलकूप भी सम्मिलित हैं, ऊर्जन के लिए बाकी थे।

(ख) और (ग). सूखा पड़ने के कारण, नलकूपों के शीघ्रतम उर्जन के लिए पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं। इन सारे नलकूपों के मार्च, 1969 तक ऊर्जन होने की आशा है।

आसाम में तेल के नये रक्षित भंडार

2032. **श्री रा०कृ० सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में तेल के नये रक्षित भण्डारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इन रक्षित भण्डारों में अनुमानतः कितना तेल है; और

(ग) छिद्रण कार्य के कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां। 1968 में गेलेकी में।

(ख) और (ग). छिद्रण कार्य पूरा होने पर ही पाये गये रक्षित भण्डार के प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। इस बीच छिद्रण कार्य चल रहा है।

चलचित्र उद्योग में काम करने वाले लोगों की ओर कर की बकाया राशि

2033. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **वित्त** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4416 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न में चलचित्र उद्योग में काम करने वाले लोगों द्वारा देय कर की बकाया राशि के बारे में पूछी गई जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) मांगी गई सूचना संलग्न अनुबन्ध में दी गई है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2311/68]

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में सूखा तथा बाढ़ें

2034 **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में सूखा तथा बाढ़ के कारण चालू वर्ष में हुई कुल हानि का पता लगाया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस क्षति का अनुमान लगाने के लिए राज्य सरकारों के अतिरिक्त अपनी एजेंसियों को यह कार्य सौंपा है, और यदि हां, तो उन दलों के सदस्य कौन-कौन से व्यक्ति हैं और उन्होंने यह काम कब आरम्भ किया;

(ग) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय एजेंसियों से प्राप्त प्रतिवेदनों का ब्योरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक राज्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई है तथा उस सहायता में यदि कोई शर्तें लगाई हैं, तो वे क्या हैं ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). दैवी विपत्तियों से हुई हानि की सूचना इकट्ठी करने के लिए, भारत सरकार का कोई अलग अभिकरण नहीं है । लेकिन सहायता तथा पुनर्वास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक धन की जरूरतों का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग के कार्यक्रम परामर्शदाता के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के दल जिनमें सम्बद्ध मंत्रालयों में प्रतिनिधि भी शामिल थे, इन राज्यों में भेजे गए थे ।

2. राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सूखे और बाढ़ के बारे में इन राज्यों की सरकारों से जो सबसे हाल की सूचना प्राप्त हुई है, वह उन विवरणों में शामिल कर ली गई थी, जो सिंचाई और बिजली मंत्री तथा खाद्य और कृषि मंत्री द्वारा क्रमशः 13 और 18 नवम्बर, 1968 को सभा की मेज पर रखे गये थे ।

3. केन्द्रीय दलों ने किन-किन तारीखों को इन राज्यों का दौरा किया और इन दलों की सिफारिश पर अब तक राज्य सरकारों के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि मंजूर की गयी या अन्तरिम रूप से कितनी सहायता दी गयी, इन सब बातों का ब्योरा सभा की मेज पर रखे गये

विवरणों में दे दिया गया है। सहायता की रकम व्यय की सहमति-प्राप्त मदों पर खर्च के लिए है और व्यय के परीक्षित आंकड़ों के आधार पर इसमें अन्तिम रूप से कमीबेशी की जा सकेगी।

विवरण

राज्य का नाम	**केन्द्रीय दलों की यात्रा की तारीखें**	1968-69 **में अब तक मंजूर की गयी सहायता** (करोड़ रुपयों में)
1. **बाढ़**		
राजस्थान	24 से 25 अगस्त, 1968	2.00
पश्चिम बंगाल	(1) 18 से 20 और 30 से 31 अगस्त 1968	8.50
	(2) 12 से 17 नवम्बर, 1968	
बिहार	4 से 6 नवम्बर, 1968	0.50
उड़ीसा(चक्रवात)	19 से 22 नवम्बर, 1968	1.00
2. **सूखा**		
राजस्थान	28 से 30 अक्तूबर, 1968	1.00
उड़ीसा	3 से 6 जून, 1968	2.50
		*22-11-1968 को

अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत आसाम के पहाड़ी जिलों को धन का नियतन

2035. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत आसाम के पहाड़ी जिलों को 1965-66 से अब तक वास्तव में कितना धन नियत किया गया है; और

(ख) क्या जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के लिये पृथक धन नियत किया जाता है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (1) अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत असम के स्वायत्त जिलों को निम्नलिखित रकमें सहायक अनुदान के रूप में दी जाती हैं;

द्वितीय उपबन्ध के खण्ड (क) के अधीन...40 लाख रुपया वार्षिक

प्रथम उपबन्ध तथा द्वितीय उपबन्ध के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उन विकास योजनाओं के लिये

जो राज्य की आयोजना में शामिल नहीं है :

1965-66	61.96 लाख रुपये
1966-67	82.50 लाख रुपये
1967-68	41.25 लाख रुपये
1968-69 (बजट अनुमान)	61.35 लाख रुपये

(ii) वित्त आयोग की सिफारिशों पर, अनुच्छेद 275 (1) के मूल उपबन्ध के अन्तर्गत, असम को दिये गये सहायक अनुदान की रकमें ये हैं :—

1965-66	6.00 करोड़ रुपये
1966-67	16.52 करोड़ रुपये
1967-68	16.52 करोड़ रुपये
1968-69 (बजट अनुमान)	16.52 करोड़ रुपये

स्वायत्त जिलों तथा राज्य के शेष हिस्सों के लिये इन अनुदानों का अलग से कोई नियतन नहीं किया जाता ।

(ख) जी नहीं ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

2036. क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम प्रबन्धकों तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के महामंत्री तथा अन्य लोगों के बीच कर्मचारियों की मांगों जिनमें वेतनक्रम तथा स्वचालित मशीनों संबंधी मांगें भी शामिल हैं के प्रश्न पर 24 अक्तूबर 1968 को और उसके बाद के दिनों में बातचीत हुई थी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों ने इस शर्त पर कि कर्मचारी स्वचालित मशीनों के प्रयोग के लिये राजी हो जायें वेतनक्रमों की और अधिक उदार शर्तों का वचन दिया था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

प्रधान मंत्री के लातीनी अमरीकी देशों के दौरे के लिये विदेशी मुद्रा

2037. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के लातीनी अमरीकी देशों के हाल ही के दौरे के लिये कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकार की गई थी और उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा की मांग की थी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : प्रधान मंत्री की ओर से 583.00 रुपये की विदेशी मुद्रा दिये जाने का अनुरोध किया गया था। चूंकि यह रकम हमारी निर्धारित दरों के अनुसार थी, इसलिए यह रकम उनके लिये दे दी गयी।

एशियाई विकास बैंक से विदेशी सहायता

2038. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विशिष्ट कार्यों के लिए तथा कितनी सहायता दी जायगी; और

(ग) ब्याज की दर कितनी होगी तथा इस सहायता के लिये भारत को किन-किन और शर्तों का पालन करना पड़ेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एशियाई विकास बैंक का सदस्य और विकासशील देश होने के नाते, भारत को एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने का अधिकार है। पर हमने बैंक से कोई ऋण नहीं मांगा है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) एशियाई बैंक भविष्य में अपनी उन शर्तों पर भारत को ऋण देगा जो उस समय प्रचलित होंगी। इस समय बैंक $6\frac{7}{8}$ प्रतिशत की वार्षिक दर से व्याज लेता है और उसका ऋण चुकाने की शर्तें उस प्रायोजना के स्वरूप पर निर्भर होती हैं जिसके लिए ऋण लिया जाता है।

कर अपवंचन

2039. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 मास में सरकार ने कर अपवंचन को समाप्त कराने के लिये क्या किया है और उसमें कहां तक सफलता मिली है;

(ख) ऊपर के ऐसे 10 कर-अपवंचकों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इन मामलों में कुल कितनी राशि का कर अपवंचन किया गया था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कर अपवंचन को रोकने के लिए पिछले बारह महीनों में निम्नलिखित वैधानिक उपाय किये गये हैं :

1. किसी ऐसे कारोबार अथवा धंधे में किया गया व्यय, जिसके लिए भुगतान करदाताओं के सम्बन्धियों अथवा सहवर्ती संस्थाओं को किया जा चुका है अथवा किया जाना है, कर-निर्धारिती

के लाभों की गणना में उस सीमा तक अस्वीकृत किया जा सकता है जिस तक कि ऐसा व्यय अत्यधिक अथवा अनुचित समझा जाता हो (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 40 ए (2)।

2. ऐसे कारोबारों तथा धन्धों में किये गये व्यय के लिये इस अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई है जिनके लिए भुगतान किसी बैंक के नाम जारी किये गये क्रास चैक अथवा क्रास बैंक ड्राफ्ट द्वारा न कर के अन्य प्रकार से 2,500 रुपये से अधिक की रकम में किया जाता है, (धारा 40 ए (3)।

3. आय को छिपाने के लिए अथवा ऐसी आय के गलत ब्योरे देने के लिए लगाये जाने वाले न्यूनतम दण्ड की रकम छिपायी गयी आय की रकम के बराबर होगी। अधिकतम दण्ड छिपायी गयी आय की रकम से दुगना होगा। इसी प्रकार, धन की मात्रा कम बताने अथवा उसे छिपाने के लिए दण्ड की रकम, छिपाये गये ऐसे धन का कम से कम 100 प्रतिशत होगा और अधिक से अधिक दण्ड, छिपाये गये धन का 200 प्रतिशत तक हो सकता है।

4. स्रोत पर कर काटने में तथा उसे सरकारी खातेमें जमा करने के सांविधिक दायित्वों में की जाने ाली चूक के लिंए अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने पर 6 महीने तक के कठोर कारावास तथा जुर्माने की भी व्यवस्था है। ऐसे जुर्माने की रकम चूक में ग्रस्त कर की रकम के वार्षिक 15 प्रतिशत से कम नहीं होगी (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 276-बी)।

चूंकि ये उपबन्ध केवल 1-4-1968 से ही लागू हुए हैं अतः इस संबंध में प्राप्त सफलता के बारे में इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता। आशा की जाती है कि इन उपबन्धों से एक बड़ी हद तक कर अपवंचन को रोका जा सकेगा।

कर अपवंचन को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक उपाय भी किये गये हैं :

(1) कर-अपवंचन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए विभागीय अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गयी है। समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की आशा है।

(2) कर-अपवंचन के बड़े-बड़े मामलों पर कार्यवाही करने से सम्बन्धित केन्द्रीय परिमण्डलों को उनमें और अधिक अधिकारी लगाकर सुदृढ़ बना दिया गया है।

(3) 30-9-1968 को समाप्त होने वाले पिछले 12 महीनों में, 21 मामलों में इस्तगासे की कार्यवाही शुरू की गयी है।

(ख) कर-अपवंचन की सभी शिकायतों की जांच की जाती है। जब तक जांच-पड़ताल पूरी न हो जाए और अपील के बाद कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप न दे दिया जाय तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि पिछले 12 महीनों में सबसे बड़े 10 कर-अपवंचक कौन हैं।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

अमोनिया का आयात

2040. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार उर्वरक कारखानों के लिये प्रतिवर्ष कितने अमोनिया का आयात करती है;

(ख) अमोनिया के आयात पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में अमोनिया के आयात में कमी अथवा वृद्धि करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) सरकार ने अभी तक अमोनिया का आयात नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). पहले से अनुमोदित या निर्माणाधीन परियोजनाओं, जो अमोनिया पर आधारित है, की यदि कार्यान्विति हो गई तो शायद अमोनिया का आयात करना पड़े ।

जीवन बीमा निगम की व्यपगत पालिसियां

2041. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम में व्यपगत अनुपात तथा व्यय प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस वृद्धि को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि गत 7 वर्षों में जो मामले व्यपगत हुये थे वे उन बीमा एजेंटों द्वारा किया गया था जो मंत्रियों, बड़े अधिकारियों और विशेषकर जीवन बीमा निगम विभाग के अधिकारियों के रिश्तेदार हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख). गलने वाली पालिसियों के सकल अनुपात में, जो 7 प्रतिशत के लगभग है, हाल के वर्षों में कोई खास वृद्धि दिखाई नहीं दी है । गलने वाली पलिसियों का सकल अनुपात जो 1965-66 में 7.2 प्रतिशत और 1966-67 में 7.4 प्रतिशत था, 1967-68 में घट कर 7.0 प्रतिशत रह गया है । तथापि, जीवन बीमा निगम का खर्च बढ़ता जा रहा है । इस वृद्धि का कारण निगम द्वारा हाथ में लिये

गये कार्यों की बढ़ती मात्रा और वस्तुओं तथा निगम द्वारा दी जा रही सेवाओं की बढ़ती हुई लागत है ।

(ग) निगम की प्रबन्ध व्यवस्था के खर्च की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की है । सरकार को, इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

(घ) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों के लिये लाभांश

2042. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने अपने कर्मचारियों को 14 प्रतिशत लाभांश देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्द मजदूर संघ कांग्रेस की बम्बई शाखा के अलावा सभा मजदूर संघों ने अपनी सहमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो हिन्द मजदूर संघ कांग्रेस द्वारा लाभांश स्वीकार न करने के क्या कारण हैं और उससे भारतीय तेल निगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) हिन्द राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस का प्रबन्धकों की पेशकश को अस्वीकार करने का कारण यह मालूम होता है कि वे 14 प्रतिशत की अपेक्षा उच्चतर दर पर लाभांश की आशा करते हैं । कई यूनियनों द्वारा पेशकश को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप कोई विशेष प्रभाव नोटिस में नहीं आया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

आयातित स्नेहक तेल

2043. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65, 1966-67 और 1967-68 में विभिन्न किस्मों के आयातित स्नेहक तेलों तथा अन्य वस्तुओं की दरें क्या थीं; और

(ख) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वस्तु की दरों में वृद्धि अथवा कमी के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) आयातित स्नेहक तेल अधिकतर बेस आयल्ज है जिनकी देश में ब्लैंडिंग तथा वेष्टन करनी होती है। गुणों को, जिसके अनुसार बेस आयल्ज को ब्लैण्ड किया जाता है, ध्यान में रखते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित किये गये हैं। कैलण्डर-वर्ष अनुसार आयातित बेस आयल्ज की लागत निम्न प्रकार है :

	प्रति मीटरी टन
1964	351.19 रुपये से 411.01 रुपये तक
1965	362.47 ,, ,, 377.90 ,, ,,
1966	479.20 ,, ,, 772.39 ,, ,,
1967	612.74 ,, ,, 702.72 ,, ,,

(ख) पिछले वर्षों की तुलना में 1966 से मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण रुपया-अवमूल्यन का प्रभाव है क्योंकि डालर्ज या पाउण्ड स्टरलिंग में वर्तमान मूल्यों का, परिवर्तन रुपयों में समय-समय निर्धारित विनिमय मूल्यों के अनुसार किया जाता है।

औद्योगिक तथा स्नेहक तेलों का स्टाक

2044. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे भारत में विभिन्न माल गोदामों तथा डिपुओं में 31 मार्च, 1968 को औद्योगिक तथा स्नेहक तेलों का कितने मूल्य का स्टाक पड़ा था और 31 मार्च, 1968 को उन पर कितनी लागत तथा व्यय, खातों में दर्ज की गई थी; और

(ख) इसमें से 1966 मार्च से पहले कितना स्टाक खरीदा गया और उस पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

राजघाट, शांति वन, तथा विजय घाट के लिये भूमि

2045. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट, शांति वन तथा विजय घाट के लिये कितनी भूमि आवंटित की गई है;

(ख) यह भूमि किन प्राधिकारियों द्वारा आवंटित की गई है;

(ग) क्या इस भूमि के आवंटन के लिये सरकार द्वारा कोई प्रतिकर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितना; और

(ङ) इन स्थलों के विकास के लिये सरकार का योगदान क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भूमि का निम्नांकित रूप में नियतन कर दिया गया है :

राजघाट	—	175 एकड़
शान्तिवन	—	81 एकड़
विजयघाट	—	75 एकड़

(ख) से (घ). नजूल की भूमि होने के कारण, अर्जन का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, किसानों की खड़ी हुई फसल के लिए उन्हें 28,181 रुपये 62 पैसे देने पड़े।

(ङ)

		रुपये लाखों में
राजघाट	—	94.44
शान्तिवन	—	34.23
विजयघाट	—	2.29

भटिन्डा में ऊष्मीय-शक्ति केन्द्र

2046. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ समय पूर्व भटिन्डा में एक ऊष्मीय-शक्ति केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब सरकार ने इस बारे में अपना निर्णय बदल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने भटिन्डा में ताप-विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

ईरान सरकार द्वारा अमोनिया की सप्लाई

2047. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
डा० म० संतोषम् :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री लोबो प्रभु :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान सरकार ने सरकारी स्तर पर भारत को अमोनिया सप्लाई

करने का प्रस्ताव किया है बशर्ते कि भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र को उसे ईरान से आयात करने की अनुमति न दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली के खोखे वाले

2048. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री 19 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4396 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मी बाई नगर के दुकानदारों की कलक्टर के माध्यम से वसूली बन्द करने की प्रार्थना नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अस्वीकार कर दी गई है और इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने सरकार को क्षति पूर्ति कर दी है / तेह बाजारी दे दी है, वसूली अभी भी कलक्टर के माध्यम से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या क्षतिपूर्ति/तेह बाजारी का हिसाब लगाते समय इन दुकानदारों द्वारा निर्माण पर किये गये व्यय को ध्यान में रखने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मोतीबाग के दुकानदारों के मामले में किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली के खोखों (स्टाल्स) के अधीन जमीन नई दिल्ली नगरपालिका को आवंटित नहीं की गई है, तथा इस प्रकार नगरपालिका खोखे वालों से तह-बाजारी एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है । नगरपालिका को इस स्थिति की सूचना दे दी गयी है ।

(ग) तथा (घ). हानि (क्षति) की गणना भूमि के मूल्य के आधार पर की जाती है न कि सुपरस्ट्रक्चर्स के आधार पर ।

तेल शोधन क्षमता का निर्धारण

2049. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1700 लाख की तेल-शोधन क्षमता के निर्माण में सरकार को कितनी धन-राशि

लगानी पड़ेगी तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा का भार पड़ेगा;

(ख) क्या वर्तमान एककों के विस्तार की अनुमति देकर यह व्यय बचाया जा सकता था और यदि हां, तो इसे किस आधार पर अस्वीकार किया गया; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय तेल के लिये रक्षित राशि में से लगाई जाने वाली विदेशी पूंजी पर इस कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) सरकार ने 1700 लाख मीटरी टन की तेल शोधन क्षमता स्थापित नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

उचित मूल्य की राशन तथा सहकारी दुकानों में अपमिश्रण के मामले

2050. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्राप्त किये गये आंकड़ों के अनुसार मिलावट के पता लगाये गये कुल मामलों में से उचित मूल्य, राशन तथा सहकारी दुकानों में मिलावट के मामलों का अनुपात क्या है;

(ख) क्या ऐसी मिलावट के बारे में कोई विशेष आदेश है और यदि हां, तो विभाग तथा/अथवा निरीक्षणालय द्वारा वे कैसे लागू किये जाते हैं;

(ग) नमूनों में 51.3 प्रतिशत मिलावट का पता लगने के समाचारों को दृष्टि में रखते हुए सरकार पर्यवेक्षण के लिये अभिकरणों, जिनमें स्वैच्छिक संस्थाएं भी शामिल हैं, की संख्या क्यों नहीं बढ़ाती है; और

(घ) क्या सरकार केवल वस्तुओं के ही नहीं अपितु सारी दुकानों के जिनकी नियमित रूप से जांच की जाती है और जिनमें कभी भी मिलावट नहीं पाई जाती, एगमार्क की योजना पर विचार करने का इरादा रखती है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है तथा इस सूचना को सारे देश से एकत्र करने में जितना समय तथा प्रयत्न करना पड़ेगा इनसे प्राप्त होने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) ये सभी संस्थापन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत आ जाते हैं। स्थानीय निकाय अपने खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करते हैं।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को और अधिक कठोर बना दिया गया है और राज्यों को कह दिया गया है कि वे इस अधिनियम को सुनिश्चित रूप से पूर्णतः लागू करें। इस अधिनियम के दाण्डिक उपबन्धों को लागू करने की जिम्मेदारी स्वैच्छिक एजेन्सियों को नहीं सौंपी जा सकती किन्तु वे मिलावट के मामलों का पता लगाने में सरकारी निरीक्षकों की सहायता कर सकते हैं।

(घ) जी नहीं।

इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, जालन्धर

2051. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, जालन्धर ने गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत न्यू कालोनी, गोपालनगर, जालन्धर नामक बस्ती में क्वार्टरों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये क्वर्टार पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को किराया-खरीद के आधार पर दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या अब क्वार्टर पाने वालों को क्वार्टर खाली करने को कहा जा रहा है क्योंकि इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट का विचार क्वार्टरों की नीलामी करने का है;

(घ) क्या क्वार्टर पाने वाले दो वर्षों से अधिक समय के लिये क्वार्टरों की किस्तें दे चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

Government Hospitals in Pauri Garhwal

2052. **Shri Shiv Charan Lal:**

Shri Ram Charan:

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3655 on the 12th August, 1968 and state:

(a) whether the requisite information regarding Government hospitals in Pauri Garhwal has since been collected from the State Government;

(b) if so, when it would be laid on the Table; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) and (b). The requisite information promised ori-

ginally in reply to Unstarred Question No. 7070 on the 15th April, 1968 and again in reply to Unstarred Question No. 3655 on the 12th August, 1968, was laid on the Table of the Sabha on the 12th November, 1968.

(c) Does not arise.

नगरीय स्थानीय सरकारी निकायों के मुख्य कार्यालयों के कार्यकारी अधिकारियों के लिये सांझा राज्य संवर्ग (केडर) बनाना

2053. **श्री सिद्दया :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविहित उपबन्धों के अधीन नगरीय, स्थानीय सरकारी निकायों के मुख्य कार्यालयों के कार्यकारी अधिकारियों के लिये अब तक सांझा राज्य संवर्ग किन-किन राज्य सरकारों ने बनाया है;

(ख) विभिन्न राज्यों में संवर्ग का वास्तविक पदनाम क्या है;

(ग) शेष राज्य सरकारों को यदि कोई है स्थानीय निकायों के लिये इसी प्रकार का संवर्ग बनाने के लिये राजी करने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं;

(घ) क्या त्रिवेन्द्रम में हाल में हुए अखिल भारतीय स्थानीय निकाय अधिकारी सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार से नगर निगमों के उच्चतम प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों का एक अखिल भारतीय संवर्ग बनाने के लिये अनुरोध किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) भारत सरकार ने ग्राम-नगर सम्पर्क समिति तथा नगरपालिका कर्मचारी सेवा-शर्त समिति नामक दो समितियां स्थापित की थी । इन दोनों समितियों ने स्थानीय शासन सेवाओं जैसे प्रशासनिक सेवा, इन्जीनियरी सेवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा के लिए राज्य संवर्ग बनाने की सिफारिश की । इन समितियों की रिपोर्ट को सभी राज्य सरकारों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया ।

(घ) उनसे इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Investment of Japanese Capital in India

2054. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a recent statement of the

Japanese Industrialists that as a result of excessive taxation in India, Japanese Industrialists are reluctant to invest their capital in India ; and

(b) if so, whether Government propose to grant any tax relief to Japanese Industrialists in order to attract more capital in India from Japan ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir. Government's attention has been drawn to certain Press reports to this effect.

(b) The rates of taxation of incomes of corporate and non-corporate tax payers are reviewed every year and various factors relating to the economic needs of the country, budgetary requirements, incentives for investment of capital, including foreign capital in India, etc., are duly taken into account while formulating budget proposals for the fiscal year. There is no question of granting tax relief to industrialists from any particular country only.

Refund of Excise Duty

2055. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any Scheme is under consideration of Government to refund excise duty to traders in order to make Indian goods more competitive abroad, especially in West Germany ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c). Provision already exists under the Central Excise Rules, 1944 to refund the central excise duty paid on the goods (other than loose tea) exported to foreign countries. Excisable goods (other than loose tea) can also be exported under bond, without payment of duty. These provisions are equally applicable to exports to West Germany.

Inter Linking of Rivers

2056. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any Scheme is under consideration to connect various rivers in order to avoid floods and drought ;

(b) if so, the names of such rivers ; and

(c) when this scheme will be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). Interlinking of river systems is already being done wherever topographical hydrological and economic conditions permit. The waters of the Ravi, Beas and Sutlej have been and are being further inter-linked for maximum water utilisation in their basins as well as in the Rajasthan desert. The Mahanadi waters are being diverted into the Brahmani through Birupa weir, for flood control. A part of the flood discharge of the Budameru is being diverted into the Krishna river. These help mitigating the ill effects of floods and drought.

बिहार में बेरोजगार डाक्टर

2058. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 10 नवम्बर, 1968 के अंक में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बिहार में 2000 डाक्टर बेरोजगार हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन डाक्टरों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री का विदेशों का दौरा

2059. **श्री लखन लाल गुप्ता :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियंत्रण अध्ययन करने के लिये उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में विदेशों में गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य कौन-कौन थे तथा वे किन-किन देशों में गये और अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सर्वश्री गुरचरण सिंह, निदेशक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग और बरदा चरण महंदी, कार्यकारी इंजीनियर, असम सरकार, को साथ लेकर केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री ने 20 अक्तूबर से 8 नवम्बर, 1968 के बीच अमरीका का दौरा किया । उन्होंने मिसीसिपी, मिसूरी, टेनेसी और सैक्रामैन्टो नदियों के बेसिनों में किये गये विभिन्न बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का विस्तृत अध्ययन किया और उनके इंजीनियरों से बातचीत की । इन अध्ययनों तथा बातचीत का, हमारी नदियों पर आगामी बाढ़-नियन्त्रण कार्यों के नए सिरे से आयोजन में, लाभ उठाया जाएगा ।

बर्मा शैल तेल शोधक कारखाने की क्षमता का विस्तार

2061. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बर्मा शैल को उनके तेल शोध कारखाने की क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय बर्मा शैल के तेल शोध करखाने की कितनी क्षमता है;

(ग) सरकार द्वारा किस सीमा तक उनकी क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐस्सो और केलटेक्स से भी ऐसा ही प्रस्ताव किया है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (घ). सरकार ने बर्मा शैल को उनकी शोधनशाला के विस्तार के लिए पेशकश नहीं की है। फिर भी बर्मा शैल ने एक विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; जिस पर सरकार और कम्पनी के बीच विचार विमर्श हुआ है। इस विचार-विमर्श में शोधनशाला का विस्तार, एक उर्वरक सन्यन्त्र की स्थापना और शोधनशाला-करार का पुनरीक्षण शामिल है। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

(ङ) जी नहीं ।

आय-कर सम्बन्धी अपील

2062. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री, 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई ऐसी अपीलें, जो खारिज हो गई थीं और जिनकी प्रतिशततः 1966-67 तथा 1967-68 में 76 बताई जाती है, अधिक नहीं समझी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा दायर की गई अधिकांश अपीलें बेजान होती हैं और उनका बचाव करने में करदाताओं पर अनावश्यक बोझ पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) क्या करदाता द्वारा दिये जाने वाले शुल्क के बराबर शुल्क विभाग द्वारा दिये जाने की वांछनीयता पर जो अपील खारिज होने पर करदाता को वापस दिया जाना चाहिये विचार किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार इसे अपेक्षाकृत अधिक समझती है ।

(ख) जी, नहीं । कई मामलों में विभाग न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करना इसलिये आवश्यक समझता है क्योंकि कानूनी मुद्दा उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन है ।

(ग) यह सवाल ही नहीं उठता । किन्तु केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर आयुक्तों को समय-समय पर आदेश जारी किये हैं जिनमें न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के संबंध में एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है । आयकर आयुक्त जिसे कानूनन, अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के आदेशों के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त है, जब भी आवश्यक समझता है विभाग के स्थायी परामर्शदाता से सलाह लेता है ।

(घ) इस सुझाव पर विचार किया जायगा ।

बम्बे कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

2063. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बे कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई ने हाल ही में 9 वैलेस स्ट्रीट बम्बई स्थित एक भवन को बहुत कम कीमत पर विदेशी बीमा कम्पनी को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस भवन का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है और इसको किस मूल्य पर बेचा गया है;

(ग) क्या इस भवन को विदेशी कम्पनी को बेचने के लिये आवश्यक अनुमति ली गयी थी और यदि हां तो, भवन को बेचने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गयी थी; और

(घ) क्या इस बिक्री की अनुमति देने के लिये सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जहां तक सरकार को मालूम है यह इमारत अभी तक बेची नहीं गयी है ।

(ख) से (घ). ये सवाल पैदा नहीं होते ।

बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

2064. **श्री अनिरुद्धन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ने 12 वर्ष पूर्व अपनी पूंजी का लगभग 75 प्रतिशत भाग जामनगर की एक पार्टी को ऋण दिया था;

(ख) क्या उस राशि की वापसी के लिये कम्पनी ने कोई कानूनी कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या आयकर अधिकारियों ने इस संबंध में लेखा परीक्षकों की आपत्तियों पर विचार किया है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस कम्पनी के आयकर रिकार्डों से पता लगता है कि इसकी चुकता-पूंजी 30 लाख रुपये है। 1963 में जामनगर की एक पार्टी पर 21 लाख रुपये से ऊपर रकम बकाया निकलती थी।

(ख) कर-निर्धारण रिकार्डों से मालूम होता है कि उपर्युक्त कर्जदार के विरुद्ध 1963 में कम्पनी ने दीवानी मुकदमा दायर किया था।

(ग) अब तक पूरे किये गये कर-निर्धारणों के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा विषयक ऐसी कोई आपत्ति आयकर विभाग की नजर में नहीं आई है। इस मामले में कर-निर्धारण केवल 1963-64 तक ही पूरे किये गये हैं।

पेंशन पाने वाले संगठनों द्वारा अभ्यावेदन

2065. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों से पेंशनरों की संस्थाओं तथा पेंशनरों की ओर से उनकी पेंशन बढ़ाने के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मूल्यसूचक अंक में वृद्धि तथा जीवन निर्वाह के इन कठिन दिनों को देखते हुए पेंशनरों द्वारा उनकी पेंशन में कोई तदर्थ वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रपति शासन अधीन उत्तर प्रदेश में ऐसी वृद्धि के आदेश दे दिये हैं; और

(घ) क्या सरकार मणिपुर के बहुत ही कम पेंशन पाने वाले पेंशनरों की ओर विशेष ध्यान देगी तथा उनकी पेंशन में वृद्धि करेगी ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) पेंशनरों को कोई और एतदर्थ वृद्धि देने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली में श्रेणी चार के मकानों के बरामदों में जाली

2066. **श्री राम चरण** : क्या **निर्माण, आवास और पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में श्रेणी चार के नीचे के तथा प्रथम तल वाले मकानों

में आगे तथा पीछे वाले बरामदों में जाली लगवाने की प्रक्रिया के बारे में क्या नीति निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि जबकि मोतीबाग और पंडारा रोड के ऐसे बहुत से मकानों के बरामदों में तो जाली लगा दी गई है परन्तु दूसरे मामलों में बार-बार निवेदन करने पर भी जाली लगाना अस्वीकार कर दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्रेणी चार के बहुत से अधिकारी जिनके परिवार काफी बड़े हैं श्रेणी चार के मकानों में रह रहे हैं और उनके मकानों के बरामदों में जाली न होने के कारण अधिक स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा जिससे उन्हें बड़ी कठिनाई तथा असुविधा अनुभव हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन मकानों के बरामदों में निवेदन करने तथा बढ़े हुए किराये देना स्वीकार कर लेने पर जाली लगवाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). सरकार, दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में टाईप IV के क्वार्टरों के बरामदों में जाली लगाने की स्वीकृति, वहां के निवासियों के अनुरोध पर, विशिष्ट हालतों में देती है। इन अनुरोधों पर विचार करते समय, मामलेपर निर्णय, उसके गुणावगुण के आधार पर किया जाता है, और उनमें से एक महत्वपूर्ण आधार जिसे ध्यान में रखा जाता है, यह है कि क्या उच्चतर टाईप के क्वार्टर का पात्र अधिकारी निचली टाईप के क्वार्टर में रह रहा है। जाली लगाने की स्वीकृति देते समय, बस्तियों में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। जब कभी यह सुविधा जुटाई जाती है, किरायेदार से अतिरिक्त किराया वसूल किया जाता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कलकत्ता में नक्सलबाड़ी साम्यवादी छात्रों द्वारा मैकनमारा विरोधी कथिक हिंसापूर्ण प्रदर्शन तथा इसकी प्रतिक्रिया

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : मैं निम्नलिखित आविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें।

"कलकत्ता में नक्सलवाड़ी साम्यवादी छात्रों द्वारा मैकनमारा-विरोधी कथित हिंसापूर्ण प्रदर्शन तथा इसकी प्रतिक्रिया"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार छात्रों के एक दल ने 20 नवम्बर, 1968 को डमडम हवाई अड्डे पर तथा शहर में श्री मैकनमारा के दौरे के विरोध में

प्रदर्शन किये थे। डमडम हवाई अड्डे पर छात्रों ने पुलिस पर भारी पथराव किया। पुलिस को शरारती लोगों को हटाने के लिये अश्रु गैस के 10 राऊन्ड और हल्की लाठी चार्ज करना पड़ा। लाठी प्रहार के परिणामस्वरूप दस व्यक्तियों के घायल होने की सूचना मिली है।

2. कलकत्ता में लगभग 800 छात्रों के एक जलूस ने सार्वजनिक परिवहन में बाधा डाली और पुलिस पर बमों और ईंटों से हमला किया। छात्रों ने आसुतोष भवन से पुलिस के ऊपर बम तथा ईंटें फेंकीं। सायं चार बजे के लगभग तीन ट्रामों में आग लगा दी गई। इस डर से कि कहीं आग निकटवर्ती अन्य क्षेत्र और दुकानों में न फैल जाये उपायुक्त के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने विश्वविद्यालय के भवन में प्रवेश किया और पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद बम तथा ईंटें फेकना बन्द हो गया।

3. कुछ समय बाद विश्वविद्यालय के भवन से पुलिस दल को वापिस बुला लिया गया। जब दल वापिस लौट रहा था तब उस पर फिर से बम फेंके गये। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये पुलिस को अश्रु गैस के कई राऊन्ड छोड़ने पड़े। 31 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बम तथा ईटों से बहुत से पुलिस कर्मचारी और बहुत से व्यक्ति घायल हुए।

4. 21 नवम्बर 1968 को कुछ कालिजों के विद्यार्थियों ने हड़ताल की। 1 बजे के लगभग 1000 विद्यार्थियों ने एक जलूस निकाला और वे अमरीकी सूचना सेवा भवन की ओर चले गये और वहां उन्होंने प्रदर्शन किये। उन्होंने दो बसों और एक ट्राम में आग लगाई। उपद्रवियों द्वारा एयर लाइन्स की बस को छुड़ाने के लिये अश्रु गैस छोड़नी पड़ी।

5. 22 नवम्बर को भी प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। सायं लगभग 4.15 पर महात्मा गांधी रोड और कालिज स्ट्रीट के निकट पथराव करने वाली भीड़ को रोकने के लिये पुलिस को अश्रु गैस छोड़नी पड़ी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : देश में गत दो वर्षों में घटी घटनाओं को देखते हुए कलकत्ता में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे आश्चर्य नहीं होता। परन्तु देश में बढ़ती हुई ऐसी प्रवृत्ति पर दुख होता है। देश में इतनी अधिक मात्रा में विदेशी प्रचार सामग्री कैसे आ रही है? माओत्से तुंग की फोटो को लगाया जा रहा है। यह बात समझ में नहीं आती कि अभी भी देश में बुक स्टालों पर चीनी साहित्य बेचा जा रहा है। क्या ये मामले गृह-मंत्रालय की जानकारी में लाये गये हैं? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या कलकत्ते में किये जाने वाले प्रदर्शन पूर्वनियोजित थे?

क्या केरल राज्य से एकत्रित की गई सामग्री में "पूंजीपति प्रणाली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा" की पांडुलिपि की प्रतियां भी थीं।

क्या नक्सलबाड़ी में दो या तीन वर्ष पूर्व आरम्भ होने वाले हिंसापूर्ण प्रदर्शन देश के विभिन्न भागों में विभिन्न राजनीतिक दलों के रूप में फैल गये हैं?

यदि यह सच है तो गृह-कार्य मंत्रालय का गुप्तचर विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? कलकत्ते में छात्रों द्वारा साथ-साथ 40 प्रदर्शन किस प्रकार किये गये । इन सब बातों को देखते हुए सरकार को वामपंथी साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगाने में क्या हिचक है । इसका भारत और अमरीका के सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? सरकार वर्तमान सत्र में ऐसा संकल्प क्यों नहीं लाती ताकि देश में उत्पन्न होने वाली ऐसी प्रवृत्तियों को दबाया जा सके ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सच है कि देश में माओत्सेतुंग के साहित्य और उनके विचारों का प्रचार किया जा रहा है । हम कानून के अनुसार इस बारे में यथा संभव कार्यवाही कर रहे हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल और केरल में वामपंथी साम्यवादियों की गतिविधियों में सहयोगका प्रश्न है, हमें ऐसे किसी सहयोग की जानकारी नहीं मिली है, किन्तु यह सच है कि कलकत्ता में जो कुछ हुआ है, वह पूर्वनियोजित था । नक्सलबाड़ी में किया गया प्रदर्शन कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित किया गया था (**व्यवधान**) उन दलों के नाम समाचार पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं । हमें इस पूर्व-नियोजित प्रदर्शन की जानकारी थी अतः हमने सब उपचारात्मक उपाय किये थे, ताकि दौरा करने वाले माननीय अतिथि को कोई कष्ट न हो । जहां तक साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न है हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है और ना हि हमें ऐसा करने का कोई अधिकार है। जहां तक सेनाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का सम्बन्ध है उनके बारे में भी यही स्थिति है ।

श्री चेंगलराया नायडू : (चित्तूर) मैकनमारा के विरुद्ध किये गये प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रदर्शन छात्रों को भड़काने के उद्देश्य से किया गया था । क्या सरकार मैकनमारा विरोधी प्रदर्शनों और नक्सलबाड़ी साम्यवादियों द्वारा पुलिस स्टेशन पर किये गये हमले को ध्यान में रखते हुए कोई कार्यवाही करेगी । जब देश में नक्सलबाड़ी साम्यवादी क्रान्ति का आयोजन कर रहे हैं तो सरकार अपने हाथ में आपात अधिकार लेकर एक अध्यादेश क्यों नहीं पारित करती ताकि देश में नक्सलबाड़ी साम्यवादियों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : किसी से डरने का कोई प्रश्न नहीं है । संविधान के अनुसार किसी दल पर प्रतिबन्ध संभव नहीं । दूसरे हमारी यह नीति नहीं है कि एक राजनीतिक दल पर प्रतिबन्ध लगाकर हम स्थिति का मुकाबला करें ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : हम कितनी बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जो देश की स्वतन्त्रता या उसकी अखंडता का सौदा करते हैं । हम हिंसा और हुड़दंगा का भी विरोध करते हैं । सरकार की यह नीति रही है कि जब भी छात्रों ने प्रदर्शन किये हैं उसने हिंसा से काम लिया है । आज के सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञ परमाणु बम आदि हिटलर और मार्कएन्थोनी से भी खतरनाक हैं । (**व्यवधान**) क्या श्री मैकनमारा को हैलीकोपटर से ले जाया जाना बहुत आवश्यक था जबकि शहर में बाढ़ आने के समय प्रधान मंत्री ने बस द्वारा दौरा किया था ।

दूसरा प्रश्न कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रांगण में पुलिस के प्रवेश का है। विश्वविद्यालय की प्रवित्रता को बनाये रखना चाहिये। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि "बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने हमसे विश्वविद्यालय में पुलिस के प्रवेश करने का अनुरोध किया था, हमने ऐसा स्वयं नहीं किया" मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोवाइस चांसलर के वक्तव्य से कुछ लाइनें पढ़ता हूं :

"विश्वविद्यालय में विद्यमान उपकुलपति, प्रोवाइस चांसलर और अध्यापकों ने यह देखा कि कुछ पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों ने उस शाम उपकुलपति या वाइस चांसलर की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रवेश किया और दरभंगा हाल में उपकुलपति के कमरे के सामने विद्यार्थियों को और कर्मचारियों को पीटा"।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि दरभंगा हाल, पुस्तकालय और कैंटिन में बहुत से निर्दोष छात्रों और छात्राओं को बुरी तरह पीटा गया, क्या सरकार पुलिस की ज्यादतियों के बारे में न्यायिक जांच करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : श्री मैकनमारा के लिये हैलीकोपटर की व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी।

विश्वविद्यालय के क्षेत्र से पत्थर फेंके जा रहे थे और पुलिस वाले दाखिल हुए और 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और दमकल वालों ने आग को नियन्त्रण किया। आग को फैलने से रोकना बहुत आवश्यक था। इसी कारण पुलिस को मजबूर होकर विश्वविद्यालय क्षेत्र में जाना पड़ा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : The peaceful demonstrations will be held in a democracy. But it is improper to hold such demonstration against foreign guests. We do not want that students should participate in demonstrations. We would like to know the names of parties that were responsible for such demonstrations by students. Secondly may I know the extent of loss to property and whether the sufferers were refugees from East Pakistan ?

Shri Vidya Charan Shukla : I can give the names of the parties. In regard to loss due to fire, I am informed that about 20 shops of hawkers were gutted. We will think over the question of providing assistance to the victims of fire.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I want to know whether the extremist communist were behind this arson. Further I want to know whether this fire was not a rehearsal for the coming elections ?

Shri Vidya Charan Shukla: We will be quite careful and will ensure that elections take place in a peaceful manner so far as Communists are concerned there are many communist parties at present. I will give the complete information to the House.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का वार्षिक लेखा विवरण आदि

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) : मैं इन पत्रों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, के वर्ष 1966-67 के वार्षिक लेखा विवरण, तथा उस पर लेखा परीक्षित प्रति-वेदन, की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०-**2283/68]

(2) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1503 पर श्री बलराज मधोक द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के 29 अप्रैल, 1968 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2284/68]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 121वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 9 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1963 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 122वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 16 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2021 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2287/68]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) एस० ओ० 3834 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 1964 जो दिनांक 9 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1965 जो दिनांक 9 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी

(चार) जी० एस० आर० 1979 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 2019 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2286/68]

(3) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में, बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ 4 (125)/68-फिन (जी) की एक प्रति जो दिनांक 7 नवम्बर, 1968 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या एफ 4 (125)/68-फिन (जनरल) का शुद्धिपत्र दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2287/68]

(4) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उदघोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1948 की धारा 3क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस टी-3601/दस-902 (8)-65 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 अगस्त, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 1968 की अधिसूचना संख्या एस टी-1022/दस-902 (8)-65 में एक संशोधन किया गया।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०**-2288/68]

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत पत्र आदि

Papers under Companies Act, etc.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) Sir, on behalf of Shri K. Raghuramaiah I place the following papers on the table of the House :—

(1) A copy of the following papers under subsection (1) of Section 619 A of the companies Act, 1956 :—

(एक) Review of the Government on the working of Madras Fertilizers Limited, Madras for the period from 1st July, 1967 to 31st March, 1968.

(दो) Annual Report of the Madras Fertilizers Limited, Madras for the period from 1st July, 1967 to 31st March, 1968 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. **[Placed in Library. See No. LT-2281/68]**

(2) A copy of the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Eighth Amendment Order, 1968, published in Notification No. G. S. R. 1808 in Gazette of India dated thc 28th September, 1968, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. **[Placed in Library. See No. LT-2289/68]**

संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत पत्र
Papers under Article 323 (1) of the Constitution

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : I lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers under article 323 (1) of the Constitution :—

(एक) Eighteenth Report of the Union Public Service Commission for the period 1st April, 1967 to 31st March, 1968 (Hindi and English versions).

(दो) Memorandum explaining the reasons for non-acceptance by Government of the Commission's advice in the cases referred to in para 32 of the above Report (Hindi and English versions).

(2) A statement showing reasons for delay in laying the papers mentioned above. **[Placed in Library. See No. L T-2290/68]**

उत्तर प्रदेश बिजली (अस्थायी नियंत्रण अधिकार) (जारी रखना) अधिनियम
Uttar Pradesh Electricity (Temporary Powers of control) (Continuance) Act

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : I lay on the Table a copy of the Uttar Pradesh Electricity (Temporary Powers of Control) (Continuance) Act, 1968 (Hindi and English versions) (President's Act No. 26 of 1968) published in Gazette of India dated the 25th September, 1968, under sub-section (3) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1968. **[Placed in Library. Sec No. L T-2291/68]**

राज्य-सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा 19 अगस्त, 1968 को पास किये गये न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1968 से राज्य सभा अपनी 21 नवम्बर, 1968 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम
MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। तथा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष किये गये साक्ष्य की एक प्रति भी सभा-पटल पर रखता हूँ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति सम्बन्धी हाल की घटनाओं के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: RECENT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL MONETARY SITUATION

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं सभा-पटल पर वक्तव्य रखता हूं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2282/68]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE: QUESTION OF PRIVILEGE

Shri George Fernandes (Bombay-South) Sir, I want to raise the question of privilege on the arrest of Shri Madhu Limaye :

Rule No. 229 says that :—

"when a Member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order the committing Judge, magistrate or executive authority as the case may be shall immediately intimate such fact to the Speaker."

The Lok Sabha Bulletin part II of 8-11-68 in para 882 says that Shri Madhu Limaye along with 44 was arrested in connection with the violation of orders under Section 144 Cr. P. C. This was the first news about his arrest under Rule 229. On 19th Hon. Home Minister gave a statement. There was no reference to Section 144 in his statement. He referred to Section 151 and 107 Cr. P. C. and Section 188 under which the arrests were made. Similar was the position in regard to information given to Rajya Sabha. Sir, you can refer to the proceedings of Rajya Sabha in this matter.

Sir, in this way you will find that there is some bungling because there is great difference between the Lok Sabha bulletin news and the information given by the Hon. Minister of Home Affairs. Then the Minister has said that he refused to be released and moved a petition. Thus it is established that the Magistrate has sent wrong information. He is guilty of the breach of privilege of the House.

My second question concerns the Home Minister. He has misled the House. He wanted to conceal certain facts from the House.

This House has got the right to get released Shri Madhu Limaye. Parliament has got this right. In this connection I can quote from May's Parliamentary Practice.

I request you kindly to give consent to my motion.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, you can either refer it to committee on privileges or can allow a discussion here in the House.

अध्यक्ष महोदय : निर्णय करने से पूर्व मैं सरकार से तथ्य जानना चाहता हूं। कल मैं सरकार का पक्ष जानना चहूंगा। मुझे श्री मधु लिमये से भी जेल से एक पत्र प्राप्त हुआ है। मैं उस पर विचार करना चाहता हुं।

Shri George Fernandes : He is still under detention and presently in Delhi. Supreme court will listen him. You should ask the Home Minister to release him.

समिति के लिये निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव
MOTION EOR ELECTION IN COMMITTEE

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (ब०सू० मूर्ति) : श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) (एच) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, श्री जगन्नाथ पहाड़िया के स्थान पर जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है चार वर्षों की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) (एच) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, श्री जगन्नाथ पहाड़िया के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है चार वर्षों की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बज कर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at Seven Minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक
SUPREME COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Supreme Court Judges (conditions of Service) Act, 1958."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Vidya Charan Shukla : I introduce the Bill.

भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक
INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Before moving my motion I would request you to see the order paper in which my motion and the discussion on the Bill have been put together. But I have a motion to this Bill also and have submitted a motion under rule 109.

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं । अब आप संकल्प पर बोल सकते हैं ।

Shri George Fernandes : I want your guidance. On one side there is ordinance on which I have to to move motion of disapproval, on the other hand there is Bill on which discussion is to take place and on which my motion is to adjourn this discussion.

श्री रा०ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : इस संकल्प का उद्देश्य अध्यादेश का निरनुमोदन करना है । माननीय सदस्य अध्यादेश की निन्दा करना चाहते हैं । अतः वह इसे विधेयक से अलग करना चाहते हैं, नहीं तो संकल्प का कोई अर्थ नहीं रहता ।

श्री स०कुण्डू (बालासौर) : श्री जार्ज फरनेन्डीज के प्रस्ताव पर पहले विचार किया जाना चाहिये । हमने भी कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं । जब तक हम इस प्रस्ताव पर विचार नहीं कर लेते तब तक मंत्री महोदय विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत नहीं कर सकते । पहले हमें विधेयक की संवैधानिक मान्यता पर विचार करना चाहिये और उसके बाद आपको अपना विनिर्णय देना चाहिये ।

Shri George Fernandes : I may submit that you have clubbed together the Bill as well as the resolution whereas I want that the motion moved by me should be discussed prior to the introduction of the Bill. If the said motion is adopted then there will be no need of the Bill. In view of this the discussion on the Bill should take place only after giving your ruling on the resolution.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को संकल्प पहले प्रस्तुत करना चाहिये था । मंत्री महोदय ने औपचारिक रूप से अपना विधेयक पहले पुरः स्थापित किया है परन्तु उन्होंने केवल विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करना है और उसके कारण बताने हैं । यदि माननीय सदस्य का संकल्प पारित हो जाता है तो विधेयक पर आगे की कार्यवाही अपने आप ही रुक जायेगी ।

Shri George Fernandes : What about rule 109?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के भाषण के बाद यदि सभा आवश्यक समझेगी तो मैं इन्हें भाषण देने की अनुमति दे दूंगा ।

श्री स०कुण्डू : मैंने एक संशोधन में इस विधेयक की संविधानिक मान्यता के बारे में प्रश्न उठाया है । मंत्री महोदय के भाषण के बाद मैं इस विषय पर बोलना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बाद में अवसर दिया जायेगा ।

Shri George Fernandes : I beg to move that

"This House disapproves of the Indian Railways (Amendment) ordinance 1968 (ordinance No. 10 of 1968) promulgated by the President on the 14th September, 1968".

This ordinance was promulgated in the wake of the Central Government employees' strike which was to take place on 19th September, 1968. The demands leading to the strike were placed before the Government more than a year before this date and the notice was given one month in advance as required. But the Government did not take any action up to 14th September. It was only 4 days before the date of strike that President was advised by the Government to promulgate this ordinance. It is nothing short of a democratic process. Government could introduce an amendmeut to the Indian Railways Act, but they deliberately

brought an ordinance simply to avoid the Parliament. The Government adopted this facist attitude. The Government should have withdrawn this ordinance keeping in view the incidences occurred after the strike. A similar ordinance was promulgated in 1960 also and certain restriction were imposed on the employees but Government had not converted into law. The Government could easily advise the President to withdraw the ordinance as the purpose for which it was promulgated, has been served. But the Government is trying to convert the aforesaid ordinance into law.

The strike of the Government employees take place in other parts of the world also. Recently there was strike in Italy and the result was that Government of that country had to resign. These things happen in the world but nowhere ordinances are issued and police resorted to firing. It is important to note that for the first time peaceful picketing and squatting is also being declared as a punishable offence. This is a form of Satyagraha which we have learnt from Gandhiji. This is just to raise voice against the injusticc but it is in no way a crime. Railways have not been able to provide essential facilities like drinking water, electricity, fans, etc. When this is the position, the people have a right to protest and picket peacefully because people purchase tickets to travel by railways. Recently Madras High Court has also given a ruling to this effect. The Government should provide facilities at least for which people have been charged. Now it has been provided that

"Any attempts to obstruct any train, rail car or other rolling stock on the railways by squatting and picketing shall be an offence punishable with 2 years rigorous imprisonment or Rs. 500 fine or both. This is nothing but injustice and a facist attitude.

It may be pointed out that the rules which are applied to the railway employees of our country cannot be compared with any other country. A railway employee cannot become a member of any political party. Besides he is supposed to inform the Government in case his relative attends a meeting of a political party.

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं इस मामले की जांच करूंगा। बात यह है कुछ तत्वों की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राधिकारियों को करनी पड़ती है क्योंकि इस बात का सम्बन्ध रेलवे की सुरक्षा से है।

श्री जि० मो० विस्वास (बांकुरा) : यह बात ठीक नहीं है, यदि किसी रेलवे कर्मचारी का कोई सम्बन्धी राजनीति में भाग लेता है तो उसके बारे में अधिकारियों को सूचना देना उसका कर्तव्य है।

Shri George Fernandes : Including attendance at a meeting. In no other democratic country such restrictions have been imposed on the Government employees. I want to point out that democracy cannot come to an end just because of strike by Government employees on one day. There are many countries in which Government employees have trade union rights. But in India now more restrictions are being imposed on the railway employees **vide** Section 100-A. If a railway driver wants to go after performing his usual duty, he cannot go unless some other driver is present on the station to take charge of the engine. In case he is not available due to his illness or otherwise the former cannot leave the engine. The new Sec-

tions 100-A and 100-B are against the democratic principles and therefore this House disapproves the ordinance.

The purpose of introducing this religion is to crush the railway employees. Government cannot stabilise the democracy by resorting to such ordinances or legislations. In view of this I would request the Government to withdraw this Amendment Bill.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 10) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 14 सितम्बर 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा भारतीय रेलवे (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का अध्यादेश संख्या 10) का, जो राष्ट्रपति द्वारा 14 सितम्बर 1968 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

श्री चे० मु० पुनाचा : क्या मुझे इन बातों का उत्तर देना चाहिए अथवा विधेयक को प्रस्तुत करना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले विधेयक को प्रस्तुत करें।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विधेयक पुरःस्थापित किये जाने के समय कुछ माननीय सदस्यों ने इस सभा द्वारा इस विधेयक पर चर्चा करने की वैधानिकता का प्रश्न उठाया था और आपने उसे अमान्य घोषित किया था। इस विधेयक पर विचार करने का इस सभा को पूर्ण अधिकार है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक पर विचार किया जाये और श्री फरनेन्डीज का भी एक प्रस्ताव है। क्या सभा एक ही समय पर दो प्रस्तावों पर विचार कर सकती है ? सामान्य संसदीय प्रक्रिया यह है कि सभा के सामने केवल एक प्रस्ताव होना चाहिए ?

इस सभा के कुछ नियम हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक प्रस्ताव को निपटाये बिना सभा दूसरे प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इस तरह तो मैं तीसरा प्रस्ताव रख सकता हूं। यदि मूल प्रस्ताव के विरुद्ध कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो क्या मूल प्रस्ताव के विरुद्ध कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। आज की विषय-सूची में दोनों प्रस्ताव साथ

रख दिये गये हैं। इससे सदस्यों को कठिनाई होगी। दोनों प्रस्ताव परस्पर विरोधी हैं। कोई सदस्य श्री फरनेन्डीज के प्रस्ताव का विरोध करना चाहे और साथ ही विधेयक का भी विरोध करना चाहे, तो उसे कठिनाई होगी। श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ है। व्यवस्था के प्रश्न गलत चीजों को ठीक करने के लिये ही उठाये जाते हैं। यदि इस सभा में यही प्रथा है। तो नियम पुस्तक की क्या आवश्यकता है हमें हाउस आफ कामन्स में अपनाई जाने वाली प्रथा और परम्परा का पालन करना चाहिए। चूंकि प्रक्रिया नियम हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : यह एक भिन्न प्रस्ताव है कि इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी जाये। अब मंत्री महोदय एक पृथक प्रस्ताव कैसे रख सकते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाये। नियम 109 के अनुसार सभा में विधेयक पर किसी भी अवस्था में चर्चा के समय चर्चा के स्थगित करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के भाषण के बाद मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा।

श्री स० कुण्डू : सभा में मंत्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए। सभा के सामने प्रस्ताव यह है कि चर्चा स्थगित की जाये। इस पर मतदान और निर्णय होना चाहिए अन्यथा हम प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फरनेन्डीज ने अपनी बात रखी और अब मंत्री महोदय अपनी बात सभा के समक्ष रख रहे हैं। इसके बाद मैं माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दूंगा। अब श्री कुन्टे ने कहा है कि दोनों प्रस्तावों पर एक साथ विचार नहीं किया जा सकता है। उसका मुझे निर्णय देना है।

श्री स० कुण्डू : मंत्री महोदय प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते, केवल अपना मत व्यक्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री महोदय के भाषण और उनके द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद अपनी बात कह सकते हैं।

श्री स० कुण्डू : पहले इस प्रस्ताव को निपटायें और बाद में वे विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं, अन्यथा यह संवैधानिक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह बताना चाहते थे कि इस विधेयक पर क्यों विचार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभा के सामने प्रश्न यह है कि क्या श्री फरनेन्डीज और मंत्री महोदय, दोनों के प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा हो सकती है? कार्य मंत्रणा समिति ने

निर्णय किया है कि दोनों पर साथ ही चर्चा हो। 1960 में ऐसा ही प्रश्न उठाया गया था और विधेयक एवं अध्यादेश पर साथ-साथ चर्चा हुई थी। ऐसी परम्परा और प्रथा बन चुकी है कि दोनों पर साथ-साथ चर्चा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : 1960 से हमने इस सभा में एक प्रक्रिया अपनाई है, मैं नहीं समझता कि उनका व्यवस्था का प्रश्न वैध है। गत सत्र में भी ऐसा किया गया था। यदि वे इसे बेतुका समझते हैं, तो नियम समिति में इस प्रश्न को उठाया जा सकता है। इस समय तो हम कार्य मंत्रणा समिति की सहमति से ऐसा कर रहे हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : संविधान के अनुच्छेद 123 (2) के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि हम अध्यादेश का स्थान लेने वाला विधेयक संसद् के सत्र के आरम्भ होने के छः सप्ताह के अन्दर सभा में पेश करें। अध्यादेश के गुण-दोषों पर छः सप्ताह के अन्दर निर्णय किया जाना है और विधेयक पर विचार होना है। इसीलिए चर्चा स्थगित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मेरा निवेदन है कि विधेयक पर विचार किया जाये।

Shri George Fernandes : I beg to move :

"That the debate on the Indian Railways (Amendment) Bill, 1968 be adjourned."

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, if both the motions are being taken up together, they can not be now put separately.

Shri George Fernandes : My motion under Rule 109 and the earlier motion under consideration of the House are two different things.

श्री दत्तात्रय कुन्टे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अब तीन प्रस्ताव सभा के सामने हैं, पहला माननीय सदस्य के संकल्प का/दूसरा प्रस्ताव था कि विधेयक पर विचार किया जाये और अब तीसरा प्रस्ताव रखा गया है कि इस विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये, मैं विधेयक पर विचार करने सम्बन्धी चर्चा तथा चर्चा स्थगित करने संबंधी प्रस्ताव पर बोलना नहीं चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के मूल संकल्प पर बोलने के लिये मेरी बारी कब आयेगी।

इन तीन प्रस्तावों के अतिरिक्त और भी प्रस्ताव हो सकते हैं। तब आप असंगति को अनुभव करेंगे। मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करने की अनुमति चाहता हूं :

"कि इस नियम पर चर्चा अगले सत्र के लिये स्थगित की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फरनेन्डीज का विशिष्ट प्रस्ताव है कि विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाये। मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं, प्रश्न यह है......

श्री दत्तात्रय कुन्टे : मैं बता चुका हूं कि तीन प्रस्ताव पहले ही सभा के सामने हैं; मैं चौथा प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा अगले सत्र के लिये स्थगित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री दत्तात्रय कुन्टे : यह प्रस्ताव तो किसी भी अवस्था पर प्रस्तुत किया जा सकता है। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि इस विषय पर चर्चा अगले सत्र के लिये स्थगित की जाये"

आप इसे मतदान के लिये रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने केवल निश्चित समय का उल्लेख किया अन्यथा यह प्रस्ताव श्री जार्ज फरनेन्डीज के प्रस्ताव के समान है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : मेरा प्रस्ताव भिन्न है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : हमें पहले श्री फरनेन्डीज के प्रस्ताव को निपटाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही निर्णय दे चुका हूं कि सभा में ऐसी प्रथा रही है और दोनों प्रस्ताव सुविधा तथा सभा का समय बचाने के उद्देश्य से कार्य मंत्रणा समिति की सहमति से एक साथ लिये गये हैं। श्री कुन्टे का प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What will be consequences, if the motion of Shri George Fernandes is accepted? While occupying the chair, you cannot proceed with the presumption that his motion would be negatived. If this motion is accepted, will it not result in stopping discussion on the Bill and only the motion will be discussed? When the Bill and the motion both are being discussed together in the House how can you put them piece meal?

उपाध्यक्ष महोदय : जो बात आप सोच रहे हैं, वह नहीं होनी है। यदि श्री फरनेन्डीज का प्रस्ताव स्वीकार हो गया, तो इस पर चर्चा स्थगित हो जायेगी और उनके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी और यदि सभा उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है—दोनों ही नकारात्मक हैं—सभा के सामने कुछ भी नहीं है, और यदि यह स्वीकार हो जाती है, इसके परिणाम सभा देखेगी।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1968 पर चर्चा स्थगित की जाये"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 16; विपक्ष में 77

Ayes 16; Noes 77

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

Shri George Ferdandes (Bombay South) : Sir, I beg to move my amendment No. 6.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 सभा में मतदान के लिये रखा गया

सभा में मतदान हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष 16 : विपक्ष में 82

Ayes 16 ; Noes 82

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

श्री देवेन सेन (आसनसोल) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 पेश करता हूं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं अपना संशोधन संख्या 8 पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक संशोधन श्री अब्दुल गनी दार के नाम में भी है परन्तु वह सभा में उपस्थित नहीं हैं । संशोधन संख्या 37,38,39,40 और 41 भी पेश नहीं किये जा रहे हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : जिस प्रकार श्री जार्ज फरनेन्डीज ने अपना प्रस्ताव पेश किया था उसी प्रकार मैं अपना संकल्प पेश करता हूं कि श्री जार्ज फरनेन्डीज द्वारा पेश किये गये संकल्प पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप नियम 340 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव पेश कर रहे हैं ?

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप ऐसा नहीं कर सकते ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : विधेयक पर विचार शुरू होने से पूर्व आपने उसकी संवैधानिकता के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देने का आश्वासन दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिस समय विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, उस समय हमने यह सोचा था कि सभा इस पर विचार करने के लिए सक्षम है । परन्तु अब उसकी संवैधानिकता के बारे में माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । अतः वह अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री स० कुण्डू : मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 19 (1) (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार सब नागरिकों को संगठन या यूनियन बनाने का अधिकार प्राप्त है । इस मूल अधिकार के अनुसार किसी भी संगठन, व्यापारिक संघ या यूनियन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता । परन्तु वियेयक पर जरा दृष्टिपात कीजिए । यद्यपि विधेयक में 'हड़ताल' शब्द कहीं भी

नहीं लिखा गया है परन्तु विधेयक का प्रारूप इस प्रकार से बनाया गया है जिससे हड़तालों पर प्रतिबन्ध लग जाये। उस अध्यादेश, जिसके स्थान पर अब विधेयक लाया जा रहा है, के जारी करने का कारण यह था कि 19 सितम्बर को हड़ताल होने वाली थी। मेरा कहने का आशय यह है कि विधेयक का मंतव्य हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाना है, और ऐसा करना अनुच्छेद 19 (1) (ग) के विपरीत है। इस प्रकार यह विधेयक संविधान के अनुसार नहीं है और यह उसका उल्लंघन करता है। यदि सरकार यह लिख देती कि वह 'हड़ताल' पर रोक लगाती है तो यह विधेयक स्वतः ही असंवैधानिक बन जाता। परन्तु अब विधेयक की भाषा में 'हड़ताल' शब्द न लिखकर भी उसके द्वारा हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विधेयक को असंवैधानिक करार दे दें, तथा इसी आधार पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के निदेशक तत्वों या मूल अधिकारों के अध्याय में कहीं भी हड़ताल का अधिकार नहीं दिया गया है। किसी भी हड़ताल की वैधता या अवैधता के बारे में निर्णय करने का काम सरकार का है, मेरा नहीं। अतः इस समय आपका व्यवस्था का प्रश्न उचित नहीं है।

श्री पीलु मोडी : (गोधरा) प्रस्तुत विधेयक आरम्भ से लेकर चालबाजियों से भरा हुआ है। गत 20 वर्षों से हमारे यहां ऐसी सरकार है जो अध्यादेश और हड़ताल के विरोध की क्रिया तथा प्रतिक्रिया स्वरूप चल रही है, और झमेले में साधारण लोग कष्ट पाते हैं। जहां तक हड़तालों का सम्बन्ध है, मैं हड़तालों के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि उनसे उत्पादन आदि पर प्रभाव पड़ता है। मैं यह भी मानता हूं कि रेलवे, विमान-सेवा, सेना या पुलिस सेवा के क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें काम बन्द नहीं होना चाहिये। परन्तु श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार तो है ही, इसमें किसी प्रकार के शक की गुंजाइश नहीं है। साथ ही मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आजकल के श्रमिक संघ आन्दोलन पर राजनीति बुरी तरह से छायी हुई है। मेरा यह अनुरोध है कि यदि उपरोक्त क्षेत्रों के कर्मचारियों को सरकार हड़ताल के अधिकार से वंचित करना चाहती है तो उनके लिये कोई ऐसी व्यवस्था बनायी जानी चाहिये जिसके द्वारा उनकी शिकायतें शीघ्र दूर हो जायें; जिसके आधार पर निष्पक्ष अधिकारी पंच निर्णय के लिये बैठाया जा सके और जिसका पंच निर्णय दोनों पक्षों के लिये अनिवार्य रूप से मान्य हो। ऐसा करने के बजाय सरकार यह विधेयक लायी है जिसमें वह ऐसी शक्तियां अपने हाथ में बटोरना चाहती है जिनकी उसे आवश्यकता नहीं है और जो उसके अधिकार क्षेत्र से परे हैं। यदि धाप इस सम्बन्ध में कोई ठीक कानून बनाना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से विधेयक में लिखना चाहिए कि वह किस विधेयक विशेष पर या कर्मचारियों की किस श्रेणी पर यह लागू होगा। मेरे विचार से इस विधेयक की सीमा इंजन ड्राइवरों, गार्डों और सिगनलमैनों आदि ऐसे कर्मचारियों तक सीमित होनी चाहिये जिनका काम रेलगाड़ियों के संचालन में आवश्यक हो।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि कानूनों का देश में पालन किया जाना चाहिये । अध्यादेश के जारी किये जाने के पश्चात् वह देश का कानून बन गया था जिसका उल्लंघन कर्मचारियों को नहीं करना चाहिये था । यही नहीं प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह कानूनों का पालन करने के लिये अन्य नागरिकों को भी समझाये । यदि किसी कानून का विरोध करना है तो उसका विरोध समुचित रीति से किया जाये । हम सबका उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां शान्ति और व्यवस्था बनी रहे और जिसमें सामाजिक न्याय उपलब्ध हो सके ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करने के खड़ी हुई हूं हालांकि मुझे ऐसा करते हुए प्रसन्नता नहीं हो रही है । इसका कारण यह है कि मेरी सहानुभूति श्रमिकों के प्रति रहती है । इस सन्दर्भ में मेरा पहला प्रश्न यह है कि 19 सितम्बर को सांकेतिक हड़ताल करना आवश्यक क्यों हो गया था ? इसका एकमात्र कारण था पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव की समस्या जो प्रतिपक्षी दलों के सामने खड़ी थी ।

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao in the Chair]

क्योंकि कर्मचारियों ने एक ऐसा संकल्प पास किया था कि रेलगाड़ियों को रास्ते में ही छोड़ा जायगा और काम 'नियमानुसार' किया जायगा, इसलिये सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा जिससे जनसाधारण को असुविधा न हो । जब भी 'नियमानुसार' काम किया जाता है तभी जनता की असुविधा बढ़ जाती है । मान लिया गाड़ी किसी वन क्षेत्र में रोक दी जाती है, तो गाड़ी के यात्रियों को जिनमें बीमार बच्चे आदि भी होते हैं, कितनी असुविधा होगी, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है । उन्हें खाना पानी तक न मिल सकेगा । इस प्रकार यह हड़ताल किसके खिलाफ होगी ? यह तो जनता के विरुद्ध हड़ताल हुई, सरकार के विरुद्ध नहीं । रेलवे की सेवा उपयोगी सेवाओं में से एक है । इसके बन्द होने से या मार्ग में छोड़े जाने से यात्रियों को असुविधा होती है । जनता की सुविधा के लिये, समाज में ऐसी असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ऐसा विधेयक पास कर सकती है ।

विधेयक के उपबन्ध उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो जानबूझकर रेलगाड़ियों को मार्ग में छोड़ेंगे । यदि किसी ड्राइवर या गार्ड को निश्चित समय से अधिक काम करना पड़ता है तो उसे उसके बदले में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभान्वित किया जाता है । यदि उन नियमों में कोई त्रुटि है तो उसे सुधारा जा सकता है ।

हड़ताल का सिद्धान्त या दर्शन क्या है ? हड़ताल का कोई उचित आधार होना चाहिये । कर्मचारी या हड़ताल करने वाले हड़ताल इसलिये करते हैं कि उनके कष्टों के प्रति लोगों की सहानुभूति हो सके । जब तक जनता की सहानुभूति हड़तालियों के प्रति न होगी तब तक हड़ताल का उद्देश्य पूरा न होगा । अतः मैं उन लोगों से भी यह अपील करती हूं जो कर्मचारियों को हड़ताल आदि की सलाह देते हैं कि वे इस प्रकार की हड़ताल न करवायें जिससे हड़ताल

करने वाले कर्मचारी जनता की सहानुभूति खो बैठें। कुछ श्रमिक संघ के नेताओं ने तो मुझे यहां तक बताया है कि उन्हें हड़ताल में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है और श्रमिकों के आन्दोलन में एकता बनाये रखने के लिये उन्हें मजबूरन हड़ताल में शामिल होना पड़ेगा।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने यह प्रश्न उठाया था कि सरकार 100 क और 100 ख मूल अधिनियम में नयी धाराएं जोड़कर अधिक शक्तियों को क्यों बटोरना चाहती है। इसका सीधा उत्तर यही है कि मूल अधिनियम 1890 में पास हुआ था और उस समय श्रमिक आन्दोलन में घेराव, गाड़ियों को बीच में ही रोक देने या उन्हें चलने ही न देने जैसे अन्य उपायों का जन्म न हुआ था तथा जो उपाय आजकल श्रमिकों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाये जाते हैं। अतः नयी स्थिति से निबटने के लिये सरकार को नये प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता है।

कुछ सदस्यों ने सत्याग्रह या काम रोकने के हथियार को गांधीजी की देने बताया है। यह ठीक है परन्तु उनका शस्त्र अहिंसा से जुड़ा हुआ था। आज स्थिति इससे विपरीत है। आज हिंसक छात्र आन्दोलन को देखो, केरल के विध्वंशात्मक आन्दोलन पर दृष्टिपात करो या तोड़-फोड़ करने वाले हड़तालियों की ओर नजर उठाओ, आप सब ओर हिंसा के तांडव नृत्य को ही देखेंगे। हिंसात्मक गतिविधियों के लिये भी गांधी जी की दुहाई देना कहां तक ठीक है।

जहां तक रेलवे की कार्यकुशलता की बात है, उस पर विचार करते हुए भी दुख होता है। पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक दुर्घटनाएं हुई हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि गलती किस स्तर—प्रशासनिक, तकनीकी या मानवीय स्तर—पर है। जहां से भी गलती होती है, उसका सुधार किया जाना चाहिए।

यदि कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें इसकी जांच करके स्थिति ठीक करनी होती है।

कार्मिक संघों का यद्यपि यह उत्तरदायित्व है कि व अपने अधिकारों के लिए लड़ें परन्तु उन्हें यह भी देखना है कि कर्मचारियों का कर्तव्य भी अच्छी प्रकार पूरा होता है। अपने प्रगतिशील देश के लिए हमको मिलकर काम करना है। परस्पर झगड़ों से उन्नति रुक जाती है।

यह विधेयक 19 सितम्बर की हड़ताल के बाद प्रस्तुत हुआ है और इसका कारण यह हड़ताल ही है। मैं रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों से अपील करूंगी कि वे इस नाजुक स्थिति में अपने सारे झगड़े भूल कर इस अप्रिय स्थिति को समाप्त करें।

मैं कर्मचारियों की भावनाओं को समझती हूं और चाहती हूं कि अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य अच्छे सम्बन्ध रहें। यह कैसे हो, इसका आपने निर्णय करना है।

इसके साथ-साथ, जहां हम हड़ताल के बारे में, जहां हम कर्मचारियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाते हैं वहां हमने यह भी देखना है परस्पर बातचीत द्वारा निर्णित निर्णयों को शीघ्रातिशीघ्र

लागू किया जाये, तथा यदि कोई बात परस्पर बातचीत से तय नहीं हो पाती तो जल्द से जल्द उस पर पंच फैसला कराया जाये। मैं रेलवे अधिकारियों से यह जानना चाहूंगी कि वर्ष 1956 से कितने ऐसे मामले अनिर्णित पड़े हैं। कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने वाली व्यवस्था को अधिक सक्रिय होना चाहिये क्योंकि इस संदर्भ में निराशा के कारण ही यह असंतोष फैलता है, वे कानून को हाथ में लेते हैं तथा फिर सरकार को कठोर कानून बनाने पड़ते हैं। हम इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहते।

कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों आदि से सम्बन्धित सैकड़ों मामले चार-चार वर्षों से अनिर्णित पड़े हैं। वे क्यों नहीं जल्दी से हल किये जाते? इसके लिये कोई विशेष व्यवस्था क्यों नहीं की जाती?

अभी हाल ही में गृह-कार्य मंत्री ने 44,000 अस्थाई कर्मचारियों की अपदस्थता के नोटिस वापस लेने की घोषणा की है। परन्तु क्या यह भी जांच की गई है कि वास्तव में कितने मामलों में नोटिस वापस लेकर कर्मचारियों को पूर्वस्थिति पर बहाल किया गया है? मुझे मालूम हुआ है कि इस संदर्भ में कुछ अधिकारियों में प्रतिशोध की भावना व्याप्त है। अनेक स्थानों को अनावश्यक रूप से प्रतिबन्धित स्थान भी घोषित किया गया है जिससे कि कर्मचारियों में बुरी भावना का जन्म होता है। यह स्थिति भी ठीक की जानी चाहिए।

असम के खतरनाक नागा क्षेत्रों में हम रेल कर्मचारियों ने बड़े साहस और वफादारी से कार्य किया है। यदि हम अपने कर्मचारियों को विश्वास और उत्साह दें तो वे और अधिक साहस और वफादारी से कार्य करेंगे।

अन्त में मैं कर्मचारियों की दो उचित मांगों के लिये अनुरोध करूंगी। पहली तो यह कि स्थाई कर्मचारियों को तो आपने निलम्बित किया है तथा अस्थाई कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया है। आप अस्थाई कर्मचारियों को भी केवल निलम्बित करके उनके मामले में जांच करवायें। दूसरे, इस चक्कर में बहुत से निर्दोष व्यक्तियों को भी दण्ड दे दिया गया है। उनके मामलों की भी ध्यान से जांच की जाय ताकि किसी को अन्याय का शिकार न होना पड़े।

अतः जहां मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं वहां मैं कर्मचारियों के लिये न्याय और दया का भी अनुरोध करती हूं।

श्री जि० मो० विश्वास (बांकुरा) : महोदय, जिस व्यक्ति को यदि किसी विषय में जानकारी न हो तो उस बारे में उन्हें नहीं बोलना चाहिए। श्रीमती सुचेता कृपालानी को रेलवे कर्मचारियों तथा उनकी कठिनाइयों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है।

भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 की धारा 128 में रुकावट पैदा करने के बारे में भी नियम दिये गये हैं तथा न्याय निर्णयक के निर्णय में चलती गाड़ी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के काम की सामान्य अवधि भी निश्चित कर रखी है। परन्तु इस बारे में कर्मचारियों और अधिकारियों

के मध्य बराबर झगड़े बने हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि चलती गाड़ियों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी तब शुरू होती है जबकि गाड़ी स्टेशन से चल पड़े। परन्तु गाड़ियां तो प्रायः लम्बे समय तक के लिये लेट हो जाती हैं तब भी चालक और गार्ड को तो गाड़ी के चलने के समय से प्रायः दो-तीन घण्टे पहले आना पड़ता है। गाड़ी लेट होने पर तो उनकी ड्यूटी न जाने कितने लम्बे समय की हो जाती है। इसके अतिरिक्त निश्चित कार्यावधि के बाद कर्मचारियों को आराम भी नहीं लेने दिया जाता और नियमानुसार यदि कर्मचारी ऐसा करते हैं तो उन्हें कठोर दण्ड दिये जाते हैं। इससे कर्मचारियों में न केवल असन्तोष है बल्कि अधिक समय तक लगातार कार्य करने को बाध्य होने पर दुर्घटनायें भी उनसे हो जाती हैं। रेलवे कर्मचारियों को 12–12 घण्टे लगातार कार्य करने पर भी आराम नहीं मिलता।

इस बारे में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने भी रेलवे कर्मचारियों के संघों की ओर से मांगें रखीं परन्तु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इसके अलावा यदि कोई अपनी इन मांगों के लिये कुछ कहता है तो उन्हें दण्ड दिये जाते हैं। वेतन वृद्धि रोक दी जाती है, निलम्बित कर दिया जाता है तथा इस विधेयक के पास होने पर तो उन्हें जेल भी भेज दिया जायेगा।

रेलवे कर्मचारियों के लिये बड़े-बड़े कानून बने हैं; आचार संहिता बनी है। तरह-तरह के अवांछित प्रतिबन्ध हैं। कोई इस पर ध्यान नहीं देता। जब कभी कोई दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री की आंखों में हम आंसू देखते हैं परन्तु क्या वह इन दुर्घटनाओं के मूलभूत कारणों का भी पता लगाते हैं? एक कर्मचारी को लगातार 24 घण्टे काम करने पर भी आराम नहीं लेने दिया जाता भले ही उससे विवशता से कोई रेल दुर्घटना क्यों न हो जाये।

इस देश में रेल व्यवस्था अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित की थी परन्तु उन्होंने रेलवे अधिनियम में कोई परिवर्तन लाना आवश्यक नहीं समझा। यह कांग्रेस सरकार भी पिछले 21 वर्ष से सत्तारूढ़ है। 1960 में भी हड़ताल हुई थी परन्तु स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी इस अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा। उन्हीं की बेटी आज इस गन्दे अप्रजातांत्रिक संशोधन की आवश्यकता अनुभव करती है **(व्यवधान)** 21 वर्ष के शासन के बाद यदि कोई ऐसा नियम या कानून बनाया जाता जिससे कि रेल कर्मचारियों की कार्यावधि में कोई कमी की जाती तो उसका स्वागत करते। परन्तु सरकार तो इस अप्रजातांत्रिक अध्यादेश रूपी अवैध शिशु को उन पर लादे रखना चाहती है।

हड़ताल तो फ्रांस, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों में होती हैं, हुई हैं परन्तु वहां किसी ऐसे काले कानून की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई जिसके द्वारा रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों का दमन किया जाये, हड़ताल करना एक कानूनी अधिकार है। परन्तु 19 सितम्बर की हड़ताल से सरकार में हीन भावना उत्पन्न हो गई और डर के मारे यह विशिष्ट अध्यादेश रेलवे कर्मचारियों पर दे मारा ताकि लोग हड़ताल में भाग न लें। परन्तु सरकार के दुर्भाग्य से फिर भी 10 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया।

हड़ताल के बाद भी सरकार ने बड़े अत्याचार किये हैं। उत्तर रेलवे में कालका स्टेशन पर पुलिस ने रेलवे कर्मचारियों के घरों के द्वार तोड़ कर, अन्दर घुस कर वहां पर लोगों, स्त्रियों और बच्चों को बुरी तरह पीटा। एक मकान में पुलिसवालों को कोई आदमी तो नहीं परन्तु एक भैंस मिली। उन्होंने उसको बुरी तरह पीटा। एक दूसरे मकान में पुलिस ने एक कुत्ते को भी नहीं बख्शा, उसे भी बुरी तरह पीटा। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस के सामने जो कोई भी आया उसने उसे ही पीटा। दक्षिण पूर्व रेलवे में अनारा और अदरा के स्थान पर जब रेलवे कर्मचारियों की पत्नियों तथा बच्चों ने हड़ताल की सफलता पर जब एक जलूस निकाला तो पुलिस ने उन पर पाशविक ढंग से लाठी चार्ज किया तथा आंसू गैस का प्रयोग किया। 48 लोग घायल हुए। एक स्त्री श्रीमती सुधांशु बाला की तीन जगह हड्डी टूटी। अमरीश चैटर्जी नामक एक व्यक्ति के सिर में बारह टांके लगे। 19 सितम्बर की हड़ताल के संदर्भ में निर्दोष व्यक्तियों पर पुलिस का यह अत्याचार था। आखिर इसका क्या कारण था? यही न कि जो कुछ वे मांगते थे अर्थात् मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्ते का विलय, आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन आदि? और यह एक स्वीकृत फार्मूला था कि यदि इन बातों पर समझौता न हो तो सारा मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंप दिया जाये। बस इतनी सी बात थी। परन्तु सरकार ने यह तो किया नहीं बल्कि इस मामले को राजनैतिक रंग देकर यह गैर कानूनी अध्यादेश जारी कर दिया।

सरकार के पास रेलवे कर्मचारियों को वश में करने के लिये हजारों नियम व कानून हैं। यहां तक कि रेलवे अधिकारी भी इस अनावश्यक अध्यादेश की बात सुनकर हंस देते हैं। आखिर और अधिक कानूनों की आवश्यकता ही क्या है? वास्तव में यह अध्यादेश और विधेयक अनावश्यक और फजूल हैं। सच तो यह है कि सरकार इस बात से घबरा गई है कि ये कर्मचारी उसके साथ नहीं हैं तथा अब सरकार पुलिस और डण्डे के जोर से उन्हें वश में करना चाहती है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा है कि 19 सितम्बर की हड़ताल को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। मैं चुनौती देता हूं कि आप इस विधेयक को जनता के विचार लेने के लिये जनता में घुमाइये यदि यह विधेयक जनता का समर्थन पा जाये तो मैं संसद छोड़ जाऊंगा तथा फिर कभी यहां नहीं लौटूंगा। क्या रेल मंत्री तथा श्रीमती सुचेता कृपालानी मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मुझे प्रसन्नता है कि मुझसे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि अवज्ञा करने वाले तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए हजारों कानून पहले से बने हुए हैं। इस प्रकार वह स्वयं मानते हैं कि उनकी दलील में कोई जोर नहीं है।

इस विधेयक की धारा 100 क तथा 100 ब से संविधान के अनुच्छेद 14 अथवा 19 का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं होता। अनुच्छेद 19 (1) (ख) के अधीन बिना शस्त्र लिये

बैठकें करने का अधिकार दिया गया है परन्तु अनुच्छेद 19 (3) के अधीन यह कहा गया है कि यदि कोई रेल कर्मचारी चलती ट्रेन को रोक कर, या कोई अन्य आदमी पटरी पर बैठकर जनता के हितों को हानि पहुंचाता है तो उसे कानून की ओर से दण्ड दिया जायेगा। कर्मचारियों का कर्त्तव्य भी जनता के हितों को ध्यान में रखना है। परन्तु यदि वे जनता के लिए असुविधायें उत्पन्न करते हैं तो सरकार उन पर यथेष्ट प्रतिबन्ध लगा सकती है। अतः प्रस्तावित धारायें अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करतीं।

माननीय सदस्य श्री विश्वास द्वारा वर्णित, भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 131 में रेलवे कर्मचारियों तथा अधिकारियों को रेलवे अधिनियम के अधीन दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्तियों को बिना वारंट गिरफ्तार करने के अधिकार प्राप्त हैं। इस विधेयक की धारा 100 क और 100 ख भी इस धारा में केवल संशोधन करती हैं। अतः यह समझना गलत है कि इन धाराओं से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।

इसके अतिरिक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 59 एक नागरिक को भी यह अधिकार देती है कि यदि वह किसी अन्य नागरिक को कोई जमानत के अयोग्य अथवा अन्य गम्भीर अपराध करता पाये तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। यदि यह अधिकार किसी सामान्य नागरिक को उपलब्ध हो सकता है तो वे रेलवे विभाग को भी अवश्य उपलब्ध है।

हम यहां किस बारे में विचार कर रहे हैं ? सभी जानते हैं कि कार्मिक संघों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। श्री जार्ज फरनेन्डीज एक बड़े कार्मिक संघ के नेता हैं, उनकी उद्योगपतियों में बड़ी जान पहचान है। परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं कि कर्मचारियों से कारखाने बन्द करवा देंगे या उद्योगपतियों के ही झांसे में आजायेंगे। वास्तविकता तो यह है कि मजदूर और प्रबन्धकों के मध्य एक आपसी समझ-बूझ पैदा की जानी चाहिए। और यह हो सकता है। परन्तु कार्मिक संघों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उन्होंने राजनैतिक नेताओं के प्रभाव में आकर और अपने ही हितों की उपेक्षा करके कुछ गलत कार्य किये हैं। इसे कौन न मानेगा कि रेलवे कर्मचारियों की स्थिति में सुधार होना चाहिए, परन्तु हर कोई बात ताकत के जोर से नहीं मनवाई जा सकती। कर्मचारियों तथा कार्मिक संघों ने ऐसा ही किया है। उन्होंने रेलवे सम्पति को हानि पहुंचाई है। इससे उनके हितों को लाभ नहीं होगा। हड़तालें अनेक स्थानों पर हुई हैं, यहां भी और विदेशों में भी; परन्तु कोई अपनी ही चीज को आग तो नहीं लगा देता। माननीय सदस्य इस बात को समझें। इस प्रकार की हरकतों से किसी को लाभ नहीं हो सकता। कार्मिक संघों के नेतागणों को यह बात समझनी चाहिए तथा यह निश्चय करना चाहिए कि इस प्रकार राष्ट्र की सम्पत्ति का विनाश न हो। परन्तु ऐसा तो इन्होंने पहले भी किया है।

सितम्बर 1968 की हड़ताल के बारे में मैं एक दो घटनाओं का वर्णन करती हूं। 19 सितम्बर को पठानकोट में हजारों रेल कर्मचारियों की भीड़ ने रेल-इंजन के फायरमैन को इन्जन से निकाल लिया और इसे कार्य न करने दिया। इसी प्रकार जलाकधारी (उत्तर पूर्व रेलवे) में

इंजन कर्मचारियों पर हमला किया गया और उन्हें काम न करने दिया गया। क्या कार्मिक संघों का यही काम है ?

इसी प्रकार की सैकड़ों उदाहरणें हैं जिनमें रेलवे कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों, प्रबन्धकों आदि का घेराव किया तथा कई बार तो उन्हें कमरे में ताला लगाकर बन्द कर दिया। यही कारण है कि यह विधेयक आज आपके सामने है।

गलत नेतृत्व में आकर, स्वार्थी नेताओं के प्रभाव में आकर रेलवे कर्मचारियों तथा कई बार तो रेलवे अधिकारियों ने भी रेलवे सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। आन्ध्र प्रदेश में ऐसे आन्दोलनों के कारण 23,55,000 रुपये की रेल सम्पत्ति नष्ट हुई। इसी प्रकार बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि अनेक स्थानों पर भारी हानि हुई है। जब इसी प्रकार के आन्दोलनों से इतना भारी नुकसान होता है तो फिर भी इस प्रकार का विधेयक न लाया जाये ?

परन्तु मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस प्रकार के विधेयक तो पेश करे परन्तु उस प्रकार के अध्यादेश जारी न करे। संसदीय विकास में यह एक सुन्दर बात नहीं है।

अन्त में, मैं श्री फरनेन्डीज द्वारा कही गई इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि रेलवे कर्मचारियों का एक गलत कदम सारे देश का कारोबार ठप्प कर सकता है। इसके साथ ही वे स्वयं भी इस सारे विभाग को निमंत्रित कर सकते हैं। जब श्री फरनेन्डीज सार्वजनिक रूप से ऐसा कहते हैं तो भी क्या यह आवश्यक नहीं हो जाता कि इस प्रकार विधेयक संसद में आये ताकि ऐसे नारे फलीभूत न हो सकें ?

Shri Suraj Bhan (Ambala) : I stand to support the motion moved by Shri George Fernandes and I oppose the Bill moved by Shri Poonacha. This ordinance is a black Act and the Government, by bringing forward this Bill, has murdered democracy. The Government fully know it that the employees were going to resort to a strike.

There was no alternative before the employees except to resort to strike since the cost of living has become very high in the last few months. The railway employees put up their demands before the Government through J. C. M. but the Government did not accept them.

Some people might say that these employees were traitors. It is not a correet statement. We should not doubt their loyalty. During Indo-Pak conflict, these employees had rendered wonderful service and some of them even sacrificed their lives. The strike was the last resort on the part of the employees.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

In 1960, when the employees had decided to launch a strike for an indefinite period and had served notice on Government to the effect, Dr. Rajendra Prasad, the then President, was ill. Dr. Radha Krishnan was officialing for him. He refused to sign the ordinance put up before him by the Government. But this time, the Government issued the ordinance about the

strike which was only for one day and now Government wants to keep this ordinance, a black Act, on its statute Book permanently.

At Ambala eantt station, the employees, who simply raised slogans "Long Live Mazdoor Unity" were beaten mercilessy by the police.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

One employee, named Chaitan Dass was run over by the train at the Jagadharl railway station in connection with the strike. I had asked for a judicial enquiry into this case. In ease a judicial enquiry cannot be held about this case, a magisterial enquiry must be held.

The police lathi-charged the railway employees, at Bikaner, who were picketing there. One girl, Miss Manju was shot by D. S. P. when she fell down the D. S. P. fired second shot at her. When one employee named Krishan Gopal tried to lift that girl, he was also shot and he died. This type of indiscriminate firing was done there.

In Ferozepur, wife of an employee was standing with her daughter in her lap. The police lathi-charged her and the lathi struck with her daughter and the daughter died. Later on, the police compelled her to sign a statement that the daughter was suffering from fever. I would request Shri Poonacha and Shri Chavan to hold a magisterial enquiry into it.

It is a matter of great astonishment that services of even those employees, who were sanctioned leave for 19th September, the day of the strike, after asking from them the reasons for their non-attendance, are being terminated. The officers are adopting a revengeful attitude in the matter. If you want to create goodwill in Railway administration and increase the efficiency of the railways, you will have to adopt a sympathetic policy.

I want to add one thing more. Some officers have been taking revenge from scheduled caste employees. One employee, named Tulsi Ram, who was a member of Scheduled Caste and who did not participate in the strike was suspended on 18th.

Therefore, I would request that in the interest of efficient working of the railways Government should deal with their employees sympathatically and stop its policy of victimization of employees. There is no need of enacting any black Act for this purpose. The laws, already in force, are sufficient for the purpose.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैंने इस विधेयक के विरुद्ध कही गई बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। मैं जानता हूं कि प्रत्येक कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने का होता है। इस प्रकार के विधान का विरोध तो किया जाना ही चाहिये। लेकिन हमें यह देखना है कि इस मामले में क्या स्थिति है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने बताया कि कुछ स्थानों पर अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों का जीवन दूभर कर दिया गया। मैं श्री जार्ज फरनेन्डीज, श्री बनर्जी और अन्य मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की बातें कार्मिक संघों की गतिविधियां हैं ?

किसी भी व्यक्ति को कानून और व्यवस्था तोड़ने का अधिकार नहीं है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि किन परिस्थितियों के कारण सरकार को इस प्रकार का कानून लाने के लिये बाध्य होना पड़ा।

भाषा के प्रश्न पर जब आन्दोलन चला था, उस समय भी रेलवे पर सबसे पहले प्रभाव पड़ा था। अन्य मामलों से सम्बन्धित आन्दोलनों में भी रेलवे के संचालन पर प्रभाव पड़ा है और रेलवे की सम्पत्ति को हानि पहुंची है, क्या ये गतिविधियां वस्तुत: कार्मिक संघ की गतिविधियां हैं।

1890 में, जब यह रेलवे अधिनियम पारित किया गया था, जो स्थिति थी वह अब बदल गई है जिसके कारण इस मूल अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

इस विधेयक के अन्तर्गत दो बातों की व्यवस्था की जा रही है। पहली व्यवस्था तो यह की जा रही है कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी को छोड़ देने वाले कर्मचारी को अथवा रेलवे लाइनों की तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाय। क्या ऐसा करना सरकार के लिये उचित नहीं है।

दूसरी व्यवस्था रेलगाड़ियों के चलने में वाधा डालने वाले व्यक्तियों को दंड देने के बारे में है। यदि सरकार को बाधा डालने, धरना देने और चलती गाड़ियों को रोकने के मामलों को भी समाप्त करने का अधिकार नहीं है, तो फिर सरकार के अस्तित्व का क्या लाभ है। इस प्रकार के कानून को काला कानून बताना ठीक नहीं है, इन दो उपबन्धों के अलावा इस अधिनियम में और कोई भी उपबन्ध नहीं है।

हम रेलवे प्रशासन को अधिक शक्तियां दे रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ निवेदन करना है। इन शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी से और न्यायपूर्वक किया जाना चाहिए। दूसरा निवेदन यह है कि इस विधेयक में रखे गये दंड को कम किया जाना चाहिये। बाधा डालने और धरना देने के लिये निर्धारित की गई 2 बर्ष की अवधि को 1 वर्ष किया जाना चाहिए। पश्चिम रेलवे में 7 से लेकर 10 वर्ष तक की नौकरी वाले नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित बनाया जाना चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इन शक्तियों को अपने हाथ में लेने के साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि कर्मचारियों और यात्रियों की क्या-क्या शिकायतें हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Union Government was responsible for one day strike on 19th september, 1968. The Government should have appreciated the position and accept the recommendations about the demands of the Central Government employees made by different commissions appointed by Government.

The question is that the expenditure should be done according to the revenue received. May I ask the Government how much money is spent on the saloons of the railway officers. Even Members of Parliament, who are elected by the people, are not allowed free travel in air-conditioned coaches. They have to pay for it. How it is justified to treat the Members of Parliament on a different footing.

The Government should not have passed the ordinance when this Parliament was going to meet in a few days. But it is a matter of great pain to me that the Government did not adopt the proper method and now Government is trying to give it a legal shape after getting the ordinance passed through back door.

At the time of Indo-Pak conflict, the railway employees had proved that they were great patriots of the country. But I regret to say that the Hon. Minister is today doubting their integrity. I would urge upon the Government that the legitimate demands of the labourers should not be overlooked. The discontentment among the labourers is not in the interest of the country.

The members of the opposition parties have been criticsed that the production has been hampered due to the activities of their Unions but I would like to point out that as compared to that there has been much loss in public sector due to the inefficiency of the officers.

I am compelled to say that the Congress members spend more foreign exchange as compared to members of opposition parties. There is great difference between Government's word and its actions. I would ask the Hon. Minister whether he is prepared to give as much bonus as has been declared by I. O. C. The loss to the railway is a loss to the whole country and on the plea of this loss, the imposition of restrictions on the employees is unreasonable. Their problems should be solved anyhow.

The members of ruling party have called me an agent of Pakistan. This is really very unfortunate.

The economy of the country should be placed on a sound footing and unless there is equal distribution of wealth, democracy would prove an utter failure in the country. I would like to impress upon the congress members that they should consider this issue in consultation with members of opposition parties and some responsible leaders of Unions and try to evolve a solution of it. Exchange of views is essential for the prosperity of the country and for increasing production. I would again submit that the Hon. Minister should not look upon the railway employees with a suspicious eye as regards their patriotism.

I would warn my Hon. friends on the opposite side that in case they donot try to mend themselves and improve the matters, bad days are ahead. I would request Shri Poonacha that instead of insisting on the passing of this Bill, he should call a meeting of the Union leaders and try to find out a solution of it.

श्री सामिनाथन् (गोबीचेट्टिपलयम) : मैं माननीय रेलवे मंत्री द्वारा लाये गये भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसका कारण यह है कि इस कानून के द्वारा संविधान में विदित मूलभूत अधिकारों को छीना जा रहा है। प्रस्तावित खंड

100 ए के अन्तर्गत यदि कर्मचारी काम करने से इन्कार कर देता है, तो उसे 2 वर्ष के कारावास की सजा दी जायेगी और 500 रुपये जुर्माना देना होगा ।

श्रीमान्, रेलवे अधिनियम में गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे रेलवे कर्मचारियों के बारे में काफी उपबन्ध हैं । अतः खंड 100 क और 100 ख के द्वारा लाये गये ये संशोधन अनावश्यक हैं ।

लाखों रेलवे कर्मचारी इतने अधिक वर्ष से अपनी विभिन्न उचित मांगों के लिये जोर देते आ रहे हैं परन्तु सरकार ने उनकी इन उचित मांगों को स्वीकार करने की ओर ध्यान नहीं दिया है । सरकार के लिये उचित यह होगा कि वह उनकी सद्भावना और परिश्रम को रचनात्मक गतिविधियों में लगायें और इस प्रकार के संशोधी विधेयकों द्वारा अधिक शक्तियां लेकर उनकी गतिविधियों पर रोक न लगायें । रेलवे मंत्री रेलवे मंत्रालय में हजारों रुपये पाने वाले बड़े-बड़े अफसरों की सलाह मानते हैं और लाखों रेलवे कर्मचारियों की उचित मांगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं । दुर्घटनाओं को न होने देने के लिये तथा मुसाफिरों के लिये सुविधाओं में वृद्धि करने के सुझाव देने के लिये एक आयोग की नियुक्ति करने की बजाय, सरकार रेलवे कर्मचारियों पर और अधिक प्रतिबन्ध लगा रही है । रेल के किराये बहुत अधिक हैं जिन्हें जनता देने में असमर्थ हैं । इन किरायों को किस प्रकार कम किया जा सकता है, इसके लिये एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये । परन्तु सरकार इसके स्थान पर कर्मचारियों के दिल में सरकार के प्रति दुर्भावना और घृणा को बढ़ावा देने पर उतारू है ।

चूंकि इस संशोधी विधेयक का लाखों रेलवे कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा, और चूंकि सरकार के पास पहिले से ही काफी शक्तियां हैं, मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूँ । मेरी प्रार्थना है कि रेलवे मंत्री इस विधेयक को वापस ले लें ।

Shri Naval Kishore (Dausa) : This House is considering the Railway (Amendment) Bill and many Hon. Members have said a lot about it. They have pointed out the grievances of the Railway employees as also the steps taken by the Government in connection with strike held by them. I believe this hue and cry by many of the Hon. Members is politically motivated.

This Bill which is going to replace the Railway Ordinance rightly issued by the Government when there was no way out left for the Government, is surely an appropriate measure to ensure the country's peace and order. The issuance of the Ordinance too was also very essential as per the circumstances then prevailed, since a large number of Railway employees had become the instruments of some politicians and were planning to bring the working of the administration and also of the Railways to a stand still. It was certainly very unfortunate that the politically influenced leaders of the strike resorted to strike at such a time when there left no scope for initiating mutual understanding ; and the Government had to resort to issuing this Ordinance. It is wrong to say that the Government was going to control labour laws and disband labour organisations.

This Ordinance was issued only with a view to ensure proper functioning of the Administration, and it is very essential in a democratic country like ours. The Labour Organisation

should look for the welfare of the labour and also their rights ; but in no way they should disrupt the smooth running of the administration by resorting to strike at a crucial time just to create disorder and inconvenience everywhere in the country. And if they indulge in such actions or try to take the administration in their hand, naturally the Government has to take up appropriate measures to foil their misdeeds. No doubt they should ensure their welfare and also their rights but when they are misled by the selfish politicians and they indulge in such subversive and harmful activities like that of stopping the train in a jungle at mid-night, destroying the public property in the name of students or language or disrupting the railway traffic by blocking the railway lines etc., obviously the Government has to rise to the occasion. And hence this ordinance which is being replaced by the present Bill.

Also, this Bill is not for the railway employees only but for all those who create troubles in this regard. There have been numerous incidents during the last one and a half years when much obstacle was put in the smooth running of railways. In such circumstances, is it not our duty to remove all these obstacles so that our people do not suffer for no fault of theirs ?

It has been pointed out here that such provisions already exist in the present rules. It is true but there are people other than railway employees also who indulge in these things and the present set of rules does not provide much for them that is why this Bill has become necessary.

I would request the Government also to reconsider the labour set up of our country. Railways are also a big Government undertaking and people in Government undertaking are working not for any individual interest or profit, they are working for the nation. So a national spirit should be infused in them so that instead of putting obstacles they might help in the progress and development of the nations. It was really a matter of regret that the Railway employees resorted to strike at such an hour of crisis when the people in Rajasthan were suffering from drought and the lives of men, women, children and cattle were in great danger owing to shortage of food and water. The Railway employees never cared for the lives of their brethren.

In the end, I would appeal all the Members to heartly support this Bill and pass it.

आधे घन्टे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

पाकिस्तान की सैनिक तैयारियां

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : Last week, a large number of Hon. Members had put a question in regard to the Pakistani Military Preparations but the Defence Minister's reply was not at all satisfactory. Although he had admitted that Pakistan continues military activity of various kinds including construction of defence structures and conducting of training exercises across the border. But he had also said that there was, however, nothing to indicate that there had been a significant increase in these activities recently.

But when Pakistan is trying to get military equipment from Turkey and other European countries, is it not a proof that she is increasing her military power speedily ?

A Hon. Member had quoted President Ayub saying that India will have to understand that she should live peacefully. No doubt, we are peace-lovers and the whole world knows it. But in spite of that if some one troubles us, we cannot permit him to do so. Pakistan has been troubling us time and again, and now also she is increasing her military preparations with the same intention.

But the Hon. Defence Minister stated that that is to divert the attentions of the Pakistani people from their internal problems and this is the type of pastime in which Pakistani Leaders often indulge when they face difficult situations in their own country.

Although we admit it but we should not forget that this propaganda can take some different form also. We should, therefore, be fully prepared to face all that. Hon. Minister's only reply that "we will give a befitting reply" does not satisfy us fully. We want to know more about our adequate preparations in this regard. We do not want to know the military secrets but we should be told whether we are very well prepared to face any outer aggression whenever it comes.

The Hon. Minisiter stated that he does not assess any aggression from Pakistan in very near future. May I know the grounds of his assessment? Also he had admitted that Pakistani spying is going on in different parts of our country. We want to know as to which people are connected with this anti-national activity and what arrangements have been done by the Hon. Minister to check it. There can be no two opinions that it is a very very dangerous thing for the country.

About the border-roads also the Hon. Minister said that the burden of constructing development roads has also been put on the Army. But if those development roads also are conducive to our military preparations, we should not hesitate in doing that at this level. It is not proper to discriminate here. The Hon. Minister's reply was therefore not satisfactory.

Finally, I would submit that we should not always be on defensive side and should be ready to teach a lesson to the aggressor so that the enemy may not dare to trouble us time and again. You might remember that just after the Independence, Pakistan indulged in lifting away cattle from our territory on the Gujarat borders but when the then Deputy Prime Minister reacted in not much dissimilar a way, the Pakistan Premier Mr. Liaqat Ali offered to shake hands, and it stopped from both sides.

Now Pakistan is encouraging and supplying arms to hostile Nagas, and also sending her infiltrators in our territories. Why should then we also react to it by extending our sympathies to the poor Pakhtoons and people of East Bengal ? We should not always take a defensive side. We should make it clear to the enemy that he will be taught a lesson if he did any mischief. We don't want to threaten anybody but the enemy should know it that we shall not tolerate his misdeeds.

श्री कुण्डू (बालासौर) : सरकार ने भी माना है कि हमारे सरकारी उपक्रमों तथा अन्य स्थानों पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा कई बार तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां की गई हैं। यह बड़ी गम्भीर बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन चीजों को रोकने के लिये सरकार ने वास्तव में

क्या किया है। क्या सरकार ने इसकी पड़ताल की है कि हमारे कुछ सरकारी संस्थानों में पाकिस्तानी नागरिक भर्ती हो गये हैं ?

सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्र देने का निर्णय करने से भारत का पक्ष कुछ कमजोर पड़ गया है। वस्तुतः भारत में यह भय पैदा हो गया है कि हम पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने में समर्थ नहीं हैं। आज का युद्ध सिपाहियों की संख्या पर नहीं बल्कि शस्त्रास्त्रों के आधुनिकतम होने पर निर्भर करता है। अतः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह भय कहां तक उचित है ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : So far as resources, manpower and national spirit are concerned, there is no comparision between India and Pakistan. But the point is that we should have as much power as may enable us to set right East Pakistan in 48 hours and the West Pakistan within seven days. Indo-Pak conflict is sure to take place even if we surrender seven Kashmirs to Pakistan. So, are we well prepared to teach Pakistan a lesson if she dares attacking us? Moreover China is also joining hands with Pakistan for a conspiracy against us. The Hon. Defence Minister should firmly state whether we are strong enough not only to thrash away Pakistan but also render their future generations so powerless that they might not dare thinking of an aggression against India ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : We are facing danger both from Pakistan and China. Pakistan has collected arm and ammunitions, Jet planes, transport planes, and also submarines from different sources, and now she stands doubly strong as she was in 1965. I want to know whether it is true that the U S S R has recently promised to give nuclear technical know-how to Pakistan ? Secondly, whether Pakistan has doubled her armies in all fields and that she has secured submarines from China and other countries ? Thirdly whether different types of our aeroplanes, being manufactured in Bangalore, Nasik etc., are getting adequate timely modifications and also whether those are being manufactured as per our target ?

Fourthly, whether we will retreat in a way so as to recover our Kashmir territories which are now under Pakistan, and that we will not sit peacefully until we get them back ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिन्ता में मैं भी एक भागीदार हूँ तथा सब के समान मैं भी यही कुछ अनुभव करता हूँ।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में बातें कम की जाती हैं तथा उचित समय पर कार्यवाही उचित की जाती है। यही कारण है कि कई बार मैं कम बोलता हूँ। परन्तु मैंने कार्यवाही की है।

यह सही है कि वर्ष 1965 के भारत-पाक संघर्ष के बाद से पाकिस्तान ने अपनी हानि-पूर्ति की है, कई प्रकार का सैनिक साज-सामान एकत्रित किया है। चीन और अन्य नाटो देशों से प्राप्त किया है। वह टर्की से भी और टैंक खरीदने की सोच रहे हैं। चीन से तो नहीं परन्तु शायद फ्रांस की सहायता से पाकिस्तान अपनी नौ-सेना भी सुदृढ़ कर रहा है। परन्तु महत्वपूर्ण

बात यह यह है कि हम इसका कैसे सामना करेंगे। मुझसे प्रश्न किया गया है कि क्या मुझे शक है कि भारत पर कोई आक्रमण होने वाला है। और मैंने कहा था कि यद्यपि मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता परन्तु हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। अचानक तो कुछ भी हो सकता है परन्तु दूसरी ओर ऐसी कोई गति-विधि मुझे अनुभव नहीं होती। परन्तु यह भिन्न बात है कि हमें अपनी वायु, सामुद्रिक और स्थल शक्ति किसी भी आकस्मिक आक्रमण से लड़ने के लिये तैयार रखनी है।

परन्तु जब मैं यह कहता हूँ कि मुझे किसी आक्रमण की सम्भावना अनुभव नहीं हो रही तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें ऐसी स्थिति के लिये तैयार नहीं रहना चाहिए। उत्तर तो मुझे ठीक अनुमान लगाकर ही देना होता है। परन्तु हम हर ओर से सजग हैं। परन्तु मैं फिर भी यही कहूँगा कि मुझे किसी आक्रमण की आशंका अनुभव नहीं होती।

डा० सुशीला नैयर ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब के वे शब्द उद्धृत किये हैं कि भारत को शान्ति से रहना सीखना चाहिए। मैं भी वही शब्द राष्ट्रपति अयूब और पाकिस्तानियों से कहता हूँ। भारत तो सदा ही शान्ति का उपासक रहा है। तथा पाकिस्तान से उसने सदा ही मित्रता चाही है। वस्तुतः तो पाकिस्तान ने ही सदा आक्रमणकारी रवैया अपनाया है। यदि वे हमें शान्ति का पाठ सीखने को कहते हैं तो मैं बड़ी दृढ़ता से उन्हें कहूँगा कि हमें तो शान्ति से रहना आता है परन्तु यदि पाकिस्तान भी ऐसा ही करे तो हमें बड़ी खुशी होगी तथा दोनों देशों के मतभेद भी दूर हो सकेंगे।

जहां तक पाकिस्तानियों के ध्यान बांटने के लिये पाकिस्तानी नेताओं के भारत-विरोधी प्रचार का सम्बन्ध है, यह बात वहां के लिये आम है। जब जब पाकिस्तान में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, वहां के नेतागण भारत-विरोधी प्रचार करके वहां के लोगों को गुमराह करते हैं। वे सदा ही भारत पर कीचड़ उछालते हैं। उन्होंने "भारत से घृणा" का एक अभियान चला रखा है।

हमारी तैयारियों का आधार भी यह है कि हमें पाकिस्तान से सदैव ही खतरा है। इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि हमें खतरा दो ओर से है। अतः हमारी तैयारियों में इस बात का भी ध्यान रहना चाहिये कि हमें खतरा दो ओर से है। साथ ही यह भी याद रखना है कि इन दोनों की केवल राजनैतिक ही नहीं बल्कि सैनिक सांठ-गांठ भी हो सकती है।

इसलिये जब हम सैनिक संतुलन की बातें करते हैं तो हमें इसे केवल पाकिस्तान की तुलना में ही नहीं देखना है बल्कि यह भी ध्यान रखना है कि हमारी सीमाओं के पार चीन भी फौजें जमा कर रहा है तथा हमें उस बारे में भी उचित उपाय करने हैं। अतः केवल पाकिस्तान के बारे में ही सोचते रहना उचित नहीं होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि हमें केवल पाकिस्तान से ही खतरा होता तो दोनों देशों की सैनिक शक्ति की तो तुलना ही कुछ न होती। हम उनसे हर समय हर क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

इसके अतिरिक्त यद्यपि हमें सदा हर खतरे के बारे में सचेत रहना है परन्तु फिर भी देश की जनता का उत्साह भी तो बनाये रखना होता है। हमें यह साफ ध्यान में रखना है कि हमें खतरा दो ओर से है।

जासूसी के बारे विशेष रूप से छम्ब-जोरियां क्षेत्र के संदर्भ में प्रश्न उठे थे। सदन को मालूम है कि भारत-पाक संघर्ष के बाद हमारे लोग उस क्षेत्र में पुनः जा बसे हैं तथा बहुत सारे लोग वहां पाकिस्तान से भी आये हैं तथा वे केवल वहीं नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी आये हैं। परन्तु हमारा गृह-कार्य मंत्रालय तथा जम्मू और काश्मीर सरकार इस बारे में पूरी तरह सजग है तथा उन्हें इस समस्या का पूरा-पूरा ध्यान है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे गृह-कार्य मंत्री तथा राज्य सरकार इस बारे में यथोचित कार्यवाही कर रही है।

जहां तक सीमा पर सड़कों के निर्माण का कार्य है, उसमें विकास सड़कों को भी शामिल कर लिया गया है क्योंकि जहां इनका निर्माण किया जाना है वे स्थान बड़े दुर्गम तथा कठिन हैं। अतः इस बारे में कोई भेद-भाव की बात नहीं है।

अब जहां तक पाकिस्तान द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रश्न है, वह मिजो और नागाओं को भड़काता है, उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देता है, सो उसके लिये हमें अपने सुरक्षा प्रबन्ध दृढ़ करने हैं। इस चीज को रोकना है। इस बारे में दृढ़ता से कार्यवाही की जा रही है। विद्रोही मिजो अथवा नागाओं के लिए यहां से जाना अथवा चीन या पाकिस्तान से सांठ-गांठ करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस पर हम ध्यानपूर्वक गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पख्तूनिस्तान की समस्या को मिजो और नागा लोगों के साथ मिलाने देने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा तरीका है। मिजो और नागा लोगों का मामला आन्तरिक है, वे भारतीय नागरिक हैं। चाहे पाकिस्तान उद्भव एजेंसी अथवा चीन उद्भव की एजेंसी हो, हम अपने आन्तरिक मामलों में किसी भी बाहरी एजेन्सी का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकते हैं। हमें इसे रोकने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिए। पख्तूनिस्तान का प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। उसके बारे में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है, मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री कुन्दू ने कहा कि रांची और रूरकेला स्थित सरकारी क्षेत्र के कारखानों में जासूस हैं अथवा विदेशी एजेन्ट सक्रिय हैं, दोनों प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान नहीं हैं। मेरी जानकारी में वहां पर कोई जासूस नहीं हैं। यदि उन्हें कोई जानकारी है, तो वे मुझे अथवा गृह-मंत्री को बतायें ताकि

संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके। मुझे नहीं मालूम कि श्री कुन्दू ने यह धारणा कैसे बना ली कि हमारी सेना अथवा प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कोई गैर राष्ट्रिक हैं। हमारी सेना में कोई भी पाकिस्तानी राष्ट्रिक नहीं है।

भारतीय सैनिकों की वीरता और शौर्य के लिये श्री रणधीर सिंह के उत्साह और सम्मान के विचार से मैं पूर्णतः सहमत हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी बहादुरी के अनुकूल पर्याप्त सैनिक उपकरण भी दिये जायेंगे तथा हम सभी उपलब्ध साधनों तथा देश में निर्माण द्वारा उनकी व्यवस्था करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी भी पक्ष से हम सहायता लेने को तैयार हैं। हमें शब्दों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। हमारा इरादा अपने किसी पड़ोसी देश पर आक्रमण करने का नहीं है परन्तु साथ ही मैं श्री एस० एम० जोशी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यदि हमारी अखण्डता को खतरा उत्पन्न और हम पर आक्रमण किया जाता है, तो हमें यह निर्णय करना होगा कि हम किस स्थान पर और किस प्रकार लड़ें। वह तो रक्षात्मक कार्यवाही होगी, आक्रमण नहीं। श्री कंवर लाल गुप्त ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली है। यह ठीक है परन्तु इन सब बातों में हम भी हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रहे हैं, हमें सेना के तीनों अंगों की शाक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध बढ़ानी पड़ी है क्योंकि हमारा अबभी यही विचार है कि हम अपने सभी विवाद शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करना चाहते हैं परन्तु साथ ही एक से अधिक आक्रमण को ध्यान में रखते हुए हमें सतर्क रहना है और जोखिम को देखते हुए प्रशिक्षण, सामग्री, उपकरणों आदि सम्बन्धी समुचित कार्यवाही करनी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है और हमें उसके अनुकूल कार्यवाही करनी होती है ताकि हमें नुकसान न पहुंचे।

श्री कंवर लाल गुप्त ने दूसरा प्रश्न रूस द्वारा परमाणु शक्ति के बारे में तकनीकी जानकारी देने की रिपोर्ट के बारे में पूछा था। शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु शक्ति सम्बन्धी तकनीकी जानकारी देना एक सामान्य बात है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : How can you say that Pakistan will remain peaceful ? He may use Pattan Tanks for war purposes.

श्री स्वर्ण सिंह : दोनों बातें भिन्न हैं। कोई भी टैंक अथवा अन्य हथियार शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान ने भारत की तरह अनेक देशों के साथ तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान की व्यवस्था कर रखी है। इसे हमें अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने का निर्णय नहीं करता। आखिरकार सभी बातों का, अच्छा भोजन, उत्तम औद्योगिक आधार आदि, किसी देश की प्रतिरक्षा क्षमता में योगदान होता है। उनका अन्तिम प्रश्न विमानों में सुधार करने के बारे में

था । हम देश में 4-5 भिन्न-भिन्न किस्मों के विमानों का निर्माण कर रहे हैं जैसे, 'नैट' एच० एफ० 24 आदि । मिग विमानों के निर्माण का भी कार्यक्रम है । हम आधुनिकतम टैक्नॉलॉजी का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं ।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 26 नवम्बर, 1968/5 अग्रहायण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 26, 1968/Agrahayana 5, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 24-2-69—600.